

मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड (आइआरएसी)

विषय-सूची

पैरा सं.	ब्योरे		पृष्ठ सं.
भाग क			
1		सामान्य	1
2		परिभाषाएं	1
	2.1	अनर्जक आस्तियां	1
	2.2	'अनियमित' दर्जा	2
	2.3	'अतिदेय'	3
3		आय - निर्धारण	3
	3.1	आय-निर्धारण - नीति	3
	3.2	आय का प्रतिवर्तन	3
	3.3	अनर्जक आस्तियों की वसूली का विनियोजन	4
	3.4	ब्याज लगाना	4
	3.5	अनर्जक आस्तियों के स्तर की गणना	5
4		आस्ति वर्गीकरण	5
	4.1	अनर्जक आस्तियों की श्रेणियां	5
		4.1.1 अवमानक आस्तियां	5
		4.1.2 संदिग्ध आस्तियां	5
		4.1.3 हानिवाली आस्तियां	6
	4.2	आस्तियों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश	6
		4.2.3 जमानत की उपलब्धता /उधारकर्ता /गारंटीकर्ता की निवल मालियत	6
		4.2.4 अस्थायी कमियों वाले खाते	7
		4.2.5 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का श्रेणी उन्नयन	8
		4.2.6 तुलन पत्र की तारीख के निकट नियमित किये गये खाते	8
		4.2.7 आस्ति वर्गीकरण ऋणकर्तावार हो न कि सुविधावार हो	8
		4.2.8 सहायता संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिम	11
		4.2.9 ऐसे खाते जहां प्रतिभूति के मूल्य में हास हुआ है	11
		4.2.10 वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक	12

		सेवा समितियों को दिये गये अग्रिम	
	4.2.11	मीयादी जमाराशियों, एनएससी, केवीपी/आइवीपी आदि की जमानत पर अग्रिम	13
	4.2.12	ब्याज के भुगतान के लिए स्थगन वाले ऋण	13
	4.2.13	कृषि अग्रिम	14
	4.2.14	सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम	15
	4.2.15	कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं	15
	4.2.16	टेक-आउट वित्त	24
	4.2.17	पोतलदान के बाद आपूर्तिकर्ता का ऋण	24
	4.2.18	निर्यात परियोजना वित्त	25
	4.2.19	बीआइएफआर /टीएलआई द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अधीन अग्रिम	25
	4.2.20	सीधे सौंपे गये नकदी प्रवाह और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के माध्यम से आस्तियों के अंतरण वाले लेनदेन पर दिशानिर्देश	25
	4.2.21	क्रेडिट कार्ड खाते	27
5		प्रावधान संबंधी मानदंड	28
	5.1	सामान्य	28
	5.2	हानि वाली आस्तियां	28
	5.3	संदिग्ध आस्तियां	28
	5.4	अवमानक आस्तियां	29
	5.5	मानक आस्तियां	31
	5.6	अस्थायी (फ्लेटिंग) प्रावधान	33
	5.7	निर्धारित दरों से उच्चतर दरों पर अग्रिमों के लिए प्रावधान	35
	5.8	पट्टे की आस्तियों पर प्रावधान	35
	5.9	विशेष परिस्थितियों में प्रावधानों के लिए दिशानिर्देश	36
	5.10	प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात	42
6		प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्चना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री संबंधी दिशानिर्देश	44
	6.1	व्याप्ति	44
	6.2	स्वरूप	44
	6.3	बेचने योग्य वित्तीय आस्तियां	45
	6.4	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के मूल्यांकन तथा कीमत निर्धारण पहलू सहित एससी/आरसी को बिक्री	46

		की क्रियाविधि	
	6.5	बिक्री लेनदेन के संबंध में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	48
	6.6	प्रकटीकरण अपेक्षाएं	51
	6.7	संबंधित मामले	52
7		अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री पर दिशानिर्देश	52
	7.1	व्याप्ति	52
	7.2	ढांचा	53
	7.3	मूल्यन और कीमत निर्धारण संबंधी पहलुओं सहित अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए क्रियाविधि	53
	7.4	खरीद/बिक्री लेनदेन हेतु बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	55
	7.5	प्रकटन अपेक्षाएं	57
8		अनर्जक आस्तियों को बड़े खाते डालना	58
9		अनर्जक आस्ति प्रबंधन - एक प्रभावी प्रणाली और कणमय (ग्रेनुलर) आँकड़ों की आवश्यकता	59
10		इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण उद्योगों के दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना(15 जुलाई 2014 से बाद स्वीकृत किए गए ऋण)	59
11		इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण उद्योगों के दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना (15 जुलाई 2014 के पहले स्वीकृत किए गए ऋण)	63
12		परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तीयन	66
13		कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के लिए बढी हुई लागतों का वित्तपोषण	68
14		उधारकर्ताओं के एक्सपोजर के पुनर्वित्तीयन संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड	69
भाग ख			
अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश			
15		अग्रिमों की पुनर्रचना की पृष्ठभूमि	72
16		मुख्य अवधारणाएं	73
17		पुनर्रचित अग्रिमों के लिए सामान्य सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड	73
	17.1	अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए पात्रता मानदंड	73
	17.2	आस्ति वर्गीकरण मानदंड	75

	17.3	आय निर्धारण मानदंड	77
	17.4	प्रावधानीकरण मानदंड	77
	17.5	जोखिम भार	80
18		मूल ऋण राशि को ऋण/ईक्विटी लिखत में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	81
	18.1	आस्ति वर्गीकरण मानदंड	81
	18.2	आय निर्धारण मानदंड	81
	18.3	मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड	81
19		अदत्त ब्याज को 'निधिक ब्याज मीयादी ऋण' (एफआइटीएल) ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	82
	19.1	आस्ति वर्गीकरण मानदंड	82
	19.2	आय-निर्धारण मानदंड	82
	19.3	मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड	83
20		आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार	83
	20.1	विशेष विनियामक व्यवहार लागू करना	83
	20.2	विशेष विनियामक ढांचे के तत्व	84
21		विविध	86
22		प्रकटीकरण	88
23		पुनर्चना का उद्देश्य	88
		भाग ख का परिशिष्ट	89
24		भूमिका	90
25		संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देश	90
26		संयुक्त ऋणदाता फोरम का गठन	90
27		जेएलएफ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई	94
28		पुनर्चना प्रक्रिया	96
29		जेएलएफ और सीडीआर प्रकोष्ठ द्वारा पुनर्चना से संबंधित अन्य मुद्दे/शर्तें	99
30		आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड	102
31		त्वरित प्रावधानीकरण	103
32		इरादतन चूककर्ता और असहयोगपूर्ण उधारकर्ता	105
33		सूचना संवितरण	106

34		ढांचे के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख	107
		भाग ग-1 का परिशिष्ट	108
भाग ग-2			
ग-2: अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, एनपीए का विक्रय तथा अन्य विनियामक उपाय			
35		परिचय	109
36		प्रवर्तकों के योगदान के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण	109
37		ऋण जोखिम प्रबंधन	110
38		विनियामक अनुदेशों को सुदृढ़ करना	111
39		सीईआरएसएआई के साथ लेनदेनों का रजिस्ट्रेशन	112
40		बोर्ड द्वारा निगरानी	113
		भाग ग-2 का परिशिष्ट	114
भाग ग-3			
41 से 49		कार्यनीतिक ऋण पुनर्चना योजना	115-119
अनुबंध			
अनुबंध - 1		सकल अग्रिमों, सकल अनर्जक आस्तियों, निवल अग्रिमों निवल अनर्जक आस्तियों का ब्यौरा	120
अनुबंध - 2		संबंधित प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की सूची	122
अनुबंध - 3		प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर) की गणना हेतु प्रारूप	124
अनुबंध - 4		सहायता संघीय/बहु बैंकिंग/समूहन व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिमों की पुनर्चना के लिए संगठनात्मक ढांचा	127
अनुबंध - 5		पुनर्चना की प्रमुख अवधारणाएं	142
अनुबंध - 6		पुनर्चित खातों के ब्योरे	146
अनुबंध - 7		मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची	156

मास्टर परिपत्र - अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड (आइआरएसी)

भाग क

1. सामान्य

1.1 अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप तथा वित्तीय प्रणाली से संबंधित समिति (अध्यक्ष श्री एम. नरसिंहम) द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक ने चरणबद्ध रूप में बैंकों के अग्रिम संविभाग के लिए आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड निर्धारित किये हैं, ताकि प्रकाशित खातों में अधिक सामंजस्य और पारदर्शिता की दिशा में बढ़ा जा सके।

1.2 आय-निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और वह वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए, न कि व्यक्तिनिष्ठ बातों पर। इसी प्रकार, बैंकों की आस्तियों का वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर किया जाना चाहिए, जो मानदंडों को एकसमान और सामंजस्यपूर्ण ढंग से लागू करना सुनिश्चित करेगा। साथ ही, आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर प्रावधान किया जाना चाहिए, जो आस्तियों के अनर्जक बने रहने की अवधि और जमानत की उपलब्धता तथा उसके मूल्य की वसूली योग्यता पर आधारित हो।

1.3 बैंकों से अनुरोध है कि ऋण और अग्रिम मंजूर करते समय उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह / तरलता पर आधारित वास्तविक चुकौती की अनुसूची तय कर ली जाए। इससे उधारकर्ताओं को समय पर चुकौती करने में सुविधा होगी तथा अग्रिमों के वसूली रिकॉर्ड में सुधार होगा।

2. परिभाषाएं

2.1 अनर्जक आस्तियां

2.1.1 कोई आस्ति, जिसमें पट्टेवाली आस्ति शामिल है, तब अनर्जक बन जाती है जब वह बैंक के लिए आय अर्जित करना बंद कर देती है।

2.1.2 अनर्जक आस्ति (एनपीए) वह ऋण या अग्रिम होगा जहाँ -

- i. ब्याज और/ या मूलधन की किस्त मीयादी ऋण के संदर्भ में 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बनी रहती है,

- ii. ओवरड्राफ्ट /नकदी ऋण के संदर्भ में खाता नीचे पैराग्राफ 2.2 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार 'अनियमित' बना रहता है,
- iii. खरीदे और भुनाये गये बिलों के मामले में बिल 90 दिन से अधिक की अवधि के लिए अतिदेय बना रहता है,
- iv. अल्पावधि फसलों के लिए दो फसली मौसमों के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज अतिदेय हो।
- v. दीर्घावधि फसलों के लिए एक फसल के लिए मूलधन की किस्त या उस पर ब्याज अतिदेय हो।
- vi. 1 फरवरी 2006 को जारी किए गए प्रतिभूतिकरण पर दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के संबंध में चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिन से अधिक अवधि के लिए बकाया रहे तो।
- vii. डेरिवेटिव लेनदेन के मामले में किसी डेरिवेटिव संविदा का सकारात्मक बाजार आधारित मूल्य दर्शानेवाली अतिदेय प्राप्य राशियां यदि भुगतान की निर्दिष्ट देय तारीख से 90 दिन की अवधि तक बकाया रह जाएं।

2.1.3 ब्याज के भुगतान के मामले में बैंक किसी खाते को अनर्जक आस्ति (एनपीए) के तौर पर तभी वर्गीकृत करें जब किसी तिमाही के दौरान देय और प्रभारित ब्याज तिमाही की समाप्ति से 90 दिन के भीतर पूरी तरह नहीं चुकाया जाता।

2.1.4 इसके अतिरिक्त, इस मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.4 के अनुसार भी किसी खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

2.2 'अनियमित' दर्जा

किसी खाते को तब 'अनियमित' माना जाएगा जब बकाया शेषराशि, स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से लगातार 90 दिन के लिए अधिक बनी रहती है। उन मामलों में जहां प्रधान परिचालन खाते में बकाया शेष राशि स्वीकृत सीमा/आहरण अधिकार से कम है, परंतु तुलनपत्र की तारीख को लगातार 90 दिन के लिए कोई क्रेडिट नहीं है अथवा उसी अवधि में नामे डाले गये ब्याज को समायोजित करने के लिए पर्याप्त क्रेडिट नहीं है, वहाँ इन खातों को 'अनियमित' माना जाए।

2.3 'अतिदेय'

किसी भी ऋण सुविधा के अधीन बैंक को देय कोई राशि 'अतिदेय' तब है यदि वह बैंक द्वारा निर्धारित तारीख को अदा नहीं की जाती है।

3. आय-निर्धारण

3.1 आय-निर्धारण - नीति

3.1.1 आय-निर्धारण की नीति वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए और वह वसूली रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए। अंतरराष्ट्रीय रूप से अनर्जक आस्तियों से होने वाली आय को उपचित आधार पर मान्य नहीं किया जाता, बल्कि आय के रूप में केवल तभी माना जाता है जब वह वास्तव में प्राप्त होती है। अतः बैंकों को किसी अनर्जक आस्ति पर ब्याज वसूल नहीं करना चाहिए और उसे आय खाते में नहीं लेना चाहिए। **यह सरकार द्वारा गारंटीकृत खातों पर भी लागू होगा।**

3.1.2 तथापि, मीयादी जमाराशियों, राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी), इंदिरा विकास पत्र (आइवीपी), किसान विकास पत्र (केवीपी) तथा जीवन पॉलिसियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज को देय तारीख को आय खाते में लेना चाहिए, बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध हो।

3.1.3 बकाया ऋणों के संबंध में पुनः बातचीत अथवा पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप बैंकों द्वारा अर्जित शुल्कों और कमीशनों को ऋण की पुनः बातचीत की गयी या पुनर्निर्धारित सीमा तक व्याप्त अवधि के लिए उपचय के आधार पर मान्यता दी जाये।

3.2 आय का प्रतिवर्तन

3.2.1 यदि कोई अग्रिम जिसमें खरीदे तथा भुनाए गए बिल शामिल हैं, अनर्जक आस्ति बनता है तो पिछली अवधियों में आय खाते में जमा किए गए संपूर्ण उपचित ब्याज यदि वह प्राप्त नहीं हुआ है तो, को प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए। **यह सरकार द्वारा गारंटीप्राप्त खातों पर भी लागू होगा।**

3.2.2 अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में, शुल्क, कमीशन और इसी प्रकार की उपचित होने वाली आय वर्तमान अवधि में उपचित होना बंद हो जानी चाहिए और यदि वह वसूल न की गयी हो तो पिछली अवधियों के संबंध में प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए।

3.2.3 पट्टेवाली आस्तियां

पट्टेवाली आस्ति पर, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की कौन्सिल द्वारा जारी 'एस 19 - पट्टा' में यथापरिभाषित वित्त आय का *वित्त प्रभार* घटक, जो उपचित हुआ है और आय खाते में, आस्ति के अनर्जक बनने के पहले जमा किया गया था तथा जो बिना वसूली के बना रहा हो, उसे प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए या चालू लेखांकन अवधि में उसके लिए प्रावधान किया जाना चाहिए।

3.3 अनर्जक आस्तियों की वसूली का विनियोजन

3.3.1 अनर्जक आस्तियों पर वसूल ब्याज को आय खाते में लिया जाये, बशर्ते ब्याज हेतु खातों में जमा राशि संबंधित ऋणकर्ता को मंजूर नयी / अतिरिक्त ऋण सुविधाओं में से न हो।

3.3.2 अनर्जक आस्तियों (अर्थात् देय मूलधन या ब्याज) में वसूली के विनियोजन के प्रयोजन के लिए बैंक और ऋणकर्ता के बीच स्पष्ट करार न होने से, बैंकों को कोई भी लेखांकन सिद्धांत अपनाना चाहिए तथा वसूलियों के विनियोजन के अधिकार का एकसमान और सुसंगत रूप में प्रयोग करना चाहिए।

3.4 ब्याज लगाना

किसी खाते के अनर्जक आस्ति हो जाने पर बैंकों द्वारा ऐसे खातों पर पहले ही लगाए गए लेकिन वसूल नहीं किए गए ब्याज को लाभ तथा हानि खाता के नामे करते हुए प्रत्यावर्तित कर देना चाहिए तथा उस पर आगे ब्याज की संगणना नहीं करनी चाहिए। तथापि, बैंक अपनी बहियों के मेमोरंडम खाता में इस प्रकार के उपचित ब्याज को दर्ज करना जारी रखें। सकल अग्रिमों की संगणना के प्रयोजन से मेमोरंडम खाते में दर्ज ब्याज को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए।

3.5 अनर्जक आस्तियों के स्तर की गणना

बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने सकल अग्रिमों, निवल अग्रिमों, सकल अनर्जक आस्तियों तथा निवल अनर्जक आस्तियों की संगणना अनुबंध - 1 के प्रारूप के अनुसार करें।

4. आस्ति वर्गीकरण

4.1 अनर्जक आस्तियों की श्रेणियां

बैंकों के लिए अपेक्षित है कि वे अनर्जक आस्तियों को, जिस अवधि के लिए आस्ति अनर्जक बनी रहती है तथा देय राशि की वसूली योग्यता के आधार पर और आगे निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत करें:

- i. **अवमानक आस्तियाँ**
- ii. **संदिग्ध आस्तियाँ और**
- iii. **हानिवाली आस्तियाँ**

4.1.1 अवमानक आस्तियाँ

31 मार्च 2005 से अवमानक आस्ति वह आस्ति होगी जो 12 महीने अथवा उससे कम अवधि के लिए अनर्जक आस्ति बनी रही है। इस प्रकार की आस्ति में भली-भांति परिभाषित ऋण की वह कमजोरी होगी जो ऋण का परिसमापन बाधित करेगी और जिसमें कुछ ऐसी स्पष्ट संभावना निहित है कि यदि इन कमियों को ठीक नहीं किया गया तो बैंकों को कुछ हानि होगी।

4.1.2 संदिग्ध आस्तियां

31 मार्च 2005 से वह आस्ति संदिग्ध आस्ति के रूप में वर्गीकृत होगी जो 12 महीनों की अवधि के लिए अनर्जक बनी रही है। संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किये गये ऋण में वे सभी कमजोरियाँ निहित हैं जो अवमानक आस्ति में हैं और साथ ही यह विशेषता भी जोड़ी जाती है कि उक्त कमजोरियों के कारण वर्तमान में ज्ञात तथ्यों, शर्तों और मूल्यों के आधार पर उनकी पूर्ण उगाही अथवा परिसमापन अत्यधिक शंकास्पद और असंभाव्य हो जाता है।

4.1.3 हानिवाली आस्तियां

घाटे की आस्ति वह है जहां बैंक अथवा आंतरिक अथवा बाह्य लेखा-परीक्षकों अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण द्वारा घाटे को पहचाना गया है किंतु उस राशि को पूर्णतः बट्टे खाते नहीं डाला गया है। दूसरे शब्दों में, इस प्रकार की आस्ति वसूली योग्य नहीं मानी जाती और इस प्रकार की आस्ति विश्वसनीय आस्ति के रूप में जारी रखना आवश्यक नहीं होता, हालांकि उसके कुछ बचाव या वसूली मूल्य की प्राप्ति हो सकती है।

4.2 आस्तियों के वर्गीकरण के लिए दिशानिर्देश

4.2.1 मोटे तौर पर कहा जाये तो, उपर्युक्त श्रेणियों में आस्तियों का वर्गीकरण सुस्पष्ट ऋण कमजोरियों की मात्रा और देय राशियों की वसूली के लिए संपार्श्विक जमानत पर निर्भरता की सीमा को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

4.2.2 बैंकों को विशेष तौर पर अधिक मूल्य वाले खातों के संबंध में अनर्जक आस्तियों की पहचान के लिए उपयुक्त आंतरिक प्रणालियां (प्रौद्योगिकी सक्षम प्रक्रियाओं सहित) स्थापित करनी चाहिए। बैंकों को अपने संबंधित कारोबारी स्तरों पर निर्भर रहते हुए किन खातों को अधिक मूल्य वाले खाते की श्रेणी में रखा जायेगा, इसका निर्णय करने के लिए न्यूनतम सीमा निर्धारित करनी चाहिए। यह न्यूनतम सीमा पूरे लेखा वर्ष के लिए वैध होनी चाहिए। उचित आस्ति वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी और वैध स्तर बैंकों द्वारा तय किये जाने चाहिए। प्रणाली द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वर्तमान दिशा-निर्देशों के अनुसार जिस तारीख को खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाये उस तारीख से एक महीने में आस्ति-वर्गीकरण संबंधी किसी भी तरह के संदेह को विनिर्दिष्ट आंतरिक माध्यम से दूर कर लिया जाये।

4.2.3 जमानत की उपलब्धता /उधारकर्ता /गारंटीदाता की निवल मालियत

किसी अग्रिम को अनर्जक अग्रिम अथवा अन्यथा समझने के प्रयोजन के लिए जमानत की उपलब्धता /उधारकर्ता/गारंटीदाता की निवल मालियत को केवल पैरा 4.2.9 में प्रावधानित सीमा तक ध्यान में लिया जाना चाहिए।

4.2.4 अस्थायी कमियों वाले खाते

किसी आस्ति का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण वसूली के रिकार्ड पर आधारित होना चाहिए। बैंक को किसी अग्रिम खाते को केवल इस कारण से अनर्जक खाते के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहिए कि उसमें कुछ कमियां विद्यमान हैं, जो अस्थायी स्वरूप की हैं, जैसे अद्यतन उपलब्ध स्टॉक विवरण पर आधारित पर्याप्त आहरण अधिकार की अनुपलब्धता, बकाया जमा शेष अस्थायी रूप से सीमा से अधिक होना, स्टॉक विवरण प्रस्तुत न करना तथा देय तारीखों को सीमाओं को नवीकृत न करना, आदि। इस प्रकार की कमियों वाले खातों के वर्गीकरण के मामले में बैंक निम्नलिखित दिशा-निर्देश अपना सकते हैं:

i) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यशील पूंजी खातों में किये गये आहरणों के लिए पर्याप्त चालू आस्तियां रखी गयी हों, क्योंकि संकट के समय पहले चालू आस्तियों का विनियोजन किया जाता है। आहरणाधिकार वर्तमान स्टॉक विवरण के आधार पर प्राप्त किया जाना आवश्यक है। तथापि, बड़े ऋणकर्ताओं की व्यावहारिक कठिनाइयों पर विचार करते हुए आहरणाधिकार निश्चित करने के लिए बैंक जिन स्टॉक विवरणों पर निर्भर रहते हैं वे तीन माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। तीन माह से अधिक पुराने स्टॉक विवरणों से परिकल्पित आहरणाधिकार पर आधारित खाते की बकाया राशियों को अनियमित माना जायेगा।

यदि खातों में ऐसे अनियमित आहरणों की अनुमति लगातार 90 दिनों के लिए दी जाए तो कार्यशील पूंजी ऋण खाता अनर्जक हो जायेगा, भले ही यूनिट कार्य कर रही हो अथवा ऋणकर्ता की वित्तीय स्थिति संतोषजनक हो।

ii) नियत तारीख/तदर्थ स्वीकृति की तारीख से तीन महीने तक नियमित और तदर्थ ऋण सीमाओं की पुनरीक्षा कर ली जानी चाहिए/उन्हें नियमित कर लिया जाना चाहिए। ऋणकर्ताओं से वित्तीय विवरण और अन्य आंकड़े उपलब्ध न होने जैसे अवरोधों की स्थिति में शाखा को इस बात के साक्ष्य प्रस्तुत करने चाहिए कि ऋण सीमाओं का नवीकरण /उसकी समीक्षा पहले से चल रही है और वह शीघ्र पूरी हो जायेगी। किसी भी स्थिति में, एक सामान्य अनुशासन के रूप में छः माह से अधिक की देरी को वांछनीय

नहीं माना जाता है। अतः नियत तारीख/तदर्थ स्वीकृति की तारीख से 180 दिन में जिन खातों में नियमित/तदर्थ ऋण सीमाओं की पुनरीक्षा/उनका नवीकरण न कर लिया गया हो उन्हें अनर्जक माना जायेगा।

4.2.5 अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का श्रेणी उन्नयन

अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों के संबंध में ऋणकर्ता द्वारा ब्याज की बकाया राशि और मूलधन को चुकाने पर उन ऋण खातों को अनर्जक खातों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और उन्हें 'मानक' खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। पुनर्चित/पुनर्निर्धारित खाते, जो अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत हैं, के श्रेणी उन्नयन के संबंध में इस परिपत्र के भाग ख के पैरा 12.2 तथा 15.2 की विषय-वस्तु लागू होगी।

4.2.6 तुलनपत्र की तारीख के निकट नियमित किये गये खाते

जिन ऋण खातों में तुलनपत्र की तारीख से पूर्व एक-दो बार राशियां जमा की गयी हों, उनका आस्ति-वर्गीकरण सावधानीपूर्वक और व्यक्तिपरकता की गुंजाइश के बिना किया जाना चाहिए। जहां खाता उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर अंतर्निहित कमजोरियों का संकेत दे रहा हो, वहां खाते को अनर्जक माना जाना चाहिए। अन्य वास्तविक मामलों में, बैंकों को उनके कार्यनिष्पादन की स्थिति के बारे में संदेह को समाप्त करने के लिए खाते को नियमित करने के ढंग के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों/निरीक्षण अधिकारियों के समक्ष संतोषजनक साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करना चाहिए।

4.2.7 आस्ति वर्गीकरण ऋणकर्ता-वार हो न कि सुविधा-वार हो

i) उस स्थिति की अभिकल्पना करना कठिन है जिसमें केवल कोई एक सुविधा/उक्त उधारकर्ता द्वारा जारी किसी प्रतिभूति में एक निवेश समस्यापूर्ण हो जाता है, अन्य नहीं। अतः किसी बैंक द्वारा किसी ऋणकर्ता को दी गयी सभी सुविधाएं तथा उस ऋणकर्ता द्वारा जारी सभी प्रतिभूतियों में किए निवेश को अनर्जक आस्ति/निष्क्रिय निवेश के रूप में माना जायेगा, न कि कोई सुविधा विशेष/निवेश अथवा उसका कोई अंश, जो अनियमित हो गया हो।

ii) यदि साखपत्र विकसित करने या गारंटियां लागू करने के फलस्वरूप उत्पन्न नामे राशियों को अलग खाते में रखा जाता है, तो उस खाते में शेष बकाया राशि को भी आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के प्रयोजन के लिए ऋणकर्ता के प्रधान परिचालन खाते के भाग के रूप में माना जाना चाहिए।

iii) यदि किसी उधारकर्ता को मंजूर कोई अन्य सुविधा अनर्जक आस्ति(एनपीए)के रूप में वर्गीकृत की जाती है, तो उस उधारकर्ता के पक्ष में साख पत्र के अंतर्गत भुनाये गये बिल को अनर्जक आस्ति (एनपीए) न माना जाए। तथापि, यदि साख पत्र के अंतर्गत दस्तावेज प्रस्तुत करने पर स्वीकार नहीं किये जाते हैं या साख पत्र जारीकर्ता बैंक द्वारा नियत तारीख पर साख पत्र के अंतर्गत भुगतान नहीं किया जाता है और संबंधित बिलों की भुनाई के कारण वितरित राशि की भरपाई उधारकर्ता तुरंत नहीं करता है तो बकाया भुनाए गए बिल तुरंत उस तारीख से अनर्जक अग्रिम माने जाएंगे जिस तारीख से अन्य सुविधाओं का अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकरण किया गया है।

iv) डेरिवेटिव संविदाएं

क) यदि किसी डेरिवेटिव संविदा के सकारात्मक बाजार-दर- आधारित मूल्य दर्शानेवाली प्राप्य राशि 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक अतिदेय है तो उसे अनर्जक आस्ति माना जाना चाहिए। यदि वायदा संविदा तथा प्लेन वनीला स्वैप और ऑप्शंस से उत्पन्न होनेवाली अतिदेय राशियां अनर्जक आस्ति बन जाती हैं तो मौजूदा आस्ति वर्गीकरण मानदंड के अनुसार उधारकर्ता-वार वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर उस ग्राहक को स्वीकृत अन्य निधिक सुविधाएं भी अनर्जक आस्ति मानी जाएंगी। अतः अप्रैल 2007 से जून 2008 की अवधि के दौरान की गयी विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव संविदाओं (वायदा संविदा तथा प्लेन वायदा स्वैप तथा ऑप्शंस को छोड़कर) के सकारात्मक बाजार-दर-आधारित मूल्य दर्शानेवाली कोई राशि, जो पहले ही निश्चित रूप धारण कर चुकी है या भविष्य में निश्चित रूप धारण कर सकती है और ग्राहक से प्राप्य हो जाती है, तो उसे ग्राहक/काउंटरपार्टी के नाम में खोले गये अलग खाते में रखा जाना चाहिए। यह राशि 90 दिन या उससे अधिक अवधि तक देय होने पर भी उधारकर्ता-वार आस्ति वर्गीकरण के सिद्धांत के आधार पर ग्राहक को दी गयी अन्य निधिक सुविधाओं को अनर्जक आस्ति में परिणत नहीं करेगी, हालांकि 90 दिन या उससे अधिक अवधि से अतिदेय ऐसी प्राप्य राशियां विद्यमान आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आइआरएसी) मानदंडों के अनुसार स्वयं अनर्जक आस्ति के रूप

में वर्गीकृत की जाएंगी। तथापि, ऐसे ग्राहकों की अन्य आस्तियों का वर्गीकरण विद्यमान आइआरएसी मानदंडों के अनुसार किया जाना जारी रहेगा।

ख) यदि संबंधित ग्राहक बैंक का उधारकर्ता भी हो तथा बैंक से नकदी ऋण या ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त कर रहा हो तो उपर्युक्त मद (iv)(क) में उल्लिखित प्राप्य राशियों को नियत तिथि को उस खाते में नामे डाला जाए तथा उसकी अदायगी न होने का प्रभाव नकदी ऋण /ओवरड्राफ्ट सुविधा खाते में परिलक्षित होगा। विद्यमान मानदंडों के अनुसार यहाँ भी उधारकर्ता-वार आस्ति वर्गीकरण का सिद्धांत लागू होगा।

ग) उन मामलों में जहाँ संविदा में यह प्रावधान है कि डेरिवेटिव संविदा की परिपक्वता के पहले उसके वर्तमान बाजार दर आधारित मूल्य का निर्धारण होगा, वहाँ 90 दिन की अतिदेय अवधि के बाद केवल चालू ऋण एक्सपोजर (संभावित भावी एक्सपोजर नहीं) को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

घ) चूँकि उपर्युक्त अतिदेय प्राप्य राशियाँ अप्राप्त आय को दर्शाती हैं, जिसे बैंक ने उपचय के आधार पर पहले ही 'बुक' कर लिया है, 90 दिनों की अतिदेय अवधि के बाद 'लाभ और हानि खाते' में पहले ही ले जायी गयी राशि प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए तथा जैसा अतिदेय अग्रिमों के मामले में किया जाता है, उसीप्रकार 'उचंत खाता क्रिस्टलीकृत प्राप्य' में धारित किया जाना चाहिए।

ड) आगे, यह स्पष्ट किया जाता है कि उन मामलों में जहाँ डेरिवेटिव संविदाओं में भविष्य में और निपटान होने की व्यवस्था हो, वहाँ बाजार दर आधारित (एमटीएम) मूल्य के अंतर्गत (क) प्राप्त (क्रिस्टलीकृत) प्राप्य राशियाँ और (ख) भावी प्राप्य राशियों के संबंध में धनात्मक या ऋणात्मक एमटीएम शामिल होगा। यदि अतिदेय प्राप्य राशियों का 90 दिन तक भुगतान नहीं होने पर डेरिवेटिव संविदा समाप्त नहीं की जाती है तो ऊपर पैरा (घ) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लाभ और हानि खाते से प्राप्त प्राप्य राशियों की प्रति प्रविष्टि करने के अलावा भावी प्राप्य राशियों से संबंधित धनात्मक एमटीएम की भी लाभ और हानि खाते से प्रति प्रविष्टि करनी चाहिए और उसे "उचंतखाता - धनात्मक एमटीएम" नामक खाते में रखा जाना चाहिए। एमटीएम मूल्य में परवर्ती धनात्मक परिवर्तन 'उचंतखाता - धनात्मक एमटीएम' में जमा किया जाना चाहिए, लाभ और हानि खाते में नहीं। एमटीएम मूल्य में परवर्ती गिरावट 'उचंतखाता - धनात्मक एमटीएम' की शेष राशि में समायोजित की जानी चाहिए। यदि इस खाते की शेष राशि पर्याप्त न हो तो बाकी राशि लाभ और हानि खाते में नामे की जानी चाहिए। अतिदेय राशियों का नकद भुगतान

होने पर 'उचंतखाता - प्राप्त प्राप्य राशियों' की शेष राशियां उस हद तक 'लाभ और हानि खाते' में अंतरित की जा सकती हैं, जिस हद तक भुगतान प्राप्त हुआ हो।

च) यदि बैंक का उधारकर्ता पर अन्य डेरिवेटिव एक्सपोजर हो तो किसी डेरिवेटिव लेनदेन को एनपीए मानने पर प्राप्त/निपटान की गयी राशि के संबंध में अन्य डेरिवेटिव एक्सपोजर के एमटीएम पर भी ऊपर पैरा (ड) में वर्णित तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए।

छ) चूंकि द्विपक्षीय नेटिंग के संबंध में कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, अतः एक ही काउंटरपार्टी से/को प्राप्य राशि और देय राशि तथा एक डेरिवेटिव संविदा से संबंधित प्राप्य राशि और देय राशि की नेटिंग नहीं की जानी चाहिए।

ज) इसी प्रकार, यदि किसी उधारकर्ता को दी गयी निधि आधारित ऋण सुविधा एनपीए के रूप में वर्गीकृत की जाती है तो सभी डेरिवेटिव एक्सपोजर के एमटीएम के संबंध में उपर्युक्त रीति से कार्रवाई की जानी चाहिए।

4.2.8 सहायता संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिम

संघीय व्यवस्था के अंतर्गत खातों का आस्ति-वर्गीकरण **अलग-अलग सदस्य बैंकों की वसूली के अभिलेख** और अग्रिमों की वसूली की संभावनाओं को प्रभावित करने वाले अन्य पहलुओं पर आधारित होना चाहिए। जब संघीय ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत उधारकर्ता द्वारा प्रेषित निधियां एक बैंक के पास एकत्र की जाती हैं और / या प्रेषित निधियां प्राप्त करने वाला बैंक जब अन्य सदस्य बैंकों का हिस्सा नहीं देता है तो अन्य सदस्य बैंकों की बहियों में उक्त खाते में 'अप्राप्ति' मानी जायेगी और इस प्रकार उक्त खाता अनर्जक-आस्ति माना जायेगा। इसलिए संघीय ऋण-व्यवस्था में भाग लेने वाले बैंकों को अपनी संबंधित लेखा बहियों में समुचित आस्ति-वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए वसूली का अपना हिस्सा अग्रणी बैंक से अंतरित कराने की व्यवस्था करनी चाहिए या वसूली के अपने हिस्से को अंतरित करने के लिए अग्रणी बैंक से स्पष्ट सहमति प्राप्त करनी चाहिए।

4.2.9 ऐसे खाते जहां प्रतिभूति के मूल्य में हास हुआ है/उधारकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी की गई है

- i. उन खातों के संबंध में जहां प्रतिभूति के मूल्य में हास से या प्रतिभूति उपलब्ध नहीं होने तथा उधारकर्ताओं द्वारा धोखाधड़ी जैसे अन्य कारणों से संबंधित खातों में जहां चुकौती के

लिए संभावित खतरे हैं, ऐसे खातों को किसी अनर्जक आस्ति वर्गीकरण की विभिन्न श्रेणियों से होकर गुजरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे गंभीर अनर्जक ऋण के मामलों में ऐसी आस्तियों को तत्काल संदिग्ध अथवा हानि-आस्ति के रूप में, जैसा भी उचित हो, वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

क. प्रतिभूति के मूल्य में हास को तब महत्वपूर्ण माना जा सकता है, जब प्रतिभूति का वसूली योग्य मूल्य बैंक द्वारा निर्धारित या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा पिछले निरीक्षण के समय स्वीकृत मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, के 50 प्रतिशत से कम हो। ऐसी अनर्जक आस्तियों को तत्काल संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

ख. यदि बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ता/रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित जमानत का वसूली योग्य मूल्य ऋण खातों में बकाया राशि के 10 प्रतिशत से कम है, तो जमानत के अस्तित्व को अनदेखा किया जाना चाहिए और आस्ति को सीधे ही हानि वाली आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

ii) सभी धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में प्रावधानीकरण:

(क) बैंक के प्रति देय समग्र राशि (ऐसी आस्तियों के विरुद्ध रखी गई प्रतिभूति की मात्रा पर ध्यान दिए बिना) अथवा जिसके लिए बैंक जिम्मेदार है (जमाराशि खातों के मामले सहित), के लिए उस तिमाही जिसमें धोखाधड़ी उजागर हुई है, से प्रारंभ करते हुए अधिकतम चार तिमाहियों की अवधि की भीतर प्रावधान पूर्ण कर लिया जाए;

(ख) तथापि, जब कभी भारतीय रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की सूचना दिए जाने में निर्धारित अवधि से अधिक का विलंब होता है, तब सारा प्रावधान एक बार में ही किया जाना जरूरी होगा। इसके अलावा, जब कभी किसी बैंक द्वारा धोखाधड़ी की सूचना दिए जाने अथवा इसके प्रति प्रावधानीकरण में विलंब किया गया हो तो भारतीय रिज़र्व बैंक, यथोचित पर्यवेक्षकीय कार्रवाई भी शुरू कर सकता है।

4.2.10 वाणिज्य बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों / कृषक सेवा समितियों को दिये गये अग्रिम

बैंकों द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों को दिये गये कृषि अग्रिमों तथा अन्य प्रयोजनों के लिए मंजूर किये गये अग्रिमों के संबंध में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों

/कृषक सेवा समितियों को मंजूर केवल वह विशिष्ट ऋण सुविधा ही अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत की जायेगी जिसे देय होने के पश्चात् अल्पावधि फसल के मामले में दो फसल मौसम और दीर्घावधि फसल के मामले में एक फसल मौसम तक की अवधि में नहीं चुकाया गया हो। प्राथमिक कृषि ऋण समितियों/कृषक सेवा समितियों को मंजूर सभी ऋण सुविधाओं को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत न किया जाए। उधार देने की व्यवस्था के बाहर बैंक द्वारा किसी प्राथमिक कृषि ऋण समिति/कृषक सेवा समिति के सदस्य उधारकर्ता को मंजूर अन्य प्रत्यक्ष ऋण और अग्रिम अनर्जक आस्ति होंगे भले ही उसी उधारकर्ता को मंजूर ऋण सुविधाओं में से कोई एक भी ऋण सुविधा अनर्जक आस्ति हो जाये।

4.2.11 मीयादी जमाराशियों, एनएससी, केवीपी/आइवीपी आदि की जमानत पर अग्रिम

मीयादी जमाराशियों, अभ्यर्पण के लिए पात्र राष्ट्रीय बचतपत्र, आइवीपी, के वी पी और जीवन पॉलिसियों की जमानत पर दिये गये अग्रिमों को अनर्जक आस्तियां नहीं माना जाना चाहिए बशर्ते खातों में पर्याप्त मार्जिन उपलब्ध है। सोने के आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों और अन्य सभी प्रतिभूतियों की जमानत पर दिये जाने वाले अग्रिम इस छूट के अंतर्गत नहीं आते।

4.2.12 ब्याज के भुगतान के लिए स्थगन वाले ऋण

औद्योगिक परियोजनाओं अथवा कृषि, बागान आदि के लिए दिये गये बैंक वित्त के मामले में, जहाँ ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन उपलब्ध है, वहाँ ब्याज का भुगतान ऋण स्थगन अथवा परियोजना के प्रारंभ से कार्यांभ तक की अवधि बीतने के बाद ही 'देय' होता है। इसलिए इस प्रकार की राशि अतिदेय नहीं होती है और इसलिए ब्याज नामे करने की तारीख के संदर्भ में अनर्जक आस्ति नहीं होती। यदि वसूली नहीं होती तो ब्याज की अदायगी के लिए नियत तारीख के बाद वह राशि अतिदेय हो जाती है।

कर्मचारियों को दिये गये आवास ऋणों अथवा इसी तरह के अग्रिमों के मामले में, जहाँ मूलधन की वसूली के बाद ब्याज भुगतानयोग्य होता है, वहाँ ब्याज को पहली तिमाही के बाद से ही अतिदेय मानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार के ऋणों/अग्रिमों को अनर्जक आस्ति के रूप में तभी वर्गीकृत किया जाना चाहिए जब नियत तारीख को मूलधन की किस्त की चुकौती अथवा ब्याज की अदायगी में चूक हो।

4.2.13 कृषि अग्रिम

i. अल्पावधि फसल के लिए मंजूर किसी ऋण को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा जब मूलधन की किस्त अथवा उसपर उपचित ब्याज दो फसल मौसमों के लिए अतिदेय बना रहता है। दीर्घावधि फसल के लिए मंजूर ऋण को तब अनर्जक आस्ति माना जाएगा जब मूल धन की किस्त अथवा उसपर उपचित ब्याज एक फसल मौसम के लिए अतिदेय बना रहता है। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए 'दीर्घावधि फसल' वह फसल होगी जिसका फसल मौसम एक वर्ष से अधिक अवधिवाला होगा और जो फसल 'दीर्घावधि फसल' नहीं होगी उसे 'अल्पावधि फसल' माना जाएगा। प्रत्येक फसल के लिए फसल मौसम अर्थात् संबंधित उगी हुई फसल की कटाई तक की अवधि प्रत्येक राज्य की राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा यथानिर्धारित अवधि होगी। कृषक द्वारा उगाई गई फसलों की अवधि पर निर्भर करते हुए अनर्जक आस्ति संबंधी उक्त मानदंड उस कृषक द्वारा लिए गए मीयादी कृषि ऋणों पर भी लागू किए जाएंगे।

उक्त मानदंड कृषि संबंधी गतिविधियों के लिए दिए गए केवल फार्म ऋण पर ही लागू किये जाने चाहिए, जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण-लक्ष्य और वर्गीकरण के संबंध में [23 अप्रैल 2015 के मास्टर परिपत्र एफआईडीडी.केंका.प्लान.बीसी.54/04.09.01/2014-15](#) के पैरा III (1) में सूचीबद्ध किये गये हैं। इन मदों की सूची का एक उद्धरण **अनुबंध 2** में दिया गया है। अनुबंध 2 में विनिर्दिष्ट ऋणों से इतर अन्य कृषि ऋणों तथा कृषीतर व्यक्तियों को दिए गए मीयादी ऋणों के संबंध में अनर्जक आस्तियों का निर्धारण उसी आधार पर किया जायेगा, जिस तरह कृषि से इतर अग्रिमों के लिए किया जाता है, जिसमें फिलहाल 90 दिन की चूक का मानदंड है।

ii. जहां प्राकृतिक आपदाएं अनुबंध-2 में वर्णित प्रयोजनों के लिए कृषि ऋणकर्ताओं की चुकौती की क्षमता को कम कर देती हैं, वहां बैंक राहत उपाय के रूप में निम्नलिखित के बारे में स्वयं निर्णय ले सकते हैं - अल्पावधि उत्पादन ऋण को मीयादी ऋण में परिवर्तित करना अथवा चुकौती की अवधि को पुनर्निर्धारित करना; और रिज़र्व बैंक के [25 मार्च 2015 के परिपत्र एफआईडीडी. सं.एफएसडी. बीसी.52/05.10.001/2014-15](#) में निहित दिशानिर्देशों के अधीन नए अल्पावधि ऋण स्वीकृत करना।

iii. परिवर्तन या पुनर्निर्धारण के ऐसे मामलों में, मीयादी ऋण तथा नए अल्पावधि ऋण को चालू देयताओं के रूप में माना जाए तथा उनका वर्गीकरण अनर्जक आस्तियों के रूप में करने की आवश्यकता नहीं है। इन ऋणों का आस्ति-वर्गीकरण इसके बाद संशोधित शर्तों द्वारा प्रबंधित होगा तथा उसे अनर्जक आस्ति तभी माना जायेगा जब ब्याज और/या मूलधन की किस्त अल्प अवधि फसलों के लिए दो फसल मौसमों के लिए तथा दीर्घ अवधि फसलों के लिए एक फसल मौसम के लिए अदत्त बनी रहे। इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन के लिए "दीर्घावधि" फसलें ऐसी फसलें होंगी जिनका फसल मौसम एक वर्ष से अधिक है और जो फसलें "दीर्घावधि" नहीं हैं वे "अल्पावधि" फसलें मानी जाएंगी।

iv. किसानों को इंदिरा आवास योजना तथा स्वर्ण जयंती ग्रामीण आवास वित्त योजना के अंतर्गत दिए गए अग्रिमों की चुकौती की अनुसूची तय करते समय, बैंक यह सुनिश्चित करें कि इन अग्रिमों पर देय ब्याज/किस्त फसल चक्र से संबद्ध की जाए।

4.2.14 सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिम

केंद्र सरकार की गारंटी द्वारा समर्थित ऋण सुविधाएं अतिदेय होने पर भी अनर्जक आस्ति के रूप में तभी मानी जायें जब सरकार लागू की गयी अपनी गारंटी को अस्वीकार कर दे। सरकार की गारंटी प्राप्त अग्रिमों को अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत करने की यह छूट आय के निर्धारण के प्रयोजन के लिए नहीं है। राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋणों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण की अपेक्षाएँ तय करने के लिए राज्य सरकार की गारंटी लागू करने की आवश्यकता हटा दी गई है। 31 मार्च 2006 को समाप्त वर्ष से, यदि ब्याज और /अथवा मूलधन या बैंक को देय अन्य कोई राशि 90 दिनों से अधिक अतिदेय रहती है तो राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत अग्रिमों और राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत प्रतिभूतियों में निवेश पर आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के मानदंड लागू होंगे।

4.2.15 कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं

4.2.15.1 जहां तक वित्तीय संस्थाओं/बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं का प्रश्न है, परियोजना पूरी होने की तारीख तथा वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) का स्पष्ट उल्लेख

परियोजना के वित्तीय समापन के समय ही किया जाना चाहिए तथा उसे औपचारिक रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए। इन्हें बैंक द्वारा ऋण मंजूर करने के दौरान मूल्यांकन नोट में भी प्रलेखित किया जाना चाहिए।

4.2.15.2 परियोजना ऋण

विधिक और सरकारी अनुमोदन आदि में विलंब जैसे अन्य बाहरी कारणों से ऐसे कई मौके आते हैं जब परियोजनाओं के पूरा होने में विलंब हो जाता है। इन सभी कारकों, जो प्रमोटरों के नियंत्रण के बाहर होते हैं, के चलते परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब हो सकता है और साथ ही बैंकों द्वारा ऋण को पुनर्चित एवं पुनर्व्यवस्थित भी किया जा सकता है। तदनुसार, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले परियोजना ऋण के लिए निम्नलिखित आस्ति वर्गीकरण संबंधी मानदंड लागू होंगे।

इस प्रयोजन से सभी परियोजना ऋणों को निम्नलिखित दो श्रेणियों में बांटा गया है

- क. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण
- ख. गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण

इन दिशानिर्देशों के प्रयोजन से 'परियोजना ऋण' का तात्पर्य है ऐसा कोई मीयादी ऋण जो कोई आर्थिक उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से दिया गया है। साथ ही, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वह क्षेत्र है, जिसे **भारतीय रिजर्व बैंक की** इंफ्रास्ट्रक्चर उधार के लिए विद्यमान हारमोनाइज्ड मास्टर सूची में परिभाषित किया गया है।

4.2.15.3 डीसीसीओ का आस्थगन

i) वाणिज्यिक परिचालनों की तारीख (डीसीओसी) में आस्थगन और इसके परिणामस्वरूप चुकौती समय-सारणी में समान या लघुतर अवधि (संशोधित चुकौती समय-सारणी के आरंभ और समापन की तारीखों सहित) के लिए होने वाले बदलाव को पुनर्चना नहीं माना जाएगा, बशर्ते -

(क) संशोधित डीसीसीओ वित्तीय क्लोजर के समय तय की गई मूल डीसीसीओ से क्रमशः बुनियादी संरचना परियोजनाओं तथा गैर बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए दो वर्ष तथा एक वर्ष के भीतर पड़ती हों, और

(ख) ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहें हों।

चूंकि ऐसे परियोजना ऋणों को सभी मामलों में मानक आस्तियों के रूप में लिया जाएगा, अतः इनके लिए 0.40 प्रतिशत का मानक आस्ति प्रावधान लागू होगा।

ii) बैंक उपर्युक्त पैराग्राफ (i) (क) में दी गई समय सीमा के आगे भी डीसीसीओ में संशोधन कर परियोजना ऋणों की पुनर्चना कर सकते हैं और मानक आस्ति वर्गीकरण बनाए रख सकते हैं, यदि नई डीसीसीओ का निर्धारण निम्नलिखित सीमाओं के अंतर्गत किया गया हो तथा पुनर्चना की शर्तों के अनुसार खाते में चुकौती होती रही हो:

(क) न्यायिक मामलों वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं

अगले दो वर्ष तक (उपर्युक्त पैरा 1(क) में वर्णित दो वर्ष की समय सीमा के बाद, अर्थात् कुल चार वर्ष की समय वृद्धि), यदि डीसीसीओ में बढ़ोतरी का कारण मध्यस्थता संबंधी कार्यवाही अथवा न्यायिक मामला हो।

(ख) प्रमोटरों के नियंत्रण से बाहर के कारणों से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में हुआ विलंब

अगले एक वर्ष तक (उपर्युक्त पैरा 1(क) में निर्धारित 2 वर्ष की अवधि के बाद, अर्थात् कुल 3 वर्ष की समय वृद्धि), यदि डीसीसीओ में बढ़ोतरी का कारण प्रमोटरों के नियंत्रण से बाहर हो (न्यायिक मामलों से इतर)

(ग) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए परियोजना ऋण(वाणिज्यिक रियल एस्टेट एक्सपोजर को छोड़कर)

अगले एक वर्ष तक (उपर्युक्त पैरा 1(क) में वर्णित एक वर्ष की समय सीमा के बाद, अर्थात् कुल दो वर्ष की समय वृद्धि)

(iii) पैरा 4.2.15.3 (ii) में उल्लिखित आस्ति वर्गीकरण लाभ वाणिज्यिक रियल एस्टेट सेक्टर के लिए लागू नहीं है।

(iv) यह बात दुहराई जाती है कि किसी परियोजना के ऋण को वाणिज्यिक परिचालन के प्रारंभ होने के पहले वसूली के रिकॉर्ड (90 दिन अतिदेय होने के बाद) के अनुसार किसी भी समय एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसके अलावा यह भी दुहराया जाता है कि उपर्युक्त पैरा 4.2.15.3 (ii) के अंतर्गत दी गयी छूट तभी लागू होगी जब पुनर्चना के लिए आवेदन उपर्युक्त पैरा 4.2.15.3 (i) (क) में दी गई समय सीमा के समाप्त होने से पहले प्राप्त किया गया हो और खाता वसूली के रिकॉर्ड के अनुसार अभी भी मानक बना हुआ हो। अन्य लागू होने वाली शर्तें निम्नलिखित होंगी:

क. जिन मामलों में ब्याज के भुगतान के लिए अधिस्थगन लगाया गया हो उनमें बैंकों को ऐसे पुनर्चित खातों से जुड़े उच्च जोखिम पर विचार करते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर तथा गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की मूल तिथि

से क्रमशः दो वर्ष तथा एक वर्ष से अधिक समय के बाद उपचित आधार पर आय दर्ज नहीं करनी चाहिए।

ख. बैंकों को ऐसे खातों के लिए जब तक उन्हें मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत रखा जाता है, डीसीसीओ में समय वृद्धि के कारण उचित मूल्य में हास के लिए प्रावधान के अतिरिक्त निम्नानुसार प्रावधान बनाए रखना चाहिए:

ब्योरा	प्रावधानीकरण अपेक्षाएं
यदि संशोधित डीसीसीओ इंफ्रास्ट्रक्चर तथा गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए वित्तीय क्लोजर के समय निर्धारित मूल डीसीसीओ से क्रमशः दो वर्ष/एक वर्ष के भीतर हो	0.40 प्रतिशत
यदि डीसीसीओ को बढ़ाया गया है : I) इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए मूल डीसीसीओ की तारीख से दो साल से ज्यादा और चार वर्ष तक या तीन वर्ष तक, जैसा भी मामला हो, यह ऐसे विलंब के कारणों पर निर्भर करता है II) गैर-इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए मूल डीसीसीओ की तारीख से एक साल से ज्यादा और दो वर्ष तक,	01 जून 2013 से पुनर्रचित परियोजना ऋण: 5.00 प्रतिशत - ऐसी पुनर्रचना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ अथवा पुनर्रचना की तारीख से दो वर्ष, जो भी कम हों 01 जून 2013 को पुनर्रचित के रूप में वर्गीकृत परियोजना ऋणों का स्टॉक: *3.5 प्रतिशत - मार्च 31, 2014 से (2013-14 की चार तिमाहियों में फैले हुए) *4.25 प्रतिशत- मार्च 31, 2015 से (2014-15 की चार तिमाहियों में फैले हुए) *5.00 प्रतिशत- मार्च 31, 2016 से (2015-16 की चार तिमाहियों में फैले हुए) उक्त प्रावधान पुनर्रचना की तारीख से संशोधित डीसीसीओ या पुनर्रचना की तारीख से 2 वर्ष में से जो भी बाद में हो, पर लागू होंगे।

(v) कार्यान्वयन के अधीन इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में जहां अपेक्षित शर्तों को पूरा करने में छूट प्राधिकारी की असमर्थता के कारण नियुक्ति तारीख (छूट समझौते में यथा-परिभाषित) में परिवर्तन किया जाता है, वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की तिथि में परिवर्तन मात्र को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुनर्चित मानने की जरूरत नहीं है :

- क) परियोजना किसी लोक प्राधिकारी के निर्णय के द्वारा सार्वजनिक और निजी भागीदारी मॉडल की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना है;
- ख) ऋण संवितरण शुरू होना बाकी है;
- ग) उधारकर्ता और ऋणदाता के बीच अनुपूरक समझौते द्वारा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने की संशोधित तारीख का प्रलेखीकरण किया गया है; तथा
- घ) परियोजना की अर्थक्षमता का पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा अनुपूरक समझौते के समय समुचित प्राधिकारी से मंजूरी ली गई है।

4.2.15.4 कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं - स्वामित्व में परिवर्तन

(i) वर्तमान प्रवर्तकों की अक्षमता के कारण प्राथमिक रूप से रूकी हुई परियोजनाओं के पुनरुज्जीवन को आसान बनाए जाने के लिए, यदि स्वामित्व में परिवर्तन उपर्युक्त पैरा 4.2.15.3 में दी गई अवधि के दौरान या मूल डीसीसीओ के पहले होता है, तो बैंक परियोजना के डीसीसीओ में दो वर्ष तक के विस्तार की अनुमति, उपर्युक्त पैरा 4.2.15.3 में दी गई अवधि के अतिरिक्त, जैसी भी स्थिति हो, खाते के आस्ति वर्गीकरण में परिवर्तन किए बिना दे सकते हैं जो नीचे दिए गए पैरा में दी गयी शर्तों के अधीन होगा। बैंक, यदि आवश्यक हो, चुकौती समय सारणी में समान अवधि या कम अवधि का अनुवर्ती परिवर्तन/विस्तार भी कर सकते हैं।

(ii) ऐसे मामलों में जहां स्वामित्व में परिवर्तन तथा डीसीसीओ में विस्तार (उपर्युक्त पैरा 4.2.15.5 (i) में दिए गए अनुसार) मूल डीसीसीओ से पहले हो जाता है और यदि परियोजना में वाणिज्यिक परिचालन विस्तारित डीसीसीओ तक शुरू नहीं हो पाते हैं, तो परियोजना उपर्युक्त पैरा 4.1.15.3 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार डीसीसीओ में और विस्तार पाने के लिए पात्र होगी। इसी तरह, जहां स्वामित्व में परिवर्तन तथा डीसीसीओ में विस्तार उपर्युक्त पैरा 4.2.15.3(i) में दी गई अवधि के दौरान हो जाता है, तो भी खाते की पुनर्चना, उपर्युक्त पैरा 4.2.15.3 (ii) में दिए गए दिशानिर्देशों के अधीन डीसीसीओ के विस्तार द्वारा, खाते को गैर निष्पादित आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किए बिना भी की जा सकती है।

iii. उपर्युक्त पैराग्राफ 4.2.15.4 (i) तथा 4.2.15.4 (ii) के प्रावधान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे:

क. बैंक को यह सिद्ध करना होगा कि परियोजना का कार्यान्वयन मौजूदा प्रवर्तकों / प्रबंधन की अक्षमता के कारण प्राथमिक रूप से अवरुद्ध / बाधित है तथा स्वामित्व में परिवर्तन से विस्तारित अवधि में परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की अत्यधिक संभावना है ।

ख. विचाराधीन परियोजना परिचालन के क्षेत्र में पर्याप्त कुशलता प्राप्त नए प्रवर्तक / प्रवर्तकों के समूह द्वारा ली जानी चाहिए । यदि, अधिग्रहण एसपीवी (घरेलू या विदेशी) द्वारा किया जाता है तो बैंक को यह स्पष्ट रूप से कहना होगा कि अधिग्रहण करने वाली संस्था नए प्रवर्तक समूह का हिस्सा है जिसे संबंधित क्षेत्र के प्रचालन में पर्याप्त विशेषज्ञता प्राप्त है ।

ग. नए प्रवर्तक के पास अधिग्रहित परियोजना के हिस्सेदारी की 51% चुकता इक्विटी पूंजी होनी चाहिए । यदि नया प्रवर्तक अनिवासी है, तथा ऐसे क्षेत्र में है जहां विदेश निवेश की सीमा 51% से कम है, नए प्रवर्तक को कम से कम 26% या लागू विदेशी निवेश सीमा जो भी अधिक है चुकता इक्विटी पूंजी होनी चाहिए बशर्ते बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि इस इक्विटी हिस्सेदारी से नया अनिवासी प्रवर्तक परियोजना के प्रबंधन पर नियंत्रण कर सकता है ।

घ. बैंक की संतुष्टि तक परियोजना की व्यवहार्यता सिद्ध होनी चाहिए ।

ङ. वर्तमान प्रवर्तक / प्रवर्तकों के समूह की अन्य संस्था / अनुषंगी कंपनी / एसोसिएट्स आदि (घरेलू तथा विदेशी) द्वारा अंतर – समूह कारोबार पुनर्रचना / समामेलन / अधिग्रहण तथा / कब्जा / अधिग्रहण, इस सुविधा के लिए पात्र नहीं है । बैंकों को यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करना होगा कि अधिग्रहणकर्ता वर्तमान प्रवर्तक समूह से संबंधित नहीं हैं ।

च. “संदर्भ तिथि” को खाते का आस्ति वर्गीकरण विस्तारित अवधि में जारी रहेगा। इस प्रयोजन से, “संदर्भ तिथि “ लेन देन पक्षकारों के प्राथमिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख होगी बशर्ते स्वामित्व का अधिग्रहण / कब्जा ऐसा अधिग्रहण / कब्जा जिस कानून / विनियम के प्रावधानों के अधीन है के अनुसार प्राथमिक बाध्यकारी समझौते के निष्पादन की तारीख से 90 दिनों के अंदर पूर्ण किया जाए। बीच की अवधि में सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होना जारी रहेगा । यदि प्राथमिक बाध्यकारी समझौते के 90 दिनों के भीतर स्वामित्व में परिवर्तन नहीं हुआ तो ऐसा अधिग्रहण / कब्जा पर लागू कानून / विनियम के प्रावधानों के अनुसार “संदर्भ तिथि” अधिग्रहण / कब्जा की प्रभावी तारीख होगी ।

छ. नए मालिक / प्रवर्तकों से अपेक्षा है कि वे विस्तारित समय सीमा में परियोजना पूर्ण करने के लिए पर्याप्त मात्रा में राशि लाकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करें। ऐसे में, परियोजना के लिए

आवधिक व्यय का वित्तपोषण हमारे 14 अगस्त 2014 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी.बीसी.33/21.04.048/2014-15 में निहित दिशानिर्देशों के अधीन रहना जारी रहेगा। 14 अगस्त 2014 के परिपत्र में निर्धारित सीमा से अतिरिक्त अत्यधिक व्यय या वित्तपोषण पुनर्चना का परिणाम माना जाएगा, भले ही डीसीसीओ का विस्तार उपर्युक्त निर्धारित सीमा के भीतर हो ।

ज. परिकल्पित लाभ के लिए डीसीसीओ के विस्तार (2 वर्ष के अतिरिक्त अवधि तक) पर विचार करते समय बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चुकौती समय सारणी परियोजना के उपयोगिता काल/रियायत अवधि के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए; और

झ. परियोजना को यह सुविधा केवल एक बार मिलेगी तथा इसके बाद के स्वामित्व परिवर्तन यदि कोई हो के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

iv. इन दिशानिर्देशों के अधीन आ रहे ऋणों पर उनके आस्ति वर्गीकरण की स्थिति के आधार पर विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण लागू होगा।

4.2.15.5 अन्य मुद्दे

(i) वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले परियोजना ऋणों की पुनर्चना के अन्य सभी पहलुओं पर अग्रिमों से संबंधित आय-निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण संबंधी विवेकपूर्ण मानदंडों पर इस मास्टर परिपत्र के भाग 'ख' के उपबंध लागू होंगे। वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद परियोजना ऋणों की पुनर्चना भी इन्हीं अनुदेशों के अनुसार की जानी चाहिए।

(ii) परियोजना के दायरे एवं आकार में वृद्धि के कारण परियोजना के परिव्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप किसी परियोजना ऋण के चुकौती कार्यक्रम में किसी परिवर्तन को पुनर्चना नहीं माना जाएगा यदि:

क. परियोजना के दायरे और आकार में वृद्धि मौजूदा परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने से पहले होती है।

ख. मूल परियोजना की परिकल्पित लागत में किसी प्रकार की बढ़ोतरी को छोड़कर लागत में अन्य वृद्धि मूल परिव्यय के 25% अथवा उससे अधिक है।

ग. बैंक परियोजना के दायरे में वृद्धि को अनुमोदित तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की नयी तिथि निर्धारित करने से पहले परियोजना की व्यावहारिकता का पुनर्मूल्यांकन करता है।

घ. पुनः रेटिंग के उपरांत (यदि पहले रेटिंग की गयी हो) नयी रेटिंग पिछली रेटिंग से एक से अधिक श्रेणी कम न हो।

(iii) डीसीओसी में कई संशोधनों और इसके परिणामस्वरूप चुकौती समय-सारणी में समान या लघुतर अवधि (संशोधित चुकौती समय-सारणी के आरंभ और समापन की तारीखों सहित) के लिए होने वाले बदलाव को पुनर्चना का एक ही अवसर माना जाएगा बशर्ते संशोधित डीसीओसी का निर्धारण उपर्युक्त पैरा 4.2.15.3(ii) में उद्धृत समय सीमा के अनुरूप किया गया हो तथा ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित हों।

(iv) बैंक, यदि उचित समझें तो उपर्युक्त पैरा 4.2.15.3 (ii) में उद्धृत समय सीमा से आगे भी डीसीओसी को बढ़ा सकते हैं; तथापि, इस मामले में बैंक ऐसे ऋण खातों के लिए 'मानक' आस्ति वर्गीकरण दर्जा बरकरार नहीं रख सकेंगे।

(v) पुनर्चना के उपर्युक्त सभी मामलों में, जहां विनियामक सहिष्णुता दर्शाई गई है, बैंकों के बोर्डों को चाहिए कि परियोजना की अर्थक्षमता और पुनर्चना योजना के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

4.2.15.6 आय निर्धारण

- (i) बैंकों को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही 'मानक' आस्ति के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के संबंध में आय का हिसाब उपचय आधार पर करें।
- (ii) बैंकों को चाहिए कि वे कार्यान्वित की जा रही 'अवमानक' आस्तियों के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं के संबंध में आय का हिसाब उपचय आधार पर न करें। वे नकदी आधार पर वसूली के बाद ही ऐसे खातों के संबंध में आय का हिसाब करें।
- (iii) जिन बैंकों ने पहले गलत ढंग से आय का निर्धारण किया है उन्हें चाहिए कि यदि मौजूदा वर्ष के दौरान इसे आय के रूप में निर्धारित कर दिया गया हो तो वे ब्याज को प्रतिवर्तित कर दें अथवा यदि पिछले वर्ष (वर्षों) में इसे आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, उसके समतुल्य राशि के लिए प्रावधान कर दें। 'निधिक ब्याज' के रूप में

निर्धारित आय की विनियामक प्रक्रिया और ईक्विटी, बैंचरों या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन के बारे में बैंकों को चाहिए कि वे निम्नलिखित का पालन करें:

क) निधिक ब्याज: अनर्जक आस्तियों के बारे में आय निर्धारण चाहे ऋण करार की शर्तों का पुनर्निर्माण/ पुनर्निर्धारण /पुनः समझौता के अधीन हो या नहीं, वसूली के बाद ही, कड़ाई से नकदी आधार पर न कि बकाया ब्याज की राशि को निधि में रखने पर किया जाना चाहिए। परंतु यदि, निधिक ब्याज की राशि को आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो, साथ ही साथ, समतुल्य राशि का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में ब्याज के निधीयन को यदि आय के रूप में निर्धारित किया गया हो तो उसके लिए पूर्णतः प्रावधान किया जाना चाहिए।

ख) ईक्विटी, डिबेंचर या किसी अन्य लिखत में परिवर्तन : अन्य लिखतों में परिवर्तित बकाया राशि में सामान्यतः मूलधन और ब्याज के घटक शामिल होंगे। यदि ब्याज की बकाया राशि को ईक्विटी या किसी अन्य लिखत में परिवर्तित किया जाता हो और इसके कारण आय निर्धारित की जाती हो तो, इस रूप में निर्धारित आय की राशि के लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि इस प्रकार के आय निर्धारण के प्रभाव से बचा जा सके। इस प्रकार का प्रावधान उस राशि के अतिरिक्त होगा जो निवेश मूल्यन मानदंडों के अनुसार ईक्विटी या अन्य लिखतों के मूल्य में हास के लिए आवश्यक है। परंतु, यदि ब्याज को निर्दिष्ट भाव वाली ईक्विटी में परिवर्तित किया जाता है तो परिवर्तन की तारीख को ईक्विटी के बाज़ार मूल्य पर ब्याज आय का निर्धारण किया जा सकेगा जो ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगा। इसके बाद इस प्रकार की ईक्विटी को 'विक्रय के लिए उपलब्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा और उसका मूल्यन निम्न लागत या बाजार मूल्य पर किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में मूल और /या ब्याज डिबेंचरों में परिवर्तन के मामले में, ऐसे डिबेंचरों को उसी आस्ति वर्गीकरण में प्रारंभ से अनर्जक आस्ति के रूप में माना जाना चाहिए जो परिवर्तन के एकदम पहले ऋण पर लागू है तथा मानदंडों के अनुसार प्रावधान करना चाहिए। यह मानदंड जीरो कूपन बांडों या ऐसे अन्य लिखतों पर भी लागू होगा जो जारीकर्ता की देयता आस्थगित करना चाहते हैं। ऐसे डिबेंचरों पर, आय का निर्धारण केवल वसूली के आधार पर किया जाना चाहिए। वसूल न किये गये ब्याज, जिसे डिबेंचरों या किसी अन्य नियत अवधिपूर्णता के लिखत में परिवर्तित किया गया है, के संदर्भ में आय का निर्धारण ऐसे लिखत के प्रतिदान पर ही किया जाना चाहिए। उपर्युक्त की शर्त पर,

ऋण की मूल राशि के परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न इक्विटी शेयर या अन्य लिखत भी ऐसे लिखतों पर लागू सामान्य विवेकपूर्ण मूल्यांकन मानदंडों की शर्त के अधीन होंगे।

4.2.16 टेक-आउट वित्त

‘टेक-आउट’ वित्त दीर्घावधि की मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए निधियों की व्यवस्था के सन्दर्भ में एक उत्पाद है। इस व्यवस्था के तहत मूलभूत संरचना संबंधी परियोजनाओं का वित्तपोषण करने वाली संस्था/बैंक किसी अन्य वित्तीय संस्था के साथ व्यवस्था करके पूर्व निर्धारित आधार पर इस प्रकार के वित्तपोषण के सम्बन्ध में अपनी बहियों की बकाया राशि का उनकी बहियों में अंतरण करने की व्यवस्था करेंगे। टेकिंग ओवर (अधिग्रहण) में लगने वाले समय की दृष्टि से इस बीच चूक की संभावना हो सकती है। उस सम्बद्ध बैंक/वित्तीय संस्था को आय-निर्धारण और प्रावधान करने के मानदण्डों का अनुपालन करना होगा, जिसकी बहियों में इन खातों को संगत तारीख को तुलनपत्र की मद के रूप में लिया गया है। यदि ऋणदाता संस्था को लगता है कि वसूली के रिकार्ड के आधार पर कोई आस्ति अनर्जक आस्ति बन चुकी है, तो उसका तदनुसार वर्गीकरण करना चाहिए। ऋणदाता संस्था को आय का निर्धारण उपचय के आधार पर नहीं करना चाहिए और इसे केवल तभी हिसाब में लेना चाहिए, जब ऋणकर्ता/ग्रहणकर्ता संस्था से इसका भुगतान मिल जाये (यदि व्यवस्था में ऐसा प्रावधान हो)। तथापि, ऐसी आस्तियों को ग्रहण करने पर ग्रहणकर्ता संस्था को खाते को उसी तारीख से अनर्जक आस्ति के रूप में लेते हुए प्रावधान करना चाहिए जिस तारीख को यह वस्तुतः अनर्जक खाता बना हो, भले ही उस तारीख को वह खाता इसकी बहियों में न रहा हो।

4.2.17 पोतलदान के बाद आपूर्तिकर्ता का ऋण

- i. जिन देशों के लिए निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) की रक्षा प्राप्त है, उन देशों को माल के निर्यात हेतु बैंकों द्वारा पोतलदान के बाद के ऋण के संबंध में निर्यात-आयात बैंक ने गारंटी-सह-पुनर्वित्त कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जिसके द्वारा, चूक करने की स्थिति में, निर्यात ऋण और गारंटी निगम (ईसीजीसी) के पास निर्यातकर्ता द्वारा दावा दायर करने के बाद निर्यात-आयात बैंक गारंटी की राशि का भुगतान बैंक द्वारा गारंटी लागू करने के 30 दिन में बैंक को करेगा।

- ii. तदनुसार, निर्यात-आयात बैंक से जितनी राशि का भुगतान प्राप्त हो उतनी राशि को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान के प्रयोजन के लिए अनर्जक आस्ति के रूप में न माना जाये।

4.2.18 निर्यात परियोजना वित्त

- i. ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां वास्तविक आयातकर्ता ने विदेश स्थित बैंक को देय राशि अदा कर दी हो किन्तु वह बैंक युद्ध, संघर्ष, संयुक्त राष्ट्र संघ की पाबंदियों जैसी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उस राशि का प्रेषण करने में असमर्थ रहा हो।
- ii. ऐसे मामलों में जहां संबंधित (ऋण देनेवाला) बैंक दस्तावेजी साक्ष्य के द्वारा यह स्थापित करने में समर्थ हो कि आयातकर्ता ने विदेश स्थित बैंक में राशि जमा करके सम्पूर्ण देय राशियां चुका दी हैं और यह चुकौती बैंक की बहियों में अनर्जक आस्तियां बनने से पहले हो चुकी हो, किन्तु वह देश राजनीतिक स्थिति अथवा अन्य कारणों से उस राशि का आयातकर्ता को प्रेषण करने की अनुमति न दे पा रहा हो, तो आस्ति वर्गीकरण विदेश स्थित बैंक में आयातकर्ता द्वारा राशि जमा करने की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू किये जायें।

4.2.19 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) / मीयादी ऋण संस्थाओं (टीएलआई) द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अधीन अग्रिम

जिस अग्रिम की शर्तों पर पुनः समझौता किया गया हो उस अग्रिम के संबंध में वर्गीकरण को उन्नत करने की अनुमति बैंकों को तब तक नहीं है जब तक पुनः किये गये समझौते की शर्तों का पैकेज एक वर्ष की अवधि तक संतोषजनक रूप में कार्य न कर चुका हो बीआईएफआर/टीएलआई द्वारा अनुमोदित पुनर्वास के अंतर्गत किसी यूनिट को स्वीकृत की गयी मौजूदा ऋण सुविधायें, यथास्थिति, अवमानक या संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत की जाती रहेंगी, वहीं पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत स्वीकृत अतिरिक्त सुविधाओं के संबंध में आय-निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण के मानदंड राशि के वितरण की तारीख से एक वर्ष के बाद लागू होंगे।

4.2.20 सीधे सौंपे गये नकदी प्रवाह और अंतर्निहित प्रतिभूतियों के माध्यम से आस्तियों के अंतरण वाले लेनदेन पर दिशानिर्देश

i) प्रवर्तक बैंक: आस्तियों के प्रवर्तक के लिए न्यूनतम प्रतिधारण अपेक्षा (एमआरआर) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक्सपोजरों की आस्तियों का वर्गीकरण और प्रावधानीकरण नियम निम्नानुसार होंगे:

क) यदि अंतरित ऋण खुदरा ऋण है तो एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि का समेकित खाता प्रवर्तक बैंक द्वारा रखा जाएगा। ऐसे मामलों में, एमआरआर के परिशोधन में प्राप्य समेकित राशि और उसकी आवधिकता स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होनी चाहिए और एमआरआर की अतिदेयता की स्थिति ऐसी राशि के पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित होनी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, प्रवर्तक बैंक उन खातों के लिए धारित अनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खाता रखना जारी रख सकता है। ऐसे मामले में, वैयक्तिक ऋण खातों की अतिदेय स्थिति हर एक खाते में प्राप्त पुनर्भुगतान के संदर्भ में निश्चित की जानी चाहिए।

ख) खुदरा ऋणों को छोड़कर अन्य ऋण समूह के अंतरण के मामले में, प्रवर्तक को प्रत्येक ऋण के संबंध में प्रतिधारित आनुपातिक राशियों के लिए उधारकर्तावार खातों को बनाए रखना चाहिए। ऐसे मामले में, निजी ऋण खातों की अतिदेय स्थिति प्रत्येक खाते से प्राप्त चुकौती के संदर्भ में निश्चित करनी चाहिए।

ग) यदि प्रवर्तक बैंक अंतरित ऋण के लिए समनुदेशित /बैंक के सर्विसिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो वह अंतरित ऋणों के अतिदेय स्थिति से अवगत होगा, जो प्रवर्तक बैंक की बहियों में पूरे एमआरआर/एनपीए के रूप में एमआरआर का प्रतिनिधित्व करने वाले अलग-अलग ऋणों के वर्गीकरण का आधार होगा और जो ऊपर उल्लिखित पैरा (क) और (ख) में स्पष्ट की गई लेखा पद्धति पर निर्भर होगा।

ii) खरीदार बैंक: खुदरा और गैर-खुदरा ऋणों के समूह की खरीद में, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और एक्सपोजर मानदण्ड अलग-अलग बाध्यताधारी के आधार पर लागू होंगे और पोर्टफोलियो के आधार पर नहीं। बैंक को आस्तियों के वर्गीकरण, आय पहचान और प्रावधानीकरण मानदण्डों को पोर्टफोलियो स्तर पर लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यवहार (ट्रीटमेंट) समय बद्ध तरीके से अलग-अलग खातों में कमजोरी पता लगाने और उन्हें दूर करने की क्षमता न रखने के कारण ऋण पर्यवेक्षण को कमजोर करने की संभावना रखती है। यदि खरीदार

बैंक खरीदे गए ऋण के पोर्टफोलियो को अलग-अलग बाध्यताधारी वार खातों को नहीं रख रहे हैं, तो उनके पास अलग-अलग बाध्यताधारी आधार पर विवेक पूर्ण मानदण्ड लागू करने की वैकल्पिक प्रणाली होनी चाहिए, विशेष रूप से बाध्यताधारियों की उन राशियों का वर्गीकरण किया जाना चाहिए, जिन्हें वर्तमान विवेक पूर्ण मानदण्ड के अनुसार एनपीए समझा जाना आवश्यक है। ऐसी प्रणाली सर्विसिंग एजेंटों से खातावार ब्योरा प्राप्त करने की हो सकती है, जो पोर्टफोलियो को विभिन्न आस्ति श्रेणियों में वर्गीकरण करने के लिए सहायक सिद्ध होती है। ऐसे विवरण सेवा एजेंट के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किये जाने चाहिए। बैंक के समवर्ती लेखापरीक्षक, आंतरिक लेखापरीक्षक और सांविधिक लेखा परीक्षक को सर्विसिंग एजेंटों द्वारा रखे गए रिकार्ड के आधार पर इन पोर्टफोलियो की जांच करनी चाहिए। सर्विसिंग संविदा में खरीदार बैंक के लेखापरीक्षकों द्वारा इस प्रकार की जांच का प्रावधान होना चाहिए। सभी संबद्ध जानकारी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों को खरीदार बैंक के वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाने चाहिए।

iii) ऊपर 4.2.20 (i) तथा (ii) पर निर्धारित दिशानिर्देश निम्नलिखित पर लागू नहीं होते हैं:

- क. उधारकर्ता के अनुरोध/कहने पर किसी बैंक द्वारा अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में तथा अन्य बैंक/वित्तीय संस्था/गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी से ऋण खातों को अंतरित करना;
- ख. अंतर-बैंक सहभागिताएं;
- ग. बॉन्डों की खरीद-बिक्री;
- घ. किसी विशिष्ट प्रकार के कारोबार में से पूर्णतः निकाल जाने का निर्णय लेने के परिणामस्वरूप आस्तियों के पूर्ण संविभाग की बिक्री। इस प्रकार का निर्णय लेने के लिए बैंक के निदेशक मंडल का अनुमोदन होना चाहिए।
- ङ. सहायता संघीय तथा समूहन व्यवस्थाओं तथा कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) प्रणाली के अंतर्गत व्यवस्था
- च. कोई भी ऐसी व्यवस्था/ लेनदेन जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक से विशेष रूप से छूट प्राप्त हो।

4.2.21 क्रेडिट कार्ड खाते

(i) क्रेडिट कार्ड खातों में, खर्च की गई राशि, एक मासिक विवरण के माध्यम से भुगतान की एक निश्चित नियत तारीख के साथ कार्ड के उपयोगकर्ता को बिल की जाती है। बैंक, कार्ड के उपयोगकर्ता को पूर्ण राशि अथवा बिल राशि के एक अंश का भुगतान करने का विकल्प देते हैं,

अर्थात् नियत तारीख को न्यूनतम देय राशि, तथा शेष राशि अगले महीने के बिलिंग चक्र में जोड़ देते हैं।

(ii) विवरण में उल्लिखित न्यूनतम देय राशि का भुगतान यदि अगले विवरण की तारीख से 90 दिन के अंदर नहीं किया जाता है तो उस क्रेडिट कार्ड खाते को अनर्जक आस्ति माना जाएगा। दो विवरणियों के बीच का अंतर एक महीने से अधिक नहीं होना चाहिए।

(iii) बैंकों को चाहिए कि वे साख सूचना कंपनियों को रिपोर्ट करते समय तथा दंडात्मक प्रभार की उगाही जैसे विलंबित भुगतान पर प्रभार आदि, यदि कोई हो, हेतु क्रेडिट कार्ड खातों की अतिदेय स्थिति का निर्धारण करने के लिए इस एकसमान विधि को अपनाएं।

5. प्रावधान संबंधी मानदंड

5.1 सामान्य

5.1.1 ऋण आस्तियों, निवेश अथवा किसी अन्य के मूल्यन में किसी कमी के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी बैंक के प्रबंध-तंत्र और सांविधिक लेखा-परीक्षकों की है। रिज़र्व बैंक के निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त और आवश्यक प्रावधान करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए बैंक के प्रबंध-तंत्र और लेखा-परीक्षकों की सहायता करने के लिए दिया जाता है।

5.1.2 विवेकपूर्ण मानदंड के अनुरूप, निर्धारित श्रेणियों में आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर अनर्जक आस्तियों से संबंधित प्रावधान किया जाना चाहिए, जैसा कि पैराग्राफ 4 में बताया गया है। किसी खाते में वसूली संदिग्ध हो जाने और उसे संदिग्ध के रूप में पहचानने के बीच के समय को हिसाब में लेते हुए जमानत की वसूली और बैंक को प्रभारित की गयी जमानत के मूल्य में कमी के लिए बैंकों को अवमानक, संदिग्ध और हानि वाली आस्तियों के लिए निम्नप्रकार प्रावधान करना चाहिए।

5.2 हानि वाली आस्तियां

संपूर्ण आस्ति को बट्टे खाते डाला जाना चाहिए। यदि आस्तियों को किसी कारण बहियों बनाये रखने की अनुमति दी गयी हो तो बकाया राशि के लिए शत-प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए।

5.3 संदिग्ध आस्तियां

- i. जिस जमानत के लिए बैंक की वैध रिपोर्ट हो उसके वसूली योग्य मूल्य द्वारा जो अग्रिम सुरक्षित न हो उनके लिए शत-प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए और वसूली योग्य मूल्य का यथार्थपरक अनुमान लगाया जाना चाहिए।
- ii. जमानती अंश के संबंध में प्रावधान जमानत के अंश के 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत की दरों पर निम्नलिखित आधार पर किया जाना चाहिए, जो उस अवधि पर निर्भर होगा जिस अवधि के लिए आस्ति संदिग्ध रही हो:

जिस अवधि के लिए अग्रिम 'संदिग्ध' श्रेणी में रही हो	अपेक्षित प्रावधान (%)
एक वर्ष तक	25
एक से तीन वर्ष तक	40
तीन वर्ष से अधिक	100

टिप्पणी: प्रावधानीकरण प्रयोजन के लिए जमानत का मूल्यन

जमानत के मूल्य का अनुमान लगाने में अंतर से उत्पन्न भिन्नता को कम करने और स्टॉक के मूल्यन पर विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक की शेष अनर्जक राशि के मामले में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एजेन्सी द्वारा वार्षिक अंतराल पर स्टॉक का लेखा-परीक्षण करवाना आवश्यक होगा। बैंक के पक्ष में प्रभारित अचल संपत्ति जैसी संपाशिवक जमानतों का मूल्यन निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित दिशा-निर्देशों के अनुसार नियुक्त मूल्यनकर्ता द्वारा तीन वर्ष में एक बार करवाया जाना चाहिए।

5.4 अवमानक आस्तियां

- (i) कुल बकाया राशि पर 15 प्रतिशत का सामान्य प्रावधान निर्यात ऋण और गारंटी निगम की रक्षा और **उपलब्ध जमानत** को हिसाब में लिये बिना किया जाना चाहिए।
- (ii) 'अवमानक' के रूप में अभिनिर्धारित 'बेजमानती ऋण' के लिए 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान, अर्थात् बकाया राशि पर कुल 25 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा। तथापि, इंफ्रास्ट्रक्चर उधार, इंफ्रास्ट्रक्चर ऋण खातों के संबंध में उपलब्ध निलंब (एक्रो) खातों जैसी कतिपय

सुरक्षाओं के मद्देनज़र जिन्हें अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, उक्त 25 प्रतिशत के निर्धारित प्रावधान की बजाय 20 प्रतिशत प्रावधान करना होगा। प्रावधानीकरण के इस नीचे मानक का लाभ उठाने के लिए बैंकों के पास नकदी प्रवाह को निलंब खाते में रखने की प्रणाली होनी चाहिए तथा इन नकदी प्रवाहों पर उनका स्पष्ट और विधिक दावा भी होना चाहिए। बेज़मानती 'संदिग्ध' आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण आवश्यकता 100 प्रतिशत ही रहेगी। बेज़मानती ऋण को उस ऋण के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके मामले में संबंधित बैंक/अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं/ रिज़र्व बैंक के निरीक्षण अधिकारियों द्वारा मूल्यांकित किया गया जमानत का वसूली योग्य मूल्य, प्रारंभ में, बकाया ऋण के 10 प्रतिशत से अधिक न हो। 'ऋण' में सभी निधिक और निधिकेतर ऋण (हामीदारी और उसी प्रकार की प्रतिबद्धता वाले ऋणों सहित) शामिल होंगे। 'जमानत' से आशय होगा वह मूर्त जमानत जिसकी संबंधित बैंक को समुचित रूप से चुकौती की गई हो। 'जमानत' में गारंटियों (राज्य सरकार की गारंटियों सहित), कम्फर्ट लेटर आदि जैसी अमूर्त जमानत को शामिल नहीं किया जाएगा।

(iii) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए तथा बैंकों के तुलन पत्र की अनुसूची 9 में गैर-जमानती अग्रिमों की स्थिति सही-सही दर्शाने के लिए यह सूचित किया जाता है कि वर्ष 2009-10 से निम्नलिखित स्थिति लागू होगी:

क) प्रकाशित तुलन पत्र की अनुसूची 9 में दर्शाने के लिए गैर-जमानती अग्रिमों की राशि निर्धारित करने के लिए, बैंकों द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं (संरचनात्मक क्षेत्र की परियोजनाओं सहित) के संबंध में संपाशिवक के रूप में जिन अधिकारों, लाइसेंसों, प्राधिकारों पर बैंकों का ऋण भार सृजित किया गया हो, उन्हें मूर्त जमानत नहीं माना जाना चाहिए। अतः ऐसे अग्रिमों को गैर-जमानती माना जाना चाहिए।

ख) तथापि, बैंक सड़क/राजमार्ग परियोजनाओं के संबंध में निर्माण-परिचालन-स्थानांतरण (बीओटी) मॉडल के अंतर्गत वार्षिकी को और जहां यातायात का एक सुनिश्चित स्तर हासिल न कर पाने की स्थिति में परियोजना प्रायोजक को क्षतिपूर्ति करने के प्रावधान हों उन मामलों में महसूल संग्रह अधिकारों को मूर्त प्रतिभूति मान सकते हैं बशर्ते वार्षिकी प्राप्त करने तथा महसूल संग्रह करने के संबंध में बैंकों के अधिकार विधिक रूप से लागू करने योग्य और अप्रतिसंहरणीय हों।

ग) हमारा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि भारत में अधिकांश परियोजनाएं उपयोगकर्ता प्रभारों पर आधारित हैं जिसके लिए योजना आयोग ने मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट्स (एमसीए) प्रकाशित किए हैं। इन्हें विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों ने अपनी संबंधित सरकारी-निजी सहभागिता (पीपीपी) परियोजनाओं के लिए अपनाया है तथा वे उधारदाताओं को उनके ऋण की सुरक्षा के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करते हैं। उक्त विशेषताओं के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि पीपीपी परियोजनाओं के मामले में ऋणदाताओं को देय ऋणों को, कन्सेशन एग्रीमेंट के अनुसार परियोजना प्राधिकारी द्वारा दिए गए आश्वासन की हद तक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, सुरक्षित/प्रतिभूति माना जाए:

- i. उपयोगकर्ता प्रभार/चुंगी/किराया भुगतान एक निलंब खाते में रखे जाते हैं जहां रियायत पाने वाले द्वारा आहरण की अपेक्षा वरिष्ठ ऋणदाताओं को प्राथमिकता प्राप्त रहती है;
- ii. जोखिम कम करने की पर्याप्त व्यवस्था हो, जैसे कि परियोजना से प्राप्त राजस्व अनुमान से कम होने की स्थिति में उपयोगकर्ता प्रभारों में पूर्व-निर्धारित वृद्धि या रियायत अवधि में वृद्धि की व्यवस्था हो;
- iii. रियायत पाने वाले द्वारा चूक करने की स्थिति में उधारदाताओं को प्रतिस्थापन का अधिकार हो;
- iv. ऋण चुकौती में चूक होने की स्थिति में उधारदाताओं को समापन शुरू करने का अधिकार हो;
- v. समापन पर, परियोजना प्राधिकारी (i) अनिवार्य खरीद (बाय आउट) करने तथा (ii) पूर्व-निर्धारित तरीके से बकाया कर्ज की चुकौती करने के लिए बाध्य होगा।

ऐसे सभी मामलों में, बैंकों को चाहिए कि वे त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों की विधिक प्रवर्तनीयता के संबंध में संतुष्ट हों लें और ऐसी संविदाओं में अपने अतीत के अनुभवों के आधार पर परिवर्तन करें।

घ) बैंकों को, ऐसे अग्रिमों की कुल राशि भी प्रकट करनी चाहिए जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर ऋण भार सृजित करने जैसी अमूर्त जमानत ली गयी हो तथा ऐसे अमूर्त संपार्श्विक का अनुमानित मूल्य भी प्रकट करना चाहिए। यह सूचना 'लेखे पर टिप्पणी' में अलग शीर्ष के अंतर्गत प्रकट की जानी चाहिए। इससे इन ऋणों को अन्य पूर्णतया गैर-जमानती ऋणों से अलग दर्शाया जा सकेगा।

5.5 मानक आस्तियाँ

(i) सभी प्रकार की मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं। बैंकों को वैश्विक ऋण संविभाग आधार पर निधिक बकायों के लिए निम्नलिखित दरों पर मानक आस्तियों के लिए सामान्य प्रावधान करना चाहिए:

- क. कृषि ऋण कृषि गतिविधियों के लिए और लघु और सूक्ष्म उद्यम (एसएमई) क्षेत्रों पर 0.25 प्रतिशत;
- ख. वाणिज्यिक स्थावर सम्पदा (सीआरई) क्षेत्र को अग्रिम पर 1.00 प्रतिशत;
- ग. वाणिज्यिक स्थावर संपदा पर अग्रिम - रिहाइशी आवासीय क्षेत्र (सीआरई-आरएच) पर 0.75 प्रतिशत¹
- घ. क्रमशः पैरा 5.9.13 तथा 12.4 में निर्दिष्ट किए गए अनुसार आकर्षक दरों पर प्रदान किए गए आवास ऋण तथा पुनर्चित अग्रिम
- ड. ऊपर (क), (ख) और (ग) में शामिल न किए गए अन्य सभी ऋणों और अग्रिम पर 0.40 प्रतिशत

(ii) निवल अनर्जक आस्तियाँ निर्धारित करने के लिए मानक आस्तियों के प्रावधानों की गणना नहीं की जानी चाहिए।

(iii) मानक आस्तियों के संदर्भ में प्रावधान सकल अग्रिमों से घटाये नहीं जाने चाहिए, बल्कि उन्हें तुलनपत्र की 5वीं अनुसूची में "अन्य देयताएं और प्रावधान - अन्य" के अंतर्गत 'अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में आकस्मिक प्रावधान' के तौर पर अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(iv) यह स्पष्ट किया जाता है कि मध्यम उद्यमों पर 0.40 प्रतिशत मानक आस्ति प्रावधानीकरण लागू होगा। सूक्ष्म (माइक्रो) उद्यम, लघु उद्यम, तथा मध्यम उद्यम की परिभाषा 'सूक्ष्म, लघु, तथा मध्यम उद्यम (एसएमई) क्षेत्र को उधार पर' [1 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र आरपीसीडी.एसएमई और एनएफएस. बीसी. सं. 3/06.02.31/2014-15](#) के अनुसार होगी।

¹ इस प्रयोजन से सीआरई-आरएच में बिल्डर/डेवलपर्स को सीआरई खण्ड में रिहाइशी आवासीय परियोजनाओं (कैप्टिव उपभोग को छोड़कर) के लिए ऋण शामिल होंगे। ऐसी परियोजनाओं में सामान्यतः गैर-आवासीय वाणिज्यिक स्थावर संपदा शामिल नहीं होगी। तथापि, एकीकृत आवासीय परियोजनाएं, जिनमें कुछ वाणिज्यिक स्थान शामिल हो (जैसे शॉपिंग संकुल, स्कूल आदि) को भी सीआरई-आरएच के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है, बशर्ते रिहाइशी आवासीय परियोजना में वाणिज्यिक क्षेत्र कुल चटई क्षेत्र सूचकांक (एफएसआई) के 10% से अधिक न हो। यदि मुख्यतः रिहाइशी आवासीय संकुल में वाणिज्यिक क्षेत्र का एफएसआई 10% की अधिकतम सीमा से अधिक हो तो परियोजना को सीआरई के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए, न कि सीआरई-आरएच।

(v) जहां व्यक्तिगत संविभागों के संबंध में प्रावधानों की गणना उन पर लागू दरों के अनुसार की जानी है, वहीं किसी पिछली तारीख की स्थिति की तुलना में प्रावधानीकरण में अधिकता अथवा कमी को एकत्रित आधार पर निर्धारित किया जाए। यदि एकत्रित आधार पर धारित प्रावधान 15 नवंबर 2008 की स्थिति के अनुसार अपेक्षित प्रावधानों से अधिक हैं तो अतिरिक्त प्रावधानों को लाभ-हानि खाते में वापस नहीं डालना चाहिए; बल्कि उन्हें 15 नवंबर 2008 को विद्यमान स्तर पर बनाए रखना जारी रखा जाए। एकत्रित आधार पर निर्धारित प्रावधानों में कमी के मामले में बकाया प्रावधानों के लिए लाभ-हानि खाते में नामे डालकर प्रावधान किया जाए।

(vi) संस्थाओं की अरक्षित (हेजिंग न किए गए) विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के उच्च स्तर के कारण विनिमय दर में काफी उतार-चढ़ाव के समय में चूक की संभावना बढ़ सकती है। अतएव, बैंकों से अपेक्षित है कि वे हमारे [15 जनवरी 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.85/21.06.200/2013-14](#) तथा 03 जून 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.116/21.06.200/2013-14 में निहित अनुदेशों के अनुसार अपने उधारकर्ताओं की अरक्षित स्थिति की जोखिम का आकलन करें तथा ऐसी संस्थाओं के प्रति उनके एक्सपोजर के लिए वृद्धिशील प्रावधान करें:

संभावित घाटा/ ईबीआईडी (%)	मौजूदा मानक आस्ति प्रावधानीकरण के अलावा कुल ऋण एक्सपोजर पर वृद्धिशील प्रावधानीकरण अपेक्षा
15 प्रतिशत तक	0
15 प्रतिशत से अधिक और 30 प्रतिशत तक	20 आधार अंक
30 प्रतिशत से अधिक और 50 प्रतिशत तक	40 आधार अंक
50 प्रतिशत से अधिक और 75 प्रतिशत तक	60 आधार अंक
75 प्रतिशत से अधिक	80 आधार अंक

5.6 अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधानों के उपयोग तथा निर्माण पर विवेकपूर्ण मानदंड

5.6.1 बैंकों द्वारा अस्थायी प्रावधान बनाने के सिद्धांत

बैंकों के निदेशक बोर्डों को अस्थायी प्रावधान किस स्तर तक निर्मित किये जा सकते हैं इस संबंध में अनुमोदित नीति बनानी चाहिए। बैंक, 'अग्रिमों' और 'निवेशों' के लिए अलग-अलग अस्थायी प्रावधान बनाएं तथा निर्धारित दिशानिर्देश 'अग्रिम' और 'निवेश' संविभागों दोनों के लिए धारित अस्थायी प्रावधानों पर लागू होंगे।

5.6.2 बैंकों द्वारा अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधानों का उपयोग करने संबंधी सिद्धांत

- i. अनर्जक आस्तियों के संबंध में वर्तमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों के अनुसार विशिष्ट प्रावधान बनाने के लिए अथवा मानक आस्तियों के लिए विनियामक प्रावधान बनाने के लिए अस्थायी प्रावधानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त करके और रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति से ही अनर्जक खातों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए असामान्य परिस्थितियों में आकस्मिकताओं के लिए अस्थायी प्रावधानों का उपयोग करना चाहिए। बैंकों के निदेशक मंडल एक अनुमोदित नीति बनाएं कि किन परिस्थितियों को असामान्य माना जाएगा।
- ii. बैंकों के निदेशक मंडल को इस संबंध में उचित नीतियां लागू करना आसान हो सके इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि हानियों का कारण बनने वाली असाधारण परिस्थितियां वे हैं जो सामान्य कारोबार में उत्पन्न नहीं होतीं और जो अपवादात्मक होती हैं तथा पुनरावर्ती स्वरूप की नहीं होती। ये असाधारण परिस्थितियां स्थूल रूप से तीन श्रेणियों में होंगी; अर्थात् सामान्य, बाज़ार तथा ऋण। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत ऐसी स्थिति हो सकती है कि नागरी अशांति, अथवा किसी देश की मुद्रा में गिरावट जैसी घटनाओं के कारण बैंक को अनपेक्षित हानि उठानी पड़ी है। प्राकृतिक आपदा तथा देशव्यापी महामारी का भी सामान्य श्रेणी में समावेश होता है। बाज़ार श्रेणी में बाज़ारों की सामान्य गिरावट जैसी घटनाओं का समावेश होगा जिससे पूरी वित्तीय प्रणाली प्रभावित होती है। ऋण श्रेणी में केवल अपवादात्मक ऋण हानियों को असाधारण परिस्थितियों के रूप में माना जाएगा।

5.6.3 लेखांकन

अस्थायी प्रावधान लाभ और लेखे खाते में जमा करते हुए प्रत्यावर्तित नहीं किये जा सकते। उनका उपयोग उपर्युक्त दर्शाई गई असामान्य परिस्थितियों में विशिष्ट प्रावधान करने के लिए ही किया जा सकता है। जब तक ऐसा उपयोग नहीं किया जाता, इन प्रावधानों को निवल एनपीए (अनर्जक

आस्तियों) का प्रकटीकरण प्राप्त करने के लिए सकल अनर्जक (अनर्जक आस्तियों) से घटाया जा सकता है। प्रकारांतर से उन्हें कुल जोखिम भारित आस्तियों के 1.25 प्रतिशत की समग्र सीमा के अंदर टियर II पूंजी के हिस्से के तौर पर माना जा सकता है।

5.6.4 प्रकटीकरण

बैंकों को अपने तुलन पत्र में "खातों पर टिप्पणियाँ" में अस्थायी प्रावधानों के संबंध में, (क) अस्थायी प्रावधान खातों में प्रारंभिक शेष, (ख) लेखा वर्ष में किए गए अस्थायी प्रावधानों का परिमाण, (ग) लेखा वर्ष के दौरान आहरण का प्रयोजन तथा राशि तथा (घ) फ्लोटिंग प्रावधान खाते में इतिशेष, पर व्यापक प्रकटीकरण करने चाहिए।

5.7 निर्धारित दरों से उच्चतर दरों पर अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

प्रावधानीकरण के लिए विनियामक मानदंड न्यूनतम अपेक्षा दर्शाते हैं। कोई बैंक वसूली की राशि में वास्तविक हानि की अनुमानित राशि का प्रावधान करने के लिए वर्तमान विनियमावली के अंतर्गत निर्धारित दरों से ऊँची दरों पर अग्रिमों के लिए स्वेच्छा से विशिष्ट प्रावधान कर सकता है, बशर्ते ऐसी उच्च दरें निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित हों तथा साल-दर-साल लगातार लागू की गई हों। ऐसे अतिरिक्त प्रावधानों को अस्थायी प्रावधान नहीं माना जाएगा। अनर्जक आस्तियों के न्यूनतम विनियामक प्रावधान की तरह निवल अनर्जक आस्तियों के अतिरिक्त प्रावधानों को भी सकल अनर्जक आस्तियों से घटाकर निवल अनर्जक आस्तियां प्राप्त की जा सकती हैं।

5.8 पट्टे की आस्तियों पर प्रावधान

i) अवमानक आस्तियां

- क. पट्टे में निवल निवेश तथा वित्त प्रभार घटक को छोड़कर वित्त आय के न वसूल किए गए अंश के योग का 15 प्रतिशत। 'पट्टे में निवल निवेश', 'वित्त आय' तथा 'वित्त प्रभार' शब्दों की परिभाषा आइसीएआइ द्वारा जारी 'एएस19 - पट्टा' में दी गई है।
- ख. (उक्त पैरा 5.4 में यथापरिभाषित) बेज़मानती पट्टा ऋण, जिन्हें 'अवमानक' के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है, पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त प्रावधान, अर्थात् कुल 25 प्रतिशत का प्रावधान करना होगा।

ii) संदिग्ध आस्तियां

पट्टे पर दी गई आस्तियों के वसूली योग्य मूल्य द्वारा जितना वित्त सुरक्षित नहीं है उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान किया जाना चाहिए। वसूली योग्य मूल्य का अनुमान वास्तविक आधार पर करना होगा। उपर्युक्त प्रावधान के अतिरिक्त, जमानती अंश के पट्टे में निवल निवेश तथा वित्त प्रभार घटक को छोड़कर वित्त आय के न वसूल किए गए भाग के योग पर निम्नलिखित दरों से प्रावधान किए जाने चाहिए, जो उस अवधि पर निर्भर होंगे जिसके लिए आस्ति संदिग्ध रही है:

वह अवधि जिसमें अग्रिम 'संदिग्ध' श्रेणी में रहा	अपेक्षित प्रावधान का (%)
एक वर्ष तक	25
एक से तीन वर्ष तक	40
तीन वर्ष से अधिक	100

iii) हानिवाली आस्तियां

संपूर्ण आस्ति बट्टेखाते डाली जानी चाहिए। यदि किसी कारण से आस्तियों को बहियों में बनाये रखने की अनुमति दी गयी हो तो, पट्टे में निवल निवेश तथा वित्त प्रभार घटक को छोड़कर वित्त आय के न वसूल किए गए भाग के योग के 100 प्रतिशत के लिए प्रावधान किए जाने चाहिए।

5.9 विशेष परिस्थितियों में प्रावधानों के लिए दिशानिर्देश

5.9.1 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/मीयादी ऋण संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेजों के अंतर्गत प्रदत्त अग्रिम

- औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड/मीयादी ऋण संस्थाओं द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में मौजूदा ऋण सुविधाओं पर बैंक को देय राशियों के संबंध में प्रावधान अवमानक या संदिग्ध आस्ति के रूप में उनके वर्गीकरण के अनुसार किया जाना जारी रखा जाए।
- औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड और / या मीयादी ऋण संस्थाओं द्वारा अंतिम रूप दिये गये पैकेज के अनुसार स्वीकृत अतिरिक्त सुविधाओं के बारे में प्रावधान राशि के वितरण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अतिरिक्त सुविधाओं पर प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

iii. उन लघु उद्योग इकाइयों को स्वीकृत अतिरिक्त ऋण सुविधाओं के संबंध में एक वर्ष की अवधि के लिए कोई प्रावधान किये जाने की जरूरत नहीं है, जिन्हें रुग्ण माना गया है [1 जुलाई 2014 के परिपत्र सं. आरपीसीडी. एसएमई तथा एनएफएस. बीसी. सं. 3/06.02.31/2014-15 के खंड IV (पैरा 4.6) में यथापरिभाषित] तथा जिनके संबंध में बैंकों द्वारा स्वयं या सहायता संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुनर्वास पैकेज/पोषण कार्यक्रम तैयार किये गये हों।

5.9.2 मीयादी जमाराशियों, अभ्यर्पण के लिए पात्र राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, इंदिरा विकास पत्रों, किसान विकास पत्रों, स्वर्ण आभूषणों, सरकारी प्रतिभूतियों तथा अन्य प्रकार की सभी प्रतिभूतियों और जीवन बीमा पॉलिसियों पर उतना प्रावधान करना आवश्यक होगा जितना उनके आस्ति वर्गीकरण दर्जे पर लागू होता है।

5.9.3 ब्याज उचंत खाते का व्यवहार

ब्याज उचंत खाते की राशियों को प्रावधानों का भाग नहीं माना जाना चाहिए। ब्याज उचंत खाते की राशि को संबंधित अग्रिमों से घटाया जाना चाहिए और उसके बाद इस तरह की कटौती के बाद शेष राशियों पर मानदंडों के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए।

5.9.4 ईसीजीसी की गारंटी द्वारा सुरक्षित अग्रिम

ईसीजीसी की गारंटी द्वारा सुरक्षित अग्रिमों के मामले में इन निगमों द्वारा गारंटीकृत राशि से अधिक शेष के लिए ही प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त संदिग्ध आस्तियों के लिए अपेक्षित प्रावधान की राशि निकालते समय पहले जमानतों का वसूलीयोग्य मूल्य इन निगमों द्वारा गारंटीकृत राशि के संबंध में बकाया शेष में से घटा दिया जाना चाहिए और उसके बाद नीचे दिये गये उदाहरण के अनुसार प्रावधान किया जाना चाहिए:

उदाहरण

बकाया शेष	4 लाख रुपये
ईसीजीसी सुरक्षा	50 प्रतिशत
जिस अवधि के लिए अग्रिम संदिग्ध रहा	2 वर्ष से अधिक (31 मार्च 2014 को) संदिग्ध रहा
धारित जमानत का मूल्य	1.50 लाख रुपये

अपेक्षित प्रावधान

बकाया शेष	4 लाख रुपये
घटाएं: धारित प्रतिभूति का मूल्य	1.50 लाख रुपये
वसूल न हो सकनेवाली शेष राशि	2.50 लाख रुपये
घटाएं: ईसीजीसी सुरक्षा (वसूल न हो सकनेवाली राशि का 50 प्रतिशत)	1.25 लाख रुपये
निवल बेजमानती शेष	1.25 लाख रुपये
अग्रिम के बेजमानती अंश के लिए प्रावधान	1.25 लाख रुपये (बेजमानती अंश के 100 प्रतिशत की दर पर)
अग्रिम के जमानती अंश के लिए प्रावधान (31 मार्च 2012 को)	0.60 लाख रुपये (जमानती अंश के 40 प्रतिशत की दर पर)
अपेक्षित कुल प्रावधान	1.85 लाख रुपये (31 मार्च 2014 को)

5.9.5 माइक्रो तथा लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) अथवा क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इन्कम हाउसिंग (सीआरजीएफटीएलआईएच)की गारंटी द्वारा सुरक्षित अग्रिम

सीजीटीएमएसई या सीआरजीएफटीएलआईएच गारंटी द्वारा सुरक्षित अग्रिम के अनर्जक आस्ति हो जाने के मामले में गारंटीकृत अंश के लिए कोई प्रावधान नहीं किया जाना है। गारंटीकृत अंश से अधिक बकाया राशि के लिए प्रावधान अनर्जक आस्तियों के बारे में प्रावधान करने से संबंधित प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। उदाहरण नीचे दिया जा रहा है :

उदाहरण

बकाया शेष राशि	10 लाख रुपये
सीजीटीएमएसई/_सीआरजीएफटीएलआईएच की सुरक्षा :	बकाया राशि का 75 प्रतिशत या बेजमानती राशि का 75 प्रतिशत या 37.50 लाख रुपये जो भी कम हो
जिस अवधि के लिए अग्रिम संदिग्ध रहा	2 वर्ष से अधिक (31 मार्च 2014 को) संदिग्ध रहा

धारित जमानत का मूल्य	1.50 लाख रुपये
अपेक्षित प्रावधान	
बकाया शेष राशि	10.00 लाख रुपये
घटाएं : जमानत का वसूली योग्य मूल्य	1.50 लाख रुपये
असुरक्षित राशि	8.50 लाख रुपये
घटाएं : सीजीटीएमएसई रक्षा (75 प्रतिशत)	6.38 लाख रुपये
निवल बेजमानती और असुरक्षित अंश	2.12 लाख रुपये
1.50 लाख रुपये के 40 प्रतिशत की दर पर जमानती अंश के लिए प्रावधान	0.60 लाख रुपये
2.12 लाख रुपये के 100 प्रतिशत की दर पर बेजमानती और असुरक्षित अंश के लिए प्रावधान	2.12 लाख रुपये
कुल अपेक्षित प्रावधान	2.72 लाख रुपये

5.9.6 टेक आउट वित्त

ऋण देने वाली संस्था को चाहिए कि वह 'टेक आउट वित्त' के अनर्जक हो जाने पर अधिग्रहण करने वाली संस्था द्वारा अधिग्रहण होने तक उसके लिए प्रावधान करे। जब भी अधिग्रहण करने वाली संस्था आस्ति का अधिग्रहण करती है तो तदनुरूप प्रावधान प्रत्यावर्तित किया जाना चाहिए।

5.9.7 विनिमय दर में घट-बढ़ खाते के लिए प्रारक्षित राशि(आरईआरएफए)

जब भारतीय रुपये की विनियम दर में प्रतिकूल गतिविधि हो तो विदेशी मुद्रा की अधिकता वाले ऋण की बकाया राशि (जहां वास्तविक वितरण भारतीय रुपयों में किया गया हो) कालातीत देय राशि हो जाती है तो वह तदनुरूप बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप प्रावधान की अपेक्षाओं पर भी असर पड़ता है। इस प्रकार की आस्तियों का सामान्यतः पुनर्मूल्यन नहीं किया जाना चाहिए। यदि इस तरह की आस्तियों का पुनर्मूल्यन लेखाकरण की अपेक्षाओं के अनुसार अथवा किसी अन्य अपेक्षा के कारण किया जाये तो निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जानी चाहिए:

- आस्तियों के पुनर्मूल्यन पर हानि को बैंक के लाभ और हानि खाते में डाला जाना चाहिए।

- आस्ति वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान की अपेक्षा के अतिरिक्त बैंकों को विदेशी मुद्रा विनिमय में घट-बढ़ के कारण पुनर्मूल्यन से लाभ की संपूर्ण राशि, यदि हो, को तदनुरूपी आस्तियों पर प्रावधान के रूप में रखना चाहिए।

5.9.8 देश विशेष संबंधी एक्सपोजर के लिए प्रावधान करना

बैंकों को 31 मार्च 2003 को समाप्त होने वाले वर्ष से देश विशेष संबंधी अपने शुद्ध निधिगत एक्सपोजर पर 0.25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के क्रमिक मान (स्केल) के आधार पर नीचे दिये गये जोखिम संवर्ग के अनुसार प्रावधान करना चाहिए। प्रारंभ में बैंक निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार प्रावधान करेंगे-

जोखिम का संवर्ग	ईसीजीसी का वर्गीकरण	अपेक्षित प्रावधान (प्रतिशत)
नगण्य	ए1	0.25
निम्न	ए2	0.25
सामान्य	बी1	5
उच्च	बी2	20
अति उच्च	सी1	25
प्रतिबंधित	सी2	100
ऋण से इतर	डी	100

बैंकों से अपेक्षित है कि वे उस देश के मामले में देश संबंधी एक्सपोजर के लिए प्रावधान करें जब किसी देश का शुद्ध निधिक एक्सपोजर उसकी कुल आस्तियों के 1 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

देश विशेष संबंधी एक्सपोजर के लिए किया जाने वाला प्रावधान आस्ति के वर्गीकरण की स्थिति के अनुसार किये जाने वाले प्रावधानों के अतिरिक्त होगा। तथापि, 'हानि आस्तियों' और 'संदिग्ध आस्तियों' के मामलों में, इस संबंध में किया गया प्रावधान और देश विशेष संबंधी जोखिम के लिए किया गया प्रावधान मिलकर बकाया राशि के 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

'स्वदेश' संबंधी एक्सपोजर अर्थात् भारत संबंधी एक्सपोजर के लिए बैंकों को प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय बैंकों की विदेश स्थित शाखाओं के मूल देश संबंधी एक्सपोजर को

शामिल किया जाना चाहिए। विदेशी बैंक भारत स्थित अपनी शाखाओं के संबंध में देश संबंधी एक्सपोजर की गणना करेंगे और उसके लिए भारत की बहियों में उपयुक्त प्रावधान करेंगे। परंतु उनके भारत संबंधी एक्सपोजर उसमें शामिल नहीं किये जायेंगे।

बैंक अल्पावधि के एक्सपोजर (अर्थात् 180 दिन से कम अवधि के संविदागत परिपक्वता वाले जोखिम) के संबंध में कम स्तर का प्रावधान (जैसे, अपेक्षित प्रावधान का 25 प्रतिशत) कर सकते हैं।

5.9.9 मानक आस्ति /अनर्जक आस्तियों की बिक्री पर अतिरिक्त प्रावधान:

क. यदि बिक्री मानक आस्ति से संबंधित हो और बिक्री से प्राप्त राशि बही मूल्य से अधिक हो तो अतिरिक्त प्रावधान को लाभ और हानि लेखे में जमा किया जाना चाहिए।

ख. अनर्जक आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त प्रावधान कुल जोखिम भारत आस्तियों के 1.25% की समग्र सीमा के भीतर टीयर II पूंजी में शामिल किये जा सकते हैं। तदनुसार, बासेल-III पूंजी विनियमन पर [1 जुलाई 2015 के मास्टर परिपत्र बैंवि. सं. बीपी. बीसी. 1/21.06.201/2015-16](#) के पैरा 4.2.5 के अनुसार अनर्जक आस्तियों की बिक्री पर उत्पन्न होने वाले ये अतिरिक्त प्रावधान टीयर II श्रेणी के लिए पात्र होंगे।

5.9.10 उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

मानक आस्ति और अनर्जक आस्ति, दोनों के संबंध में, पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में ब्याज दर में कटौती और/अथवा मूल ऋण राशि की चुकौती अनुसूची में परिवर्तन के कारण आयी कमी के लिए किये गये प्रावधान को संबंधित आस्ति से घटाने की अनुमति दी जाती है।

5.9.11 प्रतिभूतीकरण लेनदेनों के लिए दी गयी चलनिधि सुविधा के लिए प्रावधानीकरण मानदंड

प्रतिभूतीकरण के संबंध में 1 फरवरी 2006 के हमारे दिशानिर्देश के अनुसार किये गये प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए आहरित चलनिधि सुविधा की राशि 90 दिनों से अधिक बकाया हो तो उसके लिए पूरा प्रावधान किया जाना चाहिए।

5.9.12 डेरिवेटिव एक्सपोजर के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएँ

ब्याज दर व विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स तथा स्वर्ण संबंधी संविदा के वर्तमान बाजार-दर-आधारित मूल्य पर की गयी गणना के अनुसार संबंधित काउंटरपार्टियों के ऋण एक्सपोजर पर भी उसी प्रकार प्रावधानीकरण अपेक्षा लागू होगी जैसे "मानक" संवर्ग की ऋण आस्तियों पर लागू होती है। मानक आस्तियों के प्रावधान के संबंध में जो सारी शर्तें लागू होती हैं, वे सब डेरिवेटिव और स्वर्ण एक्सपोजरों के लिए किए जानेवाले उपर्युक्त प्रावधानों पर भी लागू होंगी।

5.9.13 लुभावने दरों पर दिये गए आवास ऋणों के लिए प्रावधानीकरण अपेक्षाएँ

यह देखा गया है कि कुछ बैंक लुभावनी (टीजर) दर अर्थात् पहले के कुछ वर्षों के लिए अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण मंजूर करने की प्रथा अपना रहे हैं जिसे बाद में उच्चतर दर पर पुनर्निर्धारित किया जाता है। यह प्रथा चिंताजनक है क्योंकि सामान्य ब्याज दर, जो प्रारंभिक वर्षों में लागू दर से उच्चतर रहती है, के एक बार प्रभावी होने के बाद कुछ उधारकर्ताओं के लिए उस दर पर ऋण की चुकौती करना काफी कठिन हो सकता है। यह भी देखा गया है कि कई बैंक प्रारंभिक ऋण मूल्यांकन करते समय इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि उधारकर्ता सामान्य उधार दरों पर चुकौती करने की क्षमता रखता है या नहीं। अतः ऐसे ऋणों के साथ जुड़े उच्चतर जोखिम को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि पर मानक आस्ति प्रावधानीकरण को 0.40 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.00 प्रतिशत कर दिया गया है। इन आस्तियों पर प्रावधानीकरण उस तारीख से 1 वर्ष बाद पुनः 0.40 प्रतिशत हो जाएगा जिस तारीख को खातों के 'मानक' बने रहने की स्थिति में दरों को उच्चतर दरों पर पुनर्निर्धारित किया गया हो।

5.10 प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात

- i) प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर) वस्तुतः सकल अनर्जक आस्तियों की तुलना में प्रावधानीकरण का अनुपात है तथा यह दर्शाता है कि किसी बैंक ने ऋण हानि से सुरक्षा के लिए कितनी निधि अलग रखी है।
- ii) समष्टि विवेकपूर्ण दृष्टि से आज-कल ऐसा माना जा रहा है कि बैंकों को अच्छे समय में, यानी जब लाभ अच्छा हो रहा हो, प्रावधानीकरण और पूंजी संचय में वृद्धि करनी चाहिए, जिनका प्रयोग मंदी के दौर में हानि को अत्मसात् करने में किया जा सकता है। इससे अलग-अलग बैंक अधिक सुदृढ़ होंगे और वित्तीय क्षेत्र की स्थिरता बढ़ेगी। अतः यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को अपनी प्रावधानीकरण सुरक्षा में वृद्धि करनी चाहिए, जिसके अंतर्गत अनर्जक आस्तियों के लिए किया गया विनिर्दिष्ट प्रावधान और अस्थायी प्रावधान शामिल हैं। बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्थायी प्रावधान सहित उनका कुल प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात 70 प्रतिशत से कम नहीं है। तदनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि वे इस अपेक्षा को सितम्बर 2010 के अंत तक निश्चित रूप से पूर्ण करें।
- iii) अधिकतर बैंकों ने 70 प्रतिशत प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात हासिल कर लिया है और वे भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने अभ्यावेदनों में पूछते रहे हैं कि क्या उक्त निर्धारित प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात सतत बनाए रखा जाएगा। हमने इस मामले की समीक्षा की है और जब तक कि भारतीय रिज़र्व बैंक बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासल समिति (बीसीबीएस) द्वारा वर्तमान में विकसित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय मानकों तथा अन्य प्रावधानीकरण मानदंडों को ध्यान में रखते हुए प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण की एक अपेक्षाकृत अधिक व्यापक विधि लागू न कर दे, तब तक के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि :
 - क. 70 प्रतिशत प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात 30 सितंबर 2010 की स्थिति के अनुसार बैंकों में सकल अनर्जक आस्तियों के संदर्भ में होना चाहिए;
 - ख. विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार किए गए प्रावधान की तुलना में प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात के अंतर्गत किए गए अधिशेष प्रावधान को एक "प्रति-चक्रीय

प्रावधानीकरण बफर" नामक खाते में अलग से रखा जाना चाहिए जिसकी गणना अनुबंध-3 में दिए गए प्रारूप के अनुसार की जानी चाहिए; तथा

ग. बैंकों को यह अनुमति दी जाएगी कि वे प्रणालीव्यापी मंदी की अवधि के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन से इस बफर का उपयोग अनर्जक आस्तियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान करने में कर सकते हैं।²

- iv) प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर) का प्रकटीकरण तुलन-पत्र के खाते पर टिप्पणी के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
- v) दिनांक 30 मार्च 2012 के "इंट्राडक्शन ऑफ़ डाइनामिक लोन लॉस प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क फॉर बैंक्स इन इंडिया" पर चर्चा पत्र के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे अच्छे समय में डाइनामिक प्रोविजनिंग खाता बनाएं तथा मंदी के दौरान उसका उपयोग करें। प्रस्तावित फ्रेमवर्क के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षित है कि वे दीर्घावधिक औसत वार्षिक प्रत्याशित हानि की गणना हेतु विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए चूक की संभावना, चूक होने पर हानि जैसे पैरामीटर की गणना करें या डाइनामिक प्रोविजनिंग अपेक्षा की गणना के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानक पैरामीटर का उपयोग करें। प्रणाली में सुधार के साथ डाइनामिक लोन लॉस प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क सुस्थापित होने की आशा है। इस बीच, बैंकों को विभिन्न आस्ति श्रेणियों के लिए अपनी दीर्घावधिक औसत वार्षिक प्रत्याशित हानि की गणना के लिए आवश्यक क्षमता का विकास करना चाहिए ताकि वे डाइनामिक प्रोविजनिंग फ्रेमवर्क में स्विचओवर कर सकें।

² एक प्रतिक्रिय उपाय के रूप में, बैंकों को 07 फरवरी 2014 से उनके द्वारा 31 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार धारित प्रतिक्रिय प्रावधानीकरण बफर/ अस्थायी प्रावधानों का 33% तक उपयोग करने की अनुमति निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार अनर्जक आस्तियों के लिए विनिर्दिष्ट प्रावधान करने के लिए दी गई है। इसके अतिरिक्त 30 मार्च 2015 को बैंकों को उनके द्वारा 31 दिसंबर 2014 की स्थिति के अनुसार धारित प्रतिक्रिय प्रावधानीकरण बफर/ अस्थायी प्रावधानों के 50 % तक का उपयोग करने की अनुमति दी गई ।

6. प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी)/पुनर्रचना कंपनी (आरसी) (वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत निर्मित) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री तथा संबंधित मामलों पर दिशानिर्देश

6.1 व्याप्ति

ये दिशानिर्देश वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण तथा पुनर्रचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आस्ति पुनर्रचना/प्रतिभूतीकरण के लिए नीचे पैरा 6.3 में दी गई वित्तीय आस्तियों की बैंकों द्वारा की गई बिक्री पर लागू होंगे।

6.2 स्वरूप

पूर्वोक्त अधिनियम के अंतर्गत एससी/आरसी को अपनी वित्तीय आस्तियों को बेचते समय तथा एससी/आरसी द्वारा प्रस्तावित बाण्डों/डिबेंचर/प्रतिभूति रसीदों में निवेश करते समय बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को जिन दिशानिर्देशों का पालन करना है, वे नीचे दिए गए हैं। विवेकपूर्ण दिशानिर्देश निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत समूहित किए गए हैं:

- i) बेचने योग्य वित्तीय आस्तियां।
- ii) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के मूल्यांकन तथा कीमत निर्धारण पहलू सहित एससी/आरसी को बेचने की क्रियाविधि।
- iii) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को अपनी वित्तीय आस्तियों को एससी/आरसी को बेचने तथा वित्तीय आस्तियों की बिक्री के परिणामस्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में एससी/आरसी द्वारा प्रस्तावित बाण्डों/डिबेंचरों/प्रतिभूति रसीदों तथा कोई अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में विवेकपूर्ण मानदंड:
 - क. प्रावधानीकरण /मूल्यांकन संबंधी मानदंड
 - ख. पूंजी पर्याप्तता मानदंड
 - ग. एक्सपोजर संबंधी मानदंड
- iv) प्रकटीकरण अपेक्षाएं

6.3 बेचने योग्य वित्तीय आस्तियाँ

कोई भी वित्तीय आस्ति किसी भी बैंक /वित्तीय संस्था द्वारा एससी/आरसी को तब बेची जा सकती है जहां वह आस्ति निम्नलिखित है-

- i) एक अनर्जक आस्ति जिसमें कोई अनर्जक बाण्ड /डिबेंचर शामिल है, और
- ii) एक मानक आस्ति जहां
 - क. आस्ति संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत है
 - ख. आस्ति के मूल्य के अनुसार कम से कम 75 प्रतिशत मूल्य को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की बहियों में अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
 - ग. संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत जितने बैंक /वित्तीय संस्थाएं हैं उनमें से कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) बैंक/वित्तीय संस्थाएं उक्त आस्ति एससी/आरसी को बेचने के लिए सहमत हैं।
तथा
- iii) दिनांक 26 फरवरी 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.98/21.04.132/2013-14 के अनुसार एक बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा बड़े ऋणों (सीआरआईसीएल) पर सूचना के लिए केंद्रीय आधान (रिपोज़िटरी) को एसएमस-2 के रूप में रिपोर्ट की गई आस्ति

6.4 बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की वित्तीय आस्तियों के मूल्यांकन तथा कीमत निर्धारण पहलू सहित एससी /आरसी को बिक्री की क्रियाविधि

(क) वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण तथा पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 (सरफेसी अधिनियम) एससी / आरसी को किसी बैंक /वित्तीय संस्था से उनके बीच सम्मत शर्तों पर वित्तीय आस्तियों के अर्जन के लिए अनुमति देता है। इसमें 'दायित्व रहित' आधार पर अर्थात् वित्तीय आस्तियों से संबद्ध संपूर्ण ऋण जोखिम को एससी /आरसी में अंतरित करना, तथा 'दायित्व सहित' आधार पर अर्थात् जिसमें आस्ति के अप्राप्त अंश का विक्रेता बैंक/वित्तीय संस्था पर प्रत्यावर्तित होने के अधीन वित्तीय आस्तियों की बिक्री का प्रावधान है। तथापि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को यह निदेश दिए जाते हैं कि वे सुनिश्चित करें कि वित्तीय आस्तियों की बिक्री का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि उक्त आस्ति को बैंक / वित्तीय संस्था की बहियों में से निकाल लिया जाता है और बिक्री के बाद बैंकों/वित्तीय संस्थाओं पर कोई ज्ञात दायित्व अंतरित नहीं होना चाहिए।

(ख) जो बैंक /वित्तीय संस्थाएं अपनी वित्तीय आस्तियां एससी/आरसी को बेचना चाहते हैं वे यह सुनिश्चित करें कि उक्त बिक्री बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसरण में विवेकपूर्ण ढंग से की गई है। बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को शामिल करने वाली नीतियां तथा दिशानिर्देश निर्धारित करेगा :

- i. बेचने योग्य वित्तीय आस्तियां;
- ii. ऐसी वित्तीय आस्तियों की बिक्री के लिए मानदंड तथा क्रियाविधि ;
- iii. वित्तीय आस्तियों के प्राप्य मूल्य का समुचित अनुमान सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन क्रियाविधि का निर्धारण
- iv. वित्तीय आस्तियों की बिक्री के संबंध में निर्णय लेने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों को शक्तियों का प्रत्यायोजन; आदि

(ग) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि एससी/आरसी को वित्तीय आस्तियों की बिक्री के बाद बेची गई वित्तीय आस्तियों के संबंध में कोई परिचालनगत, विधिक अथवा अन्य कोई प्रकार के जोखिम नहीं रहते हैं।

(घ) (i) प्रत्येक बैंक /वित्तीय संस्था, वित्तीय आस्ति के लिए एससी/आरसी द्वारा प्रस्तावित मूल्य का अपना खुद का मूल्यांकन करेगी और उस प्रस्ताव को स्वीकार करना है अथवा नहीं के संबंध में निर्णय लेगी।

(ii) संघीय/बहु बैंकिंग व्यवस्थाओं के मामले में, यदि उनमें से 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) बैंक/वित्तीय संस्थाएं उस प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय लेती है तो शेष बैंक/वित्तीय संस्थाएं प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगी।

(iii) किसी भी परिस्थिति में आकस्मिक मूल्य पर एससी/आरसी को अंतरण नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसे मामले में एससी/आरसी को प्राप्य राशि में घाटा हो जाने की स्थिति में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को उस कमी के कुछ अंश को वहन करना होगा।

(iv) एससी/आरसी को एनपीए बेचने के लिए नीलामी प्रक्रिया का प्रयोग करने वाले बैंकों को और भी पारदर्शी होना चाहिए तथा रिज़र्व मूल्य को प्रकट करना चाहिए व निविदाओं को अस्वीकार करने का कारण इत्यादि बताना चाहिए। यदि प्राप्त की गई कोई निविदा आरक्षित

मूल्य से अधिक है तथा विक्रय से प्राप्त राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत नकदी के रूप में है और निविदा प्रस्ताव दस्तावेज में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों को भी पूरा करता है तो उस निविदा को स्वीकार किया जाना अनिवार्य होगा।

- (ड) एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के बिक्री प्रतिफल के रूप में बैंक/वित्तीय संस्थाएं नकद अथवा बाण्ड अथवा डिबेंचर्स प्राप्त कर सकते हैं।
- (च) एससी /आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के बिक्री प्रतिफल के रूप में बैंकों वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त बाण्ड/डिबेंचर्स का बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की बहियों में निवेशों के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा।
- (छ) एससी/आरसी द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों, पास-थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी), अथवा अन्य बाण्ड/डिबेंचर्स में भी बैंक निवेश कर सकते हैं। इन प्रतिभूतियों का भी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की बहियों में निवेशों के रूप में वर्गीकरण किया जाएगा।
- (ज) विशिष्ट वित्तीय आस्तियों के मामले में जहां आवश्यक समझा जाए वहां बैंक/वित्तीय संस्थाएं एससी/आरसी के साथ इस आशय का समझौता कर सकती हैं कि संबंधित आस्ति की वास्तविक वसूली पर एससी /आरसी को यदि कोई अतिरिक्त राशि की वसूली होती है तो उसे दोनों द्वारा सम्मत अनुपात में बांटा जाएगा। ऐसे मामलों में बिक्री की शर्तों में आस्ति से वसूल किए गए मूल्य के संबंध में एससी/ आरसी द्वारा बैंक को रिपोर्ट दिए जाने का प्रावधान होना चाहिए। वास्तविक बिक्री होने के बाद लाभ प्राप्त होने तक बैंक/वित्तीय संस्थाएं प्रत्याशित लाभ को अपनी बहियों में जमा/जमा के रूप में नहीं लेंगे।

6.5 बिक्री लेनदेन के संबंध में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

(क) प्रावधानीकरण /मूल्यांकन मानदंड

(क) (i) जब कभी कोई बैंक/वित्तीय संस्था अपनी वित्तीय आस्तियों को एससी/आरसी को बेचती है, तो अंतरण होने पर उसे उसकी बहियों में से निकाल दिया जाएगा।

(ii) यदि एससी/आरसी को निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् बही मूल्य में से धारित प्रावधानों को घटाकर प्राप्त मूल्य) से कम कीमत पर आस्ति बेची गई है तो कमी को उस

वर्ष के लाभ-हानि खाते में नामें डाला जाए। बैंक अनर्जक आस्तियों का विक्रय होने पर किसी कमी को पूरा करने के लिए- अर्थात् जब विक्रय निवल बही मूल्य (एनबीवी) [अर्थात् मूल्य में से धारित प्रावधान को घटाकर] से कम हो तथा उसके कारण वर्तमान में लाभ और हानि खाते में से डेबिट करना अपेक्षित हो जाए- प्रतिचक्रीय/ अस्थायी प्रावधान का उपयोग कर सकते हैं।

तथापि, 26 फरवरी 2014 को या उसके बाद और 31 मार्च 2016 तक बेची गई आस्तियों के लिए एनपीए को शीघ्र विक्रय करने के प्रोत्साहन के रूप में, विक्रय मूल्य एनबीवी से कम है तो, बैंक दो वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी कमी को पूरा (स्प्रेड ओवर) कर सकते हैं। तथापि, कमी को पूरा करने की यह सुविधा बैंकों के वार्षिक वित्तीय विवरणों में लेखे पर टिप्पणियों में आवश्यक प्रकटीकरणों के अधीन होगी।

- (iii) बैंक एनपीए के विक्रय पर, यदि विक्रय मूल्य एनबीवी की तुलना में अधिक रहा हो, तो अतिरिक्त प्रावधान को अपने लाभ तथा हानि खाते में, उस वर्ष जिसमें रकम प्राप्त हुई है, प्रति-प्रविष्ट कर सकते हैं तथापि, बैंक एनपीए की बिक्री के फलस्वरूप उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रति-प्रविष्ट कर सकते हैं जब प्राप्त हुई नकद राशि (आरंभिक प्रतिफल तथा/अथवा एसआर/पीटीसी के मोचन के द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) की तुलना में अधिक हो। साथ ही, अतिरिक्त प्रावधान का प्रति प्रविष्ट किया जाना आस्ति के एनबीवी की तुलना में प्राप्त नकद राशि के आधिक्य की सीमा तक सीमित होगा।

दिनांक 26 फरवरी 2014 से पहले बेची गई आस्तियों के संबंध में, एनपीए की बिक्री के फलस्वरूप लाभ हानि खाते में प्रतिप्रविष्ट किए गए अतिरिक्त प्रावधान की मात्रा को बैंक के वित्तीय विवरणों में लेखे पर टिप्पणियों के अंतर्गत प्रकट किया जाएगा।

- (iv) जब बैंक/वित्तीय संस्थाएं, उनके द्वारा एससी/आरसी को बेची हुई वित्तीय आस्तियों के संबंध में एससी /आरसी द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों/पास-थ्रू प्रमाणपत्रों में निवेश करती हैं तो उक्त बिक्री को बैंक/वित्तीय संस्थाओं की बहियों में निम्नलिखित से कम स्तर पर माना जाएगा:

- प्रतिभूति रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों का मोचन मूल्य, तथा
- वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य

उपर्युक्त निवेश को बैंक/वित्तीय संस्था की बहियों में उसकी बिक्री अथवा वसूली होने तक उपर्युक्त के अनुसार निर्धारित मूल्य पर जमा किया जाएगा और ऐसी बिक्री अथवा वसूली होने पर हानि अथवा लाभ पर उपर्युक्त (ii) तथा (iii) में दिए गए अनुसार ही कार्रवाई की जाए।

(ख) एससी/आरसी द्वारा प्रस्तावित प्रतिभूतियों (बाण्ड तथा डिबेंचर) को निम्नलिखित शर्तें पूर्ण करनी होंगी :

- i. प्रतिभूति की अवधि छः वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ii. प्रतिभूति पर लागू ब्याज दर, उसे जारी करने के समय पर प्रचलित बैंक दर से 1.5 प्रतिशत अधिक से कम नहीं होनी चाहिए।
- iii. प्रतिभूतियाँ अंतरित आस्तियों पर उचित प्रभार द्वारा रक्षित होनी चाहिए।
- iv. प्रतिभूति की परिपक्वता की तारीख के पूर्व एससी/आरसी द्वारा प्रतिभूति की जमानत देने वाली आस्ति को बेच देने की स्थिति में प्रतिभूतियों में आंशिक अथवा पूर्ण पूर्व भुगतान का प्रावधान होना चाहिए।
- v. प्रतिभूतियों का मोचन करने की एससी /आरसी की प्रतिबद्धता बिना शर्त होनी चाहिए और आस्तियों की वसूली से संबद्ध नहीं।
- vi. जब कभी प्रतिभूति किसी अन्य पार्टी को अंतरित की जाती है तो एससी /आरसी को उस अंतरण की सूचना जारी की जाए।

(ग) एससी/आरसी द्वारा जारी डिबेंचरों /बाण्डों /प्रतिभूति रसीदों /पास - थ्रू प्रमाणपत्रों में निवेश

एससी/आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के बिक्री प्रतिफल के रूप में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त सभी लिखत तथा एससी/आरसी द्वारा जारी अन्य लिखत जिनमें बैंक/वित्तीय संस्थाएं निवेश करेंगी, सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों के स्वरूप के होंगे। तदनुसार, एससी/आरसी द्वारा जारी डिबेंचरों/बाण्डों/प्रतिभूति रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के निवेश पर सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर लिखतों में निवेश पर लागू भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए मूल्यांकन, वर्गीकरण तथा अन्य मानदंड लागू होंगे। तथापि, एससी/आरसी द्वारा जारी उपर्युक्त लिखतों में से यदि कोई संबंधित योजना में लिखतों को आबंटित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित है

तो बैंक/वित्तीय संस्था ऐसे निवेशों के मूल्यांकन के लिए एससी/आरसी से समय-समय पर प्राप्त निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) को ध्यान में लेगी।

(ख) एक्सपोजर मानदंड

एससी /आरसी द्वारा जारी डिबेंचरों /बाण्डों /प्रतिभूति रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों में बैंकों /वित्तीय संस्थाओं के निवेश को एससी /आरसी पर एक्सपोजर माना जाएगा। चूंकि अब बहुत कम एससी / आरसी स्थापित की जाती हैं इसलिए एससी /आरसी द्वारा जारी डिबेंचरों/बाण्डों /प्रतिभूति रसीदों /पास-थ्रू प्रमाणपत्रों में उनके निवेश के माध्यम से बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का एससी/आरसी पर एक्सपोजर उनके एक्सपोजर की विवेकपूर्ण सीमा से अधिक हो सकता है। इस घटना के असाधारण स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को प्रारंभिक वर्षों में मामला-दर-मामला आधार पर एक्सपोजर की विवेकपूर्ण सीमा को पार करने की अनुमति दी जाएगी।

6.6 प्रकटीकरण अपेक्षाएं

i) एससी/आरसी को अपनी वित्तीय आस्तियां बेचने वाले बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को उनके तुलनपत्रों के लेखा पर टिप्पणों में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे :

वर्ष के दौरान आस्ति पुनर्चना के लिए एससी /आरसी को बेची गई वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

क. खातों की संख्या

ख. एससी/आरसी का बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधानों को घटाकर)

ग. कुल प्रतिफल/राशि

घ. पिछले कुछ वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में प्राप्त अतिरिक्त राशि

ड. निवल बही मूल्य पर कुल लाभ/हानि

ii) उपर्युक्त प्रकटीकरणों के अलावा, बैंकों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में लेखे पर टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटीकरण करने होंगे:

(रुपए करोड में)						
ब्यौरा	बैंक द्वारा आधार रूप में बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		अन्य बैंकों /वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा आधार रूप में बेची गई अनर्जक आस्तियों द्वारा समर्थित		कुल	
	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष	विगत वर्ष	चालू वर्ष
प्रतिभूति रसीदों में निवेश का बही मूल्य						

6.7 संबंधित मामले

- क. एससी/आरसी उन वित्तीय आस्तियों को भी खरीदेगी जिन्हें पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता तथा इसलिए उनका वसूली आधार पर निपटान करना होगा। साधारणतः एससी/आरसी इन आस्तियों को खरीदेगी नहीं बल्कि वसूली करने के लिए एक एजेंट के रूप में कार्य करेगी। वह वसूली करने के लिए कुछ शुल्क प्रभारित करेगी।
- ख. जहां उपर्युक्त श्रेणी की आस्तियां हैं, वहां बैंकों /वित्तीय संस्थाओं की बहियों में से इन आस्तियों को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन जब कभी वसूली होगी तब उसे आस्ति खाते में जमा किया जाएगा। बैंक /वित्तीय संस्था उक्त आस्ति के लिए सामान्य तौर पर प्रावधान करेगी।

7. अनर्जक वित्तीय आस्तियों (एससी/आरसी को छोड़ कर) की खरीद/बिक्री पर दिशानिर्देश

जहां प्रतिभूतिकरण कंपनियां तथा पुनर्विन्यास कंपनियां शामिल नहीं हैं, वहां अपनी अनर्जक आस्तियों का निदान करने हेतु और अनर्जक आस्तियों के लिए एक सक्षम गौण बाजार विकसित करने हेतु तथा बैंकों के पास उपलब्ध विकल्पों को बढ़ाने के लिए अनर्जक आस्तियों की

खरीद/बिक्री पर बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए गये हैं। चूंकि इस विकल्प के अंतर्गत अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री/खरीद वित्तीय प्रणाली के भीतर की जाएगी, अतः अनर्जक आस्तियों के निदान की संपूर्ण प्रक्रिया और इससे संबंधित मामलों के निदान की संपूर्ण प्रक्रिया उचित तत्परता और सावधानी से स्पष्ट दिशानिर्देशों के होने का आश्वासन देते हुए शुरू किए जाने चाहिए जिसका सभी संस्थाएं अनुपालन करेंगी और इससे अनर्जक आस्तियों की बिक्री तथा खरीद द्वारा अनर्जक आस्तियों का निदान करने की प्रक्रिया सरल तथा सुदृढ़ता से चलेगी। तदनुसार अनर्जक आस्तियों की बिक्री/खरीद पर दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं और नीचे दिये गये हैं। इन दिशानिर्देशों को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए और उनके कार्यान्वयन हेतु उचित कदम उठाये जाए।

व्याप्ति

7.1 ये दिशानिर्देश अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (प्रतिभूतीकरण कंपनियों/पुनर्व्यवस्थापन कंपनियों को छोड़कर) से/को अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद /बिक्री करने वाले बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे।

बहुविध/संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत रहनेवाली वित्तीय आस्तियों सहित वित्तीय आस्ति इन दिशानिर्देशों के अनुसार खरीद /बिक्री के लिए पात्र होगी यदि वह विक्रेता बैंक की बही में यह एक अनर्जक आस्ति/अनर्जक निवेश है।

अनर्जक वित्तीय आस्तियों पर दिशानिर्देशों में 'बैंक' शब्द के संदर्भ में वित्तीय संस्थाएं और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां शामिल होंगी।

ढांचा

7.2 अन्य बैंकों से/को अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री करने वाले बैंकों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं। दिशानिर्देशों को निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है:

- i) मूल्यन और कीमत निर्धारण संबंधी पहलुओं को शामिल करते हुए बैंकों द्वारा अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए क्रियाविधि।

ii) अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड:

- क. आस्ति वर्गीकरण मानदंड
- ख. प्रावधानीकरण मानदंड
- ग. वसूली के संबंध में लेखा प्रणाली
- घ. पूंजी पर्याप्तता मानदंड
- ड. एक्सपोजर मानदंड

iii) प्रकटन अपेक्षाएं

7.3 मूल्यन और कीमत निर्धारण संबंधी पहलुओं सहित अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद / बिक्री के लिए क्रियाविधि

i) वित्तीय आस्तियों की खरीद /बिक्री करने वाले बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार खरीद /बिक्री की जाती है। बोर्ड अन्य बातों के साथ-साथ नीतियों और दिशानिर्देशों को निर्धारित करेगा,

- क. अनर्जक वित्तीय आस्तियां जो खरीदी/बेची जाएं
- ख. ऐसी वित्तीय आस्तियों की खरीद/बिक्री के लिए मानदंड और क्रियाविधि
- ग. यह सुनिश्चित करने के लिए अनुपालन की जाने वाली मूल्यन क्रियाविधि कि चुकौती और वसूली के संभावनाओं से निर्मित होने वाले अनुमानित नकदी प्रवाहों पर आधारित वित्तीय आस्तियों का आर्थिक मूल्य उचित रूप में अनुमानित किया गया है
- घ. वित्तीय आस्ति आदि की खरीद/बिक्री पर निर्णय लेने हेतु विभिन्न संस्थाओं की शक्तियों का प्रत्यायोजन
- ड. लेखाकरण नीति

ii) नीति निर्धारित करते समय बोर्ड खुद को इस बात से संतुष्ट करेगा कि अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद के और सक्षम तरीके से उस का लेनदेन करने के लिए उस बैंक के पास पर्याप्त कौशल है जिससे बैंक को लाभ होगा। बोर्ड को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि इस कार्य को करते समय खरीदार बैंक को जो जोखिम उठाना पड़ेगा उस पर कारगर रूप से विचार करने के लिए उचित प्रणाली तथा कार्यपद्धति अपनायी गयी है।

iii) अनर्जक आस्तियों को बेचते समय बैंकों को उपलब्ध प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य में से वसूली की लागत को घटाकर उससे संबद्ध अनुमानित नकदी प्रवाहों के निवल वर्तमान मूल्य

की गणना करनी चाहिए। उपर्युक्त वर्णित पद्धति से प्राप्त निवल वर्तमान मूल्य से बिक्री की कीमत सामान्यतः कम नहीं होनी चाहिए। (समझौता निपटानों में भी इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाए। चूंकि समझौता राशि का भुगतान किस्तों में हो सकता है, इसलिए निपटान राशि के निवल वर्तमान मूल्य का अभिकलन किया जाए और यह राशि प्रतिभूतियों के वसूली योग्य मूल्य के निवल वर्तमान मूल्य से सामान्यतः कम नहीं होना चाहिए।)

iv) अनुमानित नकदी प्रवाह सामान्यतः तीन वर्ष के भीतर होना अपेक्षित है और पहले वर्ष में अनुमानित नकदी प्रवाह कम से कम 10 प्रतिशत तथा उसके बाद प्रत्येक छमाही में कम से कम 5 प्रतिशत होना चाहिए, बशर्ते तीन वर्ष में पूरी वसूली हो।

v) बैंक अनर्जक वित्तीय आस्तियों की अन्य बैंकों से खरीद /बिक्री केवल 'दायित्व रहित' आधार पर करे अर्थात् अनर्जक वित्तीय आस्तियों के साथ जुड़ा संपूर्ण ऋण जोखिम खरीदार बैंक को अंतरित किया जाना चाहिए। विक्रेता बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि वित्तीय आस्तियों की बिक्री का प्रभाव ऐसा हो कि वह आस्ति बैंक की बहियों से हटा ली जाए तथा बिक्री के बाद विक्रेता बैंक पर किसी ज्ञात दायित्व का अंतरण न हो।

vi) बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अन्य बैंकों को अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के बाद बेची गयी आस्तियों के संबंध में वे शामिल न हो और बेची गयी वित्तीय आस्तियों के संबंध में उन पर परिचालनगत, कानूनी अथवा किसी भी प्रकार का जोखिम न हो। परिणामतः, विशिष्ट वित्तीय आस्ति को किसी भी रूप में अथवा प्रकार की ऋण वृद्धि /नकदी सुविधा का आधार नहीं होना चाहिए।

vii) वित्तीय आस्ति के लिए खरीददार बैंक द्वारा प्रस्तुत मूल्य का प्रत्येक बैंक अपना मूल्यांकन करेगा और यह निर्णय करेगा कि उसे स्वीकार करे या अस्वीकार करे।

viii) किसी भी स्थिति में अन्य बैंकों को ऐसी आकस्मिक कीमत पर बिक्री नहीं की जा सकती जिससे खरीदार बैंक द्वारा वसूली में कमी की स्थिति में विक्रेता बैंक को कमी के किसी अंश का वहन करना पड़े।

ix) बैंक अन्य बैंकों को अनर्जक वित्तीय आस्तियां केवल नकदी आधार पर बेचेंगे। संपूर्ण बिक्री प्रतिफल वैध होना चाहिए और इन आस्तियों को विक्रेता बैंक की बही से केवल संपूर्ण प्रतिफल की प्राप्ति होने पर हटाया जा सकता है।

- x) बैंकों को खुदरा अनर्जक वित्तीय आस्तियों के अंतर्गत सजातीय पूल को संविभाग आधार पर बेचने/खरीदने की अनुमति दी गयी है। इन आस्तियों के पूल को खरीददार बैंक की बही में एकल आस्ति के रूप में माना जाएगा।
- xi) खरीदार बैंक को किसी अनर्जक वित्तीय आस्ति को अन्य बैंकों को बेचे जाने से पहले अपनी बही में कम से कम 12 महीने तक धारित करना चाहिए। बैंकों को ऐसी आस्तियों को वापस उसी बैंक को बेचना नहीं चाहिए जिसने इन अनर्जक वित्तीय आस्तियों को बेचा था।
- xii) विक्रेता बैंक अन्य बैंकों को बेची गयी अनर्जक आस्तियों के संबंध में वर्तमान अनुदेशों के अनुसार स्टाफ के उत्तरदायित्व के पहलुओं की ओर ध्यान देगा।

7.4 खरीद /बिक्री लेनदेन हेतु बैंकों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

(क) आस्ति वर्गीकरण मानदंड

- (i) खरीदी गयी अनर्जक आस्तियों की खरीद की तारीख से 90 दिन की अवधि के लिए खरीदार बैंक की बही में 'मानक' के रूप में वर्गीकृत किया जाय। बाद में, खरीदी गयी वित्तीय आस्ति की आस्ति वर्गीकरण स्थिति आस्ति की खरीद के समय अनुमानित नकदी प्रवाह के संदर्भ में खरीदार बैंक की बही में दर्ज वसूली रिकार्ड के आधार पर निर्धारित की जाएगी जो पैरा 7.3 (iv) में दी गयी अपेक्षा के पालन में होनी चाहिए।
- (ii) खरीदार बैंक की बही में उसी बाध्यताधारी के प्रति किसी वर्तमान एक्सपोजर (खरीदी गयी वित्तीय आस्ति को छोड़कर) की आस्ति वर्गीकरण स्थिति को उस निवेश की वसूली रिकार्ड से नियंत्रित करना जारी रहेगा और इसलिए वह अलग हो सकता है।
- (iii) जहां खरीद/बिक्री से इन दिशानिर्देशों में निर्धारित किसी भी विवेकपूर्ण अपेक्षाओं की पूर्ति न होती हो वहां खरीद के समय खरीदार बैंक की बही में आस्ति वर्गीकरण स्थिति वही होगी जो विक्रेता बैंक की बही में होगी। इसके बाद आस्ति वर्गीकरण स्थिति का निर्धारण विक्रेता बैंक में अनर्जक आस्ति की तारीख के संदर्भ में जारी रहेगा।
- (iv) खरीदार बैंक द्वारा अनर्जक वित्तीय आस्ति की चुकौती सारणी का कोई भी पुनर्व्यवस्थापन / पुनर्निर्धारण/पुनः क्रय अथवा अनुमानित नकदी प्रवाह उस खाते को अनर्जक आस्ति के रूप में बनाएगा।

(ख) प्रावधान करने संबंधी मानदंड

विक्रेता बैंक की बही

- i. जब कोई बैंक अन्य बैंकों को अपनी अनर्जक आस्तियां बेचता है तब अंतरण होने पर उसकी बही से उसे हटाया जाएगा।
- ii. यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधान से बही मूल्य काट कर) से निम्न कीमत पर हो तो उस कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखा में नामे डाला जाएगा।
- iii. यदि एनबीवी से उच्चतर मूल्य पर बिक्री की गयी हो तो अतिरिक्त प्रावधान को प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा परंतु इसका उपयोग अन्य अनर्जक वित्तीय आस्तियों की बिक्री के कारण हुई कमी / हानि की पूर्ति के लिए किया जाएगा।

खरीदार बैंक की बही

आस्ति के लिए खरीदार बैंक की बहियों में इसकी आस्ति वर्गीकरण स्थिति के लिए उपयुक्त उचित प्रावधानन अपेक्षाएं आवश्यक होंगी।

(ग) वसूली के संबंध में लेखा प्रणाली

अन्य बैंकों से खरीदी गयी अनर्जक आस्ति के संबंध में किसी भी वसूली के पहले इसकी अर्जित लागत के संबंध में समायोजन किया जाना चाहिए। अर्जित लागत से अधिक वसूलियों को लाभ के रूप में माना जा सकता है।

(घ) पूंजी पर्याप्तता

पूंजी पर्याप्तता के प्रयोजन हेतु बैंकों को अन्य बैंकों से खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों को 100 प्रतिशत जोखिम भार आबंटित करना चाहिए। यदि खरीदी गयी अनर्जक आस्ति एक निवेश के रूप में है तो इस पर बाजार जोखिम के लिए भी पूंजी प्रभार लगेगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए पूंजी पर्याप्तता के संबंधित अनुदेश लागू होंगे।

(ड.) एक्सपोजर मानदंड

खरीदार बैंक विशिष्ट वित्तीय आस्ति के दायित्वकर्ता के संबंध में एक्सपोजर की गणना करेगा। इसलिए इन बैंकों को खरीद के कारण दायित्वकर्ताओं के संबंध में उभरनेवाले एक्सपोजर की गणना करने के बाद विवेकपूर्ण ऋण एक्सपोजर की उच्चतम सीमा (एकल और समूह दोनों) का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक्सपोजर मानदंडों के संबंधित अनुदेश लागू होंगे।

7.5 प्रकटन अपेक्षाएं

जो बैंक अन्य बैंकों से अनर्जक वित्तीय आस्तियों की खरीद करते हैं उन्हें तुलनपत्र में लेखों पर टिप्पणियां में निम्नलिखित प्रकटन करने अनिवार्य है :

क. खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपये में)

1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गये खातों की सं.
(ख) कुल बकाया
2. (क) उनमें से वर्ष के दौरान पुनर्विन्यास किए गए खातों की संख्या
(ख) कुल बकाया

ख. बेची गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्यौरे

(राशि करोड़ रुपये में)

1. बेचे गए खातों की सं.
2. कुल बकाया
3. कुल प्राप्त प्रतिफल

ग. खरीदार बैंक अपने द्वारा खरीदी गयी अनर्जक वित्तीय आस्तियों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक, ऋण आसूचना कंपनी जिसने भारतीय रिज़र्व बैंक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है तथा बैंक जिसका सदस्य आदि..है, को सभी संबंधित रिपोर्टें प्रेषित करेगा।

8. अनर्जक आस्तियों को बड़े खाते डालना

8.1 आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 43 (घ) के अनुसार अशोध्य और संदिग्ध ऋणों की श्रेणी से संबंधित ब्याज द्वारा आय को, रिज़र्व बैंक द्वारा इस तरह के ऋणों के संबंध में जारी किये गये दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, उस पिछले वर्ष में कर के लिए प्रभार योग्य माना जाये जिस वर्ष में बैंक के लाभ और हानि खाते में जमा की गयी हो या प्राप्त की गयी हो, जो भी पहले हो।

8.2 यह शर्त ऊपर बताये गये अनुसार अपेक्षित प्रावधान के लिए लागू नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान करने हेतु अलग रखी गयी राशि कर में कटौती के लिए पात्र नहीं है।

8.3 इसलिए बैंक या तो दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा प्रावधान करें अथवा अपने लेखा-परीक्षकों / कर परामर्शदाताओं के परामर्श से उचित पद्धति विकसित करके इस प्रकार के अग्रिमों को बड़े खाते डालें और यथालागू कर लाभों का दावा करें। इस प्रकार के खातों में की गयी वसूलियों को नियमानुसार कर प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

8.4 प्रधान कार्यालय के स्तर पर बड़े खाते डालना

बैंक शाखा की बहियों में संबंधित अग्रिमों के बकाया रहते हुए भी प्रधान कार्यालय स्तर पर अग्रिमों को बड़े खाते डाल सकते हैं। परंतु यह आवश्यक है कि संबंधित खातों को दिये गये वर्गीकरण के अनुसार प्रावधान किया जाये। दूसरे शब्दों में, यदि अग्रिम हानि वाली आस्ति है तो उसके लिए 100 प्रतिशत प्रावधान करना होगा।

9. अनर्जक आस्ति प्रबंधन - प्रभावी प्रणाली और गहन आंकड़ों की आवश्यकता

(i) बैंकों की आस्ति-गुणवत्ता उनकी वित्तीय सुदृढ़ता के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक है। अतः बैंकों को अपने मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) एवं एमआईएस फ्रेमवर्क की समीक्षा करनी चाहिए तथा अलग अलग खाते के स्तर पर एवं सेगमेंट (आस्ति श्रेणी, उद्योग, भौगोलिक आकार आदि) स्तर पर संकट के लक्षणों को आरंभ में ही पकड़ने के लिए एक मजबूत प्रबंध सूचना प्रणाली (एमआईएस) स्थापित करनी चाहिए। ऐसे शीघ्र-चेतावनी देने वाले संकेतकों को एक प्रभावी निवारक आस्ति गुणवत्ता

प्रबंधन फ्रेमवर्क स्थापित करने हेतु प्रयोग में लाया जाना चाहिए जिसमें उस समय लागू विनियामक फ्रेमवर्क के अंतर्गत दबावग्रस्त अर्थक्षम खातों के लिए पारदर्शी पुनर्रचना प्रणाली शामिल है, ताकि सभी सेगमेंट में उन संस्थाओं के आर्थिक मूल्य को बचाए रखा जा सके।

(ii) बैंक की आईटी तथा एमआईएस प्रणाली मजबूत और सक्षम होनी चाहिए जो प्रभावी निर्णय लेने हेतु बैंक की आस्ति गुणवत्ता के संबंध में विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण सूचना उत्पन्न करने में समर्थ हो। विनियामक/सांविधिक रिपोर्टिंग तथा बैंक की अपनी एमआईएस रिपोर्टिंग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं में परस्पर कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे अनर्जक आस्तियों तथा पुनर्रचित आस्तियों के संबंध में प्रणाली से उत्पन्न सेगमेंट-वार सूचना रखें जिनमें प्रारंभिक शेष, परिवर्धन, कटौतियां (उन्नयन, वास्तविक वसूली, राईट-ऑफ आदि), अंतिम शेष, धारित प्रावधान, तकनीकी राईट-ऑफ इत्यादि शामिल हो सकते हैं।

10. इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना (15 जुलाई 2014 के बाद स्वीकृत किए गए ऋण)

10.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेश बैंकों द्वारा दीर्घावधि परियोजना की संरचना के आड़े नहीं आते हैं, बशर्ते विवेकपूर्ण और विनियामक ढांचे का उचित रूप से पालन किया जाता हो। तथापि, चूंकि बैंकों को कुछ आशंकाएं हैं, कि दीर्घावधि परियोजना ऋणों के इस प्रकार के पुनर्वित्त को पुनर्रचना माना जा सकता है, तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि की समाप्ति पर अनुमानित नकद प्रवाह (एकबारगी भुगतान के रूप में शेष ऋण) को एएलएम के प्रयोजन से उपयुक्त परिपक्वता अवधि में गिने जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि उसे बैंकों द्वारा निम्नलिखित विशिष्टताओं वाली बुनियादी संरचना और महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की दीर्घावधि परियोजनाओं के वित्तीयन पर आपत्ति नहीं होगी:

- I. परियोजना की मूलभूत व्यवहार्यता सभी अपेक्षित वित्तीय और वित्तेतर मापदंडों के आधार पर स्थापित की जाएगी, विशेषतः ब्याज कवरेज अनुपात (ईबीआईडीटीए/ब्याज की अदायगी) जिसमें ऋण चुकाने की क्षमता और ऋण की अवधि के दौरान चुकौती करने के सामर्थ्य का उल्लेख किया गया हो।
- II. ऋण की दीर्घतर परिशोधन अवधि, (परिशोधन कार्यक्रम) जैसे 25 वर्ष (परियोजना का लाभप्रद जीवनकाल/रियायती अवधि के भीतर) में परिशोधन के साथ शेष ऋण के आवधिक पुनर्वित्तीयन (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तपोषण) की अनुमति दी जाएगी, जिसकी अवधि समग्र परिशोधन अवधि के भीतर प्रत्येक पुनर्वित्त के साथ तय की जा सकती है।
- III. इसका अर्थ यह होगा कि बैंक को परियोजना की व्यवहार्यता का मूल्यांकन करते समय व्यवहार्य परियोजना के रूप में परियोजना को स्वीकार करने की अनुमति दी जाएगी, जहां औसत कर्ज

चुकोती कवरेज अनुपात (डीएससीआर) और अन्य वित्तीय और वित्तेतर मापदंड एक लंबी परिशोधन अवधि, जैसे 25 वर्ष (परिशोधन कार्यक्रम) के लिए स्वीकार्य होंगे, लेकिन निधीयन (प्रारंभिक ऋण सुविधा) केवल 5 वर्ष के लिए दी जाएगी और शेष ऋण के लिए विद्यमान या नए बैंकों द्वारा या बांडों के माध्यम से भी ऋण सुविधा का पुनर्वित्तपोषण की अनुमति दी जाएगी; तथा

IV. इनमें से प्रत्येक 5 वर्ष के बाद पुनर्वित्त (ऋण सुविधा का पुनर्वित्तीयन) मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुसार यथानिर्धारित कम राशियों का होगा।

10.2 बैंकों का उपर्युक्त पैरा 10.1 में वर्णित विशिष्टताओं के साथ परियोजना ऋणों का वित्तपोषण निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

- i. केवल भारतीय रिज़र्व बैंक की बुनियादी संरचना क्षेत्र की सुसंगत मास्टर सूची के अंतर्गत परिभाषित बुनियादी संरचना परियोजनाएं तथा भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधार: 2004-2005) की सूची में शामिल महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं (अर्थात् कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, लौह (मिश्रधातु + अमिश्रधातु), सीमेंट तथा विद्युत - इनमें से कुछ क्षेत्र, जैसे उर्वरक, बिजली उत्पादन, वितरण और संचरण (ट्रांसमिशन) आदि बुनियादी संरचना उप-क्षेत्रों की सुसंगत मास्टर सूची में भी शामिल हैं) को प्रदत्त मीयादी ऋण ऐसे पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे;
- ii. ऐसी परियोजनाओं के प्रारंभिक मूल्यांकन के समय यह सुनिश्चित करते हुए कि दबावपूर्ण परिदृश्यों में भी ऐसी परियोजनाओं के नकद प्रवाह और अन्य सभी आवश्यक वित्तीय और वित्तेतर मापदंड सुदृढ़ रहते हैं, बैंक एक परिशोधन कार्यक्रम (मूल परिशोधन कार्यक्रम) निर्धारित कर सकते हैं।
- iii. सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के अंतर्गत बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में परिशोधन सिड्यूल की अवधि प्रारंभिक रियायत अवधि के 80% (अंत का 20% छोड़कर) अथवा गैर-पीपीपी बुनियादी संरचना परियोजनाओं के मामले में उपभोक्ता प्रभार/शुल्क निर्धारित करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवनकाल का 80%, अथवा अन्य महत्वपूर्ण उद्योग परियोजनाओं के मामले में ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परियोजना मूल्यांकन के समय कल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 80% से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- iv. प्रारंभिक ऋण सुविधा उपलब्ध कराने वाला बैंक मध्यम अवधि, जैसे 5 से 7 वर्ष के लिए ऋण मंजूर कर सकता है। इसमें प्रारंभिक निर्माण काल का ध्यान रखना चाहिए तथा कम से कम वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने की तारीख (डीसीसीओ) और राजस्व जुटाने तक की अवधि को

भी शामिल करना चाहिए। इस अवधि के अंत में चुकौती (मूल परिशोधन कार्यक्रम के शेष अवशिष्ट भुगतान के बराबर वर्तमान मूल्य) की संरचना एकमुश्त भुगतान के रूप में की जा सकती है, जिसमें यह इरादा पहले से विनिर्दिष्ट किया गया हो कि इसे पुनर्वित्त किया जाएगा। यह चुकौती पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में उसी ऋणदाता अथवा नए ऋणदाताओं के समूह अथवा इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा कॉर्पोरेट बांड जारी करके की जा सकती है तथा परिशोधन अवधि के अंत तक ऐसे पुनर्वित्तीयन को दोहराया जा सकता है।

- v. प्रारंभिक ऋण सुविधा का चुकौती कार्यक्रम सामान्यतः मूल परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप होना चाहिए, बशर्ते डीसीसीओ की अवधि बढ़ाई न गई हो। ऐसे मामलों में इस मास्टर परिपत्र के पैरा 4.2.15 में निहित विद्यमान अनुदेशों के अनुसार, केवल डीसीसीओ की अवधि बढ़ाया जाना, कुछ शर्तों के अधीन, पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, यदि संशोधित डीसीसीओ बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना के लिए मूल डीसीसीओ की तारीख से क्रमशः दो वर्ष और एक वर्ष के भीतर पडती हो। ऐसे मामलों में चुकौती कार्यक्रम में डीसीसीओ की अवधि बढ़ाए जाने के बराबर या उससे कम अवधि का परिणामी परिवर्तन (संशोधित चुकौती अवधि की शुरुआती और अंतिम तारीख को शामिल करते हुए) भी पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रही हों अथवा विलंब की क्षतिपूर्ति के लिए उनमें बढ़ोतरी की गई हो, तथा संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आरंभिक आर्थिक जीवनकाल के 85%³ के भीतर निर्धारित किया गया हो, जैसाकि ऊपर पैरा 10.2 (iii) में निर्धारित किया गया है;
- vi. परियोजना ऋण का परिशोधन कार्यक्रम ऋण की अवधि (डीसीसीओ के बाद) के दौरान एक बार संशोधित किया जा सकता है। यह संशोधन वित्तीय क्लोजर के दौरान लगाए गए अनुमानों की तुलना में परियोजना के वास्तविक कार्य-निष्पादन के आधार पर 'पुनर्रचना' न मानते हुए किया जाएगा, बशर्ते:
- क) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण होना चाहिए।
- ख) परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन से पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान रहता है।
- ग) संपूर्ण परियोजना ऋण परिशोधन को परियोजना के आर्थिक जीवन काल के 85%⁴ के भीतर निर्धारित किया जाता है, जैसाकि ऊपर पैरा 10.2 (iii) में बताया गया है।

³ पैरा 10.2 (iii) में दिए गए अनुसार यदि डीसीसीओ प्राप्त करने में तो परियोजना ऋण के परिशोधन की अधिकतम सीमा 80% से ज्यादा विलंब होता है, तो प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल के केवल 5 % छूट दी जाएगी। बैंक मूल परिशोधन कार्यक्रम का निर्धारण करते समय इसको ध्यान में रखें।

⁴ उपर्युक्त फुट नोट सं. 3 देखें।

- vii. यदि प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त सुविधा किसी भी स्तर पर एनपीए बन जाती है, तो आगे पुनर्वित्त रोक देना चाहिए तथा जब यह एनपीए होता है, तब जो बैंक ऋण धारण करता है, उससे अपेक्षित है कि वह ऋण को एनपीए माने तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। जब खाता एनपीए स्थिति से बाहर आ जाएगा, तब वह इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वित्त के लिए पात्र होगा;
- viii. बैंक प्रारंभिक ऋण सुविधा या पुनर्वित्त ऋण सुविधा की मंजूरी के प्रत्येक स्तर पर ऋण के प्रत्येक चरण की जोखिम के अनुरूप ऋण का मूल्य-निर्धारण (ब्याज निर्धारण) कर सकते हैं तथा ऐसा मूल्य बैंक की आधार दर से नीचे नहीं होना चाहिए;
- ix. बैंकों को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;
- x. बैंकों को अपने आस्ति-देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभ में ऋणों के आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के अंत में बकाया ऋण के एकमुश्त भुगतान से नकद प्रवाह की गणना करने की अनुमति दी जाएगी; तथापि प्राप्त अनुभव के आधार पर बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऐसे ऋणों के परिशोधन के नकद प्रवाहों का व्यवहारवादी अध्ययन करें और तदनुसार उन्हें अपने एएलएम विवरण में रखें;
- xi. जोखिम प्रबंधन की दृष्टि से बैंकों को यह मानना चाहिए कि अन्य बैंकों द्वारा ऋण को पुनर्वित्त नहीं करने की संभावना हो सकती है तथा चलनिधि आवश्यकताओं का अनुमान लगाते समय, तथा दबाव परिदृश्यों के लिए इसे ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा, जब तक अन्य बैंकों द्वारा आंशिक या पूर्ण पुनर्वित्तीयन का स्पष्ट निर्धारण नहीं हो जाता, ऐसे पुनर्वित्त के नकद प्रवाहों को चलनिधि अनुपात की गणना के लिए हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए। इसी प्रकार, एक बार प्रतिबद्ध होने के बाद पुनर्वित्त प्रदान करने वाले बैंक को भी अपने चलनिधि अनुपातों की गणना करते समय ऐसे नकद प्रवाह को हिसाब में लेना चाहिए; तथा
- xii. बैंक के पास ऐसे वित्तीयन के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

10.3. उपर्युक्त संरचना बुनियादी संरचना क्षेत्र की परियोजनाओं तथा महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र की परियोजनाओं को 15 जुलाई 2014 के बाद मंजूर किए गए नए ऋणों के लिए लागू होगा। इसके अलावा इन अनुदेशों के अंतर्गत बुनियादी संरचना और महत्वपूर्ण उद्योग परियोजनाओं को मंजूर किए गए किसी भी ऋण पर 'टेक-आउट वित्त' (दिनांक 29 फरवरी 2000 का परिपत्र) तथा 'उधार खातों का अंतरण' (दिनांक 10 मई 2012 का परिपत्र) पर हमारे अनुदेश अब लागू नहीं होंगे।

11. इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना (15 जुलाई 2014 के पहले स्वीकृत किए गए ऋण)

11.1 बैंक इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण उद्योगों के मौजूदा परियोजना ऋणों (जुलाई 2014 के पूर्व स्वीकृत) की लचीली संरचना, नीचे दी गई शर्तों के अनुसार इनके लिए आवधिक पुनर्वित्त के विकल्प के साथ भी कर सकते हैं:

- i. केवल ऐसी परियोजनाओं को मीयादी ऋण, जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की इन्फ्रास्ट्रक्चर की सुसंगत मास्टर सूची में परिभाषित है) तथा महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र (भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित आठ महत्वपूर्ण उद्योगों (आधार 2004-05) की सूची में शामिल) के सभी संस्थागत ऋणदाताओं का समग्र एक्सपोजर 500 करोड़ रुपये से अधिक है, ऐसी लचीली संरचना और पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र होंगे।
- ii. बैंक परियोजना नकद प्रवाह के पुनर्मूल्यांकन के आधार पर विद्यमान परियोजना ऋणों के लिए वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद परियोजना के जीवन काल में एक बार नया परिशोधन कार्यक्रम नियत कर सकते हैं। इसको पुनर्रचना नहीं माना जाएगा, बशर्ते:
 - क) ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन की तारीख को ऋण मानक ऋण है;
 - ख) ऋण परिशोधन कार्यक्रम में परिवर्तन के पहले और बाद में ऋण का निवल वर्तमान मूल्य समान है;
 - ग) सरकारी - निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल की इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम प्रारंभिक छूट अवधि का 85 प्रतिशत (शेष 15 प्रतिशत भाग छोड़ कर); अथवा गैर- पीपीपी इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के मामले में प्रयोक्ता प्रभारों/दरों का निर्धारण करने के लिए परियोजना मूल्यांकन करते समय परिकल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत अथवा अन्य महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के मामले में परियोजना मूल्यांकन के समय ऋणदाताओं के स्वतंत्र अभियंताओं द्वारा परिकल्पित प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल का 85 प्रतिशत होना चाहिए; तथा
 - घ) दिनांक 30 जनवरी 2014 का अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा, जो भारतीय बैंक संघ के 29 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. सीएंडआई/सीआईआर/2013-14/9307 के द्वारा बैंकों को सूचित किया गया था, के अंतर्गत

परियोजना की व्यवहार्यता का बैंक द्वारा पुनर्मूल्यांकन किया गया है तथा इसके लिए गठित स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा जांचा गया है।

- iii. यदि किसी परियोजना ऋण को उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसार नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम नियत करने की तारीख को पुनर्चित मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया हो, तो नया ऋण परिशोधन कार्यक्रम तय करने की वर्तमान कवायद को 'पुनर्चना के दोहराव' की घटना नहीं माना जाएगा, फिर भी ऋण का 'पुनर्चित मानक आस्ति' के रूप में वर्गीकरण जारी रखना चाहिए। ऐसी आस्तियों का उन्नयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए खातों की पुनर्चना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों द्वारा संचालित किया जाएगा।
- iv) ऊपर उल्लिखित नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम में उसके बाद होने वाले कोई परिवर्तन विद्यमान पुनर्चना मानदंडों के अधीन होंगे;
- v) परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ होने के बाद बैंक परियोजना मीयादी ऋणों को आवधिक (जैसे 5 से 7 वर्ष) रूप से पुनर्वित्त प्रदान कर सकते हैं। प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद चुकौती (चुकौतियां) (मूल्य में नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अनुरूप शेष अवशिष्ट भुगतान के समान) को पुनर्वित्त किए जाने का इरादा पहले से विनिर्दिष्ट करते हुए एकबारगी चुकौती के रूप में संरचित किया जा सकता है। पुनर्वित्तीयन उसी ऋणदाता द्वारा अथवा नए ऋणदाताओं के समूह द्वारा अथवा दोनों के संयोग द्वारा अथवा पुनर्वित्त ऋण सुविधा के रूप में कॉर्पोरेट बांड जारी करके किया जा सकता है, और ऐसा पुनर्वित्तीयन नए ऋण परिशोधन कार्यक्रम के अंत तक दोहराया जा सकता है। पैरा (ii) के अनुसार निवल वर्तमान मूल्य संबंधी प्रावधान परियोजना मीयादी ऋण के आवधिक पुनर्वित्तीयन के समय लागू नहीं होंगे;
- vi) यदि परियोजना मीयादी ऋण या पुनर्वित्त ऋण सुविधा किसी भी समय अनर्जक आस्ति बन जाए तो आगे पुनर्वित्त को रोक देना चाहिए। जिस समय ऋण अनर्जक आस्ति बनता है, उस समय उक्त ऋण-धारणकर्ता बैंक से अपेक्षित है कि ऋण को अनर्जक आस्ति के रूप में मान्यता दे तथा विद्यमान विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक प्रावधान करे। एक बार खाते के अनर्जक आस्ति स्थिति से बाहर आ जाने के बाद उसे इन अनुदेशों के अनुसार पुनर्वित्तीयन के लिए पात्र माना जाएगा;

- vii) बैंक ऋण के प्रत्येक चरण के जोखिम के अनुसार परियोजना ऋण के प्रत्येक चरण पर ऋण का मूल्य निर्धारण कर सकते हैं, तथा ऐसा मूल्य निर्धारण बैंक की आधार दर से कम नहीं होना चाहिए;
- viii) बैंकों को उचित प्रलेखीकरण और प्रतिभूति निर्माण आदि के द्वारा अपने हित की रक्षा करनी चाहिए;
- ix) बैंकों को अपनी आस्ति देयता प्रबंधन के लिए प्रारंभिक रूप से आवधिक परिशोधन तथा प्रत्येक पुनर्वित्त अवधि के बाद बकाया ऋण के एकबारगी भुगतान को नकद प्रवाह की गणना में शामिल करने की अनुमति दी जाएगी; तथापि होने वाले अनुभव के आधार पर बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे यथासमय ऋण के ऐसे परिशोधन के नकद प्रवाहों के व्यवहारों का अध्ययन करें तथा तदनुसार उन्हें अपने आस्ति-देयता प्रबंधन विवरणों में दर्शाएं।
- x) बैंकों को जोखिम प्रबंधन के परिप्रेक्ष्य में इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यह संभव है कि अन्य बैंकों द्वारा ऋण का पुनर्वित्तीयन नहीं किया जाएगा, तथा चलनिधि आवश्यकताओं तथा दबाव परिदृश्यों का आकलन करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए; तथा
- xi) ऐसे वित्तीयन के लिए बैंकों के पास अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए।

11.2 बैंक परियोजना ऋण की लचीली संरचना के उक्त ढांचे के अनुसार इन्फ्रास्ट्रक्चर और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के विद्यमान परियोजना ऋणों, जिन्हें 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, को दीर्घावधि ऋण परिशोधन उपलब्ध करा सकते हैं। तथापि, ऐसी किसी व्यवस्था को 'पुनर्रचना' माना जाएगा तथा ऐसी आस्तियों को 'अनर्जक आस्तियां' माना जाता रहेगा। ऐसे खातों का उन्नयन केवल तभी किया जा सकता है जब खाते के सभी बकाया ऋण/सुविधाएं 'विनिर्दिष्ट अवधि' (जैसा कि खातों की पुनर्रचना पर विद्यमान विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों में परिभाषित किया गया है) के दौरान संतोषजनक रूप से बने रहे हों, अर्थात् उक्त अवधि के दौरान खाते में दी गई सभी सुविधाओं के लिए मूलधन और ब्याज की अदायगी भुगतान की शर्तों के अनुसार हुई हों। तथापि, आवधिक पुनर्वित्त सुविधा की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब खाता उपर्युक्त पैरा (vi) में निर्धारित किए गए अनुसार 'मानक' के रूप में वर्गीकृत हो।

11.3 यह दोहराया जाता है कि लचीली संरचना और पुनर्वित्त शुरुआत केवल वाणिज्यिक परिचालन होने की तारीख (डीसीसीओ) के बाद ही की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, टेक-आउट वित्त (29 फरवरी 2000 का परिपत्र), उधार खातों का अंतरण (10 मई 2012 का परिपत्र), परियोजना ऋणों का आंशिक

टेक ओवर के द्वारा पुनर्वित्तीयन (26 फरवरी 2014 तथा 07 अगस्त 2014 के परिपत्र) पर हमारे अनुदेश तथा शर्तों में से एक (अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड पर 01 जुलाई 2014 का मास्टर परिपत्र (पैरा 15.2.2(iii)), यथा, "ऋण-स्थगन, यदि कोई हो, सहित पुनर्रचित अग्रिमों की चुकौती अवधि इन्फ्रास्ट्रक्चर अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष तथा अन्य अग्रिमों के मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं हो"), पुनर्रचना दिशानिर्देशों के अंतर्गत विशेष आस्ति वर्ग का लाभ लेने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा महत्वपूर्ण उद्योग परियोजना के किसी भी ऐसे ऋण पर लागू नहीं होंगे जिनको इन अनुदेशों की परिधि के अंतर्गत पुनर्वित्त दिया गया है।

11.4 यह स्पष्ट किया जाता है कि बुनियादी संरचना और महत्वपूर्ण उद्योग क्षेत्र के परियोजना ऋणों के लिए भी नीचे दिए गए पैरा 12 में वर्णित दिशानिर्देशों के तहत पुनर्वित्त प्रदान किया जा सकता है, जो इस संबंध में निर्धारित शर्तों के अधीन होगा। तथापि, ये दिशानिर्देश परस्पर अनन्य हैं तथा बैंक इन दिशानिर्देशों की एकल विशिष्टताओं का चयन अपने लाभ के लिए न करें।

12. परियोजना ऋणों हेतु पुनर्वित्त प्रदान किया जाना

12.1 इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध 5 में 'मुख्य अवधारणाएं' के अंतर्गत दी गई पुनर्रचित खाते की परिभाषा के अनुसार पुनर्रचित खाता ऐसा खाता है जहां बैंक उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें प्रदान करने पर वह अन्यथा विचार न करता। पुनर्रचना में सामान्यतः अग्रिमों / जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि / चुकौती योग्य राशि / किस्तों की राशि / ब्याज की दर (प्रतियोगी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा। इस प्रकार किसी ऋण के चुकौती कार्यक्रम में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से वह ऋण पुनर्रचित खाता माना जाएगा।

12.2 इसके अलावा, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले और पूंजी पर्याप्तता मानक-टेक आउट वित्तपोषण पर 29 फरवरी 2000 के परिपत्र बैपविवि. सं. बीपी. बीसी. 144/21.04.048-2000 के अनुसार बैंक किसी वित्तीय संस्था के साथ पूर्व निर्धारित आधार पर टेक आउट वित्तपोषण करार करके उनके मौजूदा बुनियादी संरचना परियोजना ऋणों का पुनर्वित्तपोषण कर सकते हैं। यदि पूर्व निर्धारित करार नहीं हो तो भी 'उधार खातों का एक से दूसरे बैंक में अंतरण' पर दिनांक 10 मई 2012 के परिपत्र बैपविवि.बीपी.बीसी.104/ 21.04.048 /2011-12 में दिए गए हमारे दिशानिर्देशों के अधीन बैंक की बहियों के एक मानक खाते का दूसरे बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अधिग्रहण किया जा सकता है।

12.3 उपर्युक्त परिपत्रों के आंशिक संशोधन में, बैंकों को सूचित किया जाता है कि यदि वे किसी मौजूदा बुनियादी संरचना और अन्य परियोजना ऋणों का टेक आउट वित्तपोषण के जरिए पुनर्वित्तपोषण, अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के साथ एक पूर्व निर्धारित समझौते के बिना भी, करते हैं और एक बढी हुई अवधि की चुकौती अवधि तय करते हैं तो इसे पुनर्चना नहीं माना जाएगा, यदि निम्न शर्तें पूरी होती हैं :

- i. ऐसे ऋण मौजूदा बैंकों की बहियों में 'मानक' होने चाहिए तथा अतीत में उनकी पुनर्चना न हुई हो।
- ii. ऐसे ऋण का बड़ा अंश (मूल्य के आधार पर बकाया ऋण के 50% से अधिक) मौजूदा वित्तपोषण करने वाले बैंकों/वित्तीय संस्थानों से अधिग्रहीत होना चाहिए।
- iii. चुकौती की अवधि का निर्धारण परियोजना के जीवन चक्र और परियोजना से नकदी प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

12.4 मौजूदा परियोजना ऋणों के संबंध में जहां ऐसी परियोजनाओं में सभी संस्थागत उधारदाताओं का समग्र एकसपोजर न्यूनतम 1000 करोड रुपए है; बैंकों को अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थानों के साथ पूर्व-निर्धारित करार के बिना ही, टेक-आउट वित्तपोषण के जरिए पुनर्वित्त प्रदान करने तथा पुनर्चना न मानते हुए दीर्घतर चुकौती अवधि का निर्धारण करने की अनुमति दी गई है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों

- i. वाणिज्यिक परिचालनों की तारीख) डीसीओसी बीत जाने पर परियोजना में वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो गए हों;
- ii. चुकौती की अवधि का निर्धारण परियोजना के जीवन चक्र और परियोजना के नकद प्रवाह को ध्यान में रखते हुए किया गया हो और मौजूदा तथा नए बैंकों के बोर्ड परियोजना की व्यवहार्यता से संतुष्ट हों। इसके अलावा कुल चुकौती अवधि परियोजना के प्रारंभिक आर्थिक जीवन काल / पीपीपी परियोजना के मामले में रियायती अवधि के 85 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- iii. पुनर्वित्त प्रदान किए जाने के समय मौजूदा बैंकों की लेखाबहियों में ऐसे ऋण 'मानक' होने चाहिए;
- iv. अंशतः टेक-आउट के मामले में, मौजूदा बैंकों / वित्तीय संस्थानों से ऋण की पर्याप्त मात्रा (मूल्य के आधार पर बकाया ऋण का कम से कम 25 प्रतिशत) नए ऋणदाताओं के समूह द्वारा अधिग्रहीत की जानी चाहिए; तथा
- v. यदि आवश्यक हो तो, प्रवर्तकों द्वारा अतिरिक्त इक्विटी लाई जानी चाहिए ताकि कर्जों में कमी कारण परियोजना ऋण के डेट-इक्विटी अनुपात और डेट-सर्विस कवरेज अनुपात बैंकों को स्वीकार्य हो।

vi. उपर्युक्त सुविधा मौजूदा परियोजना ऋणों के जीवनकाल में केवल एक बार ही मिलेगी। उपर्युक्त (i) से (v) में दी गई शर्तों को पूरा नहीं करने वाले मौजूदा परियोजना ऋणों के पुनर्वित्तीयन पर उपर्युक्त पैराग्राफ 12.3 में दिए गए अनुदेश यथावत लागू होंगे।

12.5 एक उधारदाता जिसने किसी परियोजना के लिए केवल कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया है, उसको परियोजना आवधिक ऋण का एक भाग अधिग्रहीत करने पर उपर्युक्त पैरा 12.3 (ii) तथा 12.4 (iv) के अनुसार नया उधारदाता माना जाएगा।

13. कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के लिए बढी हुई लागत का वित्तपोषण

13.1 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, परियोजना वित्त के ऋणदाताओं द्वारा जरूरी समझे जाने पर एक 'आपाती ऋण सुविधा' मंजूर की जाती है ताकि लागत में वृद्धि होने पर निधि उपलब्ध कराई जा सके। ऐसी 'अतिरिक्त ऋण सुविधा' शुरुआती वित्तीय क्लोजर के समय मंजूर की जाती है; लेकिन इसका संवितरण लागत में वृद्धि होने पर ही किया जाता है। उधारकर्ता/परियोजना का ऋण मूल्यांकन करते समय परियोजना के डेट-इक्विटी अनुपात, डेट-सर्विस कवरेज अनुपात, स्थायी आस्ति कवरेज अनुपात आदि की गणना हेतु लागत में होने वाली ऐसी वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाता है। ऐसी 'अतिरिक्त ऋण सुविधा' का दर्जा मुख्य परियोजना ऋणों के समरूप होता है और इसकी चुकौती समय-सारणी भी मुख्य परियोजना ऋणों जैसी ही होती है।

13.2 तदनुसार, ऐसे मामलों में जहां बैंकों ने बढी हुई लागत के लिए निधि उपलब्ध कराए जाने हेतु खास तौर पर ऐसी 'आपाती ऋण सुविधा' शुरुआती वित्तीय क्लोजर के समय मंजूर की है, वहां वे बढी हुई लागत का निधीयन तयशुदा शर्तों पर कर सकते हैं।

13.3 जिन मामलों में शुरुआती वित्तीय क्लोजर के समय ऐसी बढी हुई लागतों के निधीयन पर विचार नहीं किया है, बैंकों के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को वित्तीय क्लोजर के समय तय की गई मूल डीसीसीओ से बुनियादी संरचना परियोजनाओं तथा गैर बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए क्रमशः दो वर्ष तथा एक वर्ष तक डीसीसीओ में विस्तार के कारण बढी हुई लागत के निधीयन की अनुमति, ऋणों को 'पुनर्रचित आस्ति' न मानते हुए दी जाए, बशर्तः

- i. बैंक परियोजना के पूरा होने में हुए विलंब के चलते 'निर्माण के दौरान ब्याज' हेतु अतिरिक्त निधि उपलब्ध करा सकते हैं;
- ii. अन्य बढी हुई लागत (निर्माण के दौरान ब्याज को छोडकर) मूल परियोजना लागत के अधिकतम 10 प्रतिशत तक हो;
- iii. शुरुआती वित्तीय क्लोजर के समय स्वीकार किया गया डेट-इक्विटी अनुपात बढी हुई लागतों के लिए निधि प्रदान करने के बाद भी अपरिवर्तित बना रहना चाहिए या इसमें

ऋणदाताओं के पक्ष में सुधार होना चाहिए और संशोधित डेट सर्विस कवरेज इक्विटी अनुपात ऋणदाताओं को स्वीकार्य होना चाहिए;

- iv. प्रायोजकों/प्रवर्तकों द्वारा बड़ी हुई लागत के निधीयन हेतु अपने हिस्से की राशि लाए जाने के बाद ही बड़ी हुई लागतों के लिए निधियों का संवितरण किया जाना चाहिए; और
- v. ऋण की अन्य सभी शर्तें अपरिवर्तित रहनी चाहिए या इसमें ऋणदाताओं के पक्ष में सुधार होना चाहिए।

13.4 उपर्युक्त पैरा 13.3 (ii) में निर्धारित मूल परियोजना लागत के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा अन्य बड़ी हुई लागतों (निर्माण के दौरान ब्याज को छोड़कर), जिसमें वाणिज्यिक परिचालनों के शुरू होने की तारीख में विस्तार के परिणामस्वरूप अन्य मुद्राओं के बदले में भारतीय रूपए की कीमत में होने वाले उतार-चढ़ाव के कारण बड़ी हुई लागतें भी शामिल हैं, के वित्तपोषण के लिए लागू है।

14. उधारकर्ताओं के एक्सपोजरों के पुनर्वित्तपोषण से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड

क. रुपया ऋण की विदेशी मुद्रा उधार / निर्यात अग्रिम में से किसी चुकौती / पुनर्वित्तपोषण की कोई भी अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :

(क) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) के अधीन जारी दिशानिर्देश के अंतर्गत अनुमत विदेशी मुद्रा उधार / निर्यात अग्रिम ऐसे उधारदाताओं से लिए गए हों, जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का भाग न हो (भारतीय बैंकिंग प्रणाली में भारत के सभी बैंक तथा भारतीय बैंकों की विदेशी शाखाएं / सहायक कंपनियां / संयुक्त उद्यम शामिल होंगे), तथा जिसके लिए भारतीय बैंकिंग प्रणाली से गारंटियों / स्टैंडबाय साख-पत्र / चुकौती आश्वासन पत्र आदि के रूप में कोई सहायता नहीं ली गई हो, तो उसे भारतीय बैंकिंग प्रणाली से लिए गए ऋणों के पुनर्वित्त / चुकौती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

(ख) यदि विदेशी मुद्रा उधार / निर्यात अग्रिम लिए गए हों:

- i. ऐसे उधारकर्ताओं से लिए गए हों जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का भाग हों (जहाँ अनुमत है); अथवा
- ii. भारतीय बैंकिंग प्रणाली से गारंटियों / स्टैंडबाय साख-पत्र/चुकौती आश्वासन पत्र के रूप में सहायता आदि (जहाँ अनुमत हो) सहित लिए गए हों;

तो उस स्थिति में, फेमा, 1999 (1999 का 42) के अधीन जारी किए गए किन्हीं प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अतिरिक्त, यदि उपर्युक्त उधार / निर्यात अग्रिम किसी ऐसे उधारकर्ता को उपलब्ध कराए जाते हैं, जो वित्तीय कठिनाई में हो, और जिसमें ऐसी छूटें शामिल हो, जिन पर बैंक अन्यथा विचार नहीं करता, तो उस पुनर्वित्त को 'पुनर्चना' (तथा आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विद्यमान

विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वर्गीकृत / उपलब्ध कराया गया) माना जाएगा। वित्तीय कठिनाई के संकेतों की एक संक्षिप्त और सांकेतिक सूची अनुबंध में दी गई है।

ख. इसके अलावा, किसी बैंक के पास बकाया विदेशी मुद्रा उधारों की रुपया ऋण या किसी अन्य विदेशी मुद्रा ऋण (जहाँ अनुमत हों) अथवा ऋणदाताओं से गारंटियों / स्टैंडबाय साखपत्र/ चुकौती आश्वासन पत्र आदि के रूप में दी गई सहायता (जहाँ अनुमत हो) की चुकौती / पुनर्वित्तपोषण भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंग के रूप में कार्यरत ऊपर 14 क (ख) में बताए गए विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन संचालित होंगी।

ग. वित्तीय कठिनाई के संकेतों की संक्षिप्त और सांकेतिक सूची

- नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट खातों में लगातार अनियमितताएं, जैसे कि निर्धारित मार्जिन बनाए रखने में निरंतर आधार पर असमर्थ होना अथवा बार-बार मंजूर सीमाओं से अधिक आहरण करना, डेबिट किए गए आवधिक ब्याज अप्राप्य होना ;
- सावधि ऋणों के मूलधन और ब्याज की किस्तों के समय पर भुगतान में बार बार अत्यधिक विलंब होना ;
- देय किस्तों, एलसी / बीजी के अंतर्गत क्रिस्टलाइज्ड देयताओं आदि के भुगतान संबंधी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में अनुचित विलंब होना ;
- वित्तीय ऋण प्रसंविदाओं का पालन करने में लगातार असमर्थ होना;
- सांविधिक देयताओं के भुगतान में असफल होना, कच्चे माल, पानी, बिजली आदि के आपूर्तिकर्ताओं के बिलों का भुगतान न करना ;
- स्टॉक विवरण तथा अन्य नियंत्रक विवरणों को प्रस्तुत न करना या विलंब से प्रस्तुत करना अथवा गलत प्रस्तुतीकरण, वित्तीय विवरणों तथा अत्यधिक अर्हताप्राप्त वित्तीय विवरणों के प्रकाशन में विलंब ;
- परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब
- आंतरिक / बाह्य रेटिंग / रेटिंग दृष्टिकोण में गिरावट

बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश

15. पृष्ठभूमि

15.1 वर्तमान में अग्रिमों की पुनर्रचना (प्राकृतिक आपदाओं के कारण अग्रिम की पुनर्रचना से संबंधित भारतीय रिज़र्व बैंक के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग द्वारा जारी अलग दिशानिर्देशों के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों को छोड़कर) के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश निम्नलिखित चार श्रेणियों में विभाजित हैं:

- i. औद्योगिक इकाइयों को दिये गये अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश
- ii. कंपनी ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को दिये गये अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश
- iii. लघु और मझौले उद्यमों को दिये गये अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश
- iv. अन्य सभी अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देश

अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित दिशानिर्देशों के इन चार समूहों के बीच मोटे तौर पर इस आधार पर भेद किया गया कि उधारकर्ता औद्योगिक गतिविधि कर रहा है या गैर-औद्योगिक गतिविधि। इसके अलावा, सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित खातों के लिए व्यापक संस्थागत व्यवस्था की गयी है। विवेकपूर्ण विनियमन में मुख्य अंतर यह व्यवस्था है कि कतिपय शर्तों के अधीन औद्योगिक गतिविधियों में लगे उधारकर्ताओं के खातों (सीडीआर प्रणाली, एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली के अंतर्गत तथा इन प्रणालियों से बाहर के खाते) का वर्गीकरण पुनर्रचना के बाद मौजूदा आस्ति वर्गीकरण श्रेणी के अंतर्गत जारी रहता है। पुनर्रचना के बाद आस्ति वर्गीकरण बनाये रखने का यह लाभ एसएमई उधारकर्ताओं को छोड़कर गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे उधारकर्ताओं के खातों के लिए उपलब्ध नहीं था। दूसरा अंतर यह है कि सीडीआर प्रणाली तथा एसएमई को दिये गये अग्रिमों की पुनर्रचना पर लागू विवेकपूर्ण विनियमावली सीडीआर प्रणाली के बाहर औद्योगिक इकाइयों को दिये गये अग्रिमों सहित अन्य अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विनियमों की अपेक्षा अधिक ब्यौरेवार और व्यापक हैं। इसके अलावा, सीडीआर प्रणाली केवल उन्हीं उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जो औद्योगिक गतिविधियों में लगे हुए हैं।

15.2 चूंकि सभी अग्रिमों की पुनर्रचना के अंतर्निहित सिद्धांत एक जैसे हैं, अतः यह महसूस किया गया कि सभी मामलों में विवेकपूर्ण विनियमों को सुसंगत बनाने की आवश्यकता थी। तदनुसार, अगस्त 2008 में ऋण पुनर्रचना प्रणालियों की सभी श्रेणियों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों को सुसंगत बनाया गया है। केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण पुनर्रचित खातों को इस दायरे से बाहर रखा गया, क्योंकि उनपर आरपीसीडी द्वारा जारी मौजूदा दिशानिर्देश लागू रहेंगे।

15.3 पुनर्रचित मानक अग्रिमों में असामान्य वृद्धि की पृष्ठभूमि में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्ष: श्री बी.महापात्रा) की सिफारिशों को ध्यान में लेते हुए इन विवेकपूर्ण मानदंडों में आगे और संशोधन किया गया। ये विवेकपूर्ण मानदंड इस परिपत्र में शामिल सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत सहित सभी पुनर्रचनाओं पर लागू होंगे। सीडीआर प्रणाली और एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली पर संस्थागत/संगठनात्मक ढांचे का ब्योरा अनुबंध 4 में दिया गया है।

15.4 अब से सीडीआर प्रणाली (अनुबंध-4) गैर-औद्योगिक गतिविधियों में लगे कार्पोरेट के लिए भी उपलब्ध होगी, बशर्ते इस प्रयोजन के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार वे पुनर्रचना के लिए अन्यथा रूप से पात्र हों। इसके अलावा, बैंकों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है कि वे सहायता संघ/बहुल बैंकिंग खातों की पुनर्रचना के मामले में, जो कि सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपस में बेहतर समन्वय करें।

16. मुख्य अवधारणाएं

इन दिशानिर्देशों में प्रयुक्त मुख्य अवधारणाएं अनुबंध 5 में दी गयी हैं ।

17. पुनर्रचित अग्रिमों के लिए सामान्य सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड

इस पैराग्राफ में निर्धारित सिद्धांत और विवेकपूर्ण मानदंड सभी अग्रिमों पर लागू हैं । इनमें वे उधारकर्ता भी शामिल हैं जो पैरा 20 में विनिर्दिष्ट आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक कार्रवाई के पात्र हैं।

17.1 अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए पात्रता मानदंड

17.1.1 बैंक 'मानक', 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणियों में वर्गीकृत खातों की पुनर्रचना कर सकते हैं।

17.1.2 बैंक पूर्व व्यापी प्रभाव से उधार खातों की अवधि का पुनर्निर्धारण/ऋण की पुनर्रचना/ऋण की शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकते। जब कोई पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन हो तब सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू रहेंगे। केवल इसलिए कि पुनर्रचना प्रस्ताव विचाराधीन है, किसी आस्ति की पुनर्वर्गीकरण प्रक्रिया नहीं रुकनी चाहिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्रचना पैकेज के अनुमोदन की तारीख को आस्ति वर्गीकरण की जो स्थिति है वह पुनर्रचना/अवधि के पुनर्निर्धारण/ऋण की शर्तों में परिवर्तन के बाद खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति निश्चित करने में प्रासंगिक होगी। यदि पुनर्रचना पैकेज की मंजूरी में अनुचित विलंब होता है तथा इस बीच खाते की आस्ति वर्गीकरण स्थिति में गिरावट आती है तो यह पर्यवेक्षीय चिंता का विषय होगा।

17.1.3 सामान्यतया पुनर्रचना तब तक नहीं हो सकती, जब तक कि ऋणकर्ता की औपचारिक सहमति/आवेदन द्वारा मूल ऋण करार में बदलाव/परिवर्तन न किया गया हो। तथापि उपयुक्त मामलों में बैंक भी पुनर्रचना प्रक्रिया आरंभ कर सकता है, बशर्ते ग्राहक निबंधन और शर्तों से सहमत हो।

17.1.4 बैंक तब तक किसी खाते की पुनर्रचना नहीं करेंगे जब तक पुनर्रचना की वित्तीय व्यवहार्यता स्थापित न हो जाए तथा पुनर्रचित पैकेज की शर्तों के अनुसार उधारकर्ता से चुकोती प्राप्त करने की अच्छी संभावना न हो। उधारकर्ता के नकदी प्रवाहों को विचार में लिए बिना और परियोजना/बैंक द्वारा वित्तीयन किए गए क्रियाकलाप की अर्थक्षमता का मूल्यांकन किए बिना की गई किसी भी पुनर्रचना को एक कमजोर ऋण सुविधा का सदाबहारीकरण माना जाएगा, तथा इससे पर्यवेक्षीय चिंता उत्पन्न होगी/पर्यवेक्षीय कार्रवाई की जा सकती है। बैंकों को ऐसे खातों के संबंध में वसूली उपायों को तेज करना चाहिए। बैंकों द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य व्यवहार्यता बेंचमार्क के आधार पर होना चाहिए तथा इसे हर मामले के गुण-दोष को विचार में लेते हुए मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए मापदंडों के भीतर विनियोजित पूंजी पर प्रतिफल, ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात, प्रतिफल की आंतरिक दर और निधियों की लागत के बीच अंतराल तथा पुनर्रचित अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले अपेक्षित प्रावधान की राशि को शामिल किया जा सकता है। चूंकि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यनिष्पादन संकेतक हैं, यह वांछनीय होगा कि बैंक इन व्यापक बेंचमार्कों को उचित संशोधनों के साथ अपनाएं। अतएव, यह निर्णय लिया गया है कि स्वीकार्य व्यवहार्यता मापदंडों और उनके द्वारा प्रत्येक मापदंड के लिए निर्धारित बेंचमार्क के आधार पर

बैंकों द्वारा व्यवहार्यता का निर्धारण किया जाए। सीडीआर प्रणाली में अपनाए गए व्यवहार्यता मापदंडों के लिए बेंचमार्क इस मास्टर परिपत्र के भाग ख के परिशिष्ट में दिए गए हैं तथा अलग-अलग बैंकों को गैर-सीडीआर मामलों में खातों की पुनर्चना करते समय विशिष्ट क्षेत्रों में उपयुक्त समायोजन, यदि हो, के साथ उन्हें अपनाना चाहिए।

17.1.5 यद्यपि जिन उधारकर्ताओं ने कपट या दुराचार किया है वे पुनर्चना के पात्र नहीं होंगे, तथापि बैंकों को इरादतन चूककर्ताओं के रूप में उधारकर्ताओं के वर्गीकरण के कारणों की समीक्षा करनी चाहिए, खास कर पुराने मामलों में जब उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने का तरीका पारदर्शी नहीं था। बैंकों को अपने आप को इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि उधारकर्ता इरादतन चूक में सुधार लाने की स्थिति में है। ऐसे मामलों में बोर्ड के अनुमोदन से पुनर्चना की जा सकती है तथा सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत ऐसे खातों की पुनर्चना केवल केंद्रीय समूह (कोर ग्रुप) के अनुमोदन से की जानी चाहिए।

17.1.6 बीआइएफआर मामलों की पुनर्चना बिना उनके स्पष्ट अनुमोदन के नहीं की जा सकती। सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चित अग्रिमों के मामले में सीडीआर कोर ग्रुप/एसएमई ऋण पुनर्चना प्रणाली के मामले में अग्रणी बैंक तथा अन्य मामलों में अलग-अलग बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद कि पैकेज के कार्यान्वयन के पहले बीआइएफआर से अनुमोदन प्राप्त करने की सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गयी हैं, ऐसे मामलों में पुनर्चना के प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

17.2 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अग्रिमों की पुनर्चना निम्नलिखित चरणों में हो सकती है

क. वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन आरंभ होने के पहले;

ख. वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद लेकिन आस्ति के 'अवमानक' वर्गीकरण के पहले;

ग. वाणिज्यिक उत्पादन/परिचालन के आरंभ होने के बाद और आस्ति के 'अवमानक' या 'संदिग्ध' वर्गीकरण के बाद

17.2.1 पुनर्चना के बाद 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों को तुरंत 'अवमानक आस्तियों' के रूप में पुनः वर्गीकृत करना चाहिए।

17.2.2 पुनर्चना के बाद अनर्जक आस्तियों का वही आस्ति वर्गीकरण रहेगा जो पुनर्चना के पहले था तथा पुनर्चना के पूर्व चुकौती अनुसूची के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी घटकर न्यूनतर आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में चला जाएगा।

17.2.3 ऐसे सभी खाते जिन्हें पुनर्चना के बाद अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तथा अनर्जक आस्तियां जिन्हें बैंक द्वारा पुनर्चना के बाद उसी श्रेणी में रखा गया है, को केवल 'विनिर्दिष्ट अवधि' के दौरान उनके 'संतोषजनक कार्य निष्पादन' देखने के बाद ही 'मानक' संवर्ग में वर्गोन्नत किया जाना चाहिए (अनुबंध-5), अर्थात् इस अवधि में खाते में सभी सुविधाओं पर मूलधन और ब्याज को भुगतान की शर्तों के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए।

17.2.4 लेकिन जिन मामलों में विनिर्दिष्ट अवधि के बाद संतोषजनक कार्य निष्पादन नहीं देखा गया है, उन मामलों में पुनर्चित खाते का आस्ति वर्गीकरण पुनर्चना के पूर्व की चुकौती अनुसूची से संबंधित प्रयोज्य विवेकपूर्ण मानदंडों के अधीन होगा।

17.2.5 किसी अतिरिक्त वित्तपोषण को अनुमोदित पुनर्चना पैकेज के अंतर्गत 'विशिष्ट अवधि' (अनुबंध-5) के दौरान 'मानक आस्ति' माना जाएगा। परंतु ऐसे खातों के मामले में जिन्हें पुनर्चना के पहले 'अवमानक' और 'संदिग्ध' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था, अतिरिक्त वित्तपोषण की ब्याज आय नकदी आधार पर ही मान्य होनी चाहिए। उपर्युक्त विनिर्दिष्ट एक वर्ष की अवधि के अंत में यदि पुनर्चित आस्ति श्रेणी उन्नयन के लिए पात्र नहीं होती है तो अतिरिक्त वित्तपोषण को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्चित ऋण है।

17.2.6 यदि पैरा 20.2 के अनुसार कोई पुनर्चित आस्ति पुनर्चना के बाद मानक आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्चना की जाती है तो उसे अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। यदि पुनर्चित आस्ति अवमानक या संदिग्ध आस्ति है तथा बाद में उसकी पुनः पुनर्चना की जाती है तो उसके आस्ति वर्गीकरण की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस दिन वह पहली बार अनर्जक आस्ति बनी। परंतु दूसरी बार या दो से अधिक बार पुनर्चित ऐसे अग्रिमों को, संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन चालू पुनर्चना पैकेज की शर्तों के अनुसार 'विशिष्ट अवधि' (अनुबंध-5) के बाद मानक संवर्ग में वर्गोन्नत किया जा सकता है।

17.3 आय निर्धारण मानदंड

पैरा 17.2.5, 18.2 और 19.2 के प्रावधानों के अधीन, 'मानक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों की ब्याज आय को उपचय आधार पर तथा 'अनर्जक आस्तियों' के रूप में वर्गीकृत खातों के मामले में नकदी आधार पर आय निर्धारण करना चाहिए।

17.4 प्रावधानीकरण मानदंड

17.4.1 पुनर्चित अग्रिमों के लिए प्रावधान

- i) बैंक विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंडों के अनुसार पुनर्चित अग्रिमों के लिए प्रावधान रखेंगे।
- ii) मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों पर पुनर्चना की तारीख से प्रथम 2 वर्षों में उच्चतर प्रावधान (समय-समय पर निर्धारित किये गए अनुसार) लागू होंगे। पुनर्चना के बाद ब्याज/मूल धन के भुगतान पर अधिस्थगन के मामलों में, ऐसे अग्रिमों पर अधिस्थगन की अवधि तथा उसके बाद के दो वर्षों के लिए निर्धारित उच्चतर प्रावधान लागू होगा।
- iii) अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों को मानक श्रेणी में अपग्रेड किए जाने पर उन पर अपग्रेडेशन की तिथि के बाद पहले वर्ष में उच्चतर प्रावधान (समय-समय पर निर्धारित किये गए अनुसार) लागू होगा।
- iv) पुनर्चित मानक अग्रिमों पर उपर्युक्त उच्चतर प्रावधान (26 नवंबर 2012 के परिपत्र द्वारा यथानिर्धारित 2.75 प्रतिशत) 01 जून 2013 से सभी नए पुनर्चित मानक खातों (प्रवाह) के संबंध में बढ़ कर 5 प्रतिशत हो जाएगा तथा पुनर्चित मानक खातों के स्टॉक में 31 मई 2013 से चरणबद्ध रूप से निम्नानुसार वृद्धि होगी:
 - 3.50 प्रतिशत - 31 मार्च 2014 से (2013-14 की चार तिमाहियों में फैले हुए)
 - 4.25 प्रतिशत - 31 मार्च 2015 से (2014-15 की चार तिमाहियों में फैले हुए)
 - 5.00 प्रतिशत - 31 मार्च 2016 से (2015-16 की चार तिमाहियों में फैले हुए)

17.4.2 पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान

- (i) पुनर्चना के अंग के रूप में ब्याज दर में कमी और/अथवा मूल ऋण राशि की चुकौती की अवधि में परिवर्तन के कारण अग्रिम के उचित मूल्य में कमी आएगी। मूल्य में ऐसी कमी बैंक के लिए एक आर्थिक हानि है और इसका बैंक की ईक्विटी के बाजार मूल्य पर असर पड़ेगा। अतः यह आवश्यक है कि बैंक अग्रिम के उचित मूल्य में आयी

कमी की माप करें तथा लाभ और हानि खाते में नामे डालकर इसके लिए प्रावधान करें। ऐसा प्रावधान ऊपर पैरा 17.4.1 में निर्दिष्ट विद्यमान प्रावधानीकरण मानदंड के अनुसार किये गये प्रावधान के अतिरिक्त होगा तथा उसे सामान्य प्रावधानों के खाते से अलग खाते में रखा जाना चाहिए।

इस प्रयोजन के लिए अग्रिम के उचित मूल्य में कमी की गणना पुनर्चना के पूर्व तथा बाद में ऋण के उचित मूल्य के बीच के अंतर के रूप में की जानी चाहिए। पुनर्चना के पूर्व ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर प्रभारित की गई पुनर्चना के पूर्व विद्यमान ब्याज दर तथा पुनर्चना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर अथवा आधार दर⁵ (इनमें से जो भी उधारकर्ता पर लागू होता हो) की समतुल्य दर पर बढ़ाकृत मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्चना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उपयुक्त अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी। पुनर्चना के बाद ऋण के उचित मूल्य की गणना अग्रिम पर पुनर्चना के पश्चात् प्रभारित की गई ब्याज दर तथा पुनर्चना की तारीख को बैंक के बीपीएलआर अथवा आधार दर (इनमें से जो भी उधारकर्ता पर लागू होता हो) के समतुल्य दर पर बढ़ाकृत मूलधन को दर्शानेवाले नकदी प्रवाहों के वर्तमान मूल्य तथा पुनर्चना की तारीख को उधारकर्ता श्रेणी के लिए उचित अवधि प्रीमियम तथा ऋण जोखिम प्रीमियम के योग के रूप में की जाएगी।

उपर्युक्त फॉर्मूला ब्याज दर चक्र के साथ ऋणों के वर्तमान मूल्यों में होने वाली कमी के उतार-चढ़ावों को नियंत्रित करता है तथा उसका भविष्य में नियमित रूप से बैंकों को अनुपालन करना होगा। साथ ही, इस बात को दोहराया जाता है कि उपर्युक्त के अनुसार प्रावधानों की आवश्यकता बैंकों की कार्रवाई के कारण होती है क्योंकि ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरूप पुनर्चना किए जाने पर ऋण की संविदागत शर्तों में परिवर्तन होता है जो वित्तीय रियायतों के स्वरूप की हैं। ये प्रावधान अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत खाते के आस्ति वर्गीकरण से जुड़े हुए प्रावधानों से अलग हैं और ऋण की गुणवत्ता में हास के

⁵ 'आधार दर पर दिशानिर्देश' पर दिनांक [9 अप्रैल 2010 के परिपत्र सं. बैपविवि. सं. डीआईआर बीसी. 88/13.03.00/2009-10](#) के द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2010 से आधार दर की शुरुआत करने के परिणामस्वरूप इस परिवर्तन की शुरुआत की गई है।

कारण हुई क्षति को प्रतिबिम्बित करते हैं। इस प्रकार ये दो प्रकार के प्रावधान एक-दूसरे के स्थानापन्न नहीं हैं।

- (ii) यह पाया गया है कि कुछ अवसरों पर बैंकों द्वारा खातों के उचित मूल्य में कमी की गणना में भिन्नताएं थीं। उदाहरणार्थ, यदि बैंक पुनर्चना के बाद चुकौती अवधि के दीर्घीकरण के कारण मीयादी प्रीमियम का उचित रूप से फैक्टरिंग नहीं करते हैं, तो ऐसी भिन्नताएं हो सकती हैं। ऐसे मामले में पुनर्चना के बाद नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य की गणना करते समय प्रयुक्त मीयादी प्रीमियम पुनर्चना के पूर्व प्रयुक्त मीयादी प्रीमियम नकदी प्रवाह के वर्तमान मूल्यसे अधिक हो सकता है। इसके अलावा, पुनर्चना के समय ऋण/ इक्विटी लिखतों में संपरिवर्तित मूलधन की राशि को एएफएस के अंतर्गत धारित करना और सामान्य मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार मूल्यन करना आवश्यक होगा। चूंकि ये लिखत बाजार दर पर होंगे, ऐसे मूल्यन पर उचित मूल्य में हास परिलक्षित होगा। अतएव, उचित मूल्य में हास की गणना के प्रयोजन से ऋण/इक्विटी में संपरिवर्तित न किए गए मूलधन के भाग की एनपीवी गणना अलग से की जानी चाहिए। तथापि, शामिल कुल त्याग तथा ऋण/इक्विटी लिखतों के संपरिवर्तन के कारण मूल्यन हानि बैंक के लिए उक्त भाग का एनपीवी होगा।

अतएव, बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में कमी का सही हिसाब लगाएं, क्योंकि इसका प्रभाव न केवल उनके द्वारा अपेक्षित प्रावधानीकरण पर पड़ेगा, बल्कि प्रवर्तकों से अपेक्षित त्याग की राशि पर भी होगा (देखें पैरा 20.2.2.iv)। इसके अलावा, बैंकों की ओर से किसी प्रकार की वित्तीय अभियांत्रिकी द्वारा नकदी प्रवाह के निवल वर्तमान मूल्य को कृत्रिम रूप से कम करने का कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि वे पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में क्षरण की सटीक गणना सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलन की उचित प्रणाली बनाए।

- (iii) कार्यशील पूंजी सुविधाओं के मामले में नकदी ऋण/ओवरड्राफ्ट घटक के उचित मूल्य में कमी की गणना ऊपर पैरा (i) के अनुसार की जानी चाहिए, जिसमें बकाया राशि या स्वीकृत सीमा में से उच्चतर राशि को मूल ऋण राशि तथा अग्रिम की अवधि को एक वर्ष माना जाना चाहिए। डिस्काउंटर फैक्टर में अवधि प्रीमियम एक वर्ष के लिए लागू होगा। मीयादी ऋण घटकों (कार्यशील पूंजी मीयादी ऋण और निधिक ब्याज मीयादी ऋण)

के उचित मूल्य की गणना वास्तविक नकदी प्रवाह के अनुसार तथा संबंधित मीयादी ऋण घटकों की परिपक्वता पर लागू अवधि प्रीमियम को डिस्काउंट फैक्टर में मानते हुए की जाएगी।

iv) यदि अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले कोई जमानत ली जाती है तो जमानत की परिपक्वता तक उसका मूल्य 1 रुपया माना जाना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि लाभ और हानि खाते में आर्थिक क्षति प्रभारित करने का प्रभाव समाप्त नहीं होगा।

(v) उचित मूल्य में कमी की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को पुनः की जानी चाहिए, जब तक कि सभी चुकौती दायित्व संतोषजनक रूप से पूरे नहीं कर लिये जाते हैं तथा खाते के बकाये की पूरी चुकौती नहीं हो जाती है। ऐसा इसलिए किया जाना है ताकि बीपीएलआर अथवा आधार दर (इनमें से जो भी उधारकर्ता पर लागू होता हो), अवधि प्रीमियम और उधारकर्ता की ऋण श्रेणी में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य में आए परिवर्तन को गणना में शामिल किया जा सके। इसके फलस्वरूप, बैंक प्रावधान में आयी कमी को पूरा कर सकते हैं या अलग खाते में रखे अतिरिक्त प्रावधान को रिवर्स कर सकते हैं।

(vi) यदि विशेषज्ञता/समुचित इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की गणना सुनिश्चित करना बैंक के लिए कठिन हो तो उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना के लिए ऊपर निर्धारित क्रियाविधि के विकल्प के रूप में बैंक उचित मूल्य में कमी की राशि की गणना नोशनल आधार पर कर सकते हैं तथा उन सभी पुनर्चित खातों के मामले में जहां बैंक का कुल बकाया एक करोड़ रुपये से कम हो, कुल एक्सपोजर के पांच प्रतिशत पर प्रावधान कर सकते हैं।

17.4.3 किसी खाते के लिए अपेक्षित कुल प्रावधान (सामान्य प्रावधान तथा अग्रिम के उचित मूल्य में कमी के बदले प्रावधान) की अधिकतम राशि बकाया ऋण राशि का 100% है।

17.5 जोखिम भार

क. पुनर्चित आवास ऋणों को 25 प्रतिशतता बिंदुओं के अतिरिक्त जोखिम भार के साथ जोखिम भारित किया जाना चाहिए।

ख. अंतर्निहित जोखिम के उच्चतर तत्व, जो ऐसी संस्थाओं में अप्रकट हो सकते हैं जिनके दायित्वों को बैंकों द्वारा स्वयं अथवा अन्य बैंकों/ऋणदाताओं के साथ मिल कर पुनर्चना/पुनर्निर्धारण किया गया हो, को प्रतिबिंबित करने हेतु कॉर्पोरेटों पर अनरेटेड मानक/ निष्पादक दावों को संशोधित समय-सारणी के अंतर्गत पहला ब्याज/मूलधन भुगतान देय होने की तारीख से एक वर्ष के लिए संशोधित भुगतान समय सारणी के अधीन संतोषजनक निष्पादन सुस्थापित होने तक 125 प्रतिशत का उच्चतर जोखिम भार लगाया जाना चाहिए।

ग. जोखिम भारों पर ब्योरे के लिए "बासेल III पूंजी विनियमावली" पर [01 जुलाई 2015 का मास्टर परिपत्र बैंकवि.सं.बीपी.बीसी.1/21.06.201/2015-16](#) देखें।

18. मूल ऋण राशि को ऋण/ईक्विटी लिखत में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

18.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

पुनर्चना के अंग के रूप में बकाया मूल ऋण राशि के एक हिस्से को ऋण या ईक्विटी लिखत में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रकार निर्मित ऋण/ईक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में रखा जाएगा जिसमें पुनर्चित अग्रिम है। इन लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में आगे आनेवाले परिवर्तन भी पुनर्चित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण पर आधारित होंगे।

18.2 आय निर्धारण मानदंड

18.2.1 मानक खाते

'मानक' रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, को उपचित आधार पर निर्धारित किया जाए।

18.2.2 अनर्जक खाते

अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के मामले में इन लिखतों द्वारा निर्मित आय, यदि कोई हो, का निर्धारण केवल नकद आधार पर किया जाए।

18.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

इन लिखतों को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित किया जाए तथा सामान्य मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार इनका मूल्यांकन किया जाए। मानक आस्ति के रूप में वर्गीकृत ईक्विटी का मूल्यांकन यदि उसे कोट किया गया हो तो बाजार मूल्य पर अथवा यदि नहीं किया

गया हो तो कंपनी के अद्यतन तुलन-पत्र से सुनिश्चित उसके विश्लेषित मूल्य पर (पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि यदि कोई हो, पर ध्यान दिए बिना) किया जाए। अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध न होने पर शेयरों का 1 रुपए पर मूल्यांकन किया जाए। अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत ईक्विटी लिखत का यदि उसे कोट किया हो तो बाजार मूल्य पर मूल्यांकन किया जाए और ऐसे मामले में जहां ईक्विटी कोट नहीं की गयी है, उसे 1 रुपए पर मूल्यांकित किया जाए। इन लिखतों पर मूल्यहास को बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी के अंतर्गत धारित किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों में हुए मूल्य वर्धन के बदले समायोजित नहीं किया जाए।

19. अदत्त ब्याज का 'निधिक ब्याज मीयादी ऋण' (एफआइटीएल) ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों में परिवर्तन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड

19.1 आस्ति वर्गीकरण मानदंड

अदत्त ब्याज के परिवर्तन से निर्मित एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखत को उसी आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा जिसमें पुनर्व्यवस्थित अग्रिम का वर्गीकरण किया गया है। एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखतों के आस्ति वर्गीकरण में अगला उतार-चढ़ाव भी पुनर्व्यवस्थित अग्रिम के परवर्ती आस्ति वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

19.2 आय-निर्धारण मानदंड

19.2.1 इन लिखतों से प्राप्त आय यदि कोई हो को, इन लिखतों को यदि 'मानक के रूप में वर्गीकृत किया गया है तो उपचित आधार पर, और अनर्जक आस्ति के रूप में जिनका वर्गीकरण किया गया है उस मामले में नकद आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

19.2.2 अप्राप्त आय का प्रतिनिधित्व करने वाले एफआइटीएल/ऋण अथवा ईक्विटी लिखत के संबंध में "फुटकर देयता खाता (ब्याज का पूंजीकरण)" शीर्ष वाले खाते में तदनुसारी जमा होनी चाहिए।

19.2.3 अप्राप्त ब्याज के कोट की गई ईक्विटी में परिवर्तन के मामले में ब्याज से प्राप्त आय का मानक श्रेणी में उक्त खाते के उन्नयन के बाद ऐसे उन्नयन की तारीख को ईक्विटी में परिवर्तित ब्याज की राशि से अनधिक ईक्विटी के बाजार मूल्य पर निर्धारण किया जाएगा।

19.2.4 एफआईडीएल के मामले में चुकौती के बाद अथवा ऋण / इक्विटी लिखतों की बिक्री /मोचन से राशि प्राप्त होने के बाद ही, प्राप्त राशि को लाभ-हानि खाते में दर्ज किया जाएगा और उसी समय 'फुटकर देयताएं खाते (ब्याज का पूंजीकरण)' में शेष को कम किया जाएगा।

19.2.5 यह ज्ञात हुआ है कि बैंक इन अनुदेशों का समान रूप से पालन नहीं कर रहे हैं। यह दोहराया जाता है कि जब भी ऋण की अप्राप्त ब्याज आय को एफआईडीएल/ ऋण या इक्विटी लिखत में परिवर्तित किया जाता है, बैंकों को विविध देयताएं खाता (ब्याज का पूंजीकरण) के रूप में बनाए गए खाते में तदनु रूप जमा अवश्य करना चाहिए। बैंकों को सूचित किया जाता है कि इन अनुदेशों का कड़ाई से पालन करें तथा वित्त वर्ष 2013-14 के तुलन-पत्रों को अंतिम रूप देने से पहले यदि आवश्यक हो, तो स्थिति को सुधार लें।

19.3 मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड

मूल्यांकन तथा प्रावधानीकरण मानदंड उपर्युक्त पैरा 18.3 के अनुसार होंगे। मूल्यांकन पर होने वाले मूल्यहास को, यदि कोई हो, पुष्टकर देयता (ब्याज का पूंजीकरण) खाते में प्रभारित किया जाए।

20. आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार

20.1 इस संबंध में पैरा 18 में निर्धारित प्रावधानों में संशोधन के अनुसार महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य में लगे हुए उधारकर्ताओं को नीचे पैरा 20.2 में दी गई कुछ शर्तों के अनुपालन के अधीन आस्ति वर्गीकरण के लिए विशेष विनियामक व्यवहार उपलब्ध होगा। इस तरह का व्यवहार अग्रिमों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए उपलब्ध नहीं है:

- i. उपभोक्ता तथा व्यक्तिगत अग्रिम
- ii. पूंजी बाजार एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत अग्रिम
- iii. वाणिज्यिक स्थावर संपदा एक्सपोजर के रूप में वर्गीकृत अग्रिम;

इन तीन श्रेणियों के खातों तथा पैरा 20.2 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन न करने वाले अन्य खातों का आस्ति वर्गीकरण इस संबंध में उपर्युक्त पैरा 17 में वर्णित विवेकपूर्ण मानदंडों की परिधि में आएगा।

20.2 विशेष विनियामक ढांचे के तत्व

विशेष विनियामक ढांचे में दो निम्नलिखित घटक हैं :

- i. पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन
- ii. पुनर्रचित खाते के आस्ति वर्गीकरण को पुनर्रचना पूर्व आस्ति वर्गीकरण श्रेणी में ही रखना

20.2.1 पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन

पैरा 17.1.2 में दिए गए अनुसार अग्रिम की पुनर्रचना का आवेदन बैंक के पास लंबित होने की अवधि के दौरान, सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड लागू होना जारी रहेगा। आस्ति के पुनर्वर्गीकरण की प्रक्रिया आवेदन विचाराधीन होने के कारण रुकनी नहीं चाहिए। तथापि, पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में बैंक यदि निम्नलिखित समय अनुसूची के अनुसार अनुमोदित पैकेज का कार्यान्वयन करता है तो आस्ति वर्गीकरण स्तर को उस स्तर पर पुनः स्थापित किया जाएगा जो स्तर सीडीआर प्रणाली की परिधि में आनेवाले मामलों के संबंध में सीडीआर कक्ष को संपर्क करने के समय अथवा सीडीआर से इतर मामलों में बैंक द्वारा पुनर्रचना आवेदन प्राप्त करने के समय विद्यमान था:

- i. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत अनुमोदन की तारीख से 120 दिन के भीतर।
- ii. सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्रचित मामलों से अन्य मामलों में बैंक द्वारा आवेदन प्राप्त करने की तारीख से 120 दिन के भीतर।

20.2.2 आस्ति वर्गीकरण लाभ

पैरा 17 में निर्धारित विवेकपूर्ण ढांचे के अनुपालन के अतिरिक्त निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन:

- i. पैरा 17.2.1 के आशोधन में पुनर्रचना के बाद किसी मौजूदा 'मानक आस्ति' का दर्जा घटाकर उसे अवमानक श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- ii. पैरा 17.2.2 के आशोधन में निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन प्रदर्शित करने पर निर्दिष्ट अवधि के दौरान अवमानक/संदिग्ध खातों के आस्ति वर्गीकरण का दर्जा पुनर्रचना करने पर कम नहीं होगा।

तथापि, ये लाभ निम्नलिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन उपलब्ध होंगे:

i) बैंक को प्राप्त राशियां अनुबंध-5 में परिभाषित किए गए अनुसार 'पूरी तरह रक्षित' हैं। मूर्त जमानत द्वारा पूरी तरह रक्षित होने की शर्त निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी:

क. सूक्ष्म और लघु उद्यम उधारकर्ता जहां 25 लाख रुपए तक की राशि बकाया है।

ख. बुनियादी सुविधा परियोजनाएं बशर्ते इन परियोजनाओं से अर्जित नकदी प्रवाह अग्रिम की चुकौती के लिए पर्याप्त हैं, वित्तपोषण करने वाले बैंकों के पास नकदी प्रवाहों के निलंबन के लिए उचित प्रणाली स्थापित है और उनके पास इन नकदी प्रवाहों पर प्रथम दावा करने का स्पष्ट तथा कानूनन अधिकार है।

ii. यदि वह बुनियादी सुविधा देने वाले कार्य कर रही है तो यूनिट 8 वर्ष की अवधि में अर्थक्षम होती है और अन्य इकाइयों के मामले में 5 वर्ष की अवधि में।

iii. पुनर्चित अग्रिम की चुकौती अवधि, यदि कोई अधिस्थगन अवधि हो तो उसे मिलाकर, संरचनात्मक अग्रिमों के मामले में 15 वर्ष और अन्य मामले में 10 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 10 वर्ष की उपर्युक्त सीमा पुनर्चित आवास ऋणों पर लागू नहीं होगी। इन मामलों में बैंकों के निदेशक बोर्डों को चाहिए कि वे अग्रिमों की सुरक्षा और सुदृढ़ता को ध्यान में रखते हुए पुनर्चित अग्रिम के लिए अधिकतम अवधि निर्धारित करें।

iv. प्रवर्तकों का त्याग तथा उनके द्वारा लायी गई अतिरिक्त निधियां बैंक के त्याग की कम-से-कम 20 प्रतिशत अथवा पुनर्चित ऋण की 2 प्रतिशत, में से जो भी अधिक हो, होनी चाहिए। यह शर्त न्यूनतम के लिए है तथा परियोजना की जोखिमपूर्णता और अधिक त्याग राशि लाने की प्रवर्तकों के सामर्थ्य के आधार पर बैंक प्रवर्तकों द्वारा अधिक त्याग का निर्णय ले सकता है। इसके अलावा, बड़े खातों, विशेषतः सीडीआर खातों में ऐसे अधिक त्याग पर अनिवार्यतः बल दिया जाना चाहिए। उधारकर्ताओं को पुनर्चना का लाभ प्रदान करते समय प्रवर्तकों का त्याग अनिवार्यतः सामने लाना चाहिए। 'बैंक के त्याग' शब्द का तात्पर्य पैरा 17.4.2 (i) तथा (ii) के अंतर्गत उल्लिखित पद्धति के अनुसार अभिकलित की गयी "अग्रिम के उचित मूल्य में हास" अथवा "कुल त्याग" की राशि है।

(30 मई 2013 से पूर्व यदि बैंक इस बात से सहमत हों कि प्रवर्तकों को अपने त्याग का अंश तत्काल लाने में वास्तव में कठिनाई हो रही है और उन्हें अपनी वचनबद्धताओं को पूरा करने के

लिए कुछ समय-विस्तार दिए जाने की आवश्यकता है तो प्रवर्तकों को अपने त्याग का 50% अर्थात् बैंक के त्याग के 15% का 50% प्रारंभ में ही तथा शेष अंश एक वर्ष के भीतर लाने की अनुमति दी जा सकती है। तथापि, यदि प्रवर्तक अपने त्याग का शेष अंश एक वर्ष तक बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर नहीं ला पाते हैं तो बैंकों द्वारा प्राप्त होने वाले आस्ति वर्गीकरण लाभों पर उपचय बंद हो जाएगा और बैंकों को पुनः इस परिपत्र के पैरा 17.2 के अंतर्गत निर्धारित आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार ऐसे खातों का वर्गीकरण करना होगा।)

v) प्रवर्तक का अंशदान अनिवार्य रूप से नकद लाया जाना आवश्यक नहीं है और उसे ईक्विटी की डि-रेटिंग, प्रवर्तक द्वारा बे-जमानती ऋण के ईक्विटी में संपरिवर्तन तथा ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में लाया जा सकता है।

vi) विचाराधीन पुनर्चना अनुबंध- 5 के पैरा (V) में परिभाषित किए गए अनुसार 'पुनरावृत्त पुनर्चना' नहीं है।

20.2.3 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त अग्रिमों की पुनर्चना पर मौजूदा विवेकपूर्ण दिशानिर्देशों की समीक्षा के लिए गठित कार्यदल (अध्यक्ष : श्री बी.महापात्रा) की अनुशंसा के अनुसार पुनर्चना पैकेजों और आस्ति वर्गीकरण लाभों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए विद्यमान प्रोत्साहन (ऊपर पैरा 20.2.1 और 20.2.2), जो पुनर्चना की शर्तों को पूरा करने पर उपलब्ध हैं, को 01 अप्रैल 2015 से इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा गैर-इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना ऋणों के संबंध में डीसीसीओ में परिवर्तन के प्रावधानों (कृपया पैराग्राफ 4.2.15 देखें) को छोड़ कर सभी पुनर्चनाओं के लिए वापिस ले लिया गया है। यह समझा जाता है कि 01 अप्रैल 2015 से पुनर्चना पर मानक खाते को (डीसीसीओ में बदलाव से इतर अन्य कारणों के लिए) तुरंत अवमानक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, और साथ ही अनर्जक आस्तियों के लिए पुनर्चना के बाद भी पुनर्चना के पहले का ही आस्ति वर्गीकरण जारी रहेगा तथा पुनर्चना-पूर्व चुकौती समय-सारणी के संदर्भ में विद्यमान आस्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार और भी निम्नतर वर्गीकरण संवर्गों में लौट जाएंगे।

21. विविध

21.1 बैंकों को परिवर्तनीयता (ईक्विटी में) के विकल्प संबंधी मामले पर पुनर्चना कार्य के एक भाग के रूप में निर्णय लेना होगा। इसके अनुसार बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (बैंकों के मामले में) और सेबी के संबंधित विनियमों के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए, पुनर्चित खाते के कुछ हिस्से को ईक्विटी में परिवर्तित करने का अधिकार रहेगा।

21.2 ऋण का अधिमानी शेयरों में संपरिवर्तन केवल एक अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए और किसी भी मामले में ऋण के इक्विटी/शेयरों में ऐसे संपरिवर्तन एक अधिकतम सीमा (जैसे पुनर्चित ऋणों का 10 प्रतिशत) तक सीमित होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, ऋण का इक्विटी में कोई भी संपरिवर्तन केवल सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में ही किया जाना चाहिए।

21.3 ऐसा अर्जन करने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी बाजार एक्सपोज़र की विवेकपूर्ण सीमा का उल्लंघन किए जाने के बावजूद ऋण/अतिदेय ब्याज के परिवर्तन के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना कंपनियों में इक्विटी शेयर/परिवर्तनीय बाण्ड/परिवर्तनीय डिबेंचरों का अर्जन किया जा सकता है। तथापि, यह आस्ति गुणवत्ता पर नियमित डीएसबी विवरणी के साथ प्रति माह ऐसी धारिताओं के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग को रिपोर्ट करने के अधीन होगा। फिर भी, बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 19 (2) के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

21.4 ऋण के परिवर्तन के रूप में सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों के अर्जन को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अनिवार्य रेटिंग अपेक्षा तथा गैर-सूचीबद्ध सांविधिक चलनिधि अनुपात से इतर प्रतिभूतियों में निवेश पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट दी गई है, बशर्ते उपर्युक्त डीएसबी विवरणी में भारतीय रिज़र्व बैंक को आवधिक रूप से रिपोर्ट भेजी जाती रहे।

21.5 बैंक अनुमोदित पुनर्चना पैकेजों में ऋणदाता के चुकौती में तेजी लाने के अधिकारों तथा उधारकर्ता के समय-पूर्व भुगतान करने के अधिकार को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं। इसके अलावा, सभी पुनर्चना पैकेजों में भरपाई का अधिकार की शर्त को शामिल किया जाना चाहिए। किसी भी मामले में ऋणदाताओं द्वारा न्यूनतम 75 प्रतिशत भरपाई की राशि की वसूली की जानी चाहिए तथा ऐसे मामलों में, जहां पुनर्चना के अंतर्गत आधार दर के नीचे कुछ सुविधा दी गई है, भरपाई की राशि की 100 प्रतिशत वसूली की जानी चाहिए।

21.6 चूंकि व्यक्तिगत गारंटी की शर्त लगाने से प्रवर्तकों का स्किन इन द गेम या पुनर्चना पैकेज के प्रति प्रवर्तकों की वचनबद्धता सुनिश्चित करता है, इसलिए पुनर्चना के सभी मामलों में प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी प्राप्त की जानी चाहिए। व्यक्तिगत गारंटी के एवज में कॉर्पोरेट गारंटी स्वीकार नहीं की जा सकती। तथापि, ऐसे मामलों में कॉर्पोरेट गारंटी स्वीकार की जा सकती है, जहां किसी कंपनी के प्रवर्तक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि अन्य कॉर्पोरेट निकाय हैं, या जहां अलग-अलग प्रवर्तकों की स्पष्टतः पहचान नहीं की जा सकती।

22. प्रकटीकरण

वित्त वर्ष 2012-13 से बैंकों को अपने प्रकाशित वार्षिक तुलन पत्रों में 'लेखे पर टिप्पणियां' के अंतर्गत पुनर्चित अग्रिमों की संख्या तथा राशि की जानकारी तथा अनुबंध - 6 में उल्लिखित पुनर्चित अग्रिमों के उचित मूल्य में कमी की मात्रा संबंधी जानकारी भी प्रकट करनी चाहिए। यह जानकारी सीडीआर प्रणाली, एसएमई ऋण पुनर्चना प्रणाली तथा अन्य श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्चित अग्रिमों के लिए अलग से अपेक्षित होगी। बैंकों को जिन उधारकर्ताओं के खाते पुनर्चित किए गए हैं उनके सभी खातों में बकाया संपूर्ण राशि/सुविधाओं को पुनर्चित हिस्से अथवा सुविधा के साथ अनिवार्य रूप से प्रकट करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि किसी उधारकर्ता की एक भी सुविधा/खाते पुनर्चित किया गया हो तो बैंक को उस उधारकर्ता विशेष की सभी सुविधाओं/खातों से संबंधित संपूर्ण बकाया राशि को प्रकट करना चाहिए। अनुबंध -6 में निर्धारित प्रकटीकरण प्रारूप में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. मानक पुनर्चित खातों को छोड़ कर संचयी आधार पर पुनर्चित खातों का ब्योरा, जिन पर उच्चतर जोखिम भार लगना बंद हो गया है (यदि लागू हो)
- ii. विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनर्चित खातों पर किए गए प्रावधान; तथा
- iii. पुनर्चित खातों की गतिविधियों के ब्योरे

इसका तात्पर्य यह है कि निर्धारित अवधि के दौरान संतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण पुनर्चित अग्रिमों पर (शुरू से अथवा एनपीए श्रेणी से उन्नत होने पर मानक के रूप में वर्गीकृत) उच्चतर प्रावधान और जोखिम प्रभार (यदि लागू हों) सामान्य स्तर पर लौट आने पर बैंक द्वारा अपने वार्षिक तुलन-पत्र में "खातों पर टिप्पणियां" के अंतर्गत ऐसे अग्रिमों को पुनर्चित खातों के रूप में प्रकटीकरण करना आवश्यक नहीं है। तथापि, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार ऐसे पुनर्चित खातों पर बैंकों द्वारा पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में कमी के लिए प्रावधान रखा जाना जारी रहेगा।

23. हम इस बात को दोहराना चाहते हैं कि पुनर्चना का उद्देश्य इकाइयों के आर्थिक मूल्य को अक्षुण्ण रखना है, समस्याग्रस्त खातों को पालना-पोसना नहीं है। यह उद्देश्य बैंकों और उधारकर्ताओं द्वारा खातों की अर्थ-क्षमता के सावधानीपूर्वक आकलन, खातों में कमजोरी की त्वरित खोज तथा पुनर्चना पैकेजों को समयबद्ध रूप से लागू करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

अर्थक्षमता मापदंडों के लिए व्यापक न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क)

- i. लगाई गई पूंजी पर प्रतिलाभ कम से कम 5 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति पर प्रतिलाभ के समान और 2 प्रतिशत होना चाहिए।
- ii. ऋण सेवा कवरेज अनुपात उन 5 वर्ष की अवधि के भीतर 1.25 से अधिक होना चाहिए, जिसमें इकाई अर्थक्षम हो जाएगी, तथा वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर यह अनुपात 1 से अधिक होना चाहिए। 10 वर्ष की चुकौती अवधि के लिए सामान्य ऋण सेवा कवरेज अनुपात लगभग 1.33 होना चाहिए।
- iii. प्रतिलाभ की आंतरिक दर और पूंजी की लागत के बीच न्यूनतम अंतर कम से कम 1 प्रतिशत होना चाहिए।
- iv. परिचालन और नकद लाभ-अलाभ बिंदु का हिसाब लगाना चाहिए तथा वे औद्योगिक मानदंडों के साथ तुलनीय होने चाहिए।
- v. ऐतिहासिक आंकड़ों पर आधारित कंपनी की प्रवृत्तियां और भावी अनुमान उद्योग के साथ तुलनीय होने चाहिए। इसलिए भूत और भावी ईबीडीटीए के व्यवहार का अध्ययन करके उद्योग के औसत के साथ उसकी तुलना की जानी चाहिए।
- vi. ऋण जीवन अनुपात (एलएलआर), जिसे नीचे परिभाषित किया गया है, 1.4 होना चाहिए, जो दिए जाने वाले ऋण की राशि को 40 प्रतिशत संरक्षण प्रदान करेगा।

ऋण जीवन अवधि के दौरान कुल उपलब्ध नकदी प्रवाह (एसीएफ) का वर्तमान मूल्य
(ब्याज और मूलधन सहित)

एलएलआर

=

ऋण की अधिकतम राशि

ग-1

वित्तीय दबाव की प्रारंभ में पहचान करना, समाधान के लिए तुरंत कदम उठाना तथा ऋणदाताओं के लिए उचित वसूली: अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा

24. भूमिका

भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट की पृष्ठभूमि और इसके परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग प्रणाली में अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और पुनर्चित खातों में वृद्धि के कारण यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि बैंकिंग प्रणाली में प्रारंभ में ही वित्तीय दबाव की पहचान की जाती है, समाधान के लिए तुरंत कदम उठाए जाते हैं तथा ऋणदाताओं और निवेशकों के लिए उचित वसूली सुनिश्चित की जाती है। तदनुसार, 17 जुलाई 2013 को एक चर्चा-पत्र के रूप में अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा आरबीआई वेबसाइट पर रखा गया था, जिस पर 01 जनवरी 2014 तक टिप्पणियां मांगी गई थीं। प्राप्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जनवरी 2014 को अपनी वेबसाइट में "अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा" जारी किया, जिसमें एक सुधारात्मक कार्य-योजना की रूपरेखा बनाई गई है, जो समस्याग्रस्त खातों की जल्द पहचान करने, अर्थक्षम माने जाने वाले खातों को समय पर पुनर्चित करने तथा ऋणदाताओं द्वारा वसूली अथवा अव्यवहार्य खातों की बिक्री के लिए तुरंत कदम उठाए जाने को प्रोत्साहित करेगी।

संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देश

25. ये दिशानिर्देश संघीय ऋण तथा बहुविध बैंकिंग व्यवस्थाओं (एमबीए) के अंतर्गत ऋण प्रदान करने के लिए लागू होंगे। [केवल पैराग्राफ 26.1, 31.1, 32 तथा 33 के अनुदेशों को छोड़कर जो ऋण प्रदान करने के सभी मामलों में लागू होंगे] और इन्हें इस मास्टर परिपत्र के भाग ख में निहित 'बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्चना' पर हमारे विवेकपूर्ण मानदंडों और इस संबंध में समय समय पर जारी होने वाले किसी अन्य अनुदेश के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

26. संयुक्त ऋणदाता फोरम का गठन

26.1 जैसा कि ढांचे के पैरा 2.1.1 में प्रस्तावित है; इससे पूर्व कि कोई ऋण खाता एनपीए हो जाए, बैंकों

से अपेक्षित है कि वे नीचे दी गई तालिका के अनुसार स्पेशल मेंशन एकाउंट (एसएमए⁶) श्रेणी के अंतर्गत तीन उप-श्रेणियां उत्पन्न करके खाते में प्रारंभिक दबाव की पहचान करें:

एसएमए उप-श्रेणियां	वर्गीकरण का आधार
एसएमए - 0	मूलधन या ब्याज भुगतान 30 दिनों से अधिक के लिए अतिदेय नहीं किंतु खाता प्रारंभिक दबाव के लक्षण दर्शाता हो (कृपया अनुबंध देखें)
एसएमए - 1	मूलधन या ब्याज भुगतान 31-60 दिनों के बीच अतिदेय
एसएमए - 2	मूलधन या ब्याज भुगतान 61-90 दिनों के बीच अतिदेय

26.2 ढांचे में यह भी प्रस्तावित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक ऋणदाताओं के लिए ऋण से संबंधित सूचना का संग्रह, संचय एवं वितरण करने के लिए बड़े ऋणों से संबन्धित सूचना का केंद्रीय निधान {सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफार्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआईएलसी)} की स्थापना करेगा। तदनुसार 'बड़े ऋणों से संबंधित सूचना का केंद्रीय निधान - रिपोर्टिंग में संशोधन' पर [13 फरवरी 2014 के परिपत्र डीबीएस. सं. ओएसएमओएस. 9862/33.01.018/2013-14](#) के माध्यम से हमारे बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग (डीबीएस) ने सूचित किया है कि बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे 50 मिलियन रुपए या उससे अधिक के सकल निधि आधारित तथा गैर-निधि आधारित एक्सपोजर वाले अपने सभी उधारकर्ताओं के संबंध में एसएमए के रूप में खाते के वर्गीकरण सहित साख सूचना सीआरआईएलसी को प्रस्तुत करें। यद्यपि, फसली ऋणों को ऐसी रिपोर्टिंग से मुक्त रखा गया है, फिर भी उपर्युक्त अनुदेशों के अनुसरण में बैंक अपने अन्य कृषि ऋणों की रिपोर्टिंग करना जारी रखें। बैंकों को नाबार्ड, सिडबी, एक्विजम बैंक तथा एनएचबी सहित अपने अंतर-बैंक एक्सपोजरों को सीआरआईएलसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

26.3 कतिपय मामलों में ढांचे की प्रयोज्यता : बैंकों को अपने कैश क्रेडिट (सीसी) तथा ओवरड्राफ्ट खातों (ओडी), न्यागत एलसी/प्रवर्तित गारंटी के कारण उत्पन्न ओवरड्राफ्ट सहित, को एसएमए-2 के रूप में सीआरआईएलसी को रिपोर्ट करना चाहिए, यदि :

⁶ 'स्पेशल मेंशन एकाउंट' (एसएमए) की शुरुआत 12 सितंबर 2002 के भारतीय रिज़र्व बैंक परिपत्र डीबीएस.सीओ.ओएसएमओएस. /बी.सी. 4/33.04.006/2002-2003 के अनुसार हुई है जिसके द्वारा बैंकों से अपेक्षित है कि वे एक उप आस्ति श्रेणी, जैसे एसएमए, उत्पन्न कर के खाते में प्रछन्न दबाव की पहचान करें।

- (क) यदि बकाया शेष 60 दिनों तक लगातार स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से अधिक बना रहे; और/ या
- (ख) ऐसे मामलों में जहां जहां मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा / आहरण अधिकार से कम हो, परंतु 60 दिनों तक लगातार कोई क्रेडिट नहीं हुए हो या जो क्रेडिट हुए हैं वे उस अवधि के दौरान नामे किए गए ब्याज को कवर करने के लिए पर्याप्त न हों।

इसी प्रकार खरीदे या भुनाये गये बिलों (बैंकों द्वारा जारी एलसी से सुरक्षित बिलों के अतिरिक्त) तथा प्राप्यराशियों के साथ डेरिवेटिव एक्सपोजर जो पॉजेटिव मार्क टू मार्केट मूल्य दर्शाते हों, के 60 दिनों से अधिक अतिदेय रहने पर सीआरआईएलसी को एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट किए जाने चाहिए। इसके अलावा, बैंकों को ऋणों के संबंध में ऋण सूचना तथा एसएमए स्थिति जिसमें उनकी विदेशी शाखाओं द्वारा दिए गए ऋण भी शामिल हैं, सीआरआईएलसी को रिपोर्ट करना जारी रखना चाहिए। तथापि ऑफशोर उधारकर्ताओं के मामले में जो सहायक कंपनी, मूल या समूह संस्था के रूप में भारत में मौजूद नहीं है, जेएलएफ स्थापित करना अनिवार्य नहीं है। इसके साथ ही, ऑफशोर उधारदाताओं को जेएलएफ के एक अंग के रूप में शामिल किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। सीआरआईएलसी मुख्य (तिमाही प्रस्तुति) विवरणी के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिपोर्ट किए जाने वाले उधारकर्ता के प्रति उनका कुल निवेश एक्सपोजर रिपोर्ट करें। यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेश पोर्टफोलियो को एसएमए के रूप में रिपोर्ट करने पर जेएलएफ का गठन अनिवार्य नहीं है सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां बांड/डिबेंचर प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर या अग्रिमों की पुनर्रचना के अंतर्गत ऋण के परिवर्तन से प्राप्त हुए हों।

26.4 इसके साथ ही, बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ने “बड़ी राशि के ऋणों की सूचनाओं की सेंट्रल रिपोजीटरी (सीआरआईएलसी) को रिपोर्टिंग” पर उनके [22 मई, 2014 के परिपत्र बैंपर्यवि.केंका.ओसमोस संख्या 14703 / 33.01.001/ 2013-14](#) द्वारा इन रिपोर्टिंग अपेक्षाओं को संशोधित किया है; इसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि जब कभी बड़े उधारकर्ताओं के खाते 61वें दिन अतिदेय हो जाते हैं तो उन खातों को सीआरआईएलसी को एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट करना आवश्यक है। समीक्षा के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि बैंकों को एसएमए-2 खातों और जेएलएफ फॉर्मेशन के बारे में साप्ताहिक आधार पर प्रत्येक शुक्रवार को कारोबार समाप्ति पर रिपोर्ट करने की अनुमति दी जाए। शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में वे इसे सप्ताह के पिछले कारोबारी दिवस पर रिपोर्ट करेंगे।

26.5 जैसे ही किसी भी ऋणदाता द्वारा कोई खाता सीआरआईएलसी को एसएमए-2 के रूप में रिपोर्ट किया जाता है, यदि उस खाते में ऋणदाताओं का संपूर्ण एक्सपोजर (एई) [निधिआधारित तथा गैर-निधि

आधारित को जोड़कर] 1000 मिलियन रुपए या उससे अधिक है तो बैंकों को अनिवार्य रूप से एक समिति बनानी चाहिए जिसे संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) कहा जाएगा। ऋणदाताओं के लिए संयुक्त ऋणदाता फोरम गठित करने का विकल्प तब भी खुला है जब खाते में कुल एक्सपोजर (ईई) 1000 मिलियन रुपए से कम है और/अथवा जब खाते को एसएमए-0 अथवा एसएमए-1 के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

26.6 संघीय खातों के लिए मौजूदा संघीय व्यवस्था संयोजक के रूप में जहां संघ के अगुआ के साथ जेएलएफ का कार्य करेगी, वहीं बहुविध बैंकिंग व्यवस्थाओं (एमबीए) के अंतर्गत खातों के लिए, अधिकतम ईई वाला ऋणदाता यथाशीघ्र जेएलएफ का संयोजन करेगा तथा खाते से संबंधित साख सूचना का आदान-प्रदान सुनिश्चित करेगा। यदि किसी उधारकर्ता के लिए ऋणदाताओं के कई संघ हैं (उदाहरण के लिए कार्यशील पूंजी तथा मीयादी ऋण के लिए पृथक संघ), तो सर्वाधिक ईई वाला ऋणदाता जेएलएफ का संयोजन करेगा।

26.7 यह संभव है कि कोई उधारकर्ता किसी आसन्न दबाव के कारण ऋणदाताओं से ठोस आधार पर जेएलएफ के गठन का अनुरोध करे। जब किसी ऋणदाता को इस प्रकार का अनुरोध प्राप्त हो तो खाते को सीआरआईएलसी में एसएमए-0 के रूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए तथा यदि ईई 1000 मिलियन रुपए या उससे अधिक है तो ऋणदाताओं को तुरंत जेएलएफ का गठन भी कर लेना चाहिए। तथापि वर्तमान के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि एसएमए-0 रिपोर्टिंग के अन्य मामलों में जेएलएफ का गठन वैकल्पिक है।

26.8 सभी ऋणदाताओं द्वारा जेएलएफ का कार्य करने के लिए व्यापक नियमों को समाविष्ट करते हुए एक करार (जिसे जेएलएफ करार कहा जा सकता है) बनाया जाना चाहिए तथा उस पर सभी को हस्ताक्षर करना चाहिए। इंडियन बैंक एसोसिएशन (आईबीए) एक मास्टर जेएलएफ करार तथा जेएलएफ के लिए परिचालन दिशानिर्देश तैयार करेगा जिसे सभी ऋणदाताओं द्वारा अंगीकृत किया जा सकेगा। जेएलएफ में उधारकर्ता द्वारा खाते की अनियमितताओं/कमजोरियों को दूर करने की संभावना की तलाश की जानी चाहिए। यदि वित्तपोषण प्राप्त करने वाली परियोजना के कार्यान्वयन में केंद्रीय/राज्य सरकार/परियोजना प्राधिकारियों/ स्थानीय प्राधिकारियों की कोई भूमिका हो तो जेएलएफ उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर सकता है।

26.9 जिन खातों का एई 1000 मिलियन रुपया या उससे अधिक होगा उनके लिए जेएलएफ का गठन तथा अनुवर्ती सुधारात्मक कार्रवाई अनिवार्य होगी ही, अन्य मामलों में भी ऋणदाताओं को आस्ति गुणवत्ता की सूक्ष्मता से निगरानी करनी होगी तथा प्रभावी समाधान के लिए यथोचित सुधारात्मक कार्रवाई करनी होगी।

27. जेएलएफ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)

27.1 खाते में विभिन्न दबावों का समाधान करने के लिए जेएलएफ विभिन्न विकल्पों पर विचार कर सकता है। यहां उद्देश्य पुनर्चना या वसूली जैसे किसी विशिष्ट समाधान विकल्प को प्रोत्साहित करना, कि, नहीं है बल्कि एक त्वरित और व्यवहार्य समाधान पर पहुंचना है जिससे ऋणदाता के ऋणों के साथ-साथ अंतर्निहित आस्तियों के आर्थिक मूल्य की संरक्षा की जा सके। जेएलएफ द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) में सामान्य तौर पर निम्नलिखित विकल्प शामिल होंगे:

(क) **परिशोधन-** खाते को विनियमित करने के लिए उधारकर्ता से विनिर्दिष्ट प्रतिबद्धता प्राप्त करना ताकि खाता एसएमए स्थिति से बाहर निकल आए या वह एनपीए श्रेणी में न चला जाए। यह प्रतिबद्धता अपेक्षित समयावधि के भीतर स्पष्ट नकदी प्रवाहों द्वारा समर्थित होनी चाहिए और इसमें मौजूदा ऋणदाताओं की ओर से किसी प्रकार की हानि या त्याग शामिल नहीं होना चाहिए। यदि मौजूदा प्रवर्तक अतिरिक्त धन जुटा पाने या खाते को विनियमित करने की स्थिति में नहीं हैं तो जेएलएफ द्वारा उधारकर्ता से परामर्श करके किसी अन्य इक्विटी/रणनीतिक निवेशकों को ढूंढने की संभावना पर भी विचार किया जा सकता है। इन उपायों का उद्देश्य ऋण की शर्तों में किसी प्रकार के परिवर्तन के बिना संस्था/कंपनी का कायापलट करना है। यदि आवश्यक समझा जाए तो संशोधन प्रक्रिया के भाग के रूप में उधारकर्ता को उसकी आवश्यकतानुसार अतिरिक्त वित्त प्रदान कराने पर भी जेएलएफ विचार कर सकता है। तथापि यह कड़ाई से सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अतिरिक्त वित्तपोषण खाते के सदाबहारीकरण के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया है।

(ख) **पुनर्चना** - खाते की पुनर्चना की संभावना पर तभी विचार करें जब यह प्रथम दृष्टया अर्थक्षम हो तथा उधारकर्ता इरादतन चूककर्ता न हो अर्थात् निधियों का किसी प्रकार का दुरुपयोग, धोखाधड़ी या कुकृत्य आदि न किया गया हो। इस स्तर पर प्रवर्तकों से वचनबद्धता उनके व्यक्तिगत गारंटी प्रदान करने तथा उनकी निवल मालियत विवरणी, जो आस्तियों के विधिक स्वत्व लेखों की प्रतियों द्वारा समर्थित हों, प्राप्त की जा सकती हैं तथा एक घोषणा भी प्राप्त की जा सकती है कि वे जेएलएफ की अनुमति के बिना ऐसा कोई लेनदेन नहीं करेंगे जो आस्तियों को अलग कर दें। यदि उधारकर्ताओं

वचनबद्धता से विमुख होते हैं जिससे ऋणों की सुरक्षा/वसूली योग्यता प्रभावित होती है तो इसे वसूली प्रक्रिया शुरू करने का वैध कारण माना जाए। इस कार्रवाई को टिकाऊ बनाने के लिए जेएलएफ के ऋणदाता एक आंतरिक क्रेडिटर समझौते (आईसीए) पर हस्ताक्षर कर सकते हैं तथा उधारकर्ता से डेटर-क्रेडिटर समझौते (डीसीए) पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा कर सकते हैं जो किसी पुनर्रचना प्रक्रिया के लिए विधिक आधार प्रदान करेगा। यदि आवश्यक हो आईसीए तथा डीसीए के लिए कारपोरेट ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) प्रणाली द्वारा प्रयुक्त फार्मेट पर यथोचित परिवर्तन के साथ विचार किया जा सकता है। साथ ही, पुनर्रचना की प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु डीसीए में एक 'स्टैंड-स्टिल'⁷ की शर्त निर्धारित की जाएगी। 'स्टैंड-स्टिल' शर्त का तात्पर्य यह नहीं है कि उधारकर्ता इसके बाद ऋणदाता को भुगतान नहीं कर सकेगा। आईसीए यह शर्त भी निर्धारित कर सकता है कि जमानती तथा गैर-जमानती दोनों प्रकार के ऋणदाताओं को अंतिम समाधान के लिए सहमत होना आवश्यक है।

(ग) **वसूली** - जब यह पाया जाता है कि उक्त दो विकल्प (क) और (ख) व्यवहार्य नहीं हैं, उचित वसूली प्रक्रिया अपनायी जा सकती है। जेएलएफ प्रयासों और परिणामों को सुफलित करने की दृष्टि से उपलब्ध विभिन्न विधिक तथा अन्य वसूली विकल्पों में से सर्वोत्तम वसूली पद्धति को अपना सकता है।

27.2 जेएलएफ में मूल्य के हिसाब से न्यूनतम 75% ऋणदाताओं तथा संख्या के हिसाब से 60% ऋणदाताओं द्वारा सहमतिपूर्वक लिए गए निर्णय को खाले की पुनर्रचना की कार्रवाई शुरू करने का आधार माना जाएगा तथा आईसीए की शर्तों के अंतर्गत सभी ऋणदाताओं के लिए बाध्यकारी होगा। तथापि, यदि जेएलएफ वसूली प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लेता है तो किसी संबंधित नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत बाध्यकारी निर्णय के लिए न्यूनतम मानदंड, यदि कोई हों, लागू होंगे।

⁷ डीसीए का एक महत्वपूर्ण तत्व होगा 'स्टैंड स्टिल' समझौता जो इन अनुदेशों के पैरा 27.3 और 27.4 में इंगित किए गए समय क्रम के अनुसार डीसीए पर हस्ताक्षर करने की तिथि से पुनर्रचना पैकेज के अनुमोदन की तिथि तक की अवधि तक बाध्यकारी होगा। इस उपखंड के अंतर्गत उधारकर्ता और ऋणदाता दोनों ही एक विधिक रूप से बाध्यकारी 'स्टैंड स्टिल' के लिए सहमत होंगे जिसके द्वारा दोनों ही पक्ष इस प्रकार वचनबद्ध होते हैं कि 'स्टैंड स्टिल' अवधि के दौरान किसी अन्य प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। किसी न्यायिक या अन्य प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण पुनर्रचना प्रक्रिया शुरू करने के लिए यह जरूरी है। तथापि 'स्टैंड स्टिल' उपखंड केवल उधारकर्ता या ऋणदाता द्वारा दूसरे पक्ष के प्रति किसी सिविल कार्रवाई पर लागू होगा और इसमें आपराधिक कार्रवाई शामिल नहीं है। इसके अलावा 'स्टैंड स्टिल' अवधि के दौरान बकाया विदेशी मुद्रा वायदा करार, डेरिवेटिव उत्पाद इत्यादि को क्रिस्टलीकृत किया जा सकता है, बशर्ते उधारकर्ता इस प्रकार के क्रिस्टलीकरण के लिए सहमत हो। उधारकर्ता इसके अतिरिक्त यह भी वचन देगा कि स्टैंड स्टिल अवधि के दौरान लिमिटेडेशन के प्रयोजन से दस्तावेजों की अवधि बढ़ जाएगी और यह भी कि वह किसी प्रकार की राहत के लिए किसी अन्य प्राधिकारी से संपर्क नहीं करेगा और उधारकर्ता कंपनी के निदेशक 'स्टैंड स्टिल' अवधि के दौरान निदेशक मण्डल से इस्तीफा नहीं देंगे।

27.3 जेएलएफ से यह अपेक्षित है कि वह (i) एक या एक से अधिक ऋणदाताओं द्वारा किसी खाते के एसएमए-2 रिपोर्ट होने की तिथि, अथवा (ii) यदि उधारकर्ता आसन्न दबाव का पूर्वानुमान ठोस आधार पर करता है तो जेएलएफ गठित करने हेतु उससे अनुरोध मिलने की तिथि से 45 दिन के भीतर सीएपी के लिए अपनाए जाने वाले विकल्प पर समझौता करे। जेएलएफ को इस प्रकार का समझौता तैयार होने की तिथि से अगले 30 दिनों के भीतर विस्तृत अंतिम सीएपी (कैप) पर हस्ताक्षर करना चाहिए।

27.4 यदि जेएलएफ विकल्प 27.1(क) और (ख) के संबंध में निर्णय करता है किंतु खाता विकल्प (क) और (ख) के अंतर्गत सहमत शर्तों के अनुसार कार्य-निष्पादन में असफल रहता है तो जेएलएफ को विकल्प 27.1 (ग) के अंतर्गत वसूली की कार्रवाई आरंभ करनी चाहिए।

28. पुनर्रचना प्रक्रिया

28.1 इस मास्टर परिपत्र के भाग ख में दिए गए अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश एकल बैंकिंग तथा बहुविध/संघीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए विस्तृत कार्य पद्धति और मानदंड निर्धारित करते हैं। इस मास्टर परिपत्र के अनुबंध 4 में वर्णित कार्पोरेट ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) प्रणाली बैंकों के बहुविध/संघीय अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए संस्थात्मक ढांचा है जिसमें प्रत्येक लेनदेन आधारित व्यवस्थाओं में हस्ताक्षर कर वे उधारदाता भी शामिल हो सकते हैं जो सीडीआर प्रणाली में शामिल नहीं हैं।

28.2 यदि जेएलएफ खाते की पुनर्रचना सीएपी के रूप में करने का निर्णय लेता है तो उसके पास यह विकल्प होगा कि वह या तो उक्त पैरा 27.1 के अंतर्गत पुनर्रचना का निर्णय लिए जाने के बाद सीडीआर प्रकोष्ठ को खाते का संदर्भ दे या उसकी सीडीआर प्रणाली से स्वतंत्र रूप से पुनर्रचना करे।

28.3 जेएलएफ द्वारा पुनर्रचना

28.3.1 यदि जेएलएफ सीडीआर प्रणाली से मुक्त किसी खाते की पुनर्रचना का निर्णय लेता है तो जेएलएफ को विस्तृत तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता (टीईवी) अध्ययन करवाना चाहिए तथा अर्थक्षम पाने पर उक्त पैरा 27.3 में बताए गए अनुसार अंतिम सीएपी को साइन ऑफ करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर पुनर्रचना पैकेज को अंतिम रूप देना चाहिए।

28.3.2 5000 मिलियन रुपए से कम एई वाले खातों के लिए, उक्त पुनर्रचना पैकेज को जेएलएफ द्वारा अनुमोदित होना चाहिए और कार्यान्वयन के लिए अगले 15 दिनों के भीतर ऋणदाताओं द्वारा उधारकर्ताओं को इसकी सूचना दे दी जानी चाहिए।

28.3.3 5000 मिलियन रुपए से अधिक एई वाले खातों के लिए उल्लिखित टीईवी अध्ययन तथा पुनर्रचना पैकेज का विशेषज्ञों की एक ऐसी स्वतंत्र मूल्यांकन समिति (आईईसी)⁸ से मूल्यांकन करवाना पड़ेगा जो कतिपय पात्रता शर्तों को पूरा करती हो। यह आईईसी, यह सुनिश्चित करने के बाद कि पुनर्रचना की शर्तें ऋणदाताओं के प्रति ईमानदार हैं, अर्थक्षमता से संबंधित पहलुओं पर ध्यान देगी। आईईसी से इन मामलों से संबंधित अपनी संस्तुतियां जेएलएफ को 45 दिन की अवधि के भीतर देना अपेक्षित होगा। उसके बाद यदि आईईसी के विचारों को ध्यान में रखकर जेएलएफ पुनर्रचना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहता है तो पुनर्रचना पैकेज की संस्तुति, ऋणदाताओं और उधारकर्ताओं द्वारा परस्पर सहमत शर्तों समेत, समस्त ऋणदाताओं द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा और कार्यान्वयन के लिए अगले 15 दिनों के भीतर उधारकर्ता को उसकी सूचना दे दी जाएगी।

28.3.4 मौजूदा दिशानिर्देशों के अंतर्गत यथालागू आस्ति वर्गीकरण लाभ ऐसे पुनर्रचित खातों को इस प्रकार प्राप्त हो जाएंगे मानो उनकी पुनर्रचना सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत की गई है। इस प्रयोजन से खाते का आस्ति वर्गीकरण जेएलएफ के गठन की तिथि के अनुसार माना जाएगा।

28.3.5 ऊपर उल्लिखित समय सीमाएं अधिकतम अनुमत समयावधि है तथा जेएलएफ को चाहिए कि वह साधारण पुनर्रचना के मामलों में यथाशीघ्र एक पुनर्रचना पैकेज निर्धारित करने का प्रयास करें।

28.3.6 जेएलएफ द्वारा जेएलएफ के एक या एक से अधिक ऋणदाताओं द्वारा केवल मानक, एसएमए और अवमानक आस्तियों के रूप में रिपोर्ट की जाने वाली आस्तियों के संबंध में पुनर्रचना के मामले लिए जाएंगे। सामान्य तौर पर संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किसी भी खाता की पुनर्रचना के लिए जेएलएफ द्वारा विचार नहीं किया जाना चाहिए, किंतु जिन मामलों में कर्ज का छोटा हिस्सा संदिग्ध है अर्थात् खाता कम से कम 90% ऋणदाताओं की बहियों में (मूल्य के आधार पर) मानक/अवमानक है, जेएलएफ द्वारा पुनर्रचना के लिए खाते पर विचार किया जा सकता है।

⁸ आईईसी का संगठन और स्वतंत्र विशेषज्ञों के शुल्क के भुगतान के लिए फंडिंग संबंधी आवश्यकताएं भारतीय बैंक संघ द्वारा आरबीआई से परामर्श करके तय की जाएंगी। भारतीय बैंक संघ द्वारा बैंकों को इस बारे में 29 अप्रैल 2014 के परिपत्र सं. सी एंड आई/ सीआईआर / 2013-14 के माध्यम से सूचित किया गया है।

28.3.7 इरादतन चूककर्ता सामान्यतः पुनर्रचना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। तथापि जेएलएफ उधारकर्ता के इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकरण के कारणों की समीक्षा करे तथा स्वयं को संतुष्ट कर ले कि उधारकर्ता इरादतन चूक को सुधारने की स्थिति में है। ऐसे मामलों को पुनर्रचित करने के निर्णय को, उस जेएलएफ के भीतर जिसने उधारकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया है, उस बोर्ड या बैंक विशेष का अनुमोदन भी प्राप्त होना चाहिए।

28.3.8 जेएलएफ द्वारा खाते की अर्थक्षमता का निर्धारण उनके द्वारा निर्धारित स्वीकार्य अर्थक्षमता पैमानों पर आधारित होना चाहिए। उदाहरण के लिए इन पैमानों में कर्ज़-इक्विटी अनुपात, डेट-सर्विस कवरेज अनुपात, चलनिधि/चालू अनुपात और पुनर्रचित अग्रिम इत्यादि के उचित मूल्य में गिरावट के बदले में अपेक्षित प्रावधान की रकम आदि सम्मिलित हो सकते हैं। इसके अलावा जेएलएफ सीडीआर प्रणाली द्वारा अपनाए जाने वाले अर्थक्षमता पैमानों के लिए बेंचमार्क पर विचार कर सकते हैं (जैसा कि इस मास्टर परिपत्र के भाग ख के परिशिष्ट में उल्लिखित है) और, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अर्थव्यवस्था के विविध सेक्टर कार्यनिष्पादन के विविध सूचक दर्शाते हैं, उन्हें उचित समायोजनों के साथ अपना सकते हैं।

28.4 जेएलएफ द्वारा सीडीआर सेल को हस्तांतरित पुनर्रचना

28.4.1 पैरा 27.1 के अंतर्गत पुनर्रचना का निर्णय लिए जाने के बाद यदि जेएलएफ पुनर्रचना को सीडीआर प्रकोष्ठ को हस्तांतरित करने का निर्णय लेता है तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाए।

28.4.2 चूंकि खाते की प्राथमिक अर्थक्षमता जेएलएफ द्वारा पहले ही तय की जा चुकी है, सीडीआर प्रकोष्ठ को जेएलएफ से परामर्श करके जेएलएफ द्वारा उसे सौंपे जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सीधे तकनीकी-आर्थिक अर्थक्षमता (टीईवी) अध्ययन और पुनर्रचना योजना तैयार करना चाहिए।

28.4.3 5000 मिलियन रुपए से कम एई वाले खातों के लिए उक्त पुनर्रचना पैकेज अनुमोदन के लिए सीडीआर इम्पावर्ड ग्रुप (ईजी) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मौजूदा अनुदेशों के अंतर्गत सीडीआर ईजी संशोधन का सुझाव दे सकता है या उसकी संस्तुति कर सकता है किंतु वह ये सुनिश्चित करेगा कि अंतिम निर्णय कुल 90 दिनों की अवधि के भीतर लिया जाता है, जिसे सीडीआर प्रकोष्ठ को प्रेषित किए जाने की तिथि से अधिकतम 180 दिनों तक विस्तारित किया जा सकता है। तथापि जेएलएफ द्वारा सीडीआर प्रकोष्ठ को प्रेषित मामलों पर अंतिम निर्णय सीडीआर ईजी द्वारा अगले 30 दिनों के भीतर

लिया जाएगा। यदि सीडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो पुनर्रचना पैकेज का अनुमोदन सभी ऋणदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए और उधारकर्ता को कार्यान्वयन हेतु उसकी सूचना अगले 30 दिनों के भीतर दी जानी चाहिए।

28.4.4 5000 मिलियन रुपए या अधिक के एई वाले खातों के लिए टीईवी अध्ययन और सीडीआर द्वारा तैयार पुनर्रचना पैकेज की विशेषज्ञों की स्वतंत्र मूल्यांकन समिति द्वारा जांच की जाएगी। जैसा कि पैरा 28.3.3 में बताया गया है आईईसी की संरचना और अन्य ब्योरों की जानकारी आईबीए द्वारा बैंकों को अलग से दी जाएगी। यह सुनिश्चित करने के पश्चात् कि पुनर्रचना की शर्तें उधारदाताओं के प्रति उचित हैं, आईईसी अर्थक्षमता के पहलुओं की जांच करेगी। आईईसी से यह अपेक्षित होगा कि वह 45 दिन की अवधि के भीतर जेएलएफ को सूचित करते हुए इन पहलुओं से संबंधित अपनी संस्तुतियां सीडीआर प्रकोष्ठ को दे। तदोपरांत, आईईसी के विचारों को ध्यान में रखते हुए यदि जेएलएफ पुनर्रचना के कार्यक्रम को पूरा करना चाहता है तो उसकी सूचना सीडीआर प्रकोष्ठ को दी जानी चाहिए तथा सीडीआर प्रकोष्ठ को पुनर्रचना पैकेज को आईईसी के विचार प्राप्त होने की तिथि से कुल 7 दिन की अवधि के भीतर सीडीआर ईजी में प्रस्तुत कर देनी चाहिए। तत्पश्चात सीडीआर ईजी को चाहिए कि वह अनुमोदन/संशोधन/निरसन के संबंध में अगले तीस दिनों के भीतर निर्णय लें। यदि सीडीआर ईजी द्वारा अनुमोदित हो जाए तो पुनर्रचना पैकेज सभी ऋणदाताओं द्वारा अनुमोदित होना चाहिए तथा उधारकर्ता को कार्यान्वयन के लिए अगले 30 दिन के भीतर सूचित किया जाना चाहिए।

29. जेएलएफ और सीडीआर प्रकोष्ठ द्वारा पुनर्रचना से संबंधित अन्य मुद्दे/शर्तें

29.1 जेएलएफ तथा सीडीआर दोनों प्रणालियों के अंतर्गत, पुनर्रचना पैकेज में वह समय-सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए जिसके अंतर्गत कतिपय अर्थक्षमता मानदंड (उदाहरणार्थ कुछ समय के बाद कतिपय वित्तीय अनुपातों में सुधार, मान लीजिए 6 माह या 1 वर्ष या इसी प्रकार) प्राप्त कर लिए जाएंगे। जेएलएफ को माईलस्टोन प्राप्त करने/न प्राप्त करने के संबंध में खाते की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए तथा वसूली उपाय सहित यथोचित उपयुक्त उपायों को शुरू करने पर विचार करना चाहिए।

29.2 पुनर्रचना चाहे जेएलएफ के अंतर्गत हो या सीडीआर के, विनिर्दिष्ट समयावधि में पूरी की जानी है। जेएलएफ और सीडीआर प्रकोष्ठ को विनिर्दिष्ट समयावधि का अधिकतम उपयोग करना चाहिए ताकि किसी भी स्वरूप की पुनर्रचना के अंतर्गत कुल समय सीमा का उल्लंघन न हो। यदि जेएलएफ/सीडीआर किसी कार्य के लिए निर्धारित सीमा से कम समय लेता है, तो उसके पास यह विवेकाधिकार है कि वह बचाए गए समय का अन्य कार्यों के लिए उपयोग करे बशर्ते कुल समय-सीमा का उल्लंघन न हो।

29.3 पुनर्रचना का सामान्य सिद्धान्त यह होना चाहिए कि प्रथम हानि शेयरधारक सहन करें न कि ऋणधारक। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए तथा प्रवर्तकों का और अधिक 'हित शामिल करना' सुनिश्चित करने के लिए किसी ऋण की पुनर्रचना के समय जेएलएफ/सीडीआर निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:

- ऋणदाताओं के त्याग की क्षतिपूर्ति के लिए प्रवर्तकों द्वारा कंपनी की इक्विटी ऋणदाताओं को अंतरित करने की संभावना
- प्रवर्तक अपनी कंपनियों में और अधिक इक्विटी डालें
- कंपनी का कायापलट होने तक प्रवर्तकों की धारिताओं का किसी प्रतिभूति न्यासी या निलंब व्यवस्था को अंतरण करना

29.4 यदि किसी उधारकर्ता ने अपने क्रियाकलापों का विस्तार या विविधीकरण किया है जिसके कारण उस समूह के मुख्य कारोबार पर दबाव पड़ा है तो खाते की पुनर्रचना के लिए मुख्य से इतर आस्तियों या अन्य आस्तियों के विक्रय के लिए एक उप-खंड को शर्त के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, यदि टीईवी अध्ययन के अंतर्गत मुख्य से इतर कार्यों और अन्य आस्तियों के पृथक्करण के पश्चात खाते के अर्थक्षम होने की संभावना है।

29.5 सूचीबद्ध कंपनियों से संबंधित देयताओं की पुनर्रचना के लिए, ऋणदाताओं को उनकी हानि त्याग/ (निवल वर्तमान मूल्य के अनुसार खाते के उचित मूल्य में कमी) के लिए मौजूदा विनियमों और सांविधिक अपेक्षाओं के अधीन कंपनी की इक्विटी पहले ही जारी करके आरंभ से ही भरपाई की जा सकती है। ऐसे मामलों में, पुनर्रचना समझौते में प्रतिपूर्ति के अधिकार की शर्त शामिल नहीं होगी। तथापि यदि इक्विटी जारी करके ऋणदाता के त्याग की पूरी भरपाई नहीं होती है तो प्रतिपूर्ति का अधिकार की शर्त उतनी सीमा तक शामिल की जा सकती है, जितनी कमी है। गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, जेएलएफ के पास यह विकल्प होगा कि वह या तो इक्विटी जारी करवा ले या उपयुक्त 'प्रतिपूर्ति का अधिकार' शर्त समाविष्ट कर ले।

29.6 "पूंजी बाजारों में बैंक के एक्सपोजर की सीमाएं" पर [15 दिसंबर 2006 के हमारे परिपत्र बैंपविवि.संख्या.डीआईआर.बीसी.47/13.07.05/2006-07](#) के पैरा 2.2 में पूंजी बाजारों में बैंक के एक्सपोजर की कतिपय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। उक्त परिपत्र के आंशिक संशोधन में यह निर्णय लिया गया है कि यदि उपर्युक्त पैरा 29.5 में यथासूचित इक्विटी शेयरों के अर्जन के कारण मौजूदा

विनियामक पूंजी बाज़ार एक्सपोजर (सीएमई) सीमा से अधिक एक्सपोजर हो जाता है तो उसे विनियामक सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तथापि इसके लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किया जाना तथा बैंकों द्वारा उनकी वार्षिक वित्तीय विवरणी में खाते में टिप्पणी में प्रकटन किया जाना आवश्यक होगा।

29.7 प्रतिभूतित ऋणदाताओं, आंशिक रूप से प्रतिभूतित ऋणदाताओं और गैर-प्रतिभूतित ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध विभेदक प्रतिभूति ब्याज को स्पष्ट करने के लिए, जेएलएफ/सीडीआर विविध विकल्पों पर विचार कर सकते हैं जैसे:

- ऋणदाताओं की उक्त श्रेणियों के मध्य चुकौतियों के संबंध में आईसीए में पूर्व सहमति, यथा, सर्वसम्मत वॉटरफाल मैकानिज़म के अनुसार;
- एक संरचित समझौता जिसमें प्रतिभूतित ऋणदाताओं के लिए प्राथमिकता निर्धारित की गई हो;
- प्रतिभूतित ऋणदाताओं, आंशिक रूप से प्रतिभूतित ऋणदाताओं और गैर-प्रतिभूतित ऋणदाताओं के बीच चुकौती आगमों का कतिपय पूर्व निर्धारित अनुपात में वितरण;

उक्त केवल एक सांकेतिक सूची है और जेएलएफ एक पारस्परिक रूप से सहमत विकल्प तय कर सकते हैं। इस पर भी बल दिये जाने की आवश्यकता है कि किसी एक उधारकर्ता के मामले में कोई बैंक बेहतर रूप से प्रतिभूतित हो सकता है, किन्तु किसी दूसरे उधारकर्ता के मामले में इसका उल्टा हो सकता है। इसलिए यह लाभप्रद होगा यदि सभी ऋणदाता अन्य ऋणदाताओं की सुविधाओं का ध्यान रखे और, आस्तियों का आर्थिक मूल्य संरक्षित करने के लिए, परस्पर सहमति से विकल्प तय करें। एक बार जब किसी विकल्प पर सहमति हो जाये, तो संरचना पैकेज लागू हो जाने पर सर्वाधिक एक्सपोजर वाला बैंक सहमति की शर्तों के अनुसार वितरण सुनिश्चित करने में अगुआई कर सकता है।

29.8 जहां तक विवेकपूर्ण मानदंडों और परिचालन संबंधी ब्योरों का संबंध है, ओटीएस सहित सीडीआर प्रणाली पर आरबीआई के दिशानिर्देश उसी सीमा तक लागू होंगे, जब तक वे इन दिशानिर्देशों से असंगत न हों। इस मास्टर परिपत्र के भाग क के पैरा 6.3 (iii) के अनुसार किसी बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा वित्तीय आस्ति को एससी/आरसी को बेचा जा सकता है जब ऐसी आस्ति को बैंक/ वित्तीय संस्था द्वारा बड़े ऋणों (सीआरआईसीएल) पर सूचना के लिए केंद्रीय आधान (रिपोज़िटरी) को एसएमस-2 के रूप में रिपोर्ट किया गया हो। हमारे सामने यह बात उठाई गई है कि संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) के अंतर्गत सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) तय किए जाने के बाद एससी/आरसी को खातों की बिक्री, सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के क्रियान्वयन में बाधा डालती है, खासतौर पर उन मामलों में जहां

पुनर्रचना के अंतर्गत ऋणदाताओं से अतिरिक्त वित्तपोषण की अपेक्षा की गई है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह निर्णय लिया गया है कि यदि सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के रूप में पुनर्रचना का निर्णय लिया जाता है तो बैंकों को अतिरिक्त वित्तपोषण में उनके हिस्से की व्यवस्था किसी नए अथवा मौजूदा लेनदार द्वारा किए जाने की व्यवस्था करे बिना ऐसी आस्तियों को एससी/आरसी को बेचे जाने की अनुमति नहीं होगी।

30. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड

30.1 जब पुनर्रचना प्रस्ताव जेएलएफ/सीडीआर द्वारा विचाराधीन हो, तो सामान्य आस्ति वर्गीकरण मानदंड का लागू होना जारी रहेगा। किसी आस्ति के पुनः वर्गीकरण की प्रक्रिया केवल इसलिए बाधित नहीं होनी चाहिए कि पुनर्रचना प्रस्ताव जेएलएफ/सीडीआर द्वारा विचाराधीन है।

30.2 तथापि, किसी पुनर्रचना पैकेज के त्वरित कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहन के रूप में, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार खातों की पुनर्रचना पर विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ उन्हीं खातों की पुनर्रचना के लिए उपलब्ध होगा, जिनकी पुनर्रचना इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई है बशर्ते उपर्युक्त पैरा 28.3 और 28.4 में दिये गए पुनर्रचना पैकेज के ब्योरे में ओवरऑल समयसीमा का पालन हो तथा अनुमोदन की तिथि से 90 दिन के भीतर कार्यान्वयन हो जाए। इस तरह, यदि जेएलएफ/सीडीआर किसी कार्य के लिए निर्धारित समय सीमा से कम समय लेता है, तो बचाए गए समय का अन्य कार्यों के लिए उपयोग किए जाने का विवेकाधिकार उसके पास रहेगा बशर्ते कुल समय सीमा का उल्लंघन न किया गया हो। जेएलएफ के गठन की तिथि के अनुसार आस्ति वर्गीकरण की स्थिति ही वह संबंधित तिथि होगी जिससे अंतिम पुनर्रचना पैकेज के कार्यान्वयन के बाद खाते के आस्ति वर्गीकरण स्थिति तय की जाएगी। जैसा कि इस मास्टर परिपत्र के भाग ख के पैरा 20.2.3 में उल्लिखित है, 1 अप्रैल 2015 से सभी पुनर्रचनाओं के लिए उपर्युक्तानुसार विशेष आस्ति वर्गीकरण लाभ वापस ले लिए गए हैं। केवल बुनियादी संरचना और गैर-बुनियादी संरचना परियोजना ऋणों की व्यावसायिक परिचालन की तिथि (डीसीसीओ) में परिवर्तनों से संबंधित प्रावधान इसके अपवाद होंगे।

30.3 इन दिशानिर्देशों में दिये गए प्रस्तावों का पालन करने के एक उपाय के रूप में तथा ऋण अनुशासन न बनाए रखने वाले उधारकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए (नीचे पैरा 32 में दिये गए ब्योरे के अनुसार) त्वरित प्रावधानीकरण मानदंड शुरू किए जा रहे हैं।

31. त्वरित प्रावधानीकरण

31.1 जिन मामलों में बैंक सीआरआईएलसी को खातों की एसएमए स्थिति रिपोर्ट करने में चूक जाते हैं अथवा खातों की वास्तविक स्थिति को छुपाने या उन्हें सदाबहार बनाने के लिए युक्तियों का सहारा लेते हैं, ऐसे खातों के लिए बैंकों पर त्वरित प्रावधानीकरण और/अथवा आरबीआई द्वारा यथोचित समझे जाने वाली अन्य पर्यवेक्षी कार्रवाइयां की जाएंगी। ऐसे अनर्जक खातों के संबंध में वर्तमान प्रावधानीकरण अपेक्षा तथा संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण निम्नानुसार हैं :

आस्ति वर्गीकरण	एनपीए के रूप में अवधि	वर्तमान प्रावधानीकरण (%)	संशोधित त्वरित प्रावधानीकरण (%)
अवमानक (प्रतिभूतित)	6 माह तक	15	अपरिवर्तित
	6 माह से 1 वर्ष तक	15	25
अवमानक (आरंभ से ही गैर-प्रतिभूतित)	6 माह तक	25 (बुनियादी संरचना ऋण को छोड़कर)	25
		20 (बुनियादी संरचना ऋण)	
	6 माह से 1 वर्ष तक	25 (बुनियादी संरचना ऋण को छोड़कर)	40
		20 (बुनियादी संरचना ऋण)	
संदिग्ध I	दूसरा वर्ष	25 (प्रतिभूतित अंश)	40 (प्रतिभूतित अंश)
		100 (गैर प्रतिभूतित अंश)	100 (गैर प्रतिभूतित अंश)
संदिग्ध III	तीसरा और चौथा वर्ष	40 (प्रतिभूतित अंश)	प्रतिभूतित व गैर-प्रतिभूतित दोनों अंश के लिए 100
		100 (गैर प्रतिभूतित अंश)	
संदिग्ध III III	पाँचवाँ वर्ष और उसके बाद	100	100

31.2 इसके अलावा, ऋणदाताओं में से कोई भी जो जेएलएफ़ द्वारा सीएपी के अंतर्गत पुनर्चना निर्णय के लिए सहमत हुए हैं तथा जो आईसीए और डीसीए में एक हस्ताक्षरकर्ता है, लेकिन बाद में अपना रुख बदल देता है, या पैकेज को लागू करने से इंकार/विलंब करता है, तो इस उधारकर्ता के प्रति उनका एक्सपोजर होने पर, अर्थात् यदि यह खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत होता है तो उसे भी त्वरित प्रावधानीकरण अपेक्षा का पालन करना होगा जैसा कि उक्त पैरा 31.1 में बताया गया है। यदि उन ऋणदाताओं की बहियों में खाता मानक है, तो प्रावधानीकरण अपेक्षा 5% होगी। इसके अतिरिक्त, किसी ऋणदाता द्वारा ऐसी कोई वादाखिलाफी पर्यवेक्षी समीक्षा और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान नकारात्मक पर्यवेक्षी मत को आमंत्रित कर सकता है।

31.3 वर्तमान में, आस्ति वर्गीकरण बैंक विशेष के वसूली के रिकॉर्ड पर आधारित है और प्रावधानीकरण प्रत्येक बैंक के स्तर पर आस्ति वर्गीकरण की स्थिति पर आधारित है। तथापि, यदि ऋणदाता जेएलएफ़ संयोजित करने में असफल रहते हैं या निर्धारित समयसीमा के भीतर एक सामान्य सीएपी पर सहमति बनाने में असमर्थ रहते हैं तो खाते को उक्त पैरा 31.1 में बताए गए अनुसार त्वरित प्रावधानीकरण मानदंड लागू किया जाएगा, यदि उसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि उन ऋणदाताओं बहियों में खाता मानक है, अपेक्षित प्रावधानीकरण 5% होगा। इस संबंध में, बैंकों द्वारा हमारे ध्यान में यह बात लाई गई है कि इस संबंध में बैंकों ने हमें अभ्यावेदन दिया है कि कई मामलों में सहायता संघ के अग्रणी बैंक के कारण जेएलएफ़ का गठन नहीं किया गया/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत बड़े एई वाले बैंक ने जेएलएफ़ का आयोजन नहीं किया तथा मामले में पहल नहीं की। यह महत्वपूर्ण है कि ढांचे की सफलता न केवल समय पर रिपोर्ट करने में है बल्कि जेएलएफ़ द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई करने पर भी निर्भर है। इस प्रकार जेएलएफ़ के गठन में किसी भी प्रकार से विलंब के कारण ढांचे का उद्देश्य असफल होगा। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि यदि किसी भी उधारदाता से सीआरआईएलसी को एसएमए-2 के रूप में खाता रिपोर्ट किए जाने पर जेएलएफ़ का तुरंत गठन नहीं किया जाता है या उपर्युक्त कारणों से निर्धारित समय सीमा में सीएपी निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, तो केवल जेएलएफ़ संयोजन करने का दायित्व होने वाले बैंक पर त्वरित प्रावधानीकरण लागू होगा न कि सहायता संघ के सभी उधारदाता/बहु बैंकिंग व्यवस्था पर। अन्य मामलों में सहायता संघ/बहु बैंकिंग व्यवस्था के सभी बैंकों पर त्वरित प्रावधानीकरण लागू होंगे। बैंकों को यह भी सूचित किया जाता है कि सहायता संघ का अग्रणी बैंक/बहु बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत बड़े एई वाला बैंक एसएमए स्थिति-2 के रिपोर्ट होने के बाद 15 दिनों के भीतर जेएलएफ़ का संयोजन नहीं करता है तो अगले 15 दिनों में दूसरे बड़े एई वाले बैंक को जेएलएफ़ का संयोजन करना चाहिए तथा उस पर अग्रणी बैंक/बड़े एई वाले बैंक पर लागू दायित्व तथा दंडात्मक कार्रवाई लागू होगी।

31.4 यदि जेएलएफ़/सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत निलंब मेंटेन करने वाला कोई बैंक उधारकर्ता द्वारा चुकोती के आगमों को निर्धारित शर्तों के अनुसार ऋणदाताओं में वितरित नहीं करता है जिसके कारण अन्य ऋणदाताओं की बहियों में खाते के आस्ति वर्गीकरण में गिरावट होती है, निलंब मेंटेन करने वाले बैंक में जो खाता है उस पर वह आस्ति वर्गीकरण लागू होगा जो ऋणदाता सदस्य बैंकों के बीच न्यूनतम है तथा यह सामान्य प्रावधान के बजाए बड़े हुए त्वरित प्रावधान के अधीन भी होगा। इसके अलावा, ऐसा त्वरित प्रावधान, प्रावधान किए जाने की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की अवधि या त्रुटि का सुधार होने तक, इनमें से जो भी बाद में हो, के लिए लागू होगा।

32. इरादतन चूककर्ता और असहयोगी उधारकर्ता

32.1 इरादतन चूककर्ताओं के ट्रीटमेंट से संबंधित अनुदेश "इरादतन चूककर्ता" पर हमारे 01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र बैविवि.संख्या.सीआईडी.बीसी.57/20.16.003/2014-15 (7 जनवरी 2015 तक संशोधित) में दिये गए हैं। बैंकों द्वारा इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। इन अनुदेशों के अतिरिक्त व कंपनियों में बेहतर कारपोरेट गवर्नेंस संरचना सुनिश्चित करने के लिए तथा स्वतंत्र/पेशेवर निदेशकों, प्रवर्तकों, लेखापरीक्षकों इत्यादि की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए अब से निम्नलिखित विवेकपूर्ण उपाय लागू होंगे:

(क) बैंकों के ऐसी कंपनियों में मौजूदा ऋणों/ एक्सपोजर, जिनमें एक या अधिक ऐसे निदेशक हैं (दबाव के समय में बोर्ड पर लाये गए सरकार/वित्तीय संस्थाओं के नामिती निदेशकों को छोड़कर) जिनका नाम इरादतन चूककर्ताओं की सूची में एक से अधिक बार प्रकाशित होता है, के संबंध में प्रावधानीकरण मानक खातों के मामलों में 5% होगा; यदि ऐसा खाता एनपीए के रूप में वर्गीकृत होता है तो इस पर उपर्युक्त पैरा 31.1 में बताए अनुसार त्वरित प्रावधानीकरण मानदंड लागू होगा। यह एक विवेकपूर्ण उपाय है क्योंकि ऐसे उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोजर से होने वाली हानियां अधिक होने की संभावना है। यह दुहराया जाता है कि इरादतन चूककर्ता पर 01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र के पैरा 2.5 (क) के अनुसार किसी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा सूचीबद्ध चूककर्ताओं को किसी प्रकार की अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान नहीं की जाएंगी।

(ख) उधारकर्ताओं/चूककर्ताओं को ऋणदाताओं के वास्तविक समाधान/वसूली प्रयासों के प्रति अतार्किक और असहयोगी बनने से हतोत्साहित करने की दृष्टि से बैंक ऐसे उधारकर्ताओं को उचित नोटिस देने और

संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने के बाद, असहयोगी उधारकर्ताओं⁹ के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। बैंकों से अपेक्षित होगा कि वे उधारकर्ताओं का ऐसा वर्गीकरण सीआरआईएलसी को रिपोर्ट करें। इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश असहयोगी उधारकर्ताओं पर [22 दिसंबर 2014 के परिपत्र बैविवि.सं. सीआईडी. बीसी. 54/20.16.064/2014-15](#) द्वारा जारी किए गए हैं। इसके अलावा, यदि किसी विशेष संस्था को असहयोगी के रूप में रिपोर्ट किया गया है, ऐसे उधारकर्ता को नए एक्सपोजर का तात्पर्य होगा जोखिम को और अधिक अपरिहार्य बना देना जिसके लिए उच्चतर प्रावधान किए जाने की जरूरत होगी। इसलिए बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसे उधारकर्ताओं को स्वीकृत नए ऋणों के साथ-साथ ऐसी किसी अन्य कंपनी, जिसके निदेशक मंडल में असहयोगी उधारकर्ता कंपनी का कोई पूर्णकालिक निदेशक/प्रवर्तक या किसी फर्म जिसमें ऐसा असहयोगी उधारकर्ता कामकाज के प्रबंध का प्रभारी है शामिल है, को स्वीकृत नए ऋणों के संबंध में अवमानक आस्तियों के लिए लागू उच्चतर प्रावधान करने होंगे। हालांकि, आस्ति वर्गीकरण और आय निर्धारण के प्रयोजन से नए ऋणों को मानक आस्ति के रूप में माना जाएगा। यह एक विवेकपूर्ण उपाय है क्योंकि ऐसे असहयोगी उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोजर से होने वाली हानियों के अधिक होने की संभावना है।

33. सूचना संवितरण

33.1 वर्तमान में, इरादतन चूककर्ताओं के वाद-दाखिल खातों (2.5 मिलियन रुपये और अधिक) की सूची बैंकों द्वारा उन साख सूचना कंपनियों को प्रेषित की जाती है जिनके वे सदस्य होते हैं। ये कंपनियाँ प्राप्ति के अनुसार इस सूचना को अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करती हैं। इरादतन चूककर्ताओं के वाद-दाखिल-नहीं खातों (2.5 मिलियन रुपये और अधिक) की सूची गोपनीय होती है और उसका संवितरण आरबीआई द्वारा बैंकों के बीच केवल उन्हीं के प्रयोग के लिए किया जाता है। बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा इरादतन चूककर्ताओं के वाद-दाखिल खातों और वाद-दाखिल-नहीं खातों के नाम रिपोर्ट करने तथा साख सूचना कंपनियों/आरबीआई को बैंकों द्वारा उनकी उपलब्धता को नवीनतम बनाए रखने के लिए बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे इरादतन चूककर्ताओं से संबंधित सूचना यथाशीघ्र तथा रिपोर्ट किए जाने की तिथि से अधिकतम एक माह के भीतर प्रेषित करें। बैंक "इरादतन चूककर्ता" पर हमारे 01

⁹ असहयोगी उधारकर्ता वह उधारकर्ता है जो ऋण चुकाने की क्षमता होने के बावजूद समय पर चुकौती न करके अपने ऋणदाता के साथ रचनात्मक सहयोग नहीं करता है, जो मांगी गई आवश्यक जानकारी उपलब्ध न करा कर ऋणदाता द्वारा अपनी देयताओं की वसूली के लिए किए गए प्रयासों को विफल कर देता है, जो वित्तपोषित आस्तियों/ संपार्श्विक प्रतिभूतियों इत्यादि तक पहुँचने नहीं देता है, जो प्रतिभूतियों की बिक्री में बाधा डालता है, आदि। वस्तुतः असहयोगी उधारकर्ता वह चूककर्ता है जो जान बूझ कर ऋणदाताओं द्वारा अपनी देयताओं की वसूली के लिए किए जा रहे वैध प्रयासों में बाधा डालता है।

जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र बैविवि. सं. सीआईडी. बीसी.57/20.16.003/2014-15 में निर्धारित किए गए फ़ार्मेट के अनुसार ब्योरेवार सूचना का ही प्रयोग/प्रेषण करें।

33.2 "इरादतन चूककर्ता" पर ऊपर उल्लिखित मास्टर परिपत्र के अनुसार यदि बैंकों /वित्तीय संस्थाओं द्वारा यह पाया जाये कि उधारकर्ता की ओर से खातों के संबंध में किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा किया गया है, और यह पाया जाता है कि लेखापरीक्षकों ने लेखापरीक्षण करने में कोताही बरती थी या कमी रखी थी, तो बैंकों को चाहिए कि वे उधारकर्ता के लेखापरीक्षकों के विरुद्ध भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएसीआई) में औपचारिक शिकायत दर्ज करें ताकि आईसीएसीआई लेखापरीक्षकों की जांच कर सके और उनकी जवाबदेही निर्धारित कर सके। आरबीआई इन अनुदेशों को दुहराता है ताकि इनका कड़ाई से पालन हो। जब तक आईसीएसीआई द्वारा कार्रवाई नहीं हो जाती, ये शिकायतें आरबीआई (बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, केंद्रीय कार्यालय) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) को भी रिकॉर्ड के लिए प्रेषित की जा सकती हैं। जिन बैंकों के विरुद्ध कई सारी शिकायतें प्राप्त हुईं, उन लेखाकार संस्थानों का नाम आईबीए सभी बैंकों के बीच परिचालित करेगा ताकि वे उन्हें कोई कार्य देने से पूर्व इस पहलू पर विचार करें। आरबीआई इस प्रकार की सूचना वित्तीय क्षेत्र के अन्य विनियामकों/ कांफ़रेंट कार्य मंत्रालय (एमसीए)/ नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (सीएजी) के साथ भी शेयर करेगा।

33.3 इसके अलावा बैंक ऐसे अधिवक्ताओं से, आस्तियों के संबंध में गलती से स्पष्ट विधिसम्मत स्वामित्व प्रमाणित करते हैं या ऐसे मूल्यांकनकर्ताओं से जो, लापरवाही या संलिप्तता के कारण, प्रतिभूति का मूल्य अतिरंजित करते हैं, स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं। यदि एक माह के भीतर उनसे उत्तर/संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं प्राप्त होता है तो वे उनका नाम आईबीए को रिपोर्ट कर सकते हैं। आईबीए ऐसे अधिवक्ताओं/ मूल्यांकनकर्ताओं का नाम अपने सदस्यों के बीच परिचालित कर सकता है ताकि भविष्य में उनकी सेवाएँ लेने से पूर्व वे उन पर विचार कर सकें। आईबीए इस प्रयोजन से एक केंद्रीय पंजीयन कार्यालय बनाएगा।

34. ये दिशानिर्देश 01 अप्रैल 2014 से प्रभावी होंगे।

एसएमए-0 दबाव के लक्षण

किसी खाते को एसएमए-0 के रूप में वर्गीकृत करने के लिए दबाव के लक्षणों की उदाहरणात्मक सूची

1. (क) स्टॉक विवरणी /अन्य निर्धारित परिचालनगत नियंत्रण विवरणियों को प्रस्तुत करने में अथवा (ख) ऋण निगरानी या वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में 90 दिन या अधिक का विलंब अथवा (ग) लेखापरीक्षित वित्तों पर आधारित सुविधाओं का नवीकरण नहीं होना।
2. ऋण मंजूरी के लिए स्वीकार किए गए लक्ष्य की तुलना में वास्तविक विक्रय/परिचालनगत लाभ में 40% या अधिक की कमी आना; अथवा बैंक द्वारा स्टॉक लेखापरीक्षा किए जाने को रोकने/ में असहयोग की एक भी घटना; अथवा किसी स्टॉक लेखापरीक्षा के बाद आहरण अधिकार में 20% या अधिक की कमी आना; अथवा गैर-अनुमोदित उद्देश्यों के लिए निधियों के दुरुपयोग का प्रमाण; अथवा एक ही समीक्षा में आंतरिक जोखिम रेटिंग में 2 या अधिक स्तर की गिरावट।
3. उधारकर्ता द्वारा तीस दिन के अंदर, इस आधार पर कि खाते में शेष/आहरण-अधिकार उपलब्ध नहीं है 3 या अधिक चेकों (अथवा एलेक्ट्रॉनिक डेबिट अनुदेशों) की वापसी अथवा उधारकर्ता द्वारा 3 या अधिक भुनाये गए बिलों/ संग्रहण के अंतर्गत प्रेषित चेकों की वापसी।
4. आस्थगित भुगतान गारंटी (डीपीजी) किस्तों, साख-पत्रों का निर्माण अथवा बैंक गारंटी (बीजी) की सुविधा लेना और तीस दिन के भीतर इसका भुगतान नहीं करना।
5. प्रतिभूति उत्पन्न या परिमार्जित करने के लिए ऋण मंजूरी की मूल शर्तों में निर्धारित समय की बजाय समय सीमा बढ़ाने के लिए अथवा ऋण मंजूरी की अन्य शर्तों के पालन के लिए तीसरा अनुरोध।
6. चालू खातों में ओवरड्राफ्ट की बारंबारता में वृद्धि।
7. उधारकर्ता द्वारा कारोबार और वित्त के संबंध में दबाव रिपोर्ट किया जाना।
8. वित्तीय दबाव के कारण उधारकर्ता कंपनी में प्रवर्तक(कों) द्वारा अपना शेयर बेचना/गिरवी रखना।

ग-2 : अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, एनपीए का विक्रय तथा अन्य विनियामक उपाय

35. "अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, एनपीए का विक्रय तथा अन्य विनियामक उपाय" पर हमारे 26 फरवरी 2014 के परिपत्र बैंपविवि.बीपी.बीसी.सं.98/21.04.132/2013-14 के पैरा 3, 4 तथा 5 में बैंकों द्वारा वित्तीय आस्तियों के विक्रय तथा प्रतिचक्रीय/ अस्थिर प्रावधानों के प्रयोग पर अनुदेश निहित हैं। इस मास्टर परिपत्र के भाग क के पैराग्राफ 6 और 7 के अंतर्गत इन अनुदेशों को समेकित किया गया है। 'परियोजना ऋणों के पुनर्वित्तीयन' विषय पर दिशानिर्देशों को इस मास्टर परिपत्र के पैरा 12 में शामिल किया गया है। अन्य विनियामक उपाय निम्नानुसार हैं:

36. प्रवर्तकों के योगदान के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण

36.1 'ऋण तथा अग्रिम - सांविधिक तथा अन्य प्रतिबंध' के संबंध में [01 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआईआर. बीसी. 16/13.03.00/2014-15](#) में किए गए समेकन के अनुसार प्रवर्तकों के अंशदान के वित्तपोषण के लिए बैंक ऋण पर मौजूदा अनुदेशों के अनुसार किसी कंपनी की इक्विटी पूंजी में प्रवर्तकों का अंशदान उनके स्वयं के स्रोतों से होना चाहिए तथा बैंकों को सामान्यतः अन्य कंपनियों के शेयर अधिगृहीत करने के लिए अग्रिम नहीं प्रदान करना चाहिए।

36.2 यह निर्णय लिया गया है कि उक्त मास्टर परिपत्र में दिए गए अनुसार शेयरों/डिबेंचरों/बांडों की जमानत पर दिए जाने वाले अग्रिमों के लिए लागू सामान्य दिशानिर्देशों तथा अन्य विनियामक एवं सांविधिक एक्सपोजर सीमाओं के अधीन बैंक संकटग्रस्त कंपनियों को अधिगृहीत करने के लिए स्थापित 'विशेषीकृत' संस्थाओं को वित्त प्रदान कर सकते हैं। अतः उधारकर्ताओं को ऐसे वित्तपोषण से संबद्ध जोखिमों का मूल्यांकन करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन संस्थाओं को पर्याप्त रूप से पूंजी संपन्न किया गया है तथा इन संस्थाओं के लिए ऋण इक्विटी अनुपात 3:1 से अधिक नहीं है।

36.3 इस संबंध में 'विशेषीकृत' संस्था वह कार्पोरेट निकाय होगा जिसे विशिष्ट रूप से संकटग्रस्त कंपनियों का अधिग्रहण करने तथा उनका रूपांतरण करने के लिए स्थापित किया गया हो तथा ऐसी कंपनी का प्रवर्तन वे व्यक्ति अथवा/और संस्थागत प्रवर्तक (जिसमें सरकार भी शामिल है) करते होंगे जिन्हें 'संकटग्रस्त' कंपनियों के रूपांतरण में व्यावसायिक विशेषज्ञता हासिल होगी तथा जो उस उद्योग/सेगमेंट में निवेश के लिए पात्र होंगे जिससे विचाराधीन आस्ति संबंधित है।

37. ऋण जोखिम प्रबंधन

37.1 बैंकों को सूचित किया जाता है कि उन्हें 'बैंकों में जोखिम प्रबंध प्रणाली' पर 07 अक्टूबर 1999 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. (एससी). बीसी. 98/21.04.103/99 तथा 'ऋण जोखिम तथा बाजार जोखिम के प्रबंध पर मार्गदर्शी टिप्पणियां' पर 12 अक्टूबर 2002 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. 520/21.04.103/2002-03 में दिए गए ऋण जोखिम प्रबंध दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

37.2 यह दोहराया जाता है कि ऋणदाताओं को सभी मामलों में अपना आत्मनिर्भर और वस्तुनिष्ठ ऋण मूल्यांकन करवाना चाहिए तथा उन्हें बाहरी परामर्शदाताओं, विशेषतः ऋण प्राप्तकर्ता के आंतरिक परामर्शदाताओं के द्वारा तैयार किए गए ऋण मूल्यांकन रिपोर्टों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

37.3 बैंकों/ऋणदाताओं को संवेदनशीलता परीक्षण/परिदृश्य विश्लेषण करवा लेना चाहिए, विशेष तौर पर बुनियादी संरचना परियोजनाओं के लिए जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ परियोजना विलंब तथा लागत में वृद्धि का अध्ययन भी शामिल होना चाहिए। इस मास्टर परिपत्र के पैरा 27 में दिए गए अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) निर्धारित करते समय परियोजना की अर्थक्षमता के संबंध में दृष्टिकोण बनाने में इससे मदद मिलेगी।

37.4 ऋणदाताओं को प्रवर्तकों/शेयरधारकों द्वारा लायी गई पूंजी के स्रोत एवं गुणवत्ता को सुनिश्चित कर लेना चाहिए। बहुविध (मल्टिपल) लेवरेजिंग, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में, चिंता का विषय है क्योंकि यह ऋण/इक्विटी अनुपात जैसे वित्तीय अनुपातों को प्रभावपूर्ण तरीके से छद्मता प्रदान करती है जिसकी परिणति उधारकर्ताओं के गलत चयन में होती है। अतएव ऋण मूल्यांकन के समय ऋणदाताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मूल कंपनी का कर्ज सहायक/एसपीवी कंपनी की इक्विटी पूंजी के रूप में परिणत नहीं हुआ है।

37.5 कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) की अवधारणा शुरू की है जिसके लिए कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2006 में धारा 266ए से 266जी को समाविष्ट किया गया है। साथ ही, इरादतन चूककर्ताओं पर 01 जुलाई 2014 के हमारे मास्टर परिपत्र (7 जनवरी 2015 तक संशोधित) के पैरा 5.4 के अनुसार यह सुनिश्चित करने के लिए कि निदेशकों की सही पहचान की गई है तथा किसी एक भी मामले में ऐसे व्यक्तियों को गलत तरीके से ऋण सुविधाओं से वंचित न किया जाए जिनका नाम उन निदेशकों के नाम से मिलता-जुलता प्रतीत होता है जो इरादतन चूककर्ता की सूची में हैं, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को सूचित किया गया है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक/साख सूचना कंपनियों को

प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों में निदेशक पहचान सं. (डीआईएन) को भी एक फील्ड के रूप में सम्मिलित करें।

37.6 यह दोहराया जाता है कि ऋण मूल्यांकन करते समय, बैंकों को यह जांच करनी चाहिए कि कहीं डीआईएन/पीएन इत्यादि के संदर्भ द्वारा चूककर्ताओं/इरादतन चूककर्ताओं की सूची में किसी भी कंपनी के निदेशकों का नाम तो प्रकट नहीं हो रहा है। साथ ही, समान नाम के कारण किसी प्रकार का संदेह उत्पन्न होने पर बैंकों को निदेशकों की पहचान की पुष्टि करने के लिए स्वतंत्र स्रोतों का प्रयोग करना चाहिए न कि उधारकर्ता कंपनी से घोषणा की मांग करनी चाहिए।

37.7 इरादतन चूककर्ताओं पर हमारे मास्टर परिपत्र का पैरा 2.7 सूचित करता है कि "निधियों के वास्तविक प्रयोग (एंड यूज) की निगरानी के लिए, यदि ऋणदाता उधारकर्ता के लेखा-परीक्षकों से निधियों के डाइवर्जन/दुरुपयोग के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण चाहते हैं तो ऋणदाता को इस उद्देश्य के लिए लेखा परीक्षकों को पृथक अधिदेश देना चाहिए। लेखा-परीक्षकों द्वारा इस प्रकार के प्रमाणीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऋण करार में समुचित प्रसंविदाएं शामिल कर ली जाएं ताकि ऋणदाता द्वारा उधारकर्ताओं/लेखा-परीक्षकों को ऐसा अधिदेश प्रदान किया जा सके।"

37.8 उक्त के अतिरिक्त, बैंकों को सूचित किया जाता है कि निधियों के वास्तविक प्रयोग (एंड यूज) की निगरानी सुनिश्चित करने तथा उधारकर्ताओं द्वारा निधियों का दुरुपयोग रोकने के लिए ऋणदाता, उधारकर्ता के लेखापरीक्षकों द्वारा दिए गए प्रमाणीकरण पर विश्वास किए बिना, ऐसे विनिर्दिष्ट प्रमाणीकरण प्रयोजन के लिए अपने स्वयं के लेखापरीक्षकों को नियुक्त करने पर विचार कर सकते हैं। तथापि, इससे बैंक द्वारा बुनियादी न्यूनतम सावधानी की आवश्यकता समाप्त नहीं होती।

38. विनियामक अनुदेशों को सुदृढ़ करना

38.1 'नकद क्रेडिट प्रणाली की समीक्षा हेतु कार्यदल की रिपोर्ट -कार्यान्वयन' पर 8 दिसंबर 1980 के परिपत्र बैंपविवि. सं. सीएस (सीओडी) बीसी. 142/डब्ल्यूजीसीसी-80 के अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि चालू खाता खोलने/विक्रयोत्तर सीमा मंजूर करने से पहले उन्हें मुख्य बैंकों तथा/अथवा इनवेंटरी सीमाओं को मंजूर करने वाले बैंकों की सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। इन अनुदेशों के आलोक में पहले से ही खोले गए इस प्रकार के खातों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही, 'गारंटी तथा सह-स्वीकृतियों पर [01 जुलाई 2014 के मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं.](#)

[डीआईआर. बीसी.17/13.03.00/2014-15](#) के अनुसार बैंकों को ऐसे ग्राहकों की ओर से गारंटी जारी करने से बचना चाहिए जिन्होंने उनसे ऋण नहीं लिया है।

38.2 भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसे ग्राहकों, जो नियमित उधारकर्ता नहीं हैं को गैर-निधि आधारित सीमाओं सहित ऋण सुविधाएं प्रदान करने, चालू खाता खोलने इत्यादि के संबंध में बैंकों पर लगाए गए प्रतिबंधों के संबंध में उक्त अनुदेशों को दोहराता है। यदि उक्त अनुदेशों का सख्ती से पालन नहीं हुआ हो तो बैंकों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। इसी क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक इन अनुदेशों का बैंकों द्वारा सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करेगा। चूंकि इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों के गैर-अनुपालन से ऋण अनुशासन कुप्रवृत्त हो सकता है, भारतीय रिज़र्व बैंक अनुपालन न करने वाले बैंकों को दंडित करने पर विचार करेगा।

38.3 बैंक जनता की जमाराशियों के अभिरक्षक हैं, अतएव उनसे अपेक्षित है कि वे अपनी आस्तियों के मूल्य की रक्षा करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। बैंकों से अपेक्षित है कि किसी खाते को पूर्ण या आंशिक रूप से अपलिखित (राइट ऑफ) करने से पूर्व वसूली के सभी उपायों का प्रयोग करें। यह पाया गया है कि कुछ बैंक खातों के तकनीकी अपलेखन (टेक्निकल राइट ऑफ) का सहारा ले रहे हैं जिससे वसूली से हो सकने वाले लाभ कम हो जाते हैं। आंशिक या तकनीकी अपलेखनों का सहारा लेने वाले बैंकों को ऋण के बकाया हिस्से को मानक आस्ति के रूप में नहीं दर्शाना चाहिए। अधिक पारदर्शिता लाने की दृष्टि से, भविष्य में बैंकों को इस मास्टर परिपत्र के इस भाग के परिशिष्ट में निर्धारित फार्मेट के अनुसार तकनीकी अवलेखनों के लिए पृथक ब्योरे समेत अवलेखनों का पूर्ण ब्योरा प्रकट करना चाहिए।

39. सीईआरएसएआई के साथ लेनदेनों का रजिस्ट्रेशन

वर्तमान में प्रतिभूति पंजीकरण, विशेष तौर पर बंधकों का रजिस्ट्रेशन, जिला स्तर पर किया जाता है तथा केंद्रीय प्रतिभूतीकरण आस्ति पुनर्रचना और भारतीय प्रतिभूति हित (सीईआरएसएआई) की रजिस्ट्री को आमतौर पर इक्विटेबल मार्गेज को रजिस्टर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सीईआरएसएआई के साथ सभी प्रकार के मार्गेज की रजिस्ट्री करने के सरकारी अधिदेशों का बैंकों द्वारा कड़ाई से पालन किया जाना होगा। इस संबंध में 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर स्थापित करने के संबंध में [21 अप्रैल 2011 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. एलईजी. सं. बीसी. 86/09.08.011/2010-11](#) में दिए गए अनुदेशों को दोहराया जाता है अर्थात् वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतीकरण और पुनर्रचना से संबंधित लेनदेनों तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले किसी ऋण या अग्रिम को

प्रतिभूतित करने के लिए स्वत्व विलेख जमा करके किए जाने वाले मार्गेज से संबंधित लेनदेनों को, सरफेसी अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार, केंद्रीय रजिस्ट्री में रजिस्टर किया जाना है।

40. बोर्ड द्वारा निगरानी

40.1 बैंकों के निदेशक मंडल को अपनी बहियों में आस्ति गुणवत्ता की क्षरणशीलता को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाना चाहिए तथा ऋण जोखिम प्रबंध प्रणाली को सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आस्ति गुणवत्ता में समस्याओं की शीघ्र पहचान और इन दिशानिर्देशों में अभिव्यक्त संकल्पों में यह अपेक्षित है कि ऋणदाता अत्यधिक सक्रिय रहें तथा जैसे ही सीआरआईएलसी कार्य करना शुरू करे, उसका उपयोग करें।

40.2 बैंकों के निदेशक मंडल को समय रहते सीआरआईएलसी में साख सूचना प्रेषित करने और उससे सूचना प्राप्त करने के लिए, संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) का त्वरित निर्माण करने के लिए, जेएलएफ की प्रगति की निगरानी करने के लिए तथा सुधारात्मक कार्य योजना (सीएपी) इत्यादि को अपनाने के लिए एक नीति स्थापित करनी चाहिए। उक्त नीति की आवधिक, जैसे कि छमाही आधार पर, समीक्षा होनी चाहिए।

40.3 उधारकर्ताओं का इरादतन चूककर्ताओं अथवा/और असहयोगी उधारकर्ताओं के रूप में सम्यक रूप से और समय से वर्गीकरण करने के लिए बैंकों के निदेशक मंडल को एक प्रणाली स्थापित करनी चाहिए। साथ ही, बैंकों को इस प्रकार वर्गीकृत खातों की आवधिक, जैसे कि छमाही आधार पर, समीक्षा करनी चाहिए।

राइट-ऑफ तथा तकनीकी राइट-ऑफ का प्रकटीकरण

"खाते पर टिप्पणी में बैंकों द्वारा अतिरिक्त प्रकटीकरण" पर [15 मार्च 2010 के हमारे परिपत्र बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 79/21.04.018/2009-10](#) में दिए गए अनुदेशों में बैंकों से विनिर्दिष्ट रूप से अपेक्षित है कि वे अनर्जक आस्तियों की स्थिति में परिवर्तन के ब्योरे देते समय वर्ष के दौरान बढ़ा खाता डाली गई रकम को प्रकट करें। उक्त परिपत्र में निर्धारित फार्मेट में निम्नलिखित प्रकार से संशोधित किया गया है:

(राशि करोड़ रुपये में)

ब्योरे	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
वर्ष विशेष के 1 अप्रैल को सकल अनर्जक आस्तियां ¹⁰ (प्रारंभिक शेष)		
वर्ष के दौरान संवृद्धि (नई अनर्जक आस्तियां)		
उप-जोड़ (क)		
घटाएं		
(ii) अपग्रेडेशन		
(iiii) वसूलियां (अपग्रेड हुए खातों से की गई वसूलियों को छोड़कर)		
(iiiiii) तकनीकी/विवेकपूर्ण ¹¹ राइट-ऑफ		
(iviv) उक्त (iiiiii) के अंतर्गत न आने वाले राइट-ऑफ		
उप-जोड़(ख)		
आगामी वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए (अंतिम शेष) (क-ख)		

इसके साथ-साथ बैंकों को तकनीकी राइट-ऑफ के स्टाक तथा उन से की गई वसूलियों को निम्नलिखित फार्मेट के अनुसार प्रकट करना चाहिए:

¹⁰ दिनांक 24 सितंबर 2009 का बैंपविवि. परिपत्र बीपी. बीसी. सं. 46/21.04.048/2009-10, जिसमें सकल अग्रिम, निवल अग्रिम, सकल एनपीए और निवल एनपीए की गणना करने के लिए एक समान पद्धति विनिर्दिष्ट की गई है, के अनुबंध में मद 2 के अनुसार सकल एनपीए*।

¹¹ तकनीकी या विवेकपूर्ण अवलेखन अनर्जक ऋणों की वह राशि है जो शाखाओं की बहियों में तो बकाया हैं किंतु जिन्हें प्रधान कार्यालय के स्तर पर (पूर्ण या आंशिक रूप से) अपलिखित कर दिया गया है। तकनीकी अपलेखनों की राशि सांविधिक लेख-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित की जानी चाहिए। (अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण कवरेज पर 1 दिसंबर 2009 के हमारे परिपत्र संदर्भ बैंपविवि. बीपी. बीसी. सं. 64/21.04.048/2009-10 में परिभाषित)।

ब्योरे	वर्तमान वर्ष	पिछला वर्ष
1 अप्रैल को तकनीकी/विवेकपूर्ण रिटन-ऑफ खातों का प्रारंभिक शेष		
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण अपलेखन		
उप-जोड़ (क)		
घटाएं : वर्ष के दौरान पिछले अपलिखित खातों से की गई वसूलियां (ख)		
31 मार्च (क-ख) को अंतिम शेष		

41. अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा – संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के संबंध में दिशानिर्देशों में प्रबंधन के परिवर्तन की परिकल्पना दबावग्रस्त आस्तियों के भाग के रूप में की गई थी। इस मास्टर परिपत्र के भाग ख के पैरा 29.3 में कहा गया है कि पुनर्रचना का सामान्य सिद्धान्त यह होना चाहिए कि प्रथम हानि शेयरधारक सहन करें न कि ऋणधारक। इस सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए तथा प्रवर्तकों का और अधिक 'हित शामिल करना' सुनिश्चित करने के लिए किसी ऋण की पुनर्रचना के समय जेएलएफ/सीडीआर निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कर सकते हैं:

- ऋणदाताओं के त्याग की क्षतिपूर्ति के लिए प्रवर्तकों द्वारा कंपनी की इक्विटी ऋणदाताओं को अंतरित करने की संभावना;
- प्रवर्तक अपनी कंपनियों में और अधिक इक्विटी डालना
- कंपनी का कायापलट होने तक प्रवर्तकों की धारिताओं का किसी प्रतिभूति न्यासी या निलंब व्यवस्था को अंतरण करना। इससे, यदि ऋणदाता इसके पक्ष में हों, प्रबंधन नियंत्रण में परिवर्तन लाया जा सकेगा।

42. यह पाया गया है कि खातों की पुनर्रचना के कई मामलों में, ऋणदाता बैंकों द्वारा काफी त्याग किए जाने के बावजूद परिचालनात्मक/प्रबंधकीय अक्षमताओं के कारण उधारकर्ता कम्पनियां दबाव से उबर नहीं पाती हैं। ऐसे मामलों में, स्वामित्व का परिवर्तन ही बेहतर विकल्प होगा। भविष्य में संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) को उक्त (संरचना) ढांचे के अंतर्गत स्वामित्व के ऐसे परिवर्तन पर सक्रियतापूर्वक विचार करना चाहिए।

43. इसके अलावा, मास्टर परिपत्र के पैरा 29.1 में कहा गया है कि जेएलएफ तथा सीडीआर दोनों प्रणालियों के अंतर्गत, पुनर्रचना पैकेज में वह समय-सीमा भी निर्धारित होनी चाहिए जिसके अंतर्गत कतिपय अर्थक्षमता मानदंड (उदाहरणार्थ कुछ समय जैसे, 6 माह या 1 वर्ष या इसी प्रकार के बाद कतिपय वित्तीय अनुपातों में सुधार), प्राप्त कर लिए जाएंगे। जेएलएफ को माईलस्टोन प्राप्त करने/ प्राप्त न करने के संबंध में खाते की आवधिक समीक्षा करनी चाहिए तथा वसूली उपाय सहित यथोचित उपयुक्त उपायों

को शुरू करने पर विचार करना चाहिए। दबावग्रस्त खातों को पुनरुज्जीवित करते समय प्रवर्तकों की अधिक हितधारिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से और ऐसे खाते जो पूर्वानुमानित अर्थक्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं, के संबंध में स्वामित्व परिवर्तन की कार्रवाई शुरू करने के लिए बैंकों को संवर्धित क्षमताएं प्रदान करने के लिए बैंक अपने विवेकानुसार ऋण के बकायों को इक्विटी शेयरों में रूपांतरित कर के “कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना (एसडीआर)” का उपक्रम कर सकते हैं, जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं होंगी:

i. आरंभिक पुनर्रचना के समय, संयुक्त ऋणदाता फोरम को चाहिए कि उधारकर्ता के साथ सहमत पुनर्रचित ऋण/णों से सम्बद्ध शर्तों में इस विकल्प को शामिल करे कि वह सम्पूर्ण ऋण (अदा न किए गए ब्याज सहित) या उसके भाग को कम्पनी में शेयरों के रूप में रूपांतरित करेंगे यदि उधारकर्ता अर्थक्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहता है अथवा/और पुनर्रचना पैकेज में निर्धारित “गंभीर स्थितियों” का पालन नहीं करता है। जैसा कि मौजूदा कानून/विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित है, इसे उधारकर्ता कम्पनी से आवश्यक अनुमोदनों/प्राधिकारों (शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्पों समेत) से समर्थित होना चाहिए ताकि ऋणदाता उक्त विकल्प का प्रभावी तरीके से उपयोग कर सकें। एसडीआर के लिए उक्त अनुमोदनों/प्राधिकारों के बिना ऋणों की पुनर्रचना की अनुमति नहीं है। यदि उधारकर्ता अर्थक्षमता लक्ष्यों को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है, तथा/अथवा उपर्युक्त संदर्भित “गंभीर स्थिति” का पालन नहीं करता है, तो संयुक्त ऋणदाता फोरम को तुरंत खाते की समीक्षा करनी चाहिए और यह जांच करनी चाहिए कि स्वामित्व में परिवर्तन लाने से खाता अर्थक्षम हो जाएगा अथवा नहीं। यदि परीक्षण में अर्थक्षम पाया जाता है तो जेएलएफ यह निर्णय कर सकता है कि क्या एसडीआर का उपयोग किया जाए, अर्थात् बकाया ऋण और ब्याज के सम्पूर्ण अथवा आंशिक भाग को उधारकर्ता कम्पनी के इक्विटी शेयरों में बदल दिया जाए ताकि कम्पनी में अधिकांश शेयरधारिता प्राप्त की जा सके।

ii. एसडीआर के प्रावधान उन खातों पर भी लागू होंगे जो इस परिपत्र की तारीख से पहले पुनर्रचित किए गए हैं, बशर्ते जैसा कि उपर्युक्त पैरा में बताया गया है, बैंक और उधारकर्ता के बीच हुए समझौते में आवश्यक समर्थनकारी उपखंड शामिल किए गए हैं;

iii. ऋण के सम्पूर्ण अथवा किसी अंश को इक्विटी शेयर में रूपांतरित करके एसडीआर का प्रयोग करने पर निर्णय जेएलएफ द्वारा यथाशीघ्र किंतु उपर्युक्त खाते की समीक्षा से 30 दिन के भीतर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार के निर्णय का समुचित प्रलेखीकरण होना चाहिए और उसे जेएलएफ सदस्यों के बहुमत से अनुमोदित होना चाहिए (मूल्य के आधार पर ऋण दाताओं के न्यूनतम 75% द्वारा तथा संख्या के आधार पर ऋणदाताओं के 60% द्वारा)

iv. स्वामित्व में परिवर्तन लाने के लिए, जेएलएफ के अंतर्गत ऋणदाताओं को उधारकर्ता के उनके प्रति बकायों को इक्विटी में रूपांतरित करके सामूहिक रूप से अधिसंख्य शेयरधारक हो जाना चाहिए। तथापि जेएलएफ ऋणदाताओं द्वारा उनके बकाया कर्ज (मूलधन तथा न चुकाया गया ब्याज) का इक्विटी लिखतों में रूपांतरण इस शर्त के अधीन होगा कि कंपनी के शेयरों में सदस्य बैंकों की संबंधित कुल धारिता बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 19(2) में निर्धारित सांविधिक सीमा के अनुसार होनी चाहिए;

v. रूपांतरण के बाद यह आवश्यक है कि जेएलएफ के अंतर्गत संयुक्त रूप से सभी ऋणदाता कम्पनी द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों का 51% या इससे अधिक धारण करें;

- vi. ऋण के इस प्रकार इक्विटी में रूपांतरण के लिए शेयर कीमत का निर्धारण इस परिपत्र के पैरा 44 में दी गई पद्धति के अनुसार होगा;
- vii. भविष्य में बैंकों को पुनर्रचना सहित सभी ऋण समझौतों में आवश्यक प्रसंविदाएं शामिल करनी चाहिए, जो उधारकर्ता कम्पनी से आवश्यक अनुमोदनों/प्राधिकारों (शेयरधारकों द्वारा विशेष संकल्प सहित) द्वारा समर्थित हों, जैसे कि मौजूदा नियमों/ विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित हैं, ताकि लागू हो सकने वाले मामलों में एसडीआर का प्रयोग किया जा सके।
- viii. एसडीआर करने का निर्णय लेने की विधि से 90 दिन के भीतर एसडीआर रूपांतरण पैकेज को जेएलएफ द्वारा अनुमोदित करना अनिवार्य है;
- ix. एसडीआर में यथाअनुमोदित ऋण का इक्विटी में रूपांतरण जेएलएच द्वारा एसडीआर पैकेज के अनुमोदन की तारीख से 90 दिन की अवधि के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। इस मास्टर परिपत्र के पैरा 28.2 के अनुसार जेएलएफ द्वारा पुनर्रचना के लिए सीडीआर प्रकोष्ठ को सौंपे गए खातों के लिए जेएलएफ या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा सीडीआर प्रकोष्ठ के अंतर्गत एसडीआर का कार्य कर सकता है;
- x. आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के प्रयोजन से एसडीआर के प्रयोग को पुनर्रचना नहीं माना जाएगा;
- xi. एसडीआर में यथा- अनुमोदित ऋण को इक्विटी में रूपांतरित करने का कार्य समाप्त होने पर, खाते का मौजूदा आस्ति वर्गीकरण, पैरा 44 (ii) में नीचे बताए गए संदर्भ तिथि के अनुसार, सन्दर्भ तिथि से 18 माह की अवधि के लिए जारी रहेगा। तदोपरान्त, यदि आस्ति वर्गीकरण में 'स्टैंड स्टिल' नहीं प्रदान किया गया हो तो, आस्ति वर्गीकरण मौजूदा आईआरएसी मानदंडों के अनुसार होगा। तथापि, जब बैंक की धारिताओं का विनिवेश नए प्रवर्तक के लिए कर दिया जाता है तो आस्ति वर्गीकरण इस परिपत्र के पैरा 43 (xiii) के अनुसार होगा;
- xii. बैंकों को बैंककारी विनियमन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और जेएलएफ को कम्पनी के कार्यनिष्पादन की सूक्ष्मता से समीक्षा करनी चाहिए तथा कम्पनी का कारोबार चलाने के लिए समुचित व्यावसायिक प्रबंधन की नियुक्ति करने पर विचार करना चाहिए;
- xiii. जेएलएफ तथा ऋणदाताओं को यथाशीघ्र कम्पनी में अपनी धारिताओं का विनिवेश कर देना चाहिए। 'नए प्रवर्तक' के पक्ष में बैंक की धारिता के विनिवेश के बाद खाते के आस्ति वर्गीकरण को उन्नत कर 'मानक' कर दिया जाए। तथापि, विनिवेश की तिथि को कथित खाते के विरुद्ध बैंक द्वारा धारित प्रावधान की मात्रा, जो कि 'सन्दर्भ तिथि' को धारित मात्रा से कम नहीं होगी, को वापस परिवर्तित नहीं किया जाएगा। "नए प्रवर्तक" के प्रति अपनी धारिताओं का विनिवेश करते समय बैंक, कम्पनी के परिवर्तित जोखिम प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए, मौजूदा ऋण का पुनर्वितीयन बिना इस प्रक्रिया को 'पुनर्रचना' माने ही कर सकते हैं, बशर्ते बैंक पुनर्वितीयन के कारण मौजूदा ऋण के उचित मूल्य में आई किसी प्रकार की कमी के लिए प्रावधान करें। उक्त खाते के विरुद्ध धारित प्रावधान को बैंक तभी पलट सकते हैं जब खाते में बकाया ऋण/ सुविधाएं 'विनिर्दिष्ट अवधि' के दौरान संतोषजनक रूप से कार्य करती हों (जैसा कि अग्रिमों की पुनर्रचना की मौजूदा मानदंडों में परिभाषित है), अर्थात्, उस अवधि के दौरान खाते में समस्त सुविधाओं पर ब्याज तथा मूलधन की चुकोती भुगतान की शर्तों के अनुसार होती

है। तथापि, जहां विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्य-निष्पादन नहीं पाया जाता है, पुनर्चित खाते का आस्ति वर्गीकरण मौजूदा आईआरएसी मानदंडों, तथा उस चुकौती अनुसूची के अनुसार जो नीचे पैरा 44 (ii) में बताए गए सन्दर्भ तिथि को मौजूद थी, यह मानते हुए किया जाएगा कि आस्ति वर्गीकरण में “स्टैंड- स्टिल” / उक्त अपग्रेड नहीं प्रदान किया गया है। तथापि, जिन मामलों में बैंक खातों से पूरी तरह अलग हो जाते हैं, अर्थात् उधारकर्ता के प्रति उनका कोई एकसपोजर शेष नहीं रहता है, अलग होने की तिथि को प्रावधान को समाप्त/अवशोषित किया जाए;

xiv. उपर्युक्त पैराग्राफ में उपलब्ध कराए गए आस्ति वर्गीकरण लाभ निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

क) “नया प्रवर्तक” वर्तमान प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह में से कोई व्यक्ति/संस्था/अनुषंगी कम्पनी/सहायक कम्पनी (देशी या विदेशी) नहीं होनी चाहिए। बैंकों को स्पष्ट रूप से यह स्थापित करना चाहिए कि अधिग्रहणकर्ता वर्तमान प्रवर्तक समूह से संबंध नहीं रखता है; और

ख) नई प्रवर्तक कम्पनी द्वारा उधारकर्ता कम्पनी की चुकता इक्विटी पूंजी का 51% अधिग्रहित कर लिया जाना चाहिए। यदि नया प्रवर्तक अनिवासी है तथा ऐसे सेक्टर में है जिनमें विदेशी निवेश पर अधिकतम सीमा 51 प्रतिशत से कम है, तो नए प्रवर्तक के पास चुकता इक्विटी पूंजी के न्यूनतम 26% अथवा लागू विदेशी निवेश की सीमा, जो भी अधिक हो, का स्वामित्व होना चाहिए बशर्ते बैंक संतुष्ट हों कि इस इक्विटी हिस्सेदारी के साथ नया अनिवासी प्रवर्तक कम्पनी का प्रबंधन नियंत्रित करता है।

44. इक्विटी के रूपांतरण का मूल्य नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा :

(i) बकाया ऋण (मूल धन तथा न चुकाए गए ब्याज) ऐसे “उचित मूल्य” पर किया जाएगा जो निम्नलिखित के न्यूनतम से अधिक नहीं होगा, बशर्ते “अंकित मूल्य” की न्यूनतम सीमा का पालन किया जाए कम्पनी अधिनियम 2013 कि धारा 53 के अंतर्गत प्रतिबंध);

क) बाजार मूल्य (सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए) : किसी मान्यताप्राप्त शेयर बाजार में लिखत के समापन मूल्यों का औसत नीचे (ii) में दर्शाई गई सन्दर्भ तिथि से पहले दस दिनों में;

ख) ब्रेक-अप मूल्य : प्रति शेयर बही मूल्य की गणना (“पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधियां हों” यदि हों, पर विचार किए बिना) पूर्ववर्ती पुनर्चना के बाद नकदी प्रवाहों तथा वित्तीयों को समायोजित कर के कम्पनी के नवीनतम लेखापरीक्षित तुलनपत्र से की जाएगी; तुलनपत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि नवीनतम तुलनपत्र उपलब्ध न हो, यह ब्रेक-अप मूल्य 1 रुपए होगा।

(ii) उपर्युक्त उचित मूल्य का निर्णय उस “सन्दर्भ तिथि” को किया जाएगा जो एसडीआर शुरू करने के जेएलएफ के निर्णय की तारीख होगी।

45. कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना के अंतर्गत कीमत निर्धारण के उपर्युक्त फार्मूले को कतिपय शर्तों के अधीन 05 मई 2015 को भारत सरकार के राजपत्र असाधारण भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) भाग III में, धारा -4 में प्रकाशित (दूसरा संशोधन) विनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गम तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2009 से छूट प्रदान की गई है। साथ ही, सूचीबद्ध कम्पनियों के मामले में, एसडीआर के अंतर्गत ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के कारण अधिग्रहणकर्ता ऋणदाता को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयरों और टेक ओवरों का पर्याप्त अधिग्रहण) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2015 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियम 2011 के विनियम 3 और विनियम 4 के प्रावधानों अंतर्गत खुला प्रस्ताव देने की बाध्यता से भी छूट प्राप्त होगी। इसे 05 मई 2015 को प्रकाशित भारत का राजपत्र असाधारण भाग III खंड 4 द्वारा अधिसूचित किया गया है। बैंकों को इस संबंध में सेबी द्वारा निर्धारित सभी शर्तों का पालन करना चाहिए।

46. एसडीआर के अंतर्गत ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के अलावा, बैंक मौजूदा पुनर्रचना दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋण सुविधाओं की पुनर्रचना के समय भी अपने ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर सकते हैं। तथापि, उपर्युक्त पैरा 45 में दिए गए ब्योरों के अनुसार, सेबी के विनियमों से छूट उपर्युक्त पैराग्राफों में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन करने के अधीन होगी।

47. ऐसे रूपांतरण के कारण शेयरों के अधिग्रहण को पूंजी बाजार एक्सपोजरों, पैरा-बैंकिंग गतिविधियों में निवेश और अंतरसमूह एक्सपोजर पर विनियामक सीमाओं / प्रतिबंधों से छूट प्राप्त होगी। तथापि, इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट किया जाना (आस्ति गुणवत्ता पर नियमित डीएसबी विवरणी के साथ प्रत्येक माह डीबीएस, केंद्रीय कार्यालय को रिपोर्ट किया जाना) तथा वार्षिक वित्तीय विवरणियों में 'लेखे पर टिप्पणियों' में बैंकों द्वारा प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित होगा। एसडीआर के अंतर्गत बैंकों द्वारा संस्थाओं के अधिग्रहीत इक्विटी शेयरों पर पैरा 44 (ii) में दिए गए अनुसार 'संदर्भ तिथि' से 18 माह की अवधि तक 150% जोखिम भार लगाया जाएगा। संदर्भ तिथि से 18 माह के बाद इन शेयरों पर मौजूदा पूंजी पर्याप्तता विनियमनों के अनुसार जोखिम भार लगाया जाएगा।

48. बैंकों द्वारा स्कीम के अंतर्गत अर्जित और धारित इक्विटी शेयरों को पैरा 43 (xi) में इंगित 18 माह की अवधि के लिए आवधिक मार्क-टू-मार्केट अपेक्षा (जिसे बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियो वर्गीकरण, मूल्यान और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के माध्यम से निर्धारित किया गया है) से छूट प्राप्त रहेगी।

49. किसी बैंक के किसी उद्यम में ऋण के इक्विटी में रूपांतरण के परिणामस्वरूप ऐसा हो सकता है कि बैंक 20% कि वोटिंग क्षमता से अधिक धारण कर रहा हो, जो लागू लेखांकन मानकों के अंतर्गत सामान्यतः निवेशक सहयोगी संबंध में फलित होगा। तथापि, चूंकि ऋणदाता एसडीआर के अंतर्गत अपने

अग्रिमों की तुष्टि में उधारकर्ता संस्था में ऐसी वोटिंग का अधिकार प्राप्त करता है, और ऋणदाताओं द्वारा प्रयोग किए जानेवाले अधिकार सहभागी प्रकृति के न होकर सुरक्षात्मक प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे निवेशों को “बैंकों द्वारा लेखांकन मानकों के अनुपालन हेतु दिशानिर्देश” पर 29 मार्च 2003 के परिपत्र बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.89/21.04.018/2002-2003 के अनुबंध के पैरा 10.2.3 के अनुसार सहयोगी कम्पनी में निवेश के रूप में न माना जाए।

भाग क

सकल अग्रिमों, सकल अनर्जक आस्तियों, निवल अग्रिमों तथा निवल अनर्जक आस्तियों का ब्यौरा

(दशमलव के दो अंकों तक करोड़ रुपये में)

	विवरण	राशि
1.	मानक अग्रिम	
2.	सकल अनर्जक आस्तियां*	
3.	सकल अग्रिम**(1+2)	
4.	सकल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में सकल अनर्जक आस्तियां (2/3)(%)	
5.	कटौतियां	
(i)	आस्ति वर्गीकरण के अनुसार अनर्जक आस्ति खातों के मामले में धारित प्रावधान (निर्धारित दरों से ऊँची दरों पर अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानों सहित)	
(ii)	प्राप्त निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम /निर्यात ऋण गारंटी निगम दावे तथा समायोजन के लिए लंबित रखे गए दावे	
(iii)	प्राप्त तथा उचंत खाते अथवा किसी अन्य समान खाते में रखा गया आंशिक भुगतान	
(iv)	अनर्जक आस्ति खातों के संबंध में फुटकर खाता (ब्याज पूंजीकरण - पुनर्चित खाते) में शेष	
(v)	अस्थिर प्रावधान ***	
(vi)	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में हास के बदले प्रावधान	
(vii)	मानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में हास के बदले प्रावधान	
6.	निवल अग्रिम (3-5)	
7.	निवल अनर्जक आस्ति {2-5(i+ii+iii+iv+v+ vi)}	
8.	निवल अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में निवल एनपीए(7/6)(% में)	
*	अनर्जक आस्ति खातों के संबंध में अनर्जक आस्तियों का मूल बकाया तथा निधिक ब्याज मीयादी ऋण (एफआईटीएल) जहाँ प्रतिपक्षी जमा फुटकर खाता (ब्याज पूंजीकरण-पुनर्चित खाता) में दिया गया हो।	
**	इस विवरण के प्रयोजन से 'सकल अग्रिम' का तात्पर्य सभी बकाया ऋण तथा अग्रिम है जिनमें वे अग्रिम भी शामिल हैं) जिनके लिए पुनर्वित्त प्राप्त हो गया है लेकिन जिनमें प्रधान कार्यालय स्तर पर बढ़ा-खाता की गई पुनर्भुनायी गई हुंडियां तथा अग्रिम शामिल नहीं हैं (तकनीक	

	बढ़ा खाता)।
***	अनर्जक आस्तियों की संगणना करते समय अस्थिर प्रावधानों को उसी सीमा तक घटाया जाएगा जिस सीमा तक बैंकों ने टीयर-II पूंजी के लिए उसका इस्तेमाल करने में इस विकल्प का प्रयोग किया है।

भाग ख

पूरक ब्यौरा

(दशमलव के दो अंकों तक करोड़ रुपये में)

	विवरण	राशि
1.	मानक आस्तियों के लिए प्रावधान जिनमें उपर्युक्त भाग अ का 5 (vi) शामिल नहीं है	
2.	मेमोरंडम मद के रूप में दर्ज ब्याज	
3.	उपर्युक्त भाग अ में सूचित अनर्जक आस्ति खातों के संबंध में संचयी तकनीकी बढ़ा-खाता की राशि	

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम - लक्ष्य और वर्गीकरण विषय पर 23 अप्रैल 2015 के परिपत्र एफआईडीडी.सीओ.प्लान.बीसी. 54/04.09.01/2014-15 के पैरा III (1.1) से कृषि ऋण की सूची से प्रासंगिक उद्धरण।

कृषि ऋण

- क) केवल कृषि में लिप्त अलग - अलग किसानों (स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) अर्थात् किसानों के समूहों सहित) को ऋण, बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों के एकीकृत न किए गए आंकड़े रखता हो। इसमें शामिल होंगे:
- (i) किसानों को फसल ऋण जिसमें पारंपरिक / गैर-पारंपरिक बागान एवं फल उद्यान शामिल होंगे।
 - (ii) कृषि के लिए मध्यम और दीर्घावधि ऋण (यथा कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, खेत में सिंचाई तथा अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के लिए विकास ऋण)।
 - (iii) फसल काटने से पूर्व और इसके बाद किए गए कार्यकलापों अर्थात् छिड़काव, निराई (विडिंग), फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) और उनके स्वयं के कृषि उत्पादों की ढुलाई।
 - (iv) किसानों को कृषि उत्पादों को गिरवी/दृष्टिबंधक रखने पर 12 माह से अनधिक अवधि के लिए 50 लाख रुपये तक के ऋण (गोदामों की रसीद सहित)।
 - (v) गैर-संस्थागत ऋणदाताओं के पास ऋणग्रस्त विपदाग्रस्त किसानों को ऋण
 - (vi) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को ऋण
 - (vii) छोटे और सीमांत किसानों को कृषि के प्रयोजन से जमीन खरीदने के लिए ऋण
- ख) कार्पोरेट किसानों, अलग-अलग किसानों के कृषि उत्पादक संगठनों/कंपनियों, साझेदारी फर्मों तथा केवल कृषि में सीधे तौर पर संलग्न किसानों की सहकारी समितियों को प्रति उधारकर्ता 2 करोड़ रुपये की समग्र सीमा तक ऋण। इसमें शामिल हैं :
- (i) किसानों को फसल ऋण जिसमें पारंपरिक/गैर-पारंपरिक बागान एवं फल उद्यान शामिल होंगे।
 - (ii) किसानों को कृषि के लिए मध्यम और दीर्घावधि ऋण (यथा कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, खेत में सिंचाई तथा अन्य विकासात्मक कार्यकलापों के लिए विकास ऋण)।
 - (iii) किसानों को फसल काटने से पूर्व और इसके बाद किए गए कार्यकलापों अर्थात् छिड़काव, निराई (विडिंग), फसल कटाई, छंटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग) और अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए ऋण
 - (iv) कृषि उत्पादों को गिरवी/दृष्टिबंधक रखकर 12 माह से अनधिक अवधि के लिए 50 लाख रुपये तक के ऋण (गोदामों की रसीद सहित)।

(ग) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) तथा बड़े आकार की आदिवासी बहुदेशीय समितियों (एलएएमपीएस) को कृषि के लिए आगे उधार देने हेतु बैंक ऋण ।

प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर की गणना हेतु प्रारूप

			राशि करोड़ रुपये में				
			30 सितम्बर 2010 की स्थिति के अनुसार प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर की गणना				
1	2	3	4	5	6	7	8
		सकल एनपीए [@] तथा तकनीकी/विवेकपूर्ण रूप से बढ़े खाते डालना*	धारित/अपेक्षित एनपीए के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान	एनपीए के रूप में वर्गीकृत पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में कमी हेतु प्रावधान	तकनीकी रूप से बढ़े खाते डालना	कुल (4+5+6)	(3) के प्रति (7) का अनुपात
1.	अवमानक अग्रिम						
2.	संदिग्ध अग्रिम (क+ख+ग)						
	क < 1 वर्ष						
	ख 1 से 3 वर्ष						
	ग >3 वर्ष						
3.	क्षत आस्तियों के रूप में वर्गीकृत अग्रिम						
4.	कुल						
5.	अग्रिमों के लिए अस्थायी प्रावधान (केवल उस सीमा तक जिसे टियर II पूंजी के रूप में प्रयुक्त नहीं किया गया है)						
6.	डीआईसीजीसी/ईसीजीसी से प्राप्त तथा समायोजन के लिए लंबित रखे गए दावे						
7.	प्राप्त हुए आंशिक भुगतान जिनको उचंत खाते अथवा इसके समनुरूप खाते में						

	रखा गया	
8.	कुल (पंक्ति 4+पंक्ति 5 + पंक्ति 6+ पंक्ति 7 के कॉलम 7 का योग)	
9.	प्रावधान सुरक्षा अनुपात {(पंक्ति 8 / पंक्ति 4 के कॉलम 3 का योग)*100}	
10.	यदि पीसीआर < 70 प्रतिशत, 70 प्रतिशत के पीसीआर को प्राप्त करने के लिए प्रावधानीकरण में कमी (पंक्ति 4 के कॉलम 3 का 70 प्रतिशत - पंक्ति 8)	
11	क यदि बैंक ने 70 प्रतिशत का पीसीआर प्राप्त कर लिया है तो प्रति-चक्रीय प्रावधानी - करण बफर- टियर II पूंजी के रूप में जिनका उपयोग नहीं किया गया है ऐसे अग्रिमों के लिए अस्थायी प्रावधान (पंक्ति 5)	
	ख यदि बैंक ने 70 प्रतिशत का पीसीआर प्राप्त नहीं किया है तो प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर- टियर II पूंजी के रूप में जिनका उपयोग नहीं किया गया है ऐसे अग्रिमों के लिए	

	<p>अस्थायी प्रावधान (पंक्ति 5)+70 प्रतिशत के पीसीआर को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रावधानीकरण में कमी ,यदि कोई हो (पंक्ति 10) और जिसे शीघ्रतिशीघ्र ही पूरा करना है</p>	
--	---	--

**सहायता संघीय/बहु बैंकिंग/समूहन व्यवस्थाओं के अंतर्गत
अग्रिमों की पुनर्रचना के लिए संगठनात्मक ढांचा**

क. कंपनी ऋण पुनर्रचना (सीडीआर) प्रणाली

1.1 उद्देश्य

कंपनी ऋण पुनर्रचना के ढांचे का उद्देश्य औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआइएफआर), ऋण वसूली अधिकरण (डीआरटी) तथा अन्य कानूनी कार्यवाही की परिधि से बाहर समस्याओं का सामना कर रही, संभाव्य क्षमता वाली कंपनियों के कंपनी ऋणों की पुनर्रचना के लिए समय पर और पारदर्शी तंत्र सुनिश्चित करना है, जो सभी संबंधित संस्थाओं के लिए लाभदायक हो। विशेष रूप से ढांचे का लक्ष्य संभाव्य क्षमता वाली उन कंपनियों को बचाना होगा जो कतिपय आंतरिक और बाह्य कारकों से प्रभावित हों और इसका उद्देश्य ऋणदाताओं तथा अन्य हितधारकों की हानियों को सुव्यवस्थित और समन्वित पुनर्रचना कार्यक्रम के माध्यम से कम से कम करना भी है।

1.2 व्याप्ति

एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण सुविधाओं का लाभ उठानेवाले उधारकर्ताओं के अग्रिमों की समन्वयित तरीके से पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर प्रणाली को तैयार किया गया है। सीडीआर प्रणाली एक संगठनात्मक ढांचा है जिसे एक से अधिक बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से वित्त लेनेवाले बड़े उधारकर्ताओं के पुनर्रचना के प्रस्तावों के तेजी से निपटान के लिए एक स्थायी रूप दिया गया है। यह प्रणाली किसी भी प्रकार के कार्य करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी:

क) उधारकर्ता उधार देने की बहु बैंकिंग/समूहन/सहायता संघीय प्रणाली के अंतर्गत एक से अधिक बैंक/वित्तीय संस्थाओं से उधार सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।

ख) कुल बकाया एक्सपोजर (निधि आधारित तथा निधीतर आधारित) 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

हमारे देश में कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली का ढांचा तीन स्तरीय होगा:

- कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच और उसका मुख्य समूह
- कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह
- कंपनी ऋण पुनर्चना कक्ष

2. कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच

- 2.1 कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच इस प्रणाली में भाग लेने वाली सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का प्रतिनिधिक सामान्य निकाय (बॉडी) होगा। सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों को अपने हित में इस प्रणाली में भाग लेना चाहिए। कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच स्वयं में एक अधिकारप्राप्त निकाय होगा, जो नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा तथा कंपनी ऋण पुनर्चना की प्रगति पर निगरानी रखेगा।
- 2.2 यह मंच ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं दोनों के लिए (परामर्श द्वारा) सभी संबंधित संस्थाओं के हित में ऋण पुनर्चना योजनाएं बनाने के लिए नीतियां और दिशानिर्देश परस्पर सहमति से और सामूहिक रूप से विकसित करने के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान करेगा।
- 2.3 कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड; अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक; प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक निदेशक, आइसीआइसीआइ बैंक; अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ और साथ ही प्रणाली में स्थायी सदस्य के रूप में भाग लेने वाले सभी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शामिल होंगे। चूंकि भारतीय यूनिट ट्रस्ट, साधारण बीमा निगम, जीवन बीमा निगम जैसी संस्थाओं को कुछ ऋणकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम उठाने पड़े होंगे, अतः ये संस्थाएं कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली में भाग ले सकती हैं। यह मंच एक वर्ष की अवधि के लिए अपना अध्यक्ष चुनेगा और बाद के वर्षों में क्रमिक रूप से

चयन का सिद्धांत अपनाया जायेगा। परंतु यह मंच कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच को मार्गदर्शन देने और मंच के निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णकालिक अधिकारी के रूप में एक कार्यकारी अध्यक्ष रखने का निर्णय कर सकता है। रिज़र्व बैंक, कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच और मुख्य समूह का सदस्य नहीं होगा। इसकी भूमिका विस्तृत दिशानिर्देश प्रदान करने तक सीमित होगी।

- 2.4 कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच की बैठक हर छः महीने में कम से कम एक बार होगी और मंच कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करेगा और उस पर निगरानी रखेगा। यह मंच ऋण की पुनर्चना के लिए कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जानेवाली नीतियाँ और दिशानिर्देश जिनमें पुनर्चना के लिए महत्वपूर्ण मानदंड शामिल हैं (उदाहरण के लिए पुनर्चना पैकेज के अंतर्गत किसी इकाई के सक्षम हो जाने की अधिकतम अवधि, प्रवर्तकों के न्यूनतम स्तर के त्याग आदि) भी निर्धारित करेगा तथा उनके सुचारू रूप से कार्य निष्पादन और ऋण पुनर्चना के लिए निर्धारित समय अनुसूचियों का पालन सुनिश्चित करेगा। यह मंच कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह और ऋण पुनर्चना कक्ष के अलग-अलग निर्णयों की भी समीक्षा करेगा। कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच उन मामलों के निपटान के लिए विशेष व्यवहार हेतु दिशानिर्देश भी बना सकता है जो जटिल हैं तथा जिनमें उनपर कार्रवाई के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा से अधिक देरी होने की संभावना है।
- 2.5 कंपनी ऋण पुनर्चना का मुख्य समूह (कोर ग्रुप) कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच में से बनाया जायेगा, जो स्थायी मंच की ओर से बैठकों के संयोजन और नीति संबंधी निर्णय लेने में स्थायी मंच की सहायता करेगा। इस मुख्य समूह में आइडीबीआइ, भारतीय स्टेट बैंक, आइसीआइसीआइ बैंक ल., बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक होंगे तथा भारतीय बैंक संघ के उपाध्यक्ष भी होंगे जो भारत में विदेशी बैंकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
- 2.6 कंपनी ऋण पुनर्चना मुख्य समूह ऋण की पुनर्चना के लिए कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) कक्ष द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियां और दिशानिर्देश निर्धारित करेगा। इन दिशा-निर्देशों में कंपनी ऋण

पुनर्विन्यास अधिकारप्राप्त समूह की कार्यप्रणाली में अनुभव की गयी परिचालन संबंधी कठिनाइयों को उपयुक्त रूप से दूर करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। कंपनी ऋण पुनर्चना मुख्य समूह कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली को भेजे जाने वाले मामलों की जांच के लिए पर्ट(PERT) चार्ट भी निर्धारित करेगा तथा समय सीमा को लागू करने के तरीकों पर निर्णय लेगा। कंपनी ऋण पुनर्चना मुख्य समूह ऐसे दिशा-निर्देश भी निर्धारित करेगा जिनसे यह सुनिश्चित हो कि पुनर्चना प्रस्ताव तैयार/अनुमोदित करते समय अति आशावादी अनुमान (प्रोजेक्शन) नहीं किये जाते, विशेष रूप से क्षमता के उपयोग, उत्पाद की कीमत, लाभ मार्जिन, मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, आगत-निर्गत अनुपात तथा आयातों/अंतरराष्ट्रीय लागत संबंधी प्रतिस्पर्धा के संभावित प्रभाव के संबंध में।

3. कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) अधिकारप्राप्त समूह

3.1 सीडीआर के अलग-अलग मामलों का निर्णय कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकार प्राप्त समूह द्वारा किया जायेगा, जिसमें आइडीबीआइ लि., आईसीआईसीआई बैंक लि. और भारतीय स्टेट बैंक के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि स्थायी सदस्य होंगे। इसके अतिरिक्त वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के कार्यपालक निदेशक के स्तर के प्रतिनिधि तो होंगे ही जिनका संबंधित कंपनी के प्रति ऋण आदि जोखिम विद्यमान है। जहां स्थायी सदस्य समूह की बैठकों के संचालन को सुसाध्य बनाएंगे, वहीं वोटिंग केवल ऋणदाताओं के ऋण जोखिम के अनुपात में होगी। कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह प्रभावशाली एवं व्यापक आधार वाला हो तथा कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सहभागी संस्थाएं /बैंक वरिष्ठ अधिकारियों के ऐसे पैनल को अनुमोदित करें जो कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह में उनका प्रतिनिधित्व करें और यह सुनिश्चित किया जाये कि वे कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह की बैठकों में भाग लेने के लिए पैनल में से ही अधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके साथ ही, एक खाते से संबंधित बैठक में भाग लेने वाले नामिती को ही उस खाते से संबंधित सभी बैठकों में बिना चूके भाग लेना चाहिए, न कि उनके प्रतिनिधियों को।

3.2 कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह में बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का प्रतिनिधित्व पर्याप्त रूप से वरिष्ठ स्तर का होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संबंधित बैंक/ वित्तीय संस्था त्याग सहित ऋण पुनर्चना की आवश्यक वचनबद्धताओं का

पालन करती है। सहभागी संस्थाओं/बैंकों के संबंधित बोर्डों द्वारा कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह के प्रतिनिधियों के पक्ष में सामान्य प्राधिकरण होना चाहिए, जिसमें अलग-अलग कंपनियों के ऋण पुनर्चना के संबंध में संगठन की ओर से निर्णय लेने के लिए उन्हें प्राधिकृत किया गया हो।

3.3 उक्त अधिकारप्राप्त समूह सीडीआर कक्ष द्वारा उसे प्रस्तुत पुनर्चना के अनुरोधों के सभी मामलों की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार करेगा। अधिकारप्राप्त समूह द्वारा यह निर्णय किये जाने के बाद की प्रथम दृष्टि में कंपनी की पुनर्चना संभव है और स्थायी मंच द्वारा बनायी गयी नीति और दिशा-निर्देशों के अनुसार यह उद्यम संभाव्य रूप से अर्थक्षम है, तो सी डी आर कक्ष द्वारा प्रमुख संस्थान के सहयोग से विस्तृत पुनर्चना पैकेज तैयार किया जायेगा। तथापि, यदि प्रमुख संस्थान के सामने विस्तृत पुनर्चना पैकेज कार्यक्रम बनाने में कठिनाई आती है तो सहभागी बैंकों /वित्तीय संस्थाओं को ऐसी वैकल्पिक संस्था/बैंक का निर्णय लेना चाहिए जो अधिकारप्राप्त समूह की पहली बैठक में, जब कंपनी ऋण पुनर्चना कक्ष की प्रारंभिक रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा हो, विस्तृत पुनर्चना कार्यक्रम तैयार करेगा।

3.4 कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह को ऋण की पुनर्चना के प्रत्येक मामले को देखने, कंपनी की अर्थक्षमता तथा पुनर्व्यवस्था की संभावना की जांच करने तथा 90 दिन की विनिर्दिष्ट अवधि अथवा अधिकारप्राप्त समूह को मामला प्राप्त होने के अधिक से अधिक 180 दिन के भीतर पुनर्चना पैकेज को अनुमोदित करने का कार्य सौंपा जायेगा। कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह निम्नलिखित उदाहरणस्वरूप मानदंडों के आधार पर स्वीकार्य व्यवहार्यता आधार (बेंचमार्क) स्तर निश्चित करेगा, जो अलग-अलग मामले के गुणदोषों के आधार पर प्रत्येक मामले के आधार पर लागू होंगे

- * लगायी गयी पूंजी पर प्रतिफल
- * ऋण शोधन व्याप्ति अनुपात
- * प्रतिफल की आंतरिक दर और निधि की लागत के बीच अंतर
- * परित्याग (सेक्रीफाइस) की सीमा

3.5 प्रत्येक बैंक /वित्तीय संस्था के बोर्ड द्वारा अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी और/या कार्यपालक निदेशक को प्राधिकृत किया जाना चाहिए कि वह कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के पास आने वाले मामलों के संदर्भ में नियंत्रण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपेक्षित

आवश्यकताओं सहित पुनर्चना पैकेज कार्यक्रम के बारे में निर्णय ले सके। कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह प्रत्येक ऋण खाते के संदर्भ में दो या तीन बार मिलेगा। इससे सहभागी सदस्यों को उन मामलों के संदर्भ में जहां पुनर्चना के जटिल महत्वपूर्ण मानदंड उन्हें दिये गये प्राधिकार की सीमा से ऊपर हैं, आवश्यकता होने पर अपने मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक से उचित प्राधिकार की मांग करने का अवसर प्राप्त होगा।

3.6 कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह के निर्णय अंतिम होंगे। यदि ऋण की पुनर्चना अर्थक्षम और संभाव्य पायी जाये और अधिकारप्राप्त समूह द्वारा स्वीकार की जाये, तो कंपनी को पुनर्चना प्रणाली में रखा जायेगा। तथापि, यदि पुनर्चना को अर्थक्षम नहीं पाया जाये, तो लेनदार प्राप्य राशि की तत्काल वसूली और/या समापन या कंपनी को बंद करने के लिए सम्मिलित रूप से या अलग-अलग आवश्यक कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

4. कंपनी ऋण पुनर्चना (सीडीआर) कक्ष

4.1 सीडीआर स्थायी मंच तथा सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह को उनके सभी कार्यों में एक कंपनी ऋण पुनर्चना कक्ष द्वारा सहायता प्रदान की जायेगी। यह सीडीआर कक्ष ऋणकर्ताओं/ऋणदाताओं से प्राप्त प्रस्तावों की, प्रस्तावित पुनर्चना योजना और अन्य सूचना मंगवाकर प्रारंभिक संवीक्षा करेगा और मामले को सीडीआर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष एक महीने के भीतर रखेगा, ताकि यह निर्णय किया जा सके कि प्रथम दृष्टि में पुनर्चना संभाव्य है या नहीं। यदि संभाव्य है, तो सीडीआर कक्ष ऋणदाताओं की सहायता से विस्तृत पुनर्चना योजना तैयार करेगा तथा यदि आवश्यक हुआ तो बाहर से विशेषज्ञों को भी कार्य में लगायेगा। यदि मामला प्रथम दृष्टि में संभाव्य नहीं पाया जाता तो ऋणदाता अपनी प्राप्य राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।

4.2 ऋणदाताओं या ऋणकर्ताओं द्वारा कंपनी ऋण पुनर्चना के सभी मामले सी डी आर कक्ष को भेजे जायेंगे। अग्रणी संस्था /कंपनी के प्रमुख हितधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अन्य हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर प्रारंभिक पुनर्चना योजना तैयार करें और एक महीने के भीतर सी डी आर कक्ष को प्रस्तुत करें। सीडीआर कक्ष सीडीआर स्थायी मंच द्वारा अनुमोदित सामान्य नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्चना योजना तैयार करेगा तथा निर्णय के लिए 30 दिन के भीतर अधिकारप्राप्त समूह के समक्ष विचारार्थ

रखेगा। अधिकारप्राप्त समूह उसे अनुमोदित कर सकता है या संशोधन का सुझाव दे सकता है, परंतु यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतिम निर्णय 90 दिन की कुल अवधि के भीतर ले लिया जाना चाहिए। तथापि, पर्याप्त कारण होने पर, यह अवधि सीडीआर कक्ष को मामला प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 180 दिन तक बढ़ायी जा सकती है।

4.3 कंपनी ऋण पुनर्चना स्थायी मंच, कंपनी ऋण पुनर्चना अधिकारप्राप्त समूह और कंपनी ऋण पुनर्चना कक्ष का कार्यस्थल प्रारंभ में आइडीबीआइ लि. में होगा और उसके बाद यदि आवश्यक समझा जाए तो स्थायी मंच द्वारा निर्णय किये गये स्थान पर अंतरित किया जा सकेगा। प्रशासनिक तथा अन्य लागतों में सभी वित्तीय संस्थाओं और बैंकों की हिस्सेदारी होगी। हिस्सेदारी का स्वरूप स्थायी मंच द्वारा तय किये गये रूप में होगा।

4.4 सीडीआर कक्ष के लिए पर्याप्त स्टाफ-सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। सीडीआर कक्ष बाहर के व्यावसायिकों की सहायता भी ले सकता है। सीडीआर कक्ष सहित कंपनी ऋण पुनर्चना तंत्र के परिचालन की लागत की पूर्ति मुख्य समूह (कोर ग्रुप) में रहने वाली वित्तीय संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 50 लाख रुपये की दर से तथा अन्य संस्थाओं और बैंकों से प्रत्येक द्वारा 5 लाख रुपये की दर से अंशदान द्वारा की जायेगी।

5. अन्य विशेषताएं

5.1 पात्रता मानदंड

5.1.1 यह योजना उन खातों पर लागू नहीं होगी, जिनमें केवल एक वित्तीय संस्था या एक बैंक शामिल है। कंपनी ऋण पुनर्चना तंत्र में बैंकों और संस्थाओं द्वारा दिये गये 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निधि आधारित और गैर निधि आधारित बकाया ऋण आदि जोखिम वाले कंपनी उधारकर्ताओं के बहुविध बैंकिंग खाते/समूहन/सहायता संघीय खाते शामिल होंगे।

5.1.2 श्रेणी 1 सीडीआर प्रणाली केवल उन्हीं खातों पर लागू होगी जिन्हें 'मानक' और 'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां किसी बैंक द्वारा ऋण का एक छोटा भाग ही संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया हो। इस स्थिति में, यदि खाते को कम-से-कम 90 प्रतिशत ऋणदाताओं की बहियों में (मूल्य के अनुसार) 'मानक'/'अवमानक' के रूप में वर्गीकृत किया गया हो तो उसे 10 प्रतिशत शेष ऋणदाताओं की बहियों में सी डी आर के लिए पात्र के रूप में खाते का निर्णय करने के प्रयोजन के लिए ही मानक /अवमानक के रूप में माना जायेगा। सीडीआर प्रणाली को भेजने के पूर्व किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए खाते/कंपनी को रुग्ण, अनर्जक आस्ति होने या चूक वाली होने की आवश्यकता नहीं होगी। किंतु अनर्जक आस्ति के अर्थक्षम संभाव्य मामलों को प्राथमिकता मिलेगी। इस दृष्टिकोण से आवश्यक लचीलापन मिलेगा और ऋण पुनर्चना के लिए समय पर हस्तक्षेप किया जा सकेगा। कोई मील का पत्थर निर्दिष्ट करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ऋण पुनर्चना करने का कार्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा या उनकी सहमति से किया जा रहा है।

5.1.3 जब कि किसी भी बैंक में धोखाधड़ी और कदाचार में लिप्त कार्पोरेटों को सीडीआर तंत्र के अंतर्गत पुनर्चना के लिए अब तक की तरह अपात्र माना जाता रहेगा, प्रमुख समूह, जानबूझकर चूककरनेवालों को वर्गीकृत करने के कारणों की समीक्षा कर सकता है विशेषकर पुराने मामलों में जहां जानबूझकर चूककरने वाले के रूप में एक उधारकर्ता का वर्गीकरण करना पारदर्शी नहीं था तथा इस बात से स्वयं को संतुष्ट कर लेगा कि उधारकर्ता जानबूझकर उधार करने वाली स्थिति को सुधारने की स्थिति में है, बशर्ते सीडीआर तंत्र के अंतर्गत उसे एक अवसर दिया जाए। ऐसे अपवाद स्वरूप मामले सिर्फ प्रमुख समूह के अनुमोदन से ही पुनर्चना के लिए स्वीकार किए जा सकते हैं। प्रमुख समूह यह सुनिश्चित करे कि धोखाधड़ी या निधि के नाजायज इरादे के लिए विपथन के मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा।

5.1.4 ऐसे खाते जहां ऋणदाता द्वारा कंपनी के खिलाफ वसूली मुकदमा दायर किया गया है, कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत मामले को निपटाने के लिए ऋणदाताओं के कम से कम 75 प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) और ऋणदाताओं के 60 प्रतिशत (संख्या के अनुसार) द्वारा कार्रवाई करने का निर्णय लिया हो।

5.1.5 औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के मामले कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चना के लिए पात्र नहीं हैं। किंतु उक्त बोर्ड के उच्च मूल्य के मामले उस स्थिति में कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चना के पात्र होंगे जब कंपनी ऋण पुनर्चना मुख्य समूह द्वारा विशेष रूप से उनकी सिफारिश की गयी हो। मुख्य समूह अपवादस्वरूप बीआइएफआर के मामलों की कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली के अंतर्गत विचार किये जाने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर सिफारिश करेगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऋण देनेवाली संस्थाएं पैकेज कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के पहले बी आइ एफ आर से अनुमोदन प्राप्त करने संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरी करती हैं।

5.2 कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली को मामला भेजना

5.2.1 कंपनी ऋण पुनर्चना तंत्र को मामला निम्नलिखित द्वारा भेजा जा सकता है - (i) किसी एक या अधिक ऐसे जमानती ऋणदाता द्वारा जिसका कार्यकारी पूंजी या मीयादी वित्त में न्यूनतम 20 प्रतिशत अंश है या (ii) संबंधित कंपनी द्वारा, यदि किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा समर्थित हो जिसका उपर्युक्त (i) में दिये गये अनुसार हित हो।

5.2.2 हालांकि लचीलापन उपलब्ध है, जिसके द्वारा ऋणदाता कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली की परिधि के बाहर पुनर्चना पर विचार कर सकते हैं अथवा जहां आवश्यक हो, वहां कानूनी कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं, फिर भी बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को ऐसे सभी पात्र मामलों की समीक्षा करनी चाहिए जिनमें वित्तीय प्रणाली का ऋण आदि जोखिम 100 करोड़ रुपये से अधिक है तथा इस बारे में निर्णय करना चाहिए कि मामला कंपनी ऋण पुनर्चना प्रणाली को भेजा जाए या नये वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतीकरण और पुनर्चना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई की जाये या ऋण वसूली न्यायाधिकरण आदि के अंतर्गत मुकदमा दायर किया जाये।

5.3 कानूनी आधार

5.3.1 सीडीआर प्रक्रिया एक गैर-सांविधिक प्रक्रिया होगी जो ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर-ऋणदाता करार (आइसीए) पर आधारित स्वैच्छिक प्रणाली होगी। कंपनी ऋण पुनर्चना तंत्र के लिए कानूनी आधार ऋणकर्ता - ऋणदाता करार (डीसीए) और अंतर-

ऋणदाता करार द्वारा प्रदान किया जायेगा। ऋणकर्ता को या तो मूल ऋण के दस्तावेज तैयार करते समय (भविष्य के मामलों के लिए) अथवा कंपनी ऋण पुनर्रचना कक्ष को मामला भेजते समय ऋणकर्ता - ऋणदाता करार को स्वीकार करना होगा। इसी तरह, स्थायी मंच की अपनी सदस्यता के माध्यम से सीडीआर तंत्र के सभी सहभागियों को, आवश्यक प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों सहित, निर्धारित नीतियों और दिशानिर्देशों के माध्यम से प्रणाली को परिचालित करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी करार करना होगा। ऋणदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित आइसीए प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे उसके बाद और 3 वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। विदेशी मुद्रा में देश से बाहर ऋण प्रदान करनेवाले ऋणदाता सीडीआर प्रणाली में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ऋणदाता और जीआइसी, एलआइसी, यूटीआइ आदि ऋणदाता जो सीडीआर प्रणाली में शामिल नहीं हुए हैं, किसी कार्पोरेट विशेष की सीडीआर प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए उन्हें कार्पोरेट से संबंधित ऋण आदि जोखिम के लिए लेनदेन-वार आइसीए पर हस्ताक्षर करना होगा।

5.3.2 अंतर-ऋणदाता करार अपेक्षित प्रवर्तन और दंडात्मक शर्तों के साथ ऋणदाताओं के बीच कानूनी बाध्यता का करार होगा, जिसमें ऋणदाताओं को सीडीआर तंत्र के विभिन्न तत्वों का पालन करने का उन्हें वचन देना होगा। साथ ही, ऋणदाताओं को इससे सहमत होना पड़ेगा कि यदि मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाता वर्तमान ऋण (अर्थात् बकाया ऋण) के पुनर्रचना पैकेज के लिए सहमत होते हैं, तो वही शेष ऋणदाताओं पर भी बाध्यकारी होगा। चूंकि सीडीआर योजना के वर्ग 1 में मानक और अवमानक खाते ही आते हैं जिनके संबंध में मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत ऋणदाताओं के विचार में सीडीआर पैकेज लागू होने के बाद ये निष्पादक हो सकते हैं, अतः यह अपेक्षा की जाती है कि अन्य सभी ऋणदाता (अर्थात् न्यूनतम मूल्य के आधार पर 75 प्रतिशत और संख्या के आधार पर 60 प्रतिशत से भिन्न) सहमत अतिरिक्त वित्तपोषण सहित समग्र सीडीआर पैकेज में शामिल होने के इच्छुक होंगे।

5.3.3 सीडीआर तंत्र का प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायता संघ/समूहन खातों के ऋण करारों में एक खंड जोड़ा जा सकता है, जिससे उन ऋणदाताओं सहित जो सीडीआर तंत्र के सदस्य नहीं हैं, सभी ऋणदाता इस बात के लिए सहमति दें कि वे पुनर्रचना आवश्यकता पड़ने पर

सीडीआर तंत्र के अंतर्गत अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज की शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

5.3.4 ऋणकर्ता-ऋणदाता करार का एक महत्वपूर्ण तत्व दोनों ओर से 90 दिन या 180 दिनों के लिए बाध्यकारी 'ठहराव' करार होगा। इस खंड के अंतर्गत, ऋणकर्ता और ऋणदाता (ऋणदाताओं) दोनों को कानूनी तौर पर बाध्यकारी 'ठहराव' के लिए सहमत होना पड़ेगा, जिससे दोनों पार्टियों को 'ठहराव' अवधि के दौरान किसी अन्य कानूनी कार्रवाई का सहारा न लेने का वचन देना होगा, ताकि न्यायिक अथवा अन्य किसी बाहरी हस्तक्षेप के बिना आवश्यक ऋण पुनर्रचना करने के लिए सीडीआर तंत्र आवश्यक कदम उठा सके। परंतु ठहराव खंड ऋणकर्ता अथवा ऋणदाता द्वारा दूसरे पक्ष के विरुद्ध सिविल कार्रवाई के लिए लागू होगा, न कि किसी आपराधिक कार्रवाई के लिए। इसके अतिरिक्त, ठहराव की अवधि के दौरान बकाया विदेशी मुद्रा वायदा संविदाओं (फॉरवर्ड कंट्रैक्ट्स), डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स आदि को निश्चित रूप (क्रिस्टेलाइजेशन) दिया जा सकता है, बशर्ते कि उधारकर्ता ऐसा करने के लिए सहमत हो। ऋणकर्ता यह अतिरिक्त वचन भी देगा कि ठहराव की अवधि के दौरान परिसीमन (लिमिटेशन) के प्रयोजन के लिए दस्तावेज की परिसीमन अवधि विस्तारित हुई मानी जायेगी और यह भी कि वह राहत के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के पास नहीं जायेगा और ऋणकर्ता कंपनी के निदेशक यथास्थिति की इस अवधि के दौरान निदेशक मंडल से इस्तीफा नहीं देंगे।

5.4 अतिरिक्त वित्त का बंटवारा

5.4.1 'मानक' या 'अवमानक' खाते के सभी ऋणदाताओं द्वारा समानुपातिक आधार पर अतिरिक्त वित्त, यदि कोई हो, प्रदान करना होगा चाहे वे कार्यशील पूंजी ऋणदाता हों या मीयादी ऋणदाता। किसी आंतरिक कारण से कोई भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) अतिरिक्त वित्तपोषण नहीं करना चाहता, उस ऋणदाता को पैरा 5.6 के प्रावधानों के अनुसार एक विकल्प उपलब्ध होगा।

5.4.2 अतिरिक्त एक्सपोजर के संबंध में वसूलियों से प्राप्त होनेवाले नकदी प्रवाहों पर अतिरिक्त वित्त प्रदान करनेवाले मौजूदा ऋणदाताओं अथवा नए ऋणदाताओं का विद्यमान वित्त के प्रदाताओं की अपेक्षा पहला अधिकार होगा और पुनर्रचना पैकेज में ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

5.5 प्रणाली से बाहर होने का विकल्प

5.5.1 जैसा कि पैराग्राफ 5.4.1 में उल्लेख किया गया है, किसी भी ऋणदाता (न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत से बाहर) जो किसी आंतरिक कारण से वित्त नहीं लगाना चाहता के लिए एक विकल्प है। साथ ही, "फ्री राइडर" समस्या से बचने के लिए इस विकल्प को अपनाने के इच्छुक ऋणदाता के लिए कुछ निरुत्साहक कार्रवाई करना जरूरी है। ऐसे ऋणदाता चाहे तो (क) नए या वर्तमान ऋणदाता द्वारा प्रदान किए जाने वाले अतिरिक्त वित्त में से अपने शेयर (हिस्से) की व्यवस्था करे या (ख) सीडीआर पैकेज प्रभावी हो जाने के बाद, प्रथम वर्ष के देय ब्याज को आस्थगित करने के लिए सहमत हो। ऊपर उल्लिखित आस्थगित प्रथम वर्ष का ब्याज, बिना चक्रवृद्धि ब्याज के, ऋणदाता को देय मूलधन की अंतिम किस्त के साथ अदा करना होगा।

5.5.2 इसके अतिरिक्त, प्रणाली से बाहर होने का विकल्प भी न्यूनतम 75 प्रतिशत और 60 प्रतिशत के अंतर्गत सभी ऋणदाताओं के लिए उपलब्ध रहेगा बशर्ते खरीदार, अधिकारप्राप्त समूह द्वारा अनुमोदित पुनर्रचना पैकेज का पालन करने के लिए सहमत हो। वर्तमान ऋणदाताओं को उधारकर्ता को उनके विद्यमान ऋण आदि जोखिम के स्तर पर रहने दिया जाए बशर्ते वे वर्तमान ऋणदाताओं के साथ या अतिरिक्त वित्त के अपने अंश को वहन करनेवाले नए ऋणदाताओं के साथ गठजोड़ करे।

5.5.3 पैकेज से बाहर जाने की इच्छा रखने वाले ऋणदाताओं को एक विकल्प है कि वे अपने विद्यमान शेयर, वर्तमान ऋणदाताओं या नए ऋणदाताओं को एक उचित मूल्य पर बेच सकते हैं, जो वर्तमान ऋणदाता और भारग्रहण करनेवाले नए ऋणदाता के बीच आपसी समझौते से तय किया जाएगा। नए ऋणदाताओं को चुकौती और प्राप्य राशि की सर्विसिंग के लिए समान स्थान पर रखा जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्तमान ऋणदाता से विद्यमान प्राप्य राशि खरीदी है।

5.5.4 प्रणाली से बाहर जाने के विकल्प को अधिक लचीला बनाने के लिए पुनर्रचना पैकेज के एक हिस्से के तौर पर जहां आवश्यक हो वहां 'एक मुश्त निपटान' करने पर भी विचार किया जा सकता है। यदि उधारकर्ता द्वारा किसी ऋणदाता के किसी खाते को सीडीआर तंत्र में भेजने से पहले 'एक मुश्त निपटान' के अधीन कर दिया जाता है, तो पुनर्रचना पैकेज के अंतर्गत ऐसे किसी भी 'एक मुश्त निपटान'की पूरित प्रतिबद्धता को नहीं उलटा जाए। ऐसे 'एक मुश्त निपटान' से निकलने वाली आगे की भुगतान प्रतिबद्धताओं को पुनर्रचना पैकेज में फैक्टर किया जाएगा।

5.6 श्रेणी 2 सीडीआर प्रणाली

5.9.10 ऐसे मामले भी हुए हैं जहां परियोजना को ऋणदाताओं द्वारा संभाव्यता वाली परियोजना के रूप में माना गया, परंतु खातों को सी डी आर प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चना के लिए इसलिए नहीं लिया जा सका कि वे 'संदिग्ध' की श्रेणी में आते थे। अतः सीडीआर की दूसरी श्रेणी का ऐसे मामलों के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रारंभ किया गया जहां खातों को ऋणदाता द्वारा बहियों में 'संदिग्ध' के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा ऋणदाताओं का न्यूनतम 75 प्रतिशत (मूल्य के आधार पर) और 60 प्रतिशत (संख्या के आधार पर) खातों की संभाव्यता से संतुष्ट होकर ऐसे पुनर्चना के लिए सहमत है:

- (i) ऋण पुनर्चना पैकेज के अंतर्गत ऋणदाता के लिए यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पैकेज द्वारा निर्धारित अतिरिक्त वित्तपोषण को स्वीकार करे और ऋण देने अथवा न देने का निर्णय प्रत्येक ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्था पर अलग से निर्भर होगा। दूसरे शब्दों में, सीडीआर तंत्र के प्रस्तावित केवल विद्यमान ऋण ही पुनर्व्यवस्थापित किया जायेगा और यह प्रायोजक पर निर्भर है कि अतिरिक्त वित्तपोषण की व्यवस्था विद्यमान ऋणदाताओं से की जाये अथवा नये ऋणदाताओं से।
- (ii) सीडीआर प्रक्रिया संबंधी अन्य सभी मानदंड, जैसे कि ठहराव खंड, सीडीआर के अंतर्गत पुनर्चना लंबित रहने की अवधि के दौरान आस्ति वर्गीकरण की स्थिति आदि इस श्रेणी के लिए भी लागू होते रहेंगे।

5.9.11 कोई एकल मामला भारतीय रिज़र्व बैंक को न भेजा जाए। सीडीआर कोर समूह यह निर्णय ले सकता है कि कोई विशिष्ट मामला सीडीआर दिशा-निर्देशों के अधीन आता है अथवा नहीं।

5.9.12 सीडीआर प्रणाली की अन्य सभी विशिष्टताएं जो प्रथम श्रेणी के लिए प्रयोज्य हैं, वे सभी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत पुनर्व्यवस्थापित मामलों के लिए भी लागू होंगी।

5.7 'प्रतिदान का अधिकार' खंड का समावेश

सीडीआर अनुमत सभी पैकेजों में त्वरित गति से चुकौती करने के ऋणदाताओं के अधिकार और समय से पहले भुगतान करने के उधारकर्ताओं के अधिकार को शामिल करना चाहिए। सभी सीडीआर अनुमोदित पैकेजों में ऋणदाता के चुकौती को तेज करने और उधारकर्ता के पहले

चुकोती करने के अधिकार को शामिल किया जाना सभी पुनर्रचना पैकेजों में भरपाई करने के अधिकार की शर्त को शामिल किया जाना चाहिए तथा उसे उदारकर्ता के निश्चित कार्य-निष्पादन मानदंड पर आधारित होना चाहिए। किसी भी मामले में ऋणदाता द्वारा भरपाई राशि के 75 प्रतिशत की वसूली की जानी चाहिए, और ऐसे मामलों में, जहां पुनर्रचना के अंतर्गत आधार दर से नीचे कुछ सुविधा दी गई है, भरपाई राशि के 100 प्रतिशत की वसूली की जानी चाहिए। प्रतिपूर्ति अधिकार स्थायी मंच द्वारा निर्धारित किये जाने वाले विशिष्ट कार्यनिष्पादन मानदंडों पर आधारित होने चाहिए।

आ. छोटे तथा मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण पुनर्रचना प्रणाली

छोटे तथा मझौले उद्यमों (एसएमई) द्वारा लिए गए ऋणों की पुनर्रचना के लिए सीडीआर प्रणाली से काफी सरल प्रणाली विद्यमान है। सीडीआर प्रणाली के विपरीत इस प्रणाली के परिचालनगत नियम संबंधित बैंकों को ही बनाने हैं। यह प्रणाली उन सभी उधारकर्ताओं पर लागू होगी जिनका बहु/सहायता संघीय बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 करोड़ रुपये तक का निधिक तथा निधीतर बकाया है। इस व्यवस्था के मुख्य तत्व निम्नानुसार हैं:

- i) इस प्रणाली के अंतर्गत बैंक अपने निदेशक बोर्ड के अनुमोदन से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के भीतर एसएमई के लिए एक ऋण पुनर्रचना योजना बना सकते हैं। बैंक चाहें तो एसएमई के भीतर ही भिन्न क्षेत्रों के उधारकर्ताओं के लिए भिन्न नीतियां बना सकते हैं।
- ii) योजना बनाते समय बैंक यह सुनिश्चित करें कि योजना समझने में आसान है और उसमें कम-से-कम इन दिशानिर्देशों में निर्दिष्ट मानदंड शामिल हैं।
- iii) योजना का मुख्य आधार यह है कि जिस बैंक का अधिकतम बकाया है वह बैंक बकाया राशि में जिस बैंक का दूसरा क्रम है के साथ मिलकर पुनर्रचना पैकेज बना सकता है।
- iv) बैंकों को अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन की अधिकतम अवधि के भीतर पुनर्रचना पैकेज बनाकर उसका कार्यान्वयन करना चाहिए।
- v) एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली किसी भी प्रकार का कार्य करनेवाले सभी उधारकर्ताओं को उपलब्ध होगी।

- vi) एसएमई खातों के पुनर्वास तथा पुनर्रचना में हुई प्रगति की बैंक तिमाही आधार पर समीक्षा करेंगे और बोर्ड को अवगत करायें।

प्रमुख अवधारणाएं

(i) **अग्रिम**

'अग्रिम' शब्द का अर्थ होगा सभी प्रकार की ऋण सुविधाएं जिनमें नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट, मीयादी ऋण, भुनाए /खरीदे गए बिल, आढ़तीय प्राप्य राशियां आदि तथा ईक्विटी स्वरूप के छोड़कर अन्य निवेश शामिल होंगे।

(ii) **कृषि कार्य**

30 अप्रैल 2007 के ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के परिपत्र गाआऋवि. सं. प्लान बीसी. 84/04.09.01/2006-07 में दी गयी परिभाषा के अनुसार जिसे समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

(iii) **पूरी तरह रक्षित**

जब बैंक को देय राशियां (पुनर्चित ऋण की शर्तों के अनुसार मूलधन तथा प्राप्य ब्याज का वर्तमान मूल्य), उन राशियों के संबंध में बैंक के पक्ष में विधिवत् प्रभारित जमानत के मूल्य द्वारा पूरी तरह रक्षित हैं, तब बैंक को देय राशियों को पूरी तरह रक्षित समझा जाता है। जमानत वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन करते समय प्राथमिक तथा संपार्श्विक प्रतिभूतियों की भी गणना की जाएगी, बशर्ते ऐसी प्रतिभूतियां मूर्त स्वरूप की हैं और प्रवर्तक /अन्यों की गारंटी आदि जैसे अमूर्त रूप में नहीं हैं। तथापि, इस प्रयोजन के लिए बैंक की गारंटियों, राज्य सरकार की गारंटियों तथा केंद्र सरकार की गारंटियों को मूर्त जमानत के समतुल्य माना जाएगा।

(iv) **पुनर्चित खाते**

पुनर्चित खाता ऐसा खाता है जहां बैंक उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई से संबंधित आर्थिक अथवा विधिक कारणों के लिए उधारकर्ता को ऐसी रियायतें प्रदान करता है जिन्हें प्रदान करने पर वह अन्यथा विचार न करता। पुनर्चना में सामान्यतः अग्रिमों /जमानत की शर्तों में संशोधन किया जाएगा जिसमें सामान्यतः अन्य बातों के साथ चुकौती की अवधि/चुकौती योग्य राशि/किस्तों की राशि/ब्याज की दर (प्रतियोगी कारणों को छोड़कर अन्य कारणों से) में परिवर्तन शामिल होगा। तथापि, ईएमआई अपरिवर्तित रखने के लिए अस्थिर दर वाले ऋण की चुकौती अवधि बढ़ाने या ब्याज दर का पुनर्निर्धारण करने, बशर्ते कि इसे खातों के एक वर्ग के लिए समान रूप से लागू किया जाए, से खाते को पुनर्चित के रूप में वर्गीकृत नहीं माना जाएगा।

दूसरे शब्दों में, एक संपूर्ण वर्ग के विरुद्ध किसी व्यक्तिगत उधारकर्ताओं ईएमआई बढ़ाने या आस्थगित करने से खातों को पुनर्चित खातों के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

अल्पकालिक ऋणों के भुगतान स्थगित करने के मामले में, जहां उचित मंजूरी-पूर्व मूल्यांकन किया गया है, तथा उधारकर्ता की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर रॉल-ओवर की अनुमति दी गई है तथा उधारकर्ता की साख कमजोर होने के कारण उसे कोई रियायत नहीं दी गई है, ऐसे में इन्हें पुनर्चित खाते नहीं माना जा सकता। किंतु यदि ऐसे खातों को दो से ज्यादा बार रोल-ओवर किया गया, तो तीसरे रोल-ओवर के बाद से ऐसे खातों को पुनर्चित खाते माना जाएगा। इसके अलावा, ऐसी सुविधाएं देते समय बैंकों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उधारकर्ता संघीय व्यवस्था या बहुविध बैंकिंग के अंतर्गत अन्य बैंकों से भी इसी प्रकार की सुविधाएं ले सकता है। इसके अतिरिक्त, इस प्रावधान के प्रयोजन से अल्पकालिक ऋण में परिक्रामी नकद ऋण या कार्यशील पूंजी मांग ऋणों जैसे उचित रूप से मूल्यांकित नियमित कार्यशील पूंजी ऋण शामिल नहीं हैं।

(v) पुनरावृत्त पुनर्चित खाते

जब कोई बैंक किसी खाते की दूसरी (अथवा उससे अधिक) बार पुनर्चना करता है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्चित खाता' समझा जाएगा। तथापि, पहली पुनर्चना की शर्तों के अंतर्गत प्रदान की गई रियायतों की अवधि समाप्त होने के बाद यदि दूसरी पुनर्चना की जाती है तो उस खाते को 'पुनरावृत्त पुनर्चित खाता' नहीं समझा जाएगा।

(vi) एसएमई

छोटे तथा मझौले उद्यम समय-समय पर संशोधित ग्रामीण आयोजना और ऋण विभाग के 4 अप्रैल 2007 के परिपत्र ग्राआऋवि. पीएलएनएफएस. बीसी. सं. 63.06.02/2006-07 में परिभाषित उपक्रम है।

(vii) निर्दिष्ट अवधि

निर्दिष्ट अवधि का अर्थ है पुनर्चना पैकेज के अंतर्गत ऋण-स्थगन की दीर्घतम अवधि के लिए ऋण सुविधा पर पुनर्चना पैकेज की शर्तों के अनुसार ब्याज अथवा मूलधन, जो भी पहले हो, की किस्त की पहली अदायगी देय होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि।

(viii) संतोषजनक कार्यनिष्पादन

निर्दिष्ट अवधि के दौरान संतोषजनक कार्यनिष्पादन का अर्थ उस अवधि के दौरान निम्नलिखित शर्तों का पालन किए जाने से है।

कृषीतर नकद ऋण खाते

कृषीतर नकद ऋण खातों के मामले में उक्त खाता निर्दिष्ट अवधि के दौरान 90 दिन से अधिक अवधि के लिए चूक की स्थिति (आउट ऑफ ऑर्डर) में नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई भी अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

कृषीतर मीयादी ऋण खाते

कृषीतर मीयादी ऋण खातों के मामले में कोई भी भुगतान 90 दिन से अधिक अवधि के लिए अतिदेय नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त निर्दिष्ट अवधि के अंत में कोई भी अतिदेयताएं नहीं होनी चाहिए।

सभी कृषि खाते

कृषि खातों के मामले में निर्दिष्ट अवधि के अंत में खाता नियमित होना चाहिए।

*नोट: यह पाया गया है कि बढ़ती हुई ब्याज दरों के परिदृश्य में सामान्यतः बैंक ईएमआई को स्थिर रखते हुए चुकौती की अवधि को बढ़ा देते हैं। तथापि, कुछ मामलों में इसके परिणामस्वरूप चुकौती की अवधि उधारकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु अथवा राजस्व अर्जित करने की क्षमता के काफी बाद तक बढ़ाई गई। अतएव, यह सूचित किया जाता है कि:

(i) आवास ऋणों के मामले में जहां ईएमआई को अपरिवर्तित रखने के लिए चुकौती की अवधि बढ़ाई जाती है, बैंकों को बढ़ाई गई चुकौती की अवधि सहित पूरी चुकौती की अवधि के दौरान उधारकर्ता की राजस्व अर्जित करने/चुकौती करने की क्षमता के बारे में स्वयं की संतुष्टि कर लेनी चाहिए।

(ii) अगर उधारकर्ता ईएमआई को अपरिवर्तित रखने के लिए अवधि बढ़ाना चाहता हो, तो भी बैंकों को ऐसे उधारकर्ताओं की चुकौती अवधि को नहीं बढ़ाना चाहिए, जिनकी बढ़ाई गई अवधि में चुकौती की क्षमता के बारे में बैंक को चिंता हो।

(iii) बैंकों को ऐसे उधारकर्ताओं को ऊंचे ईएमआई का विकल्प उपलब्ध कराना चाहिए, जो मूल चुकौती अवधि के अनुसार आवास ऋण चुकाना चाहते हों।

पुनर्चित खातों का प्रकटीकरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	पुनर्चना की श्रेणी →		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत					एसएमई ऋण पुनर्चना के अंतर्गत					अन्य					कुल					
	आस्ति वर्गीकरण →	ब्योरे ↓	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	
1	वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार पुनर्चित खाते (आंशिक आंकड़े)*	उधारकर्ताओं की संख्या																					
		बकाया शेष																					
		उन पर प्रावधान																					
2	वर्ष के दौरा	उधारकर्ताओं																					

	न नवी न पुनर् चित अग्रि म	की सं ख्या																		
		बका या राशि																		
		उन पर प्राव धान																		
3	वि त्ती य वर्ष के दौरा न पुनर् चित मान क श्रेणी में उन् नय न	उधार कर्ता ओं की सं ख्या																		
		बका या शेष																		
		उन पर प्राव धान																		
4	पुनर् चित मान क खाते जिन पर वि	उधार कर्ता ओं की सं ख्या																		
		बका या																		

त्ती य वर्ष के समा पन पर उच्च तर प्राव धान और/ अथ वा जो खिम भार लागू नहीं रह गया है और इस लिए जि न्हें अग ले वि त्ती य वर्ष के प्रारं भ में	शेष									
	उन पर प्राव धान									

	पुनर् चित मान क अग्रि मों के रूप में दर्शा ने की जरूर त नहीं है।																	
5	वि त्ती य वर्ष के दौरा न पुनर् चित खा तों की श्रेणी को अव नत कर ना	उधार कर्ता ओं की सं ख्या बका या राशि उन पर प्राव धान																
6	वि त्ती	उधार कर्ता																

य वर्ष के दौरा न पुनर् चित खा तों के राइट - ऑफ	ओं की सं ख्या																		
	बका या राशि																		
	उन पर प्राव धान																		
7 वि त्ती य वर्ष के 31 मार्च की स्थि ति के अनु सार पुनर् चित खाते (अं तिम आंक डे)	उधार कर्ता ओं की सं ख्या																		
	बका या राशि																		
	उन पर प्राव धान																		

*उन मानक पुनर्चित अग्रिमों से संबंधित आंकड़ों को छोड़कर जिनके लिए उच्चतर प्रावधान या जोखिम भार (यदि लागू हो) की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है।

अनुदेश - उक्त फार्मेट में प्रकटीकरण के प्रयोजन के लिए, निम्नलिखित अनुदेशों का अनुपालन अपेक्षित है:

(i) सीडीआर प्रणाली, एसएमई ऋण पुनर्रचना प्रणाली तथा पुनर्रचना की अन्य श्रेणियों को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(ii) उक्त प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत, उनके मौजूदा आस्ति वर्गीकरण के अंतर्गत पुनर्रचित अग्रिमों को, अर्थात् मानक, अवमानक, संदिग्ध एवं हानि को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

(iii) 'मानक' पुनर्रचित खातों के अंतर्गत ऐसे खातों को प्रकट करना आवश्यक नहीं है जिनके संबंध में वस्तुनिष्ठ प्रमाण हो कि उनमें अब कोई अन्तर्निहित ऋण समस्या नहीं है। इस प्रयोजन के लिए, ऐसे खातों के लिए जिनमें अंतर्निहित ऋण समस्या नहीं है वस्तुनिष्ठ मानदंड निम्न प्रकार से है:

(क) जहां तक मानक अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों का संबंध है, ऐसे खातों में अंतर्निहित ऋण समस्या के कारण, बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे मानक खातों में पुनर्रचना की तिथि से पहले दो वर्षों में किए जाने वाले अपेक्षित प्रावधान से उच्चतर सामान्य प्रावधान करें। पुनर्रचना के बाद ब्याज/मूलधन के भुगतान पर अधिस्थगन की स्थिति में, ऐसे अग्रिमों पर स्थगन की अवधि में तथा उसके बाद दो वर्ष की अवधि तक उच्चतर सामान्य प्रावधान लागू होगा।

(ख) इसी क्रम में, पुनर्रचित मानक अनरेटेड कारपोरेट एक्सपोजर तथा आवास ऋण को भी 25 प्रतिशत अंक का अतिरिक्त जोखिम भार दिया जाता है ताकि ये अंतर्निहित जोखिम के उच्चतर भाग को दर्शाएं जो ऐसी संस्थाओं में अप्रकट तौर पर मौजूद रहते हैं (देखें 'पूँजी पर्याप्तता संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड और बाजार अनुशासन - नई पूँजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन पर दिनांक 27 अप्रैल 2007 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90/20.06.001/2006-07 के पैराग्राफ 5.8.3 और बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश पर दिनांक 3 नवंबर 2008 के परिपत्र बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 76/21.04.0132/2008-09 के पैराग्राफ 4 से क्रमशः)।

(ग) पूर्वोक्त [(क) तथा (ख)] अतिरिक्त/उच्चतर प्रावधान तथा जोखिम भार निर्धारित अवधि के बाद तब लागू नहीं रह जाते हैं जब उनका कार्य निष्पादन पुनर्निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होता है। तथापि उचित मूल्य में आई कमी को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि के अनुसार आकलित करना होगा तथा यथोपेक्षित प्रावधान करने होंगे।

(घ) पुनर्रचित खातों की प्रावधान करने संबंधी अपेक्षाओं के संबंध में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार अवमानक तथा संदिग्ध (अनर्जक) परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत पुनर्रचित खातों को जब मानक श्रेणी खातों के रूप में अपग्रेड कर दिया जाता है तो उन पर भी अपग्रेड होने की तिथि से पहले वर्ष तक अन्यथा मानक खातों के लिए अपेक्षित प्रावधान से उच्चतर सामान्य प्रावधान लागू होगा। यदि खाते का कार्य निष्पादन पुनर्निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हो तो यह उच्चतर प्रावधान अपग्रेड होने की तिथि से एक वर्ष के बाद लागू नहीं रह जाता है। तथापि उचित मूल्य में आई कमी को प्रत्येक तुलनपत्र तिथि के अनुसार आकलित करना होगा तथा यथोपेक्षित प्रावधान करने होंगे।

(ड) ऊपर निर्दिष्ट अवधि के दौरान यदि एक बार पुनर्चित मानक अग्रिमों पर उच्चतर प्रावधान एवं/अथवा जोखिम भार (लागू होने पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए गए के अनुसार) संतोषजनक प्रदर्शन के कारण वापस सामान्य स्तर पर आ जाते हैं, तो ऐसे अग्रिमों के संबंध में बैंकों से अब यह अपेक्षित नहीं रह जाएगा कि वे उन्हें अपने वार्षिक तुलन-पत्र में "खातों के संबंध में टिप्पणियां" में पुनर्चित मानक खातों के रूप में प्रकट करें। तथापि, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों द्वारा पुनर्चित खातों के उचित मूल्य में आयी ऐसी कमी के लिए पुनर्चित खातों पर प्रावधान करना जारी रखा जाना चाहिए।

(iv) इन प्रकटीकरणों में पुनर्चित एनपीए खातों के अपग्रेडेशन तथा अवनति दोनों की स्थिति में श्रेणी के भीतर होने वाली प्रगति-अवनति को भी दर्शाया जाना चाहिए। ये प्रकटीकरण वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्चित खातों में वृद्धि, अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन, राइट ऑफ इत्यादि के कारण होने वाली प्रगति-अवनति को दर्शाएंगे।

(v) पुनर्चित खातों की स्थिति प्रकट करते समय बैंकों के लिए उन उधारकर्ताओं के पुनर्चित भाग या सुविधा के साथ-साथ सभी खातों/सुविधाओं में कुल बकाया रकम को प्रकट करना अनिवार्य है जिनके खाते पुनर्चित किए गए हैं। इसका मतलब है कि किसी उधारकर्ता के किसी एक खाते/सुविधा की पुनर्चना की गई हो तो भी, बैंक को उस खास उधारकर्ता के सभी खातों/सुविधाओं से संबंधित समस्त बकाया रकम को दर्शाना चाहिए।

(vi) वर्ष के दौरान अपग्रेडेशन (प्रकटीकरण फार्मेट में क्रम सं. 3) का तात्पर्य है 'पुनर्चित एनपीए' का 'अवमानक या संदिग्ध श्रेणी', जैसा भी मामला हो, से मानक आस्ति वर्गीकरण में प्रस्थान। इन पर समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले 'निर्धारित अवधि' के दौरान उच्चतर प्रावधान और/अथवा जोखिम भार लागू होंगे। एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में प्रस्थान को संबंधित श्रेणी में क्रमशः (-) तथा (+) प्रतीकों से दर्शाया जाएगा।

(vii) श्रेणी में से सामान्य मानक अग्रिमों के रूप में पुनर्चित मानक अग्रिमों के प्रस्थान (प्रकटीकरण फार्मेट में क्रम सं. 4) को "मानक" स्तंभ में (-) चिन्ह द्वारा दर्शाया जाएगा।

(viii) एक श्रेणी से दूसरी निम्न श्रेणी में प्रस्थान संबंधित श्रेणियों में (-) तथा (+) प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाएगा।

(ix) अपग्रेडेशन, डाउनग्रेडेशन तथा राइट ऑफ अपने मौजूदा आस्ति वर्गीकरणों से हैं।

(x) सभी प्रकटीकरण मौजूदा आस्ति वर्गीकरण के आधार पर हैं न कि 'पुनर्चना के पूर्व के आस्ति वर्गीकरण' के आधार पर।

(xi) ¹² विद्यमान पुनर्चित खातों को दी गई अतिरिक्त/नई मंजूरीयों को क्रम सं.2 "वर्ष के दौरान नए पुनर्चित खातों" के अंतर्गत एक फुटनोट के साथ दर्शाए जाने चाहिए, जिसमें कहा गया हो कि

¹² क्रम सं. (xi) तथा (xii) संशोधन हैं।

क्रम सं.2 के अंतर्गत दर्शाए गए आंकड़ों में विद्यमान पुनर्चित खातों (खातों की संख्या और उसके लिए प्रावधान भी) को दी गई अतिरिक्त/नई मंजूरीयों के लिए रु. xxx करोड़ भी शामिल हैं। इसीप्रकार, पुनर्चित खातों की मात्रा में कमी को क्रम सं.6 वर्ष के दौरान पुनर्चित खातों को बढ़े खाते डालना के अंतर्गत एक फुटनोट के साथ डाला जा सकता है, जिसमें कहा गया हो कि इसमें बिक्री/वसूली के कारण विद्यमान पुनर्चित खातों (खातों की संख्या और उसके लिए प्रावधान भी) में कमी के लिए रु. xxx करोड़ भी शामिल हैं।

(xii) वित्त वर्ष के 1 अप्रैल को प्रारंभिक शेष+ वर्ष के दौरान विद्यमान पुनर्चित खातों को दी गई अतिरिक्त/नई मंजूरीयों सहित नए पुनर्चित ऋण +आस्ति श्रेणियों में गतिविधियों के लिए समायोजन - ऐसे पुनर्चित मानक अग्रिम जिन पर उच्चतर जोखिम भार लगना बंद हो गया है तथा/अथवा प्रावधान - बढ़े खाते डालना/बिक्री/वसूली के कारण कमी आदिको पिछले वित्त वर्ष के 31 मार्च को अंतिम शेष के साथ अंकगणितीय रूप से मेल खाना चाहिए। तथापि, यदि किसी अप्रत्याशित या अन्य किसी कारण से अंकगणितीय सटीकता हासिल नहीं की जा सके, तो अंतर का समाधान किया जाए और एक फुटनोट द्वारा इसे स्पष्ट किया जाए।

आईआरएसी मानकों पर जारी मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र सं.	दिनांक	विषय	मास्टर परिपत्र का पैरा सं.
1	बैविवि.सं.बीपी. बीसी. 101/21.04.132/2014-15	08-06-2015	कार्यनीतिक ऋण पुनर्रचना योजना	भाग ग – 3
2	बैविवि.सं.बीपी.बीसी.94/21. 04.048/2014-15	21-05-2015	अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड – घाटे को विभाजित करना (स्प्रेड ओवर)	6.5 क (क)(ii)
3	बैविवि.सं.बीपी. बीसी. 84/21.04.048/2014-15	06-04-2015	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड -कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं	4.2.15.4
4	बैविवि.सं.बीपी. बीसी. 85/21.04.048/2014-15	06-04-2015	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड- उधारकर्ताओं के प्रति एक्सपोजर के लिए पुनर्वित्त प्रदान किया जाना	14
5	बैविवि.सं.बीपी. बीसी. 83/21.04.048/ 2014-15	01-04-2015	धोखाधड़ी वाले खातों के संबंध में प्रावधानीकरण	4.2.9 (i), 4.2.9 (ii)
6	बैविवि. सं. बीपी.बीसी. 79/21.04.048/2014-15	30-03-2015	अस्थायी प्रावधानों/ प्रतिचक्रीय प्रावधानीकरण बफर का उपयोग	5.10 (iii) (ग) का फुटनोट
7	बैविवि. सं. बीपी.बीसी. 75/21.04.048/2014-15	20-03-2015	प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी(आरसी) को वित्तीय आस्तियों के विक्रय पर दिशानिर्देश और संबंधित मुद्दे	6.6 (ii)
8	बैविवि.बीपी.बीसी.सं.75/21. 04.048/2014-15	11-03-2015	प्रतिभूतीकरण कंपनी (एससी) / पुनर्निर्माण कंपनी(आरसी) को वित्तीय	6.5 A (क)(iii)

			आस्तियों के विक्रय पर दिशानिर्देश और संबंधित मुद्दे	
9	मेलबाक्स स्पष्टीकरण	04-03-2015	अनर्जक वित्तीय आस्तियों का विक्रय (एससी/आरसी को छोड़कर)	7.3 (x)
10	मेलबाक्स स्पष्टीकरण	24-02-2015	परियोजना ऋणों हेतु पुनर्वित्त प्रदान किया जाना	12.5
11	बैविवि.सीआईडी. बीसी. सं. 54/20.16.064/2014-15	22-12-2014	असहयोगी उधारकर्ता	33.1 (ख)
12	बैविवि.बीपी.बीसी.सं.53/21.04.048/2014-15	15-12-2014	बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना	11
13	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 45/21.04.132/2014-15 21-10-2014	21-10-2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा-संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देशों की समीक्षा	भाग ग
14	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 33/21.04.048/ 2014-15	14-08-2014	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड -कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं	13
15	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 31/21.04.132/ 2014-15	07-08-2014	परियोजना ऋणों हेतु पुनर्वित्त प्रदान किया जाना	12.4
16	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 24/21.04.132/ 2014-15	15-07-2014	बुनियादी संरचना क्षेत्र और महत्वपूर्ण उद्योगों के लिए दीर्घावधि परियोजना ऋणों की लचीली संरचना	10
17	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.125/21.04.048/2013-14	26.06.2014	अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड- कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं	4.2.15.5 (iv) तथा (v)
18	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	11.04.2014	अदत्त ब्याज को निधिकृत ब्याज सावधि ऋण (एफआईटीएल), ऋण या इक्विटी लिखतों में परिवर्तित करने हेतु विवेकपूर्ण मानदंड	14.2.5

19	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	09.04.2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, एनपीए का विक्रय तथा अन्य विनियामक उपाय	6.5 (A) (क) (iii)
20	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.98/21.04.132/2013-14	26.02.2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - परियोजना ऋणों को पुनर्वित्त प्रदान करना, एनपीए का विक्रय तथा अन्य विनियामक उपाय	6.3 (iii) 6.4 (घGGj) (iv) 6.5 (क) (क) (ii) and (iii) 7.3 (ix) 7.3 (x) भाग ग-2
21	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.97/21.04.132/2013-14	26.02.2014	अर्थव्यवस्था में दबावग्रस्त आस्तियों को सशक्त करने के लिए ढांचा - संयुक्त ऋणदाता फोरम (जेएलएफ) तथा सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी)के संबंध में दिशानिर्देश	भाग ग- 1
22	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.95/21.04.048/2013-14	7.02.2014	अस्थायी प्रावधानों /काउंटर सायक्लिकल प्रोविज़निंग बफर का उपयोग	5.10 (iii) (ग) 5.10 (v)
23	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.85/21.06.200/2013-14	15.01.2014	अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर वाली संस्थाओं के एक्सपोजर के लिए पूंजी और प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षाएं	5.5 (vi)
24	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.78/21.04.048/2013-14	20.12.2013	अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - क्रेडिट कार्ड खाते	4.2.21
25	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.104/08.12.015/2012-13	21.06.2013	आवास क्षेत्र: सीआरई के भीतर नया उप-क्षेत्र सीआरई (रिहाइशी आवास) तथा प्रवधानीकरण, जोखिम भार तथा एलटीवी अनुपातों का औचित्य	5.5 (ग)
26	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	06.06.2013	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा	4.2.15.3 (iv)

			अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा	4.2.15.4 (iii) भाग ख
27	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 99/21.04.048/2012-13	30.05.2013	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा	4.2.15, भाग ख, अनुबंध 4 तथा 5
28	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं. 90/21.04.048/2012-13	16.04.2013	क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर लो इन्कम हाउसिंग (सीआरजीएफटीएलआईएच) द्वारा गारंटीकृत अग्रिम - जोखिम भार और प्रावधानीकरण	5.9.5
29	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.83/21.04.048/2012-13	18.03.2013	इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को अग्रिमों पर विवेकपूर्ण मानदंड	5.4 (iii) (ग)
30	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.80/21.04.132/2012-13	31.01.2013	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा पुनर्रचित अग्रिमों पर प्रकटीकरण अपेक्षा	भाग ख तथा अनुबंध 6
31	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.63/21.04.048/2012-13	26.11.2012	बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा	4.2.15.3 (iv) 4.2.15.4 (iii)
32	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.42/21.04.048/2012-13	14.09.2012	अनर्जक आस्तियों का प्रबंधन- प्रभावी प्रणाली और ग्रैनुलर डाटा की अपेक्षा	4.2.21
33	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 103/21.04. 132/2010-11	07.05.2012	प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित दिशानिर्देशों में संशोधन	4.2.20
34	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी.28/21.04.157/2011-12	11.08.2011	बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	4.2.7 (घ) से (ज)
35	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 99/21.04. 132/2010-11	10.06.2011	बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	12.4.2

36	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 94/ 21.04. 048/2011-12	18.05.2011	अनर्जक आस्तियों तथा पुनर्रचित अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण की दरों में वृद्धि	5.3 (ii), 5.4(i), 5.4(ii) 5.8(i), 5.8(ii), 5.9.14
37	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 87/ 21.04. 048/2010-11	21.04.2011	अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण सुरक्षा अनुपात (पीसीआर)	5.10
38	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 74/ 21.04. 132/2010-11	19.01.2011	माइक्रो वित्त संस्थाओं (एमएफआइ) को ऋण सहायता	14.2.2
39	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 69/ 08.12.001/2010-11	23.12.2010	वाणिज्य बैंकों द्वारा आवास ऋण - एलटीवी अनुपात, जोखिम भार तथा प्रावधानीकरण	5.9.13
40	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 49/ 21.04. 132/2010-11	07.10.2010	बैंकों द्वारा अग्रिमों की पुनर्रचना संबंधी विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	14.2.2
41	मेल बॉक्स स्पष्टीकरण	06.07.2010	मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण - मध्यम उद्यम	5.5(vi)
42	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 96/08.12. 014/2009-10	23.04.2010	इफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को अग्रिमों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड	5.4 (ii) तथा 5.4 (iii) (ख)
43	बैंपविवि.बीपी.बीसी. सं.85/21.04.048/ 2009-10	31.03.2010	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाएं	4.2.15
44	बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी. 64/21.04. 048/2009-10	01.12.2009	वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा - अग्रिमों के लिए प्रावधानीकरण सुरक्षा	5.10, अनुबंध - 3
45	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 58 /21.04. 048/2009-10	05.11.2009	वर्ष 2009-10 के लिए मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा - मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण संबंधी अपेक्षा	5.5(i)
46	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.	24.09.2009	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण तथा	3.2, 3.4,

	46/21.04. 048/2009-10		अग्रिमों से संबंधित प्रावधानीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड - अनर्जक आस्ति स्तरों की संगणना	3.5, अनुबंध -1
47	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 33/21.04. 048/2009-10	27.08.2009	अस्थायी प्रावधानों के संबंध में विवेकपूर्ण कार्रवाई	5.6.3
48	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी.125/21.04. 048/2008-09	17.04.2009	गैर-जमानती अग्रिमों से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड	5.4(iii)
49	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 124/21.04. 132/2008-09	17.04.2009	अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	अनुबंध 4
50	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 122/21.04. 048/2008-09	09.04.2009	अस्थायी प्रावधानों के संबंध में विवेकपूर्ण कार्रवाई	5.6.3
51	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी.121/ 21.04. 132/2008-09	09.04.2009	अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	12.4.2, 17
52	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 118/21.04. 048/ 2008-09	25.03.2009	ऋण संविभाग से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधानों के संबंध में विवेकपूर्ण कार्रवाई	5.6.3, 5.7, 5.9.9, 5.9.10
53	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 83/21.01. 002/ 2008-09	15.11.2008	मानक आस्तियों के लिए प्रावधानीकरण और कार्पोरेट, वाणिज्यिक स्थावर संपदा और एनबीएफसी- एनडी-एसआइ के लिए जोखिम-भार के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा	5.5
54	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.84/21.04. 048/ 2008-09	14.11.2008	कार्यान्वयन के अधीन संरचनात्मक परियोजनाओं के लिए आस्ति वर्गीकरण मानदंड	4.2, 15,
55	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी.76/21.04. 132/2008-09	03.11.2008	अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	15.2.2

56	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 69/21.03. 009/ 2008	29.10.2008	बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	4.2.7 (iv)
57	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 58/21.04. 048/2008-09	13.10.2008	(i) मंजूर सीमा के अंतर्गत ऋणों का वितरण (ii) छोटे और मझोले उद्यमों की देय राशियों की पुनर्रचना	अनुबंध-4
58	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 57/21.04. 157/2008-09	13.10.2008	बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	2.1.2 (vii), 4.2.7 (iv) से 4.2.7(vii)
59	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी. 37/21.04. 132/2008-09	27.08.2008	अग्रिमों की पुनर्रचना से संबंधित विवेकपूर्ण दिशानिर्देश - व्यापक दिशानिर्देश	भाग ख
60	बैंपविवि.सं. बीपी. बीसी.31 /21.04. 157/2008-09	08.08.2008	बैंकों के तुलनपत्रेतर एक्सपोजरों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	2.1.2 (vii), 5.9.12
61	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.82/ 21.04. 048/2007-08	08.05.2008	अग्रिमों से संबंधित परिसंपत्ति वर्गीकरण पर विवेकपूर्ण मानदंड-कार्यान्वित की जा रही तथा विलंब से पूरी होनेवाली बुनियादी सुविधाओं वाली परियोजनाएं	4.2.15 (iv)
62	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 34/21.04. 048/2007-08	04.10.2007	अनर्जक परिसंपत्तियों की खरीद / बिक्री पर दिशानिर्देश	7.3 (iii)
63	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.97/ 21.04. 048/2006-07	16.05.2007	अनर्जक परिसंपत्तियों की खरीद / बिक्री पर दिशानिर्देश	7.3(iii)
64	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.76/ 21.04. 048/2006-07	12.04.2007	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, परिसंपत्ति वर्गीकरण तथा प्रावधानन करने से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंड - विलंब से पूर्ण होने वाली परियोजनाएं	4.2.15 (iv)
65	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.68/ 21.04. 048/2006-07	13.03.2007	अस्थायी (फ्लोटिंग) प्रावधानों के निर्माण और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड	5.6.2
66	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.53/ 21.04. 048/2006-07	31.01.2007	वर्ष 2006-07 के लिए मौद्रिक नीति पर वार्षिक वक्तव्य की तीसरी तिमाही समीक्षा - पूंजी पर्याप्तता के लिए मानक	5.5(i)

			परिसंपत्तियों तथा जोखिम भारों के लिए प्रावधानन अपेक्षाएं	
67	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 21 / 21.04. 048/2006-07	12.07.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति वक्तव्य-मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानीकरण अपेक्षाएं	5.5(i)
68	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.89/21.04. 048/2005-06	22.06.2006	अस्थाई (फ्लोटिंग) प्रावधानों के निर्माण और उपयोग पर विवेकपूर्ण मानदंड	5.6
69	बैंपविवि.बीपी. बीसी. 85/21.04. 048/ 2005-06	29.05.2006	वर्ष 2006-07 के लिए वार्षिक नीति विवरण : मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानन संबंधी अपेक्षाएं	5.5(i)
70	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.45/21.0421.04.048/2005-06	10.11.2005	कंपनी ऋण पुनर्विन्यास (सीडीआर) तंत्र पर संशोधित दिशानिर्देश	भाग ख
71	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.46/21.0421.04.048/2005-06	10.11.2005	छोटे और मझौले उद्यमों (एसएमई) के लिए ऋण पुनर्विन्यास तंत्र	भाग ख
72	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 40/ 21.04. 048/2005-06	04.11.2005	वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति विवरण की मध्यावधि समीक्षा : मानक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानन संबंधी अपेक्षाएं	5.5(i)
73	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 34/ 21.04. 132/ 2005-06	08.09.2005	छोटे और मझौले उद्यमों के लिए ऋण पुनर्विन्यास तंत्र - केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं	भाग ख
74	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 16/ 21.04. 048/2005-06	13.07.2005	अनर्जक आस्तियों की खरीद / बिक्री पर दिशानिर्देश	7
75	बैंपविवि. बीपी. बीसी. 34/ 21.04. 048/2004-05	26.08.2004	ग्रामीण आवास ऋणों की चुकौती अनुसूची	4.2.13 (vi)
76	बैंपविवि. सं.बीपी. बीसी.29/ 21.04. 048/2004-05	13.08.2004	विवेकपूर्ण मानदंड - राज्य सरकार द्वारा गारंटीकृत ऋण	4.2.14
77	ग्राआऋवि.सं. प्लान बीसी.92/ 04.09. 01/ 2003-04	24.06.2004	कृषि क्षेत्र के लिए ऋण प्रवाह	4.2.13 (iv)

78	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 102/21. 04.048/2003-04	24.06.2004	कृषि अग्रिमों के लिए विवेकपूर्ण मानदंड	2.1.2(iv), (v) 4.2.10, 4.2.13(i)
79	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.99/21.04 . 048/2003-04	21.06.2004	अनर्जक आस्तियों के लिए अतिरिक्त प्रावधानन अपेक्षाएं	5
80	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.97/ 21.04. 141/2003-2004	17.06.2004	बेजमानती ऋणों पर विवेकपूर्ण दिशानिर्देश	5.4
81	बैंपविवि.सं.बीपी. बीसी. 96/21.04. 103/ 2003-04	17.06.2004	देश विशेष संबंधी जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश	5.9.8
82	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 96/21.04. 048/2002-03	23.04.2003	प्रतिभूतिकरण / पुनर्निर्माण कंपनी की आस्तियों की बिक्री तथा अन्य संबद्ध मामलों संबंधी दिशानिर्देश	6
83	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 74/ 21. 04. 048/2002-03	27.02.2003	निर्धारित समयावधि से अधिक समय तक कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएँ	4.2.15
84	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 71/21.04. 103/2002-03	19.02.2003	बैंकों में जोखिम प्रबंध प्रणालियाँ - देश विशेष संबंधी जोखिम प्रबंधन दिशानिर्देश	5.9.8
85	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.69/21.04. 048/2002-03	10.02.2003	अनर्जक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत ऋण खातों का उन्नयन	4.2.5
86	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 44/21.04. 048/2003-04	30.11.2002	प्राकृतिक आपदाओं से दुष्प्रभावित कृषि ऋण	4.2.13
87	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.108/2 1. 04. 048/2001-2002	28.05.2002	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति-वर्गीकरण और प्रावधान करना - नियत अवधि से अधिक समय तक कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के मामले में कार्रवाई	4.2.15
88	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 101/21.01. 002/2001-02	09.05.2002	कंपनी ऋण पुनर्विन्यास	भाग ख

89	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 100/21.01. 002/2001- 02	09.05.2002	आस्ति वर्गीकरण के संबंध में विवेकपूर्ण मानदंड	4.1.2
90	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.59/ 21.04. 048/2001-02	22.01.2002	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - कृषि अग्रिम	4.2.13
91	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 25/21.04. 048/2000-01	11.09.2001	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड	3
92	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.15/ 21.04. 114/2000-01	23.08.2001	कंपनी ऋण पुनर्विन्यास	भाग ख
93	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.132/2 1. 04. 048/ 2000-01	14.06.2001	अग्रिमों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	4.2
94	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी. 128/21.04. 048/2000- 01	07.06.2001	लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटीकृत लघु उद्योग अग्रिम- जोखिम भार और प्रावधान करने से संबंधित मानदंड	5.9.5
95	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.116/ 21. 04. 048/ 2000-01	02.05.2001	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय 2001-02	2.1.2
96	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 98/21.04. 048/2000-01	30.03.2001	पुनर्व्यवस्थित खातों पर कार्रवाई करना	भाग ख
97	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.40/21.04. 048/2000-01	30.10.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना - भारतीय रिज़र्व बैंक को अनर्जक आस्तियों की रिपोर्टिंग	3.5
98	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 164/21.04. 048/2000	24.04.2000	पूँजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन आदि संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड	5.5
99	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.144/21.04. 048/2000	29.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन करना और अन्य संबद्ध मामले और पर्याप्तता मानक - टेक आऊट वित्त	4.2.16
100	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 138/21.04. 048/2000	07.02.2000	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना - निर्यात परियोजना वित्त	4.2.18
101	बैंपवि. सं. सीओ. बीसी.	21.10.99	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण करना	4.2.10

	103/ 21.04.048/99		- प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के माध्यम से वाणिज्य बैंकों द्वारा कृषि वित्त	
102	बैंपविवि. सं. एफएससी. बीसी.70/24.01.001/99	17.07.99	उपस्कर पट्टेदारी कार्य - लेखांकन / प्रावधानन/ प्रावधानन मानदंड	3.2.3, 5.8
103	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 45/21. 04.048/99	10.05.99	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करना - वाणिज्य उत्पाद शुरू करने की संकल्पना	4.2.15
104	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 120/21. 04.048/98	29.12.98	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड - प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित कृषि ऋण	4.2.13
105	बैंपविवि.सं.बीपी.बीसी.103/2 1.01.002/98	31.10.98	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय	4.1.1, 4.1.2, 5.5
106	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 17/21.04. 048/98	04.03.98	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान करने संबंधी विवेकपूर्ण मानदंड -कृषि ऋण	4.2.13
107	डीओएस.सं. कैका. पीपी.बीसी.6/11. 01.00/96-97	15.05.97	आस्ति मूल्यांकन और ऋणहानि के प्रावधान से संबंधित मूल्यांकन	5.1.1
108	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 29/ 21.04. 048/97	09.04.97	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन - कृषि संबंधी अग्रिम	4.2.13
109	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 14/21.04. 048/97	19.02.97	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन कृषि आग्रिम	4.2.13
110	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 9/21.04. 048/97	29.01.97	विवेकपूर्ण मानदंड - पूँजी पर्याप्तता, आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	4.2.4, 4.2.5, 4.2.8, 4.2.9
111	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 163/ 21.04.048/96	24.12.96	25,000/- रुपये से कम शेष राशि वाले अग्रिमों का वर्गीकरण	4.1
112	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.65/21.04. 048/96	04.06.96	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	4.2.8
113	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी.	19.03.96	अनर्जक अग्रिम - रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट	3.5

	26/21.04. 048/96		करना	
114	बैंपवि.बीसी. 25/ 21.04.048/96	19.03.96	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	4.2.8, 4.2.14
115	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 134/ 21.04.048/95	20.11.95	एक्जिम बैंक का नया उधार कार्यक्रम-पोतलदानोत्तर आपूर्तिकर्ता के ऋण के संदर्भ में वाणिज्य बैंकों को गारंटी एवं पुनर्वित्त	4.2.17
116	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 36/21.04. 048/95	03.04.95	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	3.2.2, 3.3, 4.2.17, 5.8.1
117	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 134/ 21.04.048/94	14.11.94	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन और अन्य संबंधित मामले	5
118	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 58/21.04. 048/94	16.05.94	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन और पूँजी पर्याप्तता मानदंड - स्पष्टीकरण	5
119	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 50/21.04. 048/94	30.04.94	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन	5.9.4
120	डीओएस.सं. बीसी. 4/ 16.14.001/ 93-94	19.03.94	ऋण निगरानी प्रणाली - उधारकर्ता खातों की स्थिति के लिए कूट प्रणाली	1.3
121	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 8/21.04. 043/94	04.02.94	आय निर्धारण आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन और संबंधित मामले	3.1.2, 3.4, 4.2
122	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 195/21. 04.048/93	24.11.93	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन स्पष्टीकरण	4.2
123	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 95/21. 04.048/93	23.03.93	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानन तथा अन्य संबंधित मामले	3.2, 5
124	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 59/21.04. 043/92	17.12.92	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानन स्पष्टीकरण	3.2.1, 3.2.2, 4.2
125	बैंपवि. सं. बीपी. बीसी. 129/21.04. 043/92	27.04.92	आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, और प्रावधानन और संबंधित मामले	1.1, 1.2, 2.1.1, 2.2, 3.1.1, 3.1.3,

				4.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.2, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
126	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 42/सी. 469(डब्ल्यू) -90	31.10.90	अनर्जक ऋणों का वर्गीकरण	3.1.1
127	बैंपविवि. सं. एफओएल. बीसी. 136/सी.249-85	07.11.85	ऋण निगरानी प्रणाली बैंकों में उधारकर्ता खातों की स्थिति के लिए कूट प्रणाली	1.3
128	बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 35/21. 01.002/99	24.04.99	मौद्रिक और ऋण नीति उपाय	4.2
129	बैंपविवि.सं.एफएससी. बीसी.18 /24.01.001/ 93-94	19.02.94	उपस्कर पट्टेदारी पर देना, किराया खरीद, फैक्टरिंग आदि गतिविधियां	2.1, 3.2.3